महानगर नई दिल्ली मंगलवार 22 अप्रैल, 2025, रु. 6.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

प्रपत्र–जी

दिल्ली में मोटर वाहन और मोटर साइकिल को छोड़कर थोक व्यापार और कमीशन व्यापार में बॉर्न यूनिकॉर्न टेक ट्राइड प्राइवेट लिमिटेड के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 36ए के उप नियम (1) के तहत) (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

क्र.	प्रासंगिक विवरण	
1	सीआईएन/एलएलपीआई नं. के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नाम	बॉर्न यूनिकॉर्न टेक ट्राइड प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U51100DL2021 PTC387337
2	पंजीकृत कार्यालय का पता	[illegible], प्रथम तल, मालवीय नगर (दक्षिण दिल्ली), दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110017
3	वेबसाइट का यूआरएल	https://www.combonation.in
4	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	कॉर्पोरेट देनदार की अचल संपत्ति [illegible]
5	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	[illegible]
6	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्ष 2022–23 के दौरान परिचालन से राजस्व 437.73 लाख रुपये था [illegible]
7	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या	[illegible]
8	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची, आगे की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियों सहित अन्य विवरण यहां उपलब्ध हैं	[illegible] https://www.combonation.in [illegible] bornunicorn.cirp@gmail.com [illegible]
9	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	https://www.combonation.in
10	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	13.05.2025
11	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	23.05.2025
12	अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि	28/05/2025
13	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	07/06/2025
14	संभावित समाधान आवेदकों के लिए सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	28/05/2025
15	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27/06/2025
16	रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी	bornunicorn.cirp@gmail.com

अनिल कुमार शर्मा
रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल
[illegible] IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00218/2019-2020/12514 [illegible]

दिनांक: 22.04.2025

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

कब्जा सूचना (नियम 8(1)) (अचल संपत्ति के लिए)

[illegible]

लिमिटेड को असाइनमेंट डीड दिनांक 29/02/2024 के माध्यम से सौंपी गई है। इसके अलावा, वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अब लेनदार की भूमिका निभाई है और अब आपके पास कानूनी रूप से क्रेडिट बकाया राशि वसूलने का अधिकार है। इसके अलावा, उपरोक्त संदर्भित ऋण खाता संख्याओं से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी के सभी अधिकार, शीर्षक और हित और अंतर्निहित सुरक्षा हितों, गारंटी, प्रतिज्ञाओं के साथ उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में निहित हैं और वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करता है।

अचल संपत्ति का विवरण: मौजा डांडा परगना खेरागढ़ जिला आगरा में स्थित खाता नंबर 00070 खसरा नंबर 703 क्षेत्रफल 0.3990 हेक्टेयर (3990 वर्ग मीटर) की भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, बिक्री विलेख संख्या –1316/2006 की सीमाः उत्तरः खेत रघुवीर आदि और खेतरामवीर सिंह, दक्षिणः खेत रघुवीर सिंह, पूर्वः खेत रामबेटी, पश्चिम : महिमा प्रसाद.

दिनांकः 22–04–2025, स्थानः जिला आगरा। हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 09, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली–110057,
दूरभाष : 01149267000, टोल फ्री नं. : 1800 212 8800, ई–मेल : customer.care@herohfl.com
वेबसाइट : www.herohousingfinance.com | सीआईएन : U65192DL2016PLC30148
संपर्क पताः ए–6, तृतीय तल, सेक्टर–4, नोएडा – 201301

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के तहत।

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत एवं नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पहले ही यहाँ नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी एकल या एक साथ दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के रूप में सन्दर्भित) को नीचे दिये गये विवरणों के सम्बन्धित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सम्बन्धित मांग सूचना/ओं में उल्लिखित राशियों का भुगतान करने को कहते हुए निम्नलिखित तिथि पर विस्तृत माँग सूचना जारी की है। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा सर्व की गयी हैं और वे अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), यदि चाहें तो अधोहस्ताक्षरी से सम्बन्धित प्रति सामान्य कार्य घण्टों के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।
उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा एक बार पुनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा क्रियान्वित ऋण अनुबन्ध एवं अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोई हो, के साथ पठित नीचे कॉलम घ में उल्लिखित सम्बन्धित तिथियों से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे वर्णित भावी ब्याज सहित अपने नामों के सम्मुख नीचे सूचित राशियों का सम्बन्धित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति(याँ) क्रमशः कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा एचएचएफएल के पास बंधक रखी गयी हैं।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/ विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्नलिखित तिथि तक कुल बकाया देय*	माँग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
HHFDELHOU19000001242	गौरव आहूजा, रजनी पत्नी गौरव आहूजा	रु. 21,33,650/– 10.04.2025 तक	10-04-2025 / 09-04-2025

प्रतिभूत आस्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरणः – ब्लॉक–बी, गली नंबर 3, पूरी तीसरी मंजिल छत के अधिकार सहित, खसरा नंबर 20 में से फ्रीहोल्ड बिल्ट–अप प्रॉपर्टी, गांव – भरौला, कॉलोनी मजलिस पार्क, दिल्ली – 110033 के क्षेत्र में स्थित है। माप 50 वर्ग गज यानी 41.805 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। सीमाएं : उत्तरः संपत्ति नंबर 354, पूर्वः उक्त संपत्ति का बचा हुआ आधा हिस्सा, दक्षिणः सड़क, पश्चिमः संपत्ति नंबर बी–305

ऋण खाता सं.	नाम	बकाया	तिथि
HHFDELHOU19000001064	मनोज कुमार, रणधीर सिंह, कैलाश कुंवर	रु. 25,35,658/– 10.04.2025 तक	10-04-2025 / 09-04-2025

प्रतिभूत आस्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरणः – प्राइवेट नं. 403, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार के साथ, निर्मित संपत्ति के पीछे की ओर बाएँ हिस्से की ओर, प्लॉट नं. डी–212, खसरा नं. 567 में से, गांव – नवादा, गुरुद्वारा रोड, कॉलोनी मोहन गार्डन, ब्लॉक – डी, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059 की राजस्व संपदा में स्थित, अन्य सुविधाओं के साथ 1/19वाँ आनुपातिक अधिकार के साथ (क्षेत्र 50 वर्ग गज यानी 41.81 वर्ग मीटर), सीमाएं : उत्तरः प्लॉट नं. डी–211, पूर्वः गली 10 फीट, दक्षिणः अन्य संपत्ति, पश्चिमः अन्य फ्लैट।

ऋण खाता सं.	नाम	बकाया	तिथि
HHFGAZHOU21000015250 & HHFGAZIPL21000015251	हासिम खान, शायना पत्नी हासिम खान, राजाउल्ला पुत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन	रु. 16,85,788/– 09.04.2025 तक	10-04-2025 / 06-04-2025

प्रतिभूत आस्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरणः – फ्लैट नंबर यूजीएफ– 4, ऊपरी तल, पीछे की ओर दाईं ओर, बिना छत के अधिकार के, एमआईजी, प्लॉट–ए–59 पर निर्मित, खसरा नंबर 350 का हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 480 वर्ग फीट यानी 44.60 वर्ग मीटर है, रेल विहार सहकारी आवास संपत्ति लिमिटेड, गांव– सादुल्लाबाद, तहसील लोनी, जिला– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201102 जिसमें दो बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक रसोई, दो शौचालय, बाथरूम है। फ्लैट की सीमाः पूः कॉमन पैसेज और फ्लैट नंबर यूजीएफ–3, पश्चिमः प्लॉट नंबर अ– 58, उत्तरः कॉमन पैसेज और फ्लैट नंबर यूजीएफ–1, दक्षिणः अन्य की संपत्ति

ऋण खाता सं.	नाम	बकाया	तिथि
HHFDELLAP19000004896 & HHFGAZLAP21000018576	अशोक कुमार, कविता पत्नी अशोक कुमार, राजपाल सिंह, राजकला एजुकेशनल सोसाइटी, महेन्दर सिंह	रु. 77,61,410/– 16.04.2025 तक	19-04-2025 / 08-04-2025

प्रतिभूत आस्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरणः– मकान संख्या 753 (पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार), भूमि क्षेत्रफल 320 वर्ग गज (भूखंड का पश्चिमी भाग 480 वर्ग गज), म्यू संख्या 29, किला संख्या 18, गली संख्या 2–3, राजीव कॉलोनी, वाका मौजा रनहेड़ा, तहसील – बल्लभगढ़, जिला– फरीदाबाद, हरियाणा में से।

ऋण खाता सं.	नाम	बकाया	तिथि
HHFNSPLAP23000031781	रवीश पाल, मंजू देवी, राजबीर सिंह	रु. 16,00,228/– 08.04.2025 तक	09-04-2025 / 06-04-2025

प्रतिभूत आस्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरणः – संपत्ति संख्या – 22 बी, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, इसकी पूरी संरचना और अंतिम मंजिल तक ऊपरी निर्माण के सभी अधिकार, खसरा संख्या 623/1 में से प्लॉट संख्या 22 के हिस्से पर निर्मित, गांव मंडोली, इलाका– शाहदरा, दिल्ली–110093 के लाल डोरा की विस्तारित आबादी में स्थित है। सीमाएंः उत्तरः संपत्ति संख्या 22–सी, पूर्वः गली, दक्षिणः प्लॉट संख्या 23, पश्चिमः संपत्ति संख्या 22–ए

ऋण खाता सं.	नाम	बकाया	तिथि
HHFAGRHOU22000023803	गजेन्द्र वर्मा, लवी देवी, सुरेश पुत्र बलराम	रु. 8,70,365/– 08.04.2025 तक	09-04-2025 / 06-04-2025

प्रतिभूत आस्तियों / अचल संपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरणः – आवासीय प्लॉट का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 369, 370, खसरा नंबर 1292/20, नारायण विहार कॉलोनी, गढ़ी जीवनराम के पास, मौजा नराइच, तहसील– एत्मादपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश– 282006 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर है, जिसमें स्वामित्व दस्तावेज में लिखी गई सभी सामान्य सुविधाएँ शामिल हैं। सीमाः उत्तर–प्लॉट नंबर 373; पूर्वः विक्रेता का प्लॉट पश्चिम– 20 फीट चौड़ी सड़क; दक्षिण– अन्य की संपत्ति;

*तथा उपर्युक्त सम्बन्धित मांग सूचना में अधिक स्पष्ट वर्णित के अनुसार भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागतें, भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपचयित प्रभार आदि। यदि कथित दायित्वधारी उपर्युक्त के अनुसार एचएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे, तो एचएचएफएल लागतों तथा परिणामों के लिए कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के पूर्ण जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।
कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एचएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो वह अधिनियम के तहत प्रावधानित जेल तथा/जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

तिथि : 22 अप्रैल, 2025, स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे. कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ह./– अधिकृत प्राधिकारी

सेवा में,
1. सोमेश कुमार, पुत्र उमेश कुमार, यूडीआई मोड, इटावा – 206 001
2. देवेश कुमार, पुत्र उमेश कुमार , यूडीआई मोड, इटावा – 206 001

निष्पादन मामला संख्या 2021/342
कलकत्ता उच्च न्यायालय, व्यावसायिक प्रभाग में
मूल पक्ष
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
याचिकाकर्ता/अवार्ड धारक
–बनाम–
सोमेश कुमार और अन्य
प्रतिवादी/जजमेंट ऋणधारक

कृपया ध्यान दें कि 18 **जनवरी** 2022 के आदेश द्वारा, आपको माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय,कलकत्ता के समक्ष अपनी परिसंपत्ति का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश की तिथि 21 **फरवरी,** 2022 तक बढ़ाई गई थी। ऐसे विस्तारों के बावजूद आपने आदेश का पालन नहीं किया है। कृपया ध्यान दें कि मामला 28 मार्च 2025 को उठाया गया था और अब 20 जून 2025 के लिए वापस रखा गया है, जब आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रपत्र 16ए परिशिष्ट ई के अनुसार अपनी परिसंपत्ति का हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है।

सिन्हा एंड कंपनी
अधिवक्ता
5, किरण शंकर रॉय रोड,
कोलकाता– 700001.
संपर्क: +9133–2210–1617/1625

राजस्थान सरकार
कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।

क्रमांकः प. ( )/न्यू प्रोजेक्ट/नीलामी/एसएमएसएच/2025/2458 दिनांकः 09.04.2025

सार्वजनिक निलामी सूचना
(यू०बी०एन० नम्बर MCJ2526 GLLB00003)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में अनुपयोगी/अप्रचलित सामान जैसे– औजार, संयंत्र, फर्नीचर, चिकित्सकीय उपकरण, लोहा, रद्दी इत्यादि का सामान जिसका अनुमानित पुस्तक मूल्य राशि रुपए 21,37,30,889/– की नीलामी खुली बोली द्वारा चिकित्सालय परिसर में दिनांक 30.04.25 को समय 11.30 बजे नीलामी समिति द्वारा की जावेगी। उक्त नीलामी का रिजर्व प्राईज राशि रुपए 42.00 लाख है। इससे कम बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म अमानत राशि रुपए 01.00 लाख जमा करवाने के पश्चात निर्धारित दिनांक एवं समय पर चिकित्सालय परिसर में उपस्थित होकर बोली लगा सकते है। नीलामी शर्तों का अवलोकन दिनांक 09.04.2025 के पश्चात नीलामी शाखा, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। नीलामी की शर्ते मौके पर भी नीलामी से पूर्व पढ़कर सुनाई चस्पा की जावेगी। नीलामी किये जाने वाली अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का अवलोकन दिनांक 09.04.2025 से नीलामी दिनांक 30.04.25 को प्रातः 11.30 बजे से पूर्व कार्यालय समय में किया जा सकेगा। नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। समिति को बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

UBN No. MCJ2526 GLLB00003

DIPR/C/5124/2025 चिकित्सा अधीक्षक

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 20 के साथ पठित एनसीएलटी नियम, 2016 के नियम 11, के तहत प्रतिस्थापित सेवा द्वारा सूचना

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, न्यायालय – V, नई दिल्ली में

अखिल गोयल, मूड्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के लिए परिसमापक
कपानी आवेदन (आई बी) संख्या 189(पीबी)/2018

सेवा में,
जॉयदीप सिंह
मूड्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के निलंबित निदेशक
निवास स्थानः डी–25, गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स साकेत, मालवीय नगर, दक्षिण दिल्ली – 110017

जैसा कि श्री अखिल गोयल, परिसमापक, मूड्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने सी.पी. (आईबी) 189(पीबी)/2018 में आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 45(3) के साथ पठित आईबीसी, 2016 की धारा 54 के साथ पठित तहत इंटर लोक्यूटरी आवेदन (विघटन) संख्या 2025 का 02 दाखिल किया है। जबकि, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली न्यायालय – V ने उपर्युक्त नामित सहित मूड्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के निलंबित निदेशक के सभी सदस्यों को 09.01.2025 को सूचना जारी किया था। उस आदेश दिनांक 24.03.2025 के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली न्यायालय – V ने अधोहस्ताक्षरी को प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से प्रतिवादी को तामील करने की अनुमति दी है।
कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त मामला अब माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली न्यायालय – V के समक्ष 05.05.2025 को सूचीबद्ध होगा। आप स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि, पूर्वोक्त तिथि पर आपकी अनुपस्थिति की स्थिति में, आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपके अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।

हस्ता/–
अखिल गोयल
मूड्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक

केनरा बैंक / Canara Bank
वसूली अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
भूखण्ड सं. 39, प्रथम तल, बोहरा हुंडई के समीप, नीलम–बाटा मार्ग, फरीदाबाद

अधिग्रहण सूचना [धारा 13(4)] (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधि. 54) (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 23–01–2025 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता श्रीमती मानू गोस्वामी (स्वामिनी शिवम रेडीमेड गारमेंट्स) को सूचना में अंकित राशि रु. 49,79,916/– (रुपये उनचास लाख उन्यासी हजार नौ सौ सोलह मात्र) का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 18 अप्रैल 2025 को, अधिग्रहण कर लिया है।
ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, 23–01–2025 के अनुसार रु. 49,79,916/– की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु केनरा बैंक के प्रभाराधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :
04 मरला अर्थात् 120 वर्ग गज में निर्मित आवासीय मकान वाली संपत्ति का ईएमटी जो रेक्ट. नं. 246 किला नं. 11/1 (3–10), 11/2 (4–10) में समाविष्ट है, जिसका कुल क्षेत्रफल 07के 10एम है जो कि 8/300वें अंश में से है जो 00के 04एम अर्थात् 120 वर्ग गज के अनुसार आता है जो श्रीमती विमलेश गोस्वामी पत्नी श्री महेश चंद गोस्वामी के नाम पर है तथा संपत्ति पलवल की राजस्व संपदा अर्थात् सैनिक कॉलोनी, हरि नगर, पलवल– 121102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर– रिक्त भूखण्ड, दक्षिण– रास्ता, पूर्व– वीरज का घर, पश्चिम– ललित का घर।

दिनांक : 22–04–2025 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : फरीदाबाद केनरा बैंक, पलवल शाखा

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 2009–14, 20वीं मंजिल, टॉवर –2, मैग्नम ग्लोबल पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर–58, गुरुग्राम (हरियाणा)–122011, सीआईएनः U65922HR2016PTC057984.

धारा 13 (2) सरफेसी अधिनियम के तहत मांग सूचना

चूंकि ऋण खाता एनपीए बन गया है, इसलिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13[2] के तहत अधिकृत प्राधिकारी ने कर्जदार/आवेदक/गारंटर/बंधककर्ता को 60 दिनों का डिमांड नोटिस जारी किया था जैसा कि तालिका में दिया गया है। नोटिस के अनुसार यदि कर्जदार 60 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा नहीं करते हैं, तो राशि नीचे उल्लिखित बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्तियों की नीलामी से वसूल की जाएगी। इसलिए, कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वे संपूर्ण ऋण राशि भावी ब्याज और खर्चों के साथ मांग सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा कर दें, अन्यथा उक्त अधिनियम के प्रावधान 13 [4] और 14 के तहत नीचे दिए गए अनुसार बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्तियों की बिक्री के लिए अधिकृत प्राधिकारी कब्जा ले लेंगे।
कर्जदार ध्यान रखें कि अधिनियम, 2002 के 13[13] के संदर्भ में इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आपको प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से किसी भी प्रतिभूत संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित और निषिद्ध किया जाता है।
कर्जदारों का ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम की के नियम नियम 3[5] के साथ पठित धारा–13[8] की ओर आकर्षित किया गया है, जिसके अनुसार नीलामी नोटिस के प्रकाशन से पहले कर्जदार उल्लिखित संपूर्ण बकाया राशि के भुगतान पर अपनी प्रतिभूत परिसंपत्ति को विमोचित करने का हकदार होगा, जो उसके बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा।

क्र. सं.	कर्जदार/आवेदक/गारंटर/ बंधककर्ता का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि
1	1. चरण सिंह पुत्र रमेश चंद (कर्जदार) निवासी मकान नंबर 101, दीघोट (135), पलवल, हरियाणा–121105। 2. रवि कुमार पुत्र रमेश चंद (सह–कर्जदार) निवासी मकान नंबर 921, दीघोट (135), पलवल, हरियाणा–121105। 3. रमेश पुत्र भगवान (सह–कर्जदार) निवासी मकान नंबर 921, दीघोट (135), पलवल, हरियाणा–121105 इसके अलावा मकान नंबर–101 दीघोट पलवल हरियाणा–121105 4. राम रति पत्नी चरण सिंह (सह–कर्जदार) निवासी–मकान नंबर 101, दीघोट (135), पलवल, हरियाणा–121105 ऋण संख्या LXGGN02823-240034924, ऋण अनुबंध दिनांक– 15–मार्च–2024, ऋण राशि रु. 7,80,000/-	10–अप्रैल–2025 रु. 7,75,263/- (रुपये सात लाख पचहत्तर हजार दो सौ तिरसठ मात्र) दिनांक 11–अप्रैल–2025 से अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क सहित।

बंधक सम्पत्ति का विवरण : 5 मरला के क्षेत्रफल वाली सम्पत्ति का समस्त भाग, खेवट/खाता संख्या 546/567, खसरा संख्या 334(0–10) इंतकाल संख्या 6569 और 6570 गैर मुमकिन में शामिल, 10 मरला सम्पत्ति का आधा हिस्सा, दीघोट, तहसील होडल, जिला पलवल हरियाणा की राजस्व सम्पत्ति में स्थित। तकनीकी रिपोर्ट दिनांक–02.03.2022 के अनुसार, सीमाएं : पूर्व– रतन की सम्पत्ति पश्चिम– लाला की सम्पत्ति उत्तर– बीर सिंह की सम्पत्ति दक्षिण– सड़क 20' फीट चौड़ी

क्र. सं.	कर्जदार/आवेदक/गारंटर/ बंधककर्ता का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि
2	1. तबस्सुम पत्नी अफरोज (कर्जदार) निवासी मकान नंबर डी–11, गली नंबर 4, साहिल सिटी, अशोक विहार, लोनी, गाजियाबाद यूपी–201102. इसके अलावा पता– डी–853/1, गली नंबर 1, [illegible] ऋण संख्या LXLAX02917-180001255 [illegible]	10–अप्रैल–2025 रु. 2,24,160/- (रुपये दो लाख चौबीस हजार एक सौ साठ मात्र) दिनांक 11–अप्रैल–2025 से अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क सहित।

बंधक सम्पत्ति का विवरण : [illegible]

क्र. सं.	कर्जदार/आवेदक/गारंटर/ बंधककर्ता का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि
3	1. प्रीतम सिंह पुत्र विशाल सिंह (कर्जदार) निवासी– मकान नं. 79, [illegible] समयपुर, गुरुग्राम, हरियाणा– 122003 [illegible] ऋण संख्या LXJNP02818-190002117 [illegible]	10–अप्रैल–2025 रु. 2,76,596/- [illegible] दिनांक 11–अप्रैल–2025 से अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क सहित।

बंधक सम्पत्ति का विवरण : [illegible]

दिनांक : 22 अप्रैल, 2025 प्राधिकृत अधिकारी, श्री गौरव त्रिपाठी मोबाइल- 9650055701
स्थान : गुरुग्राम उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

CIN No.: L74899DL1989PLC034923
पंजीकृत कार्यालयः दूसरी मंजिल (पश्चिम विंग), वर्ल्डमार्क 1, एरोसिटी, नई दिल्ली–110037
फोनः 011-42100200 | ईमेलः shares@dcmshriram.com |
वेबसाइटः www.dcmshriram.com

सूचना
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित ("नियम") के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है। उक्त नियम उन शेयरों के लेनदेन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए है जिनके संबंध में लाभांश निरंतर सात वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत/अप्रदत्त है। कथित नियमों के अनुसार, अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश के साथ ऐसे शेयर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) को अंतरित किए जाएंगे। ऐसे शेयरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट https://www.dcmshriram.com/investors/shareholders-corner पर अपलोड की गई है।

कथित नियमों के अनुपालन में, उन शेयरधारकों जिन्होंने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए अंतिम लाभांश के बाद से अपने लाभांश का भुगतान नहीं प्राप्त किया है या अन्यथा इस संबंध में न्यायालय/न्यायाधिकरण/सांविधिक प्राधिकारियों आदि से कोई आदेश प्राप्त किया हैं, उन्हें अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश का दावा करने का अवसर प्रदान करने और ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरण होने से बचाने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु कंपनी के रिकार्ड के अनुसार उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर इस बारे में उनकी जानकारी के लिए व्यक्तिगत पत्र भेजे गए हैं। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अप्रदत्त लाभांश/संगत दस्तावेज/आदेश आदि, के प्रमाण के साथ जैसा भी मामला हो, **मंगलवार, 29 जुलाई, 2025** से पहले उसके बाद नहीं, कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को लिखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन्हें भेजी गई व्यक्तिगत सूचना का अवलोकन करें या आरटीए मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., 179–180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020, फोनः 011-41406149-51, ई–मेलः helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर संपर्क करें (कृपया सभी पत्राचार के साथ अपना फोलियो/डीपी–क्लाइंट आईडी नम्बर उद्धत करें)।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपना पैन, केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर–1, फॉर्म आईएसआर–2, सभी धारकों के पैन की स्व–सत्यापित प्रति, रद्द चेक आदि जमा करके इसे कंपनी के आरटीए के पास अपडेट करें। विस्तृत निर्देश और नमूना केवाईसी फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://www.dcmshriram.com/important-communication-for-shareholders पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, डीमैटेरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाभ प्राप्त करने के लिए भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अतिशीघ्र अपनी हिस्सेदारी को डीमैटेरियलाइज्ड मोड में परिवर्तित करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.dcmshriram.com/investors/shareholders-corner को देखें।

कृते, डीसीएम श्रीराम लि0
हस्ता/–
स्थानः नई दिल्ली दीपक गुप्ता
तिथिः 22.04.2025 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSSAL COMMISSION
'A' BLOCK 1st FLOOR, VIKAS BHAWAN,
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
NO.-FA-562/14 | DATED 07/04/2025
IN THE MATTER OF:
AMAR JYOTI CHARITABLE TRUST. ......COMPLAINANT
VERSUS
SACHIN KUMAR ....OPPOSITE PARTY(IES)
4. SACHIN KUMAR R/O VILLAGE & POST OFFICE, SAROLI, GHAZIABAD-201102.

Whereas a complaint has been made against you (Copy Enclosed) before this Commission. The claim is stated in the Complaint served with this summon.
In order to defend against this complaint, you must respond to the complaint by filing an Answer (written statement) stating your defense in writing and serving copy to the Complainant within a period of 30 days (Thirty days), as provided under Section 38 of the Consumer Protection Act, 2019, after the service of this summon, excluding the day of service.
You are further summoned to appear in this Commission in person or by a pleader or an authorized agent duly instructed and able to answer all the material question in relation to the complaint on **14/05/2025 at 10:30 a.m. sharp.**
Please take note that default of your appearance on the said date the matter will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and the seal of this Commission on this **07/04/2025.**

Registered
State Commission

फॉर्म नं. आईएनसी–26
कंपनी (निगमन) नियम, 2014
के नियम 30 के अंतर्गत

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप – नियम (5) के उपबंध (क) के तहत
और
एसआरएस सर्टिफिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (U71200DL2023PTC420131) (जिसे पहले एनवी इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 609, जनता फ्लैट, जीटीबी एन्क्लेव, नन्द नगरी, दिल्ली – 110093 में स्थित है, के मामले में।
...याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि रा.रा क्षेत्र दिल्ली से उत्तरप्रदेश राज्य में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 31मार्च,2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय 609, जनता फ्लैट, जीटीबी एन्क्लेव, नन्द नगरी, दिल्ली – 110093 में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पतेः बी–2 विंग, 2 रा तल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

एसआरएस सर्टिफिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(याचिकाकर्ता) की ओर से और उसके लिए
हस्ता/–
दिनांकः 22/04/2025 किरण कुमार
स्थानः दिल्ली निदेशक (डीआईएन संख्याः 10323362)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

कब्जा सूचना अनुलग्नक IV (नियम 8(1) देखें) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय 4वीं मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई में है, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर ब्याज सहित चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है।
उधारकर्ताओं द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के अधीन होगा, जो नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ–साथ उस पर ब्याज भी देगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

क्र. सं.	उधारकर्ता का विवरण	मांग सूचना	बंधक संपत्ति	कब्जे की तारीख
1	1) श्री एसोसिएट्स 2) मिनाक्षी शर्मा 3) अक्षत शर्मा 4) आलोक शर्मा ऋण खाता संख्याः UGdELSS0000052384	मांग नोटिस की तिथि 15.01.2025 का 03–01–2024 तक रु.1,09,43,420.00/– की राशि के लिए	अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा फ्लैट नंबर 05 है, जिसका क्षेत्रफल 95 वर्ग मीटर है, जो बन्नू बिरादरी सहकारी समूह आवास सोसायटी लिमिटेड में स्थित है। जिसे अब बन्नू एन्क्लेव पीतम पुरा दिल्ली–110088 के नाम से जाना जाता है।	17–04–2025

स्थानः दिल्ली हस्ता/-(प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांकः 22.04.2025 यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

4था तल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजिनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुम्बई 400070

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) (अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत **यूग्रो कैपिटल लिमिटेड**, पंजीकृत कार्यालय 4था तल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजिनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुम्बई 400070 का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की तिथि की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की थीं।
कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।
प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार का विवरण	मांग सूचना	बंधक सम्पत्ति	कब्जा की तिथि
1	1. हिमांशु एंटरप्राइजेज 2. अनीता रानी 3. आदित्य माहेश्वरी **ऋण खाता संख्याः** **UGdELSS0000043179**	**मांग सूचना दिनांक** 04.02.2025 03.02.2025 **तक रु.** 88,53,525.34/– (रुपये अट्ठासी लाख तिरेपन हजार पांच सौ पच्चीस और चौंतीस पैसे मात्र) की राशि के लिए	अचल संपत्ति का समस्त भाग, प्रथम तल, बिना छत/टेरेस के अधिकार के, निर्मित संपत्ति संख्या 197, क्षेत्रफल 48.00 वर्ग मीटर, पॉकेट–2 में, रोहिणी आवासीय योजना रोहिणी, दिल्ली–110086 के लेआउट प्लान में सेक्टर–22 में स्थित है।	17.04.2025

स्थान : नई दिल्ली हस्ता./– (अधिकृत प्राधिकारी)
तिथि : 11.10.2024 यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

SPARK MINDA

मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: L74899DL1985PLC020401
पंजीकृत कार्यालयः ए–15, अशोक विहार, फेस–I, दिल्ली – 110052
कॉर्पोरेट कार्यालय : डी–6–11, सैक्टर–59, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष : +91–0120–4442500
वैबसाइटः www.sparkminda.com, ई–मेलः investor@mindacorporation.com

डाक मतपत्र और ई–वोटिंग की जानकारी के लिए अधिसूचना का शुद्धिपत्र–2

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
यह प्रकाशन दिनांक 28 मार्च, 2025 के डाक मतपत्र नोटिस और दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के शुद्धिपत्र के अनुक्रम में एक शुद्धिपत्र–2 है, जो 28 मार्च, 2025 और 11 अप्रैल, 2025 को मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को भेजा गया था।
एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी ने स्पष्टीकरण कथन और संशोधित डाक मतपत्र नोटिस के साथ शुद्धिपत्र–2 की इलैक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को सोमवार, 21 अप्रैल, 2025 को भेज दी हैं जिनके ईमेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी के पास शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 ('कट–ऑफ तिथि') तक पंजीकृत हैं, ताकि निम्नलिखित मामलों के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त की जा सके और इसे इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पूरा किया गया है,

क्र.सं.	संकल्प का प्रकार	संकल्प
1.	विशेष संकल्प	76,50,000 शेयर वारंट कंपनी के प्रमोटर मिंडा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को जारी करना

इस शुद्धिपत्र–2 के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि बेहतर स्पष्टता और समझ के लिए, डाक मतपत्र की सूचना के मद संख्या 1 से संबंधित व्याख्यात्मक कथन में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और शुद्धिपत्र–2 में निर्धारित तरीके से पढ़ा जाए।
(i) पृष्ठ संख्या 12 पर पैरा (i) शीर्षक "अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य" के साथ :
संशोधित डाक मतपत्र नोटिस के साथ डाक मतपत्र की सूचना का यह शुद्धिपत्र–2 कंपनी की वैबसाइट www.sparkminda.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com और एनएसडीएल की वैबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। 28 मार्च 2025 के डाक मतपत्र नोटिस और 11 अप्रैल 2025 के शुद्धिपत्र में प्रकाशित शेष सभी विवरण समान हैं और डाक मतपत्र ई–वोटिंग अवधि यानी 27 अप्रैल 2025 के अंत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही, जो शेयरधारक/सदस्य पहले ही मतदान कर चुके हैं और उन्हें कोई आपत्ति है, तो वे शुद्धिपत्र–2 की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर श्री बिस्वाजीत घोष (एफसीएस–8750, सीपी नंबर 8239), पार्टनर या श्री प्रमोद एसएम (एफसीएस–7834, सीपी नंबर–13784), पार्टनर, बीएमपी एंड कंपनी एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को biswajit@bmpandco.com पर ईमेल कर सकते हैं, जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए जांचकर्ता ('जांचकर्ता') हैं
ई–वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, कृपया संपर्क करें: सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरा तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी–32, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400051 के निर्दिष्ट ईमेल पतेः evoting@nsdl.com या टेलीफोन नंबर 022–48867000 पर संपर्क करें।

मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
प्रदीप मान
दिनांक : अप्रैल 21, 2025 कंपनी सचिव
स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश सदस्यता संख्या : ए–13371

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

एम जी रोड, आगरा शाखा
शुद्धि–पत्र

दिनांक 20.04.2025 को इस अखबार में प्रकाशित **आधिपत्य सूचना** के सन्दर्भ मे **आंचलिक कार्यालय का पता:** जॉय टॉवर, सी 20, दूसरी मंजिल, 1/1ए, सी ब्लॉक, फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301 आंचलिक कार्यालय प्रकाशित हुआ है **अंचल कार्यालय, नोएडा– बी–192/ए, ब्लॉक बी, सेक्टर 52, नोएडा गौतम बौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 पढ़ा जाये।**
शेष यथावत रहेगा। प्राधिकृत अधिकारी

SOUTH INDIAN Bank
शाखा का पताः जयपुर शाखा
दुकान संख्या 103 और 106, जी.फ्लोर अपेक्स मॉल, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर 302015
शाखा मेल आईडीः br0429@sib.co.in

बैंक में बंधक रखे सोने की नीलामी

चूँकि, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने बिक्री नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता को उसके द्वारा लिए गए सोने के ऋण में बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता सोने के आभूषणों की ऑनलाइन नीलामी सख्ती से ''जैसा है वैसा ही'' और ''जो कुछ भी है उसके आधार पर'' और ''बिना किसी सहारे के'' आधार पर करेंगे। यह नीलामी https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से 30.04.2025 को दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे तक उधारकर्ता श्री अलेक्जेंडर वर्गीस खाता संख्या 0429653000000204 के लिए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए **कृपया ऑक्शन टाइगर से 6352632523** पर संपर्क करें।

हस्ता/– प्रबंधक
द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

AU SMALL FINANCE BANK

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19–A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060132105919 दीपक फ्रूट सीओई (ऋणी), रामकुमार सतपाल (सह-ऋणी), श्रीमती बबीता गिरि (सह-ऋणी)	21 जनवरी 2025 ₹ 2979872/- रु. उनतीस लाख उन्नासी हजार आठ सौ बहत्तर मात्र 10 जनवरी 2025	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित खसरा नं. 619, प्लॉट नं. 31, ग्राम खेड़ा देहात, पिलखुवा परगना डासना, तहसील- धौलाना जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 152.85 वर्ग मीटर पूर्व: फैक्ट्री उस्मान, पश्चिम: रोड, उत्तर: मनीष का प्लॉट, दक्षिण: नरेंद्र सैनी का प्लॉट	15 अप्रैल 2025
ऋण खाता सं.: L9001060130172260 दीपक फ्रूट सीओई (ऋणी), रामकुमार सतपाल (सह-ऋणी), श्रीमती बबीता गिरि (सह-ऋणी)	21 जनवरी 2025 ₹ 2482189/- रु. चौबीस लाख बयासी हजार एक सौ नवासी मात्र 10 जनवरी 2025	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित खसरा नं. 1034, ग्राम खेड़ा देहात, पिलखुवा परगना डासना, तहसील- धौलाना जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 396 वर्ग गज पूर्व: रमेश का मकान, पश्चिम: कमरा पाल का मकान, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: राजेंद्र का प्लॉट	15 अप्रैल 2025

ऋणियों द्वारा राशि लौटाने में विफल रहने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।
ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय अवधि इस सूचना से 30 दिवस के सम्बन्ध में है।
ऋणियों को विशिष्टया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं खर्चा हेतु भुगतान होने तक "एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली दिनांक: 19 अप्रैल 2025 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

महानगर नई दिल्ली मंगलवार 22 अप्रैल, 2025, रु. 6.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

न्यायमूर्ति बीआर गवई ने न्यायपालिका को निशाना बनाए जाने का जिक्र करते हुए कहा

हमारी आलोचना हो रही है कि हम संसदीय व कार्यपालिका के काम में दखल दे रहे हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने न्यायपालिका को हाल में निशाना बनाए जाने का स्पष्ट जिक्र करते हुए सोमवार को कहा कि 'हम पर संसदीय और कार्यपालिका के कार्यों में अतिक्रमण करने का आरोप' लगाया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हाल में हुई हिंसा की जांच कराए जाने का अनुरोध करने वाली एक नयी याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अगुआई कर रहे न्यायमूर्ति गवई ने यह टिप्पणी की। इस पीठ में न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति गवई ने एक अन्य मामले में भी इसी तरह की टिप्पणी की। एक मामला जहां वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हाल में हुई हिंसा से जुड़ा है तो दूसरी याचिका में केंद्र को ओटीटी और सोशल मीडिया मंच पर अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आनलाइन सामग्री पर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि इस पर कौन नियंत्रण कर सकता है? इस संबंध में नियम तैयार करना केंद्र का काम है।

न्यायमूर्ति गवई ने मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से कहा कि हमारी आलोचना की जा रही है कि हम कार्यपालिका के कामकाज में, विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैन ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। इसके बाद पीठ ने सुनवाई अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दी।

जैन ने 2021 की एक अलग लंबित जनहित याचिका में दाखिल आवेदन का उल्लेख करते हुए विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा के मद्देनजर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि मुख्य याचिका के साथ मंगलवार को इस पर सुनवाई की जाए। जैन ने कहा कि 2021 की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है तथा पश्चिम बंगाल में हिंसा की और घटनाओं को सामने लाने वाली नयी याचिका पर भी सुनवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कल की सूची में मद संख्या 42 पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से संबंधित है। यह याचिका मैंने दायर की है। उस याचिका में मैंने पश्चिम बंगाल राज्य में हुई हिंसा की कुछ और घटनाओं को सामने लाने संबंधी अभियोग और निर्देश के **बाकी पेज 8 पर**

न्यायमूर्ति बीआर गवई ने दो मामलों में सुनवाई करते हुए न्यायपालिका को निशाना बनाए जाने का जिक्र किया। एक मामला जहां वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हाल में हुई हिंसा से जुड़ा है तो दूसरी याचिका में केंद्र को ओटीटी व सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

'कुछ लोगों के लिए धार्मिक पहचान नफरत वाली राजनीति को आगे बढ़ाने का आधार'

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (ब्यूरो)।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के 'मुसलिम आयुक्त' वाले बयान पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने सोमवार को कहा कि वह भारत के ऐसे विचार में विश्वास करते हैं, जहां व्यक्ति की पहचान उसके योगदान से होती है।

उन्होंने दुबे के बयानों पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि 'कुछ लोगों के लिए, धार्मिक पहचान उनकी नफरत वाली राजनीति को आगे बढ़ाने का मुख्य आधार है।' *–पूरी खबर पेज 8 पर*

'दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने को कोर्ट की मंजूरी जरूरी नहीं'

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की आलोचना करने को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए पीठ की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति बीआर गवई व न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ के समक्ष किया गया। याचिकाकर्ता कहा कि वह अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। *–पूरी खबर पेज 8 पर*

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस व बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ नई दिल्ली में अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

भारत पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी संग वार्ता

द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जोर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता में 'महत्त्वपूर्ण प्रगति' का सोमवार को स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक वार्ता की। मोदी ने आधिकारिक वार्ता के बाद अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर वेंस, भारतीय मूल की उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी और उनके तीन बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने वेंस को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह इस वर्ष के अंत में उनकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोदी और वेंस ने रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया तथा आगे बढ़ने के लिए 'वार्ता और कूटनीति' का आह्वान किया। वेंस की पहली भारत यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत सहित लगभग 60 देशों के पर नए शुल्क लागू करने और फिर उसे स्थगित करने के कुछ सप्ताह बाद हो रही है। भारत और अमेरिका अब **बाकी पेज 8 पर**

प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता में वेंस ने ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित किया। *दोनों* नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और आगे बढ़ने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया।

एक हजार साल की नीतियां बना रही सरकार : मोदी

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिविल सेवा दिवस पर समारोह में कहा कि देश की नौकरशाही और नीति निर्माण प्रक्रिया पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। मौजूदा केंद्र सरकार जिन नीतियों पर काम कर रही है, वे अगले 1,000 वर्ष के भविष्य को आकार देंगी। *–पूरी खबर पेज 8 पर*

चीन ने दुनिया को चेताया, हमारी कीमत पर अमेरिका से व्यापार पर करेंगे कार्रवाई पेज 12

पोप फ्रांसिस नहीं रहे, भारत में तीन दिन का राजकीय शोक

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (ब्यूरो)।

अपने विनम्र स्वभाव और गरीबों के प्रति चिंता व करुणा का भाव रखने वाले तथा एक सहृदय पोप के रूप में विश्व पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले कैथोलिक समुदाय के पहले लातिनी अमेरिकी पादरी पोप फ्रांसिस का सोमवार को निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। वहीं, भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है।

फ्रांसिस के निधन के बाद अब सप्ताह भर चलने वाली वह प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। सबसे पहले, सेंट मार्टा चैपल में वेटिकन के अधिकारी और फिर सेंट पीटर्स में आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद, कार्डिनल्स कालेज के डीन कार्डिनल जियोवनी बैटिस्टा रे द्वारा उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और नए पोप को चुनने के लिए एक बैठक होगी। पोप के निधन की घोषणा के बाद, पूरे रोम में चर्च के टावर के घंटे बजने लगे। कार्डिनल केविन फेरेल ने फ्रांसिस के निधन की घोषणा डोमस सेंट मार्टा के चैपल से की, जहां फ्रांसिस रहते थे। कार्डिनल फेरेल वेटिकन के कैमरलेंगो हैं।

–संबंधित खबरें पेज 12

झारखंड के बोकारो में कोबरा कमांडो के साथ मुठभेड़

एक करोड़ के इनामी समेत आठ नक्सली ढेर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

झारखंड के बोकारो जिले में सोमवार को पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कोबरा कमांडो के साथ मुठभेड़ में आठ नक्सली मारे गए, जिनमें से एक नक्सली उग्रवादियों की शीर्ष केंद्रीय समिति का सदस्य था और उस पर एक करोड़ रुपए का इनाम घोषित था।

अधिकारियों ने बताया कि यह मुठभेड़ जिले में लालपनिया इलाके के लुगु हिल्स में सुबह करीब साढ़े पांच बजे शुरू हुई। '209 कमांडो बटालियन फार रेजोल्यूट एक्शन' (कोबरा) और राज्य पुलिस के अभियान में आठ नक्सली मारे गए और एक एके राइफल, तीन इंसास **बाकी पेज 8 पर**

बोकारो में मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से बरामद हथियार और गोला-बारूद के साथ कोबरा कमांडो।

'दस से 12 वर्षों तक सालाना 80 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 10-12 वर्षों तक सालाना 80 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी।

साथ ही सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी भी बढ़ानी होगी। इसके अलावा निवेश दरों को मौजूदा स्तर से बढ़ाना होगा या फिर यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा निवेशों से अधिकतम संभव लाभ प्राप्त कर हो सके। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने शनिवार को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय **बाकी पेज 8 पर**

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी भी बढ़ानी होगी।

बोस्टन में राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाया, कहा

भारत की चुनाव प्रणाली में कुछ गड़बड़ है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए भारत की चुनावी प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की (सरकार के साथ) 'मिलीभगत' है। उन्होंने अमेरिका के बोस्टन में यह भी दावा किया कि भारत की चुनावी प्रणाली में कुछ न कुछ गड़बड़ है।

भाजपा ने उनकी इस टिप्पणी को लेकर उन्हें 'देशद्रोही' करार दिया और 'नैशनल हेरल्ड' मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर निर्वाचन आयोग पर अपनी भड़ास निकालने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दावा किया कि सरल शब्दों में कहें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान कर दिया। इतने समय में इतने अधिक लोगों का मतदान केंद्र तक पहुंच कर वोट डालना संभव नहीं है। उनके मुताबिक, एक मतदाता को मतदान करने में लगभग तीन मिनट लगते हैं और अगर हिसाब लगाएं तो इसका **बाकी पेज 8 पर**

भाजपा ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को लेकर उन्हें 'देशद्रोही' करार दिया।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध को लेकर अनिश्चितताओं के कारण बढ़ी मांग

सर्राफा

चांदी की कीमत भी 500 रुपए चढ़कर 98,500 रुपए प्रति किलोग्राम हुई

सोने के भाव 1,650 रुपए की छलांग के साथ एक लाख के करीब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

कमजोर डालर और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध को लेकर अनिश्चितताओं के कारण मांग बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने की कीमतों में 1,650 रुपए की तेजी आई, जिससे इसका भाव एक लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब पहुंच गया।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 फीसद शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार को 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। शुक्रवार को इसका मूल्य 20 रुपए घटकर 98,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। स्थानीय बाजार में 99.5 फीसद शुद्धता वाले सोने का भाव 1,600 रुपए उछलकर 99,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह मामूली गिरावट के साथ 97,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की कीमत पिछले वर्ष 31 दिसंबर से अबतक 20,850 रुपए या 26.41 फीसद प्रति 10 ग्राम बढ़ चुकी हैं। चांदी की कीमतें भी 500 रुपए चढ़कर 98,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गईं। पिछले सत्र में चांदी 98,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर सपाट बंद हुई थी।

कोटक महिंद्रा एएमसी के कोष प्रबंधक सतीश डोंडापति ने कहा, 'इस साल, व्यापार तनाव, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और कमजोर डालर के कारण सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया है।

अब तक सोने में 25 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अमेरिकी प्रशासन द्वारा दो अप्रैल को शुल्क की घोषणा के बाद से छह फीसद की बढ़ोतरी भी शामिल है। 'मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज' में जून डिलिवरी वाले सोना वायदा का भाव 1,621 रुपए यानी 1.7 फीसद बढ़कर 96,875 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्चस्तर पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 3,397.18 डालर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गया। बाद में, इसका लाभ कुछ कम हुआ और इसने 3,393.49 डालर प्रति औंस पर कारोबार किया। वैश्विक स्तर पर, सोने के वायदा भाव ने 80 डालर प्रति औंस या 2.4 फीसद की बढ़त के साथ पहली बार 3,400 डालर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार किया।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के जिंस एवं मुद्रा शोध के ईबीजी उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा, 'सोने की कीमतों में सकारात्मक तेजी जारी रही और यह 3,400 डालर प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई। व्यापार शुल्क संबंधी अनिश्चितता, अमेरिकी डालर में कमजोरी और बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि से सोने को समर्थन मिल रहा है।' एशियाई कारोबार के घंटों में हाजिर चांदी लगभग एक फीसद बढ़कर 32.85 डालर प्रति औंस हो गई।

सोने की कीमत पिछले वर्ष 31 दिसंबर से अबतक 20,850 रुपए या 26.41 फीसद प्रति 10 ग्राम बढ़ चुकी हैं। *इस* साल, व्यापार तनाव, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और कमजोर डालर के कारण कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया है। अब तक सोने में 25 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

कनाडा में मंदिर को विरूपित किया गया

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (ब्यूरो)।

कनाडा के सरे स्थित एक मंदिर को असामाजिक तत्वों की ओर से विरूपित कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मंदिर के प्रवेश द्वार व स्तंभों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई इस घटना के दौरान आरोपी सुरक्षा के मद्देनजर वहां लगाए गए कैमरे को भी चोरी करके ले गए।

मंदिर प्रबंधन की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि यह घटना 19 अप्रैल को सरे स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई। देर रात करीब 3:00 बजे दो लोगों ने मंदिर परिसर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया।

–पूरी खबर पेज 12

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Farheena Begum D/o Nasimuddin R/o 2619, Street Asif Ali, Kucha Challan, Darya Ganj, Delhi-110002 have changed my name from Farheena Arif to Farheena Begum for all future purposes. 0040784931-1

I, Dalbir Kaur Grewal D/o Gurdayal Singh R/o WZ-444, MS Block, Gali No.2, Road No.3, Hari Nagar, New Delhi-110064, have changed my name to Dalbir Kaur, for all purposes. 0040784919-1

I, Cheta Muradia Kapoor,W/o Shri Nitin Dev Kapoor,R/o-H.No.1239,Sector-15, Faridabad, have changed my name Cheta Muradia to Cheta Muradia Kapoor,for all future purposes. 0040784928-1

I, Alpana Garg D/o Sat Pal Mittal and W/o Jagdish Garg R/o L-136/2, Shastri Nagar, Ashok Vihar, Delhi-110052, declare that name of my father has been wrongly written as Jai Paul Mittal in my Passport No M9789897. The actual name of my father is Sat Pal Mittal 0070962981-1

I, Abhilash M A S/o Ayyappan MK R/o Melepurakkal House, Kurumal PO, Velur, PO-Kurumal, Dist-Thrissur, Kerala -680601, have changed my minor son's name from Alan Shony Aged 12 Years to Alan forever 0070962984-1

I, Abhilash M A S/o Ayyappan MK R/o Melepurakkal House, Kurumal PO, Velur, PO-Kurumal, Dist-Thrissur, Kerala -680601, have changed my minor daughter's name from Aleena Shony aged 17 years to Aleena forever 0070962983-1

I, ANKUR MAHESHWARI S/o. Laxmi Narayan Taparia, R/o A 74 Sector-30, Noida-201303 U.P. had changed my name to ANKUR TAPARIA 0040784926-1

I TANU RAWAT D/O ASHOK RAWAT W/O DEEP PRAKASH MISHRA R/O B-22 Shastri-Nagar Meerut-City U.P.-250002 changed my-name to TANU MISHRA. 0040785001-5

I Sonia Sharma D/o Kewal Sharma and W/o Sanjay Kumar Trikha R/o F-7/9, Block-F Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Sonia Trikha 0070962986-1

I Sanjay Kumar S/o Sukhbir Singh R/o WZ/113, 80 Yard, Near Hanuman Mandir, Tilak Nagar, West Delhi, Delhi-110018 have changed my name to Sanjay Handa for all purposes. 0040784916-2

I SHIVI alias SHIVANI D/O BRIJESH TYAGI W/O VIVEK TYAGI R/O H.No-D-329 Sector-108, Noida Gautam Buddha-Nagar U.P.-201304 changed my-name to SHIVI. 0040785001-6

I Muskan D/o Ravinder Kumar R/o 32, T-Huts, W-139, Raghubir Nagar, Tagore Garden, West Delhi-110027 have changed my name to Muskan Ghaloth for all purposes. 0040784916-1

I Krishan S/o Chaman R/o H.No.161, Double Story, Harijan Colony, Tilak Vihar, West Delhi, Delhi-110018 have changed my name to Krishan Sarwan for all purposes. 0040784916-3

I,hitherto known,as ANJU GROVER alias ANJU KALRA, D/O-Kasturi Lal and,W/O-Naveen Grover,R/O-205, Bhagya Laxmi-Appartment, Plot.No.24/3,Sector-9,Rohini, Delhi-110085,I have changed my name and shall hereafter be known as ANJU GROVER, which may be amended accordingly. 0040784998-3

I,MOHAMMAD AMAN,S/O MOHD AQIL,R/O-2459-60,MAIN-BAZAR SITARAM NEAR BULBULIKHANA MASJID TURKMANGATE, NORTH DELHI-110006,have changed my name to MOHD AMAN,for all,future purposes. 0040784980-2

I, Subhash Kumar S/o-Om Prakash Add-Bm-43,East Shalimar Bagh, North West Delhi -110088, changed my name to Subhash Gupta. 0040784993-2

Vaibahv Gandhi , R/o E-10 SF BPTP Astaire Garden ,Sector 70A, Gurgaon ,Haryana 122001 Changed my name as Vaibhav Gandhi S/o Satish Gandhi vide affidavit Dt:17/04/2025 Swore before notary Mahendra S. Punia,Gurgram. 0130051193-1

I, Rinki Gupta, W/O Nikhil Gupta, R/O 46C CC Block, Shalimar Bagh, Delhi-110088 have changed my name to Rinki Mittal 0130051202-1

AMIT S/O KANHAIYALAL,R/O F-213/C , 3RD FLOOR, MANSAROVER GARDEN CHANGED MY NAME AS AMIT KUMAR DUGAR S/O OF KANAHIYALAL DUGAR 0130051194-1

I, MD ARIF,S/O ABDUL HAFIZ, R/O-A12/92-C,DDA , FLAT'S, INDER LOK,NORTH WEST-DELHI 110035,changed my name to MOHD ARIF,for all,future purposes. 0040784980-1

I, K K KAMBOJ alias KAMAL KISHORE S/o Ram Lubhya R/o-H.No.64/1,Sahipur,Village, Shalimar Bagh Delhi-110088, have changed my name to KAMAL KISHORE 0040784993-9

व्यक्तिगत

It,is for general information that I,ARUN KUMAR,S/O-LATE TERSAM KUMAR AGGARWAL, R/O.B-1858,BLOCK-B, JAHANGIR PURI,ADARSH NAGAR,PO N S MANDI,DISTT-NORTH EAST,DELHI,DELHI-110033,declare that name of mine and my father have been wrongly-written as ARUN KUMAR AGGARWAL and TARSHEM AGGARWAL in my 10th-Class educational-documents.The actual name of mine and my father are ARUN KUMAR and TERSAM KUMAR AGGARWAL,respectively which may be amended accordingly.It is certified that I,have complied with other legal-requirements in this connection. 0040784998-4

It is for general information that I,Jaspreet Kaur,W/o-Surjeet Singh Gujral, Residing at,F-14/14, Krishna-Nagar, Delhi-110051,declare that name of my-minor daughter Bavleen Kaur Aged-13Years has been wrongly-written as Bavleen Kaur Gujral in her School-Record.The actual-name of my-minor daughter is Bavleen Kaur.which may be amended accordingly. 0040784980-9

I,hitherto known as,KAJAL DEV alias KAJAL KUMARI, D/o-NAND KUMAR MANDAL,W/o-MANISH DEV,residing at,I-3/63,First-Floor,Sector-16,Rohini,North-West-Delhi-110089,have changed my name and shall hereafter be known as KAJAL DEV. 0040784999-6

I,hitherto known as SHRAVAN KR WADHWA alias SHARVAN KUMAR WADHWA,S/O-NIRMAL DAS WADHWA,R/O-40/75, KALKAJI ARYA SAMAJ MANDIR,CHITRANJAN PARK, SOUTH DELHI,DELHI-110019, have changed my name and shall hereafter be known as SHARVAN KUMAR WADHWA. 0040784980-10

I,hitherto known as Ankita,W/o Dipin Kumar,R/o-Gram Ladhuwas Ahir,Ladhuwas Ahir(129),Rewari,Haryana-123401,have changed my name and shall hereafter be known as Ankita Rao. 0040785000-6

I,Yusuf S/o-Rashid,R/o-F-442, Gali No.20,Janta-Majdoor-Colony, North-East Delhi-110053,have changed my name to Mohammad Yusuf,for all,purposes. 0040784986-2

I,Vinod Kumar,S/o-Jagan Nath,R/o-H.No.R-6, Prem Nagar-II,Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086,have changed my name from Vinod Kumar to Vinod forever. 0040784993-4

I,UJJWAL,S/o MAHENDER KUMAR,residing at,H.No-230, Near-Old Chopal,Najafgarh Dindar Pur,Delhi-110043, declare that the name of my father and my mother has been wrongly-written as MAHENDER and MONIKA in my 10th-Class Educational Documents.The actual name of my father and my mother are MAHENDER KUMAR and MONIKA DEVI. 0040784986-10

I,SONU GOEL alias SONU JAIN,D/O SUBHASH GOEL W/O SHAILENDRA JAIN R/O E-309 Jain-Temple,Kamla Nagar Dayal-Bagh,Agra,U.P.-282005 changed my-name to SONU JAIN. 0040785001-7

I,Taslim Khan,S/o-Ameer Ahmed Khan,R/o-1150-51,Gali Samosan,Farash Khana, Pracheen,Hanuman Mandir, Lal Kuan,Ahata Kidara,Delhi-110006,have changed my name to Tasleem Khan. 0040785001-9

I,Sneh Lata Gupta W/o-Subhash Gupta, Add-Bm-43,East Shalimar Bagh, North West Delhi-110088, changed my name to Sneh Gupta 0040784993-3

I,Shyam Lal S/o-Mahabir Prasad Mahipal,R/o Flat no.1001,Tower-2,Orange County,Ahinsa Khand-1,Indirapuram,Ghaziabad,Uttar Pradesh 201014,have changed my name to Shyam Lal Mahipal. 0040785000-2

I,Saloni D/o Umesh Mittal R/o H No.37,Ram Nagar,Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Saloni Mittal. 0040785000-3

I,SUMMARA,D/o Tanveer Ahmad R/o H.No.-96,Old-104,Gali.No.5, Jafrabad,Delhi-110053,have changed my name,from SUMMARA to SUMAIRA,for all,future purposes. 0040784986-6

I,SHYAM DEVI/SHYAMA DEVI SHRESTHA,W/O BAL PRASAD SHRESTHA,R/O-A-257,DEFENCE COLONY LAJPAT-NAGAR SOUTH DELHI-110024,have changed my name to SHYAM DEVI SHRESTHA,for all,future purposes. 0040784980-6

I,SHENIZA,W/O MOHD AMAN R/O-2459-60,MAIN-BAZAR SITARAM NEAR-BULBULIKHANA MASJID TURKMAN GATE NORTH DELHI-110006,have changed my name to SHANEZA,for all,future purposes. 0040784980-3

I, Priyanka Sarna W/o Arjun Sarna, R/o-4th-Floor,23 Arjun Marg, DLF-Phase-1,Gurgaon-122002, Haryana,have changed my name to Priyanka Arora Sarna, Permanently. 0040784917-2

I, Priyanka Devi W/o Service No.15210244X Rank NK Ravinder Kumar R/o Ritauli (107), Rohtak, Haryana-124201 have changed my name to Priyanka for all purposes Vide affidavit Date 21-4-2025 before Delhi. 0070962980-1

I,SARITA SHERESTH,D/O BAL PRASAD SHRESTHA R/O-A-257, DEFENCE COLONY LAJPAT NAGAR SOUTH DELHI 110024, have changed my name to SARITA SHRESTHA, for all future,purposes. 0040784980-4

I,SANTOSH KUMAR,S/o Sh.Arvind Kumar,R/o,E-467 D.D.A Flat, Pocket-3,Binda Pur,West-Delhi, Delhi-110075,have changed the name of my-minor son aged about-13-years,from AKSHAJ and he shall hereafter be known as AKSHAJ KUMAR. 0040784986-8

I,Ram kumar S/o Devidayal, R/o,H.No.1, A-Block, Jai Singh Nagar,Kadarpur, Sector-63A, Gurgaon (Haryana)-122102, have changed my name to Ram Kumar Pandey. 0040785001-2

I,Rais Ahmed Khan,S/o-Fida Husain,R/o-Vill-Khasasa Uchgaon,Post Aliganj Bazar, Sultan Pur U.P.-227805,have changed my name to Mohammad Hamid,for all purpose 0040784993-5

I,RITIKA MASSEY,D/O-BALRAJ R/O 61,NSCI STAFF QTRS PURANA QUILLA ROAD,NEW DELHI,New Delhi,110001 ,have changed my name to RITIKA permanently. 0040784999-5

I,REETA MALHOTRA,W/O-JITENDER KUMAR MALHOTRA,R/O-341/6A PLOT.NO.28 SHALIMAR PARK EXTENSION SHAHDARADELHI-110032,HAVE CHANGED MY NAME TO RITA MALHOTRA permanently 0040784999-3

I,RAMZAN KHAN, S/O MOHAMMED SUBBI KHAN,R/O, C-1/109,sector-55,Noida, Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh -201301,have changed my name to RAMJAN KHAN. 0040784993-1

I,PRREETI KUMAR,W/O ANISH AILAWADI,residing at,D-1 FLAT NO-1129 VASANTKUNJ, DELHI-110070.Have changed my name to PRREETI KUMAR AILAWADI,for all,future purposes. 0040785001-1

I,PADMA DEVI,MOTHER OF,JAI PARKASH, R/O,GALI.NO-4 MOHAN NAGAR SONIPAT HARYANA -131001,HAVE CHANGED MY NAME,FROM PADMA DEVI TO PADMA,VIDE-AFFIDAVIT IN-DL71222089055716X, DATED 22/04/2025,BEFORE NCT-DELHI. 0040784980-11

I,TARMINDER SINGH,S/O AMARJEET SINGH,R/O S-36, AND S-37 KHASRA.NO.87, HAR-GOBIND ENCLAVE,VILLAGE RAJ PUR KHURD,DELHI-110068, HAVE CHANGED MY NAME TO TARMINDER PAL SINGH. 0040784980-8

I,Navina Kumari,W/o-Vishnu Datt Sharma,R/o 242,2 Ram Bhawan 3rd-floor (back Side), Sri Nagar Colony,Delhi -110034,have changed my name to Naveena Sharma. 0040784998-2

I,Mohit Kumar,s/o-Sukhbir Kumar,R/o-113/114,Bank Apartment,Krishan Kunj, Laxmi Nagar, Delhi-110092, have change my name to Mohit Jain Permanently. 0040785001-8

I,Mikkhil Gupta,S/o-Krishan Kumar Gupta,R/o-90, Fourth Floor, Pocket-27, Sector-24, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Mikhil Gupta 0040784993-6

I,Manjit Singh Vedi S/o Ajit Singh R/o-420, Block-RU, Pitampura Delhi-110034,have changed my name to Manjit Singh. 0040784993-8

I,Madhava S/O-Narayana Kharvi R/O H.No.1117. R.K.Puram,Sector-8,Delhi-110022,Have Changed my Name to Madhava Kharvi. 0040784986-3

I,MITHLESH S/o-SOBHAKANT MISHRA R/o-B-257,Tila Road, Indraprasth Colony,Tila Shahbazpur,Ghaziabad,Uttar Pradesh-201102,Change My Name to MITHLESH MISHRA New Name, Permanently. 0040784998-1

I,MEERA PRABHA W/O-RAMKISHORE R/O:PLOT.NO.10, 3 RD-FLOOR SECTOR-3, VAISHALI.I. E.SAHIBABAD GHAZIABAD (UP)201010.I HAVE CHANGED MY-MINOR DAUGHTER Name MIHIKA RAJPUT TO MEEHIKA SINGH. 0040784986-1

I,KAMI W/O-GURVINDER SINGH R/O-135 THIRD-FLOOR, MOTI NAGAR,WEST DELHI-110015, HAVE CHANGED MY NAME TO KAMNI KAPOOR 0040784980-7

I,Jitendra Kumar,S/o Babu Lal R/o MCF 69,Gali No.-3, Mhaveer Colony Faridabad (Haryana)-121004,have changed my name to Jitender Kumar. 0040785001-3

I,J K MALHOTRA S/O-AMAR NATH MALHOTRA R/O-341/6A PLOT.NO.28, SHALIMAR PARK-EXTENSION SHAHDARA, DELHI-110032,HAVE CHANGED MY NAME TO JITENDER KUMAR MALHOTRA permanently 0040784999-2

I, Nitin Dev Kapoor,S/o Mr.Vijay Kapoor,R/o-H.No.1239,Sector-15, Faridabad,have changed my minor daughter name Erisa Kapoor to Erisa Nitin Kapoor, for all future purposes. 0040784928-3

I, Nitin Dev Kapoor,S/o Mr.Vijay Kapoor,R/o-H.No.1239,Sector-15, Faridabad, have changed my name Nitin Kapoor to Nitin Dev Kapoor,for all future purposes. 0040784928-2

I, Jasbir Kaur Grewal D/o Gurdayal Singh R/o WZ-444, MS Block, Gali No.2, Road No.3, Hari Nagar, New Delhi-110064, have changed my name to Jasbir Kaur, for all purposes. 0040784919-2

व्यक्तिगत

I,Ishan Garg S/o Pravin Garg R/o-F-68, 3rd-Floor Prashant VIhar Delhi-110085,have changed my name to Garg Ishan. 0040784993-7

I,Hemant Gaur,s/o Late Ram Kumar Gaur,R/o-589,Ward-3 Mehrauli,New Delhi-110030,have changed my name to Hament Gaur,for all,purposes 0040784986-4

I,Deeptanshu Karmakar S/o Parthapratim Karmakar R/o Flat-No.43B, B5 Dhawalgiri Apartment, Sector-34, Noida (U.P) have changed my name to Deeptangshu Karmakar for all purposes. 0040784933-1

I,Deepati Matta Khullar,W/O-Sumit Khullar,R/O-Flat No.158,Tower-15,River Heights Society,Raj Nagar-Extn. Ghaziabad Uttar-pradesh-201017,HAVE CHANGED MY NAME TO Deepali Mataa, permanently 0040784999-1

I,Deepak Verma S/o Rajender Kumar Verma R/o-1/2182,East Ram Nagar, Subhash Marg, Delhi-110032,have changed my name to Deepak Kumar Verma. 0040785000-4

I,Deep Shikha Aggarwal,W/o Anurag Mangla,R/o,H.No.C-160, Sohna-Road,South City-2, Gurgaon(Haryana),have changed my name to Deepshikha Mangla. 0040784986-5

I, Inderjeet S/o Kewal Krishan R/o 7/129, Geeta Colony, Delhi-110031 have changed my name to Inderjeet Kukreja. 0040785000-5

I,Danista w/o Mohd Asif R/o D-5,DDA, Janta Flats, Pocket-11,Jasola, Okhla,Delhi-110025, have changed my name to Danishta Asif permanently. 0040784999-4

I,DEVENDER UPPAL,S/O SIKANDER LAL,R/O D-49,STREET NO.6,NEW-GOVIND PURA,NEAR KRISHNA-NAGAR,DELHI-110051,have changed my name to DEVINDER PAL UPPAL,for all,future purpose. 0040784986-7

I,BAL PRASAD SHRESTA S/O-HARI LAL SHRESTA R/O-A-257,DEFENCE-COLONY LAJPAT-NAGAR,SOUTH-DELHI 110024, have changed my name to BAL PRASAD SHRESTHA,for all future,purposes. 0040784980-5

I,Atul Kumar S/O Sharvan Singh,R/O Plot.No. A-30,KH No. 307/202,Street No.7, Mukundpur Extn-2,Libas Pur,Delhi-110042,have changed my name to Atul. 0040785000-1

I,Ajay Kumar,S/o Balwan Singh,R/o H No-23,Roshan Pura, Najafgarh,South West-Delhi -110043,Have Changed My Name and Shall hereafter be known as Pramod Kumar. 0040784986-9

I,Abhishek Srivastav, S/o,Prem Chandra Srivastava,R/o,Flat-No.15139, Tower-10, Arocon Golfville, Gh-7,Crossings-Republik,Ghaziabad,U.P-201016,have changed my-minor daughter's mame Neysa Srivastava to Riddhima Srivastava. Aged-06-Years. 0040785001-4

I,ANKITA SAHA W/O ABHISHEK KUMAR R/O A-1107,GRAND AINARA,HERITAGE, SECTOR-74,NOIDA G.B.NAGAR,U.P.-201301,have changed my name to ANKITA JAISWAL for all future purposes. 0040785011-3

I, YOGESH KUMAR, S/O SHRI. MUNI LAL BANSAL, R/O 3392/246, HANSA PURI, TRI NAGAR, DELHI-110035, have changed my name to YOGESH BANSAL for all future purposes. 0040784924-1

I, Suresh Bhardwaj S/o Sh. Rajeshwar Pandey, R/o- WB-54, Gali No.3, Shakarpur, East Delhi-110092 declare that I have changed my name from Suresh Kumar Pandey to Suresh Bhardwaj for all future purposes. 0040784914-1

I, Santosh w/o Inder Singh R/o Vill. Kheri Saffa, Tehsil Uchana, Distt. Jind state that my name in service documents of my husband is Santosh Sheokand, whereas my name in my Adhar and my service documents is Santosh. Hence, I have changed my name from Santosh Sheokand to Santosh. 0040784972-1

I, SHAHABUDDIN s/o GHULAMUR RAIYAN r/o FLAT No.-137-138, UPPER GROUND Floor, POCKET-15, SECTOR-24, ROHINI, DELHI-110085 have changed my name to Md SHAHABUDDIN permanently. 0040784921-2

I, SHABNAM PARVIN w/o Md SHAHABUDDIN r/o FLAT No.-137-138, UPPER GROUND Floor, POCKET-15, SECTOR-24, ROHINI, DELHI-110085 have changed my name to SHABNAM permanently. 0040784921-4

I, Ritu Agarwal W/o Piyush Shankar Garg R/o RT-610, Royale Tower, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 have changed my name from Reetu Agrawal to Ritu Agarwal for all future purposes. 0040784935-1

I, Preeti Malhotra W/o Rajiv Malhotra R/o J-8/71, First Floor, Rajouri Garden, Delhi-110027 have changed my name to Preety Malhotra, for all purposes. 0040784920-1

खोया+पाया

Lost/Misplaced Original Share Certificate No.268, Book. No.393,dated-12-07-1976, issued to Mukund Lal Chaturvedi, Member/Allottee of Flat-No.715 in Delhi-Chartered Accountants CGHS Ltd,Paschim-Vihar, New Delhi-110063.Finder Contact Mob-7500450217. 0040784993-10

I,Ajit Mohan,s/o-Narvedshwar Prasad Sinha,R/o-Flat No.7, 2nd Floor,Block-C6,Sector-34, Rohini,Delhi-110085,have lost my-Original Possession-Letter of DDA,Original-Possession Slip of DDA,Original-NOC pertaining to Water & Electricity authorities (if any),If Anyone Finds these documents,kindly-Contact me at Mobile. No.9953196686. 0040784999-10

I,Vinod Kumar Bazaz,S/o-Govind Lal Bazaz,Have Lost My Original Allotment-Letter Of Flat.No:B-301, Satisar CGHS Ltd.,Plot.No-6,Sector-7,Dwarka,New Delhi-110075, Finder Contact:9868183147. 0040785001-12

सार्वजनिक नोटिस

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि श्री रंजन कुमार, जिन्होंने LICHFL से ऋण के लिए आवेदन किया था और श्री सत्य बंधु की मृत्यु 04.05.2020 को समाप्त हो गई है, फ्रीहोल्ड संपत्ति संख्या 1744 के संबंध में, गली नंबर 5 में, 300 वर्ग गज का माप वाला, खसरा नंबर 40 में, गोविंदपुरी एक्सटेंशन, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 में स्थित है और उधारकर्ता सुश्री तरुणा रानी के पास श्री सत्य बंधु का मृत्यु प्रमाण पत्र और जीवित सदस्य प्रमाण पत्र नहीं है।

यदि किसी अन्य दावे का उपरोक्त संपत्ति में कोई अधिकार है, तो उसे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना चाहिए और इसकी सूचना देनी चाहिए।

Sd./-
SUBHASH GUPTA
ADVOCATE
MOB: 9910464710
D-446/2002

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है की मेरे मुवक्किल श्री राज कुमार मौर्या पुत्र श्री नाथई मौर्या निवासी मकान न. सी-232, अम्बेडकर फेलेस निगर काल गोपाल स्कूल जनकैला विहार, नई दिल्ली, दिल्ली-110043, ने अपने पुत्र आदित्य मौर्या को उसके द्वारा किए गये दुव्यवहार और दुर्व्यवहार के कारण अपनी सभी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिए है और आज के बाद आदित्य मौर्या का मेरे मुवक्किल तथा उनके परिवार से साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा तथा आदित्य मौर्या पर हुये लेन देन, पुलिस केस, मुकदमेबाजी आदि की जवाब देई मेरे मुवक्किल तथा उनके परिवार की नही होगी तथा इसके लिये भविष्य मे वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा। मनोज कुमार (अधिवक्ता) चे.न.टी-12, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-110018

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री शरीफ पुत्र स्वर्गीय कुतुबी निवासी जी-55 अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025 ने अपने बेटे आरिफ मलिक और उसकी पत्नी राफिया मलिक को अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है तथा सभी पारिवारिक संबंध तोड़ लिए हैं। क्योंकि वे मेरे मुवक्किल के नियंत्रण से बाहर हैं। उनके साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने वाला व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Sd./-
ADV ARUN
Advocate
En. No: D/9421/2021

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनसत्ता, नईदिल्ली संस्करण में प्रकाशित हमारी विज्ञप्ति दिनाक 02.11.2023 किन्हीं गलतफहमियों एवं इसमें संदर्भित मुवक्किल के बेटे की असामाजिक तत्वों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रकाशित कराई गई थी। इसे अब पूर्णतया निरस्त समझा जाय।

शशिकांत गुप्ता (अधिवक्ता)
En. No. D-1048/08

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instructions from and on behalf of my client Smt. Meena W/o Mr. Islamuddin R/o H No.6, Gali No.4-D, Aram Park, Shastri Nagar, Delhi-110031, that she has disowned /debarred her relations with her son Mr. Danish Malik R/o (same as above) due to his misbehavior, illegal activities and he shall not be having any rights whatsoever in my client's moveable and immovable assets. She has also ceased all her relations in every respect with his. It is further declared that any person or persons whosoever deals with his shall do that entirely at his/her/their own risks, costs and responsibility and my client shall not be responsible dealings with him if any person do so. Mohd. Parvez (Advocate) 209-A, New Lahore Colony, Shastri Nagar, Delhi-31

सार्वजनिक सूचना

सभी को ज्ञात है कि मैं खसरा संख्या 66, गांव नेब सराय, सी ब्लॉक और अन्य ब्लॉक, विशेष रूप से प्लॉट संख्या सी-53, 54, 55 और इसके परिधीय भूखंडों खसरा संख्या 66, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, नेब सराय का वसीयत धारक/मालिक हूं, अब से उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन श्री शुखवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय गिरधारी लाल, निवासी मकान नंबर 12, गली नंबर 1, गांव नेब सराय, दिल्ली-68, मोबाइल नंबर 9716210238 को सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा।

हस्ता./-
नाज़िम उद्दीन अहमद
अधिवक्ता
Consultation Room
Delhi High Court

PUBLIC NOTICE

My clients Smt. Sheela Devi w/o Late Sh. Tek Chand R/o RZH-4/108D, Mahavir Enclave, Bangali Colony, Palam New Delhi-110045, aged 77 years, has disowned her son, Shri Rajeev Rajput, his wife Smt. Geetnajali Rajput and his son namely Master Vaibhav Rajput for the misconduct and threat done by them on various occasions, from my client's all movable and immovable property /properties with immediate effect. That my client has also executed a will on dated 18.04.2025 to that effect, that they shall not inherit any of my client's property / properties and shall not be entitled to grant of probate to my client's will. Anybody transacting any business with Shri Rajeev Rajput, his wife Smt. Geetnajali Rajput and his son namely Master Vaibhav Rajput in respect to my clients, is doing that in his or her own risk, my clients shall not be responsible for any act in any manner at all, General Public take notice.

Sd/-
BALRAM
Advocate
Enrl. No. D/7156/2018
Office. D-1/12, Palam Ext. Sector-7,
Near Dwarka Courts, New Delhi-110075

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Mr. Lov Kumar Gupta & Mrs. Ranjeeta Gupta are intending to purchase the Residential House No. 910, measuring 460.75 sq. yds., situated at Sector-15A, Urban Estate, Faridabad, Tehsil Badkhal, Distt. Faridabad, Haryana, consisting of Basement, Ground Floor, First Floor & Second Floor, with all roof rights from its owner Mrs. Manisha Grover who has lost Original Allotment Letter dated 07.04.1972, Plot Change Letter dated 15.02.1974, Re-allotment Letter dated 07.10.1977, Conveyance Deed dated 04.11.1992, Re-allotment Letter dated 23.02.2000 & Re-allotment Letter dated 10.03.2005 pertaining to above said property. That an FIR has also been lodged on 04.11.2022 for the same. Any person having any claim in respect of the above mentioned property thereof by way, mortgage, or otherwise, whatsoever, are requested to inform the same in writing with documentary evidence to the undersigned within 7 days from the date of publication hereof together with copies of all documents on the basis of which claims are made, failing which any such right, title, interest, or claim, if any, will be deemed to have been waived and not binding on our Clients.

Sd/-
Praveen Kumar (Advocate)
23, UB, Indraprakash Building,
21, Barakhamba Road, New Delhi-110001

ईडी ने 573 करोड़ की प्रतिभूतियां, बांड जब्त किए

महादेव सट्टेबाजी एप मामला।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने महादेव आनलाइन सट्टेबाजी एप से जुड़े धनशोधन मामले में पिछले सप्ताह नए दौर की तलाशी में 573 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिभूतियां, बांड और डीमैट खाते जब्त किए हैं।

ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि सट्टेबाजी मंच और उससे जुड़े सिंडिकेट द्वारा 'अपराध से अर्जित आय' को देश से बाहर ले जाया गया और बाद में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के नाम पर भारतीय शेयर बाजारों में निवेश किया गया। यह तलाशी 16 अप्रैल को दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और ओड़ीशा के संबलपुर में स्थित परिसरों में ली गई। बयान में कहा गया कि तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 3.29 करोड़ की नकदी जब्त की गई, 573 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियों, बांड और डीमैट खातों पर रोक लगा दी गई, इसके अलावा विभिन्न दस्तावेज और इलेक्ट्रानिक रेकार्ड भी जब्त किए गए।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे मुव्वकिल गिरीश चंद शर्मा पुत्र स्व श्री कोमल प्रसाद, नरेन्द्र कौर, पत्नी श्री गिरीश चंद शर्मा, दोनों निवासी ग्राम व पोस्ट नैथला हसनपुर जिला बुलन्दशहर (उ० प्र०) ने अपने पुत्र मनोज कुमार शर्मा व उसकी पत्नी चारू को उनके गलत आचरण व बूरे व्यवहार करने के कारण अपनी चल व अचल सम्पत्ति से दिनांक 27.04.2018 को बेदखल किया था और इसकी सूचना उन्होनें जनसत्ता अखबर में प्रकाशित करायी थी लेकिन अब वह अपने पुत्र व पुत्रवधू के अच्छे चाल चलन के कारण उस सूचना को निरस्त करते है।

हस्ता./-
(डी कौशिक) एडवोकेट
चेम्बर नं.946, पटियाला हाउस कोटर्स
नई दिल्ली (D-174/A-75)

सार्वजनिक सूचना

मेरा मुवक्किल मोहम्मद इंतियाज अंसारी, पुत्र मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, उम्र 39 वर्ष, पता मकान नं C-10 प्रथम मंजिल, गली नं-6, रानी गार्डन गीता कॉलोनी दिल्ली-110031 का निवासी है वह अपनी पत्नी रूबी खातून उम्र 35 वर्ष, अपने 2 बच्चे पुत्र मोहम्मद फरहान अंसारी उम्र 17 वर्ष और पुत्री फरीदा खातून उम्र 19 वर्ष इन सभी के साथ किराये के मकान पर रहता है मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र मोहम्मद फरहान अंसारी से उसके दुर्व्यवहार, गलत आचरण एवं अनआज्ञाकारी होने और अपनी मर्जी से शादी करने के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखलकर संबंध विच्छेद कर लिए है मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र मोहम्मद फरहान अंसारी से सारे रिश्ते-नाते खत्म कर दिए है मोहम्मद फरहान अंसारी के किसी भी कार्य, व्यवहार और लेन-देन में कोई भी व्यक्ति सम्बन्ध रखता है तो उसका जिम्मेदार वह व्यक्ति स्वयं होगा, मेरे मुवक्किल मोहम्मद इंतियाज अंसारी और उनकी पत्नी एवं उनकी बेटी, सभी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

चिराग अरोरा
एडवोकेट

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL CONCERNED THAT my client **Shri Rajeev Bahadur Singh S/o Shri S.B. Singh Ghai, owns** Flat No.50, Second Floor, Vidya Apartment, Rohtak Road, Delhi, situated in The North End Co-operative Groop Housing Society Ltd at plot no 12 zone 17 near Jwalapuri No. 5 now known as Vidya Apartment Rohtak Road Delhi 110087, have lost/misplaced Last Page of Conveyance **Deed dated 17.04.2003 executed by the President of India in favour of Smt. Banu Khanna** W/o Shri Kuldeep Khanna, duly registered in Sub Registrar-VII, New Delhi as document No.408 in Book No.1 volume No.919 on pages 134 to 135 on 23.04.2003. Anybody finding Last Page of Conveyance Deed, may contact me and using of the same by any body will be a nullity in law.

Sd/-
VIVEK KUMAR SINGH
Advocate
Ch. No. 359, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

It is to be known by general public that my client S. Harpreet Singh S/o S. Prit Pal Singh R/o H.No.6, Second Floor, Ram Nagar, Delhi-110051 is the registered owner of Plot No. G-177, area measuring 160 Sq. Yds. Situated at Block-G, Dilshad Colony, Delhi-110095 and three original sale deed document regarding the said property I.E. (i) sale deed dated 17/04/1983, executed by the Housing & General Finance Limited in favour of Shri S.S. Mani, (ii) sale deed dated 02/07/1986 executed by S.S. Mani in favour of Shri Jai Prakash Kanodia (iii) sale deed dated 04/07/1991 executed by Mr. Kayum Ahmed on behalf of Shri Jai Prakash Kanodia in favour of S. Pritam Singh Gulati have been lost and not traceable. If any person deals the said property with the said documents. It will be her/his own risk/responsibility.

Tarun kumar
(Advocate),
Mob.09818609055,
Office:-L-82-A, Pocket-1,
Dilshad Garden, Delhi-110095

PUBLIC NOTICE

Our Clients, Mr. Shalendra Kumar Gupta, S/o Late M. P. Gupta and Mrs. Shalini Gupta, W/o Shalendra Kumar Gupta, residing at D-324, Anand Vihar, Delhi-110092, are the joint owners and possessors of the property located at B-84, Ground Floor, Sarvodaya Enclave, New Delhi-110017 (**"Schedule Property"**).

Take notice that our Clients have lost the Original Sale Deed dated 19.01.2004 (**"Lost Deed"**) relating to the Schedule Property. Despite all diligent efforts to trace it, the Lost Deed could not be located and is presumed lost. A police report regarding the same was lodged on 22.02.2025 with the Crime Branch, Delhi.

The present notice is being published to safeguard the interests of our Clients and to notify the world at large that the Lost Deed is no longer in their possession. Any individual finding the said Lost Deed and ensuring its safe retrieval to our Clients shall be suitably rewarded. Further, take notice that the Lost Deed must not be misused under any circumstances. Any attempt to forge, alter, or utilize the Lost Deed fraudulently will be dealt with severely under the law. Engaging in any unauthorized transactions related to the Schedule Property without legitimate ownership documentation is illegal and subject to legal repercussions. The general public is hereby cautioned not to enter into any transaction concerning the Schedule Property based on the Lost Deed. Our Clients shall not be liable for any losses incurred by any such person.

Our Clients also affirm that the Lost Deed has neither been mortgaged nor pledged with any government or private financial institution. At present, there is no loan against the Schedule Property, and no third party holds any lien or control of any nature over the Schedule Property or the Lost Deed.

Schedule Property- B-84, Ground Floor, Sarvodaya Enclave, New Delhi-110017

Description of Lost Deed - Registration No. 698, Book No.1, Volume No. 3777, Page Nos. 58 to 80, Dated 19.01.2004, which is registered with Sub-Registrar- V, Delhi.

The Precept Law Offces
Sd/-
Ritesh Singh (Partner)
249-A, First Floor,
Okhla Industrial Estate
Phase-IIIrd, New Delhi-20

अदालती सूचना

M.A.No.1671 of 2024 in F.A.No.236 of 2020

Present: Mr. Gaurav G.S. Chauhan, counsel for the appellant. Ms. Hempushpa, proxy counsel for Mr. M.K. Sood, counsel for respondent No. 1.

Service of respondent No.2 **already dispensed with.**

Respondent No.5 **already ex-parte.**

As per report of registry, notice issued to respondent No.3 & 4 not received back in any form either served or unserved.

Learned counsel for the appellant has filed M.A. No. 1671 of 2024 in the registry of this Commission on **18.10.2024** for effecting substitutive service upon respondents No. 3 & 4 through publication in newspaper. M.A. No. 1671 of 2024 stands allowed and disposed off accordingly.

Let, service be effected upon respondents No. 3 & 4 through publication in daily newspaper i.e. (English) namely "Indian Express" Calculating in the area where respondents no. 3 & 4 are currently residing, featurnable for 29.04.2025 after depositing necessary publication charges. The Case is also adjourned awaiting report of publication

Sd/-S.C. Kaushik
Member
Addl. Bench

Sd/-Naresh Katyal
Judicial Member
Addl. Bench

सुनवाई में सांसद दुबे के जिक्र पर कोर्ट ने कहा

हमें संस्था की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ एक सांसद के टिप्पणी करने से अवगत कराए जाने के बाद सोमवार को 'शीर्ष अदालत की मर्यादा और प्रतिष्ठा' बनाए रखने की अपील की न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता विशाल तिवारी ने वक्फ कानून में संशोधन के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा के दौरान नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर अपनी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

तिवारी, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। पीठ ने तिवारी से कहा कि हमें आरोपों में भी संस्था की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए।

अनुच्छेद 32 (के तहत रिट) याचिका में, दिए गए कथन भी सम्मानजनक होने चाहिए। न्यायालय ने तिवारी को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति देते हुए उनसे शीर्ष अदालत में 'कुछ ठोस' लाने को कहा। भाजपा ने दुबे द्वारा शीर्ष अदालत की आलोचना से 19 अप्रैल को दूरी बना ली और पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने इन टिप्पणियों को उनका निजी विचार बताया। तिवारी ने अपनी याचिका में कहा कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले और उत्तर 24 परगना में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़क गई और उसमें कई लोगों की मौत हो गई तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचा। याचिका में कहा गया है कि कुछ लोगों के लिए यह राजनीति का अच्छा अवसर हो सकता है और कुछ पार्टियां राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं। शांति बनाए रखने के बजाय राजनीतिक नेता भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे स्थिति और खराब होती है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

दिल्ली पुलिस के समक्ष पूजा खेडकर दो मई को पेश हों

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा दिव्यांगता श्रेणी के तहत आरक्षण का गलत लाभ उठाने की आरोपी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को दो मई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई की तारीख 21 मई तक खेडकर के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में कोई ठोस जांच नहीं हुई है और दिल्ली पुलिस को जांच तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि खेडकर से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। खेडकर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 2022 संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है। उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ एक मजबूत मामला पाया और कहा कि व्यवस्था में हेरफेर करने की 'बड़ी साजिश' का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है। अदालत ने कहा कि राहत देने से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाई कोर्ट ने 12 अगस्त, 2024 को जब उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया तब खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया था।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का मामला

लोकपाल की शिकायत में वित्तीय अनियमितताएं उजागर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

शिक्षा मंत्रालय ने लोकपाल की शिकायत के बाद भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में कथित वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार परिषद में पांच करोड़ रुपये की अनियमितताएं हुई हैं जो मंत्रालय की जांच के दायरे में हैं।

मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिना उचित मंजूरी लिए 'लापरवाही से खर्च' किया गया। सूत्रों के मुताबिक, लेखापरीक्षा में पूर्व सदस्य सचिव उमेश अशोक कदम समेत परिषद के 10 अधिकारियों की भूमिका इन अनियमितताओं में सामने आई है। कदम फिलहाल जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 2023 में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद से इस्तीफा दे चुके कदम ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने संबंधित प्रशासन को सारी सूचनाएं दी थी और अनुमोदन प्राप्त किए थे।

लोकपाल की शिकायत में जिन कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है उनमें परिषद के भवन की अनधिकृत मरम्मत और नवीनीकरण, उच्च लागत पर पुस्तकों की खरीद और प्रकाशन, प्रदर्शनियों पर अत्यधिक व्यय और लैपटाप एवं प्रोजेक्टर की खरीद आदि शामिल हैं। आरोप है कि इन सभी व्यय के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुमोदन नहीं लिया गया था।

भारत दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति

वेंस ने परिवार संग देखा अक्षरधाम मंदिर, भारतीय संस्कृति को सराहा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को अपने परिवार के साथ भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। यात्रा के पहले दिन उन्होंने नई दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। उनके साथ उनकी पत्नी और तीन बच्चे इ्र इवान, विवेक और मीराबेल भी थे। वेंस परिवार ने मंदिर की भव्यता, कला और सुंदर वास्तुकला की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंदिर में उन्हें भारत की गहरी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की झलक देखने को मिली। उन्होंने मंदिर की अतिथि पुस्तिका में लिखा कि इस खूबसूरत स्थान पर स्वागत के लिए धन्यवाद। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि आपने इतनी सुंदरता और ध्यान से यह मंदिर बनाया है। हमारे बच्चों को यह जगह बहुत पसंद आई।

वेंस और उनका परिवार लगभग चार घंटे तक अक्षरधाम मंदिर में रहे। उनके तीन बच्चे इवान, विवेक और मिराबेल ने पारंपरिक भारतीय परिधान पहने थे। वेंस परिवार ने मंदिर के भव्य प्रांगण के बाहर मौजूद कैमरामैन से फोटो खिंचवाई।

लकड़ी का नक्काशीदार हाथी दिया गया

मंदिर के एक पुजारी ने कहा कि उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने दर्शन किए। परिवार को लकड़ी का नक्काशीदार हाथी, अक्षरधाम मंदिर का माडल और बच्चों की किताबें उपहार में दी गईं। मंदिर की स्वयंसेवक मीरा सोंडागर ने बताया कि उपराष्ट्रपति को खासतौर पर गजेंद्र पीठ बहुत पसंद आई। वह इसकी जटिल नक्काशी से बहुत प्रभावित हुए। गजेन्द्र पीठ पर हाथियों की नक्काशी बनाई गई है, जो शक्ति और बुद्धिमता का प्रतीक है। बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने पिछले वर्ष भारत यात्रा के दौरान अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए थे।

विभिन्न इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी

दिल्ली पुलिस के अधिकारी के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति की उच्च स्तरीय यात्रा के लिए सुरक्षा प्रोटोकाल के मुताबिक पहले ही 'माक ड्रिल' कर ली गई है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई है ताकि यात्रा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो और सारी गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में अग्रिम सुरक्षा व्यवस्था की गई। पूरे परिसर की गहन जांच की गई और वहां पुलिस की टीमें तैनात थी।

दिल्ली में जगह-जगह लगा यातायात जाम

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने और मार्ग परिवर्तित किए के कारण जगह-जगह भारी जाम नजर आया। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद तथा हरियाणा के गुरुग्राम से दिल्ली में काम के लिए आने वाले यात्री यातायात जाम में काफी देर तक फंस रहे। हालांकि, यातायात पुलिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा के संबंध में उठाए गए विभिन्न कदमों को लेकर एक परामर्श जारी किया था

देसी पहनावे में विदेशी मेहमान, लोगों का जीता दिल

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ भारत यात्रा पर आए उनके तीन बच्चे विशेष रूप से चुने गए पारंपरिक भारतीय परिधान में थे जिसने लोगों का दिल जीत लिया। सोमवार को दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। वेंस का आठ वर्षीय बेटा इवान और पांच वर्षीय बेटा विवेक सफेद पायजामा के साथ पीले और भूरे रंग का कुर्ता पहने हुए थे जबकि उनकी तीन वर्षीय बेटी मीराबेल चैती हरे रंग का अनारकली सूट और जैकेट पहनी हुई थी। विमान से उतरते ही उनके तीनों बच्चे इस यात्रा को कवर करने वाले फोटोग्राफरों के बीच लोकप्रिय हो गए तथा उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चित रहीं। वेंस सफेद शर्ट और लाल टाई के साथ नेवी ब्लू बिजनेस सूट पहने हुए थे तो वहीं उनकी पत्नी सफेद ब्लेजर के साथ लाल रंग की लंबी पोशाक में थीं। वेंस परिवार अक्षरधाम मंदिर पहुंचा जहां उन्होंने मंदिर के भव्य अग्रभाग के बाहर तस्वीरों के लिए पोज दिए। वेंस और उनका परिवार अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान जयपुर और आगरा जाएगा

> *वेंस* का आठ वर्षीय बेटा इवान और पांच वर्षीय बेटा विवेक सफेद पायजामा के साथ पीले और भूरे रंग का कुर्ता पहने हुए थे जबकि उनकी तीन वर्षीय बेटी मीराबेल चैती हरे रंग का अनारकली सूट और जैकेट पहनी हुई थी।

दिल्ली के 'काटेज एम्पोरियम' में खरीदारी की

वेंस भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा और अपने तीन बच्चों के साथ सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में जनपथ स्थित सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम (सीसीआइई) गए, जहां उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प की कुछ पारंपरिक वस्तुएं खरीदीं। यह एक सरकारी शोरूम है और प्रामाणिक हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए जाना जाता है। सीसीआइई की महाप्रबंधक मीरा सोमानी ने बताया कि यह एक अद्भुत यात्रा थी और उन्होंने (वेंस ने) इसका भरपूर आनंद लिया। हम काफी उत्साहित थे। उन्होंने हमारे शोरूम से खरीदारी भी की। काटेज एम्पोरियम के कर्मचारियों के अनुसार, वेंस ने लकड़ी के सामान, हथकरघा उत्पाद और पीतल के बर्तन खरीदे। कर्मचारी अनिल रजक ने कहा कि वह भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को एक ही जगह देखकर बहुत खुश हुए।

उपराज्यपाल ने मुस्तफाबाद में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में चार मंजिला रिहायशी इमारत के ढहने की घटना की व्यापक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी इमारत ढहने की परिस्थितियों जैसे विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे और इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत की जाएगी। यह दुखद घटना 19 अप्रैल की सुबह उत्तर-पूर्वी दिल्ली की अनधिकृत कालोनी शक्ति विहार की गली नंबर 1, डी-26 में हुई। करीब 20 साल पुरानी यह इमारत उस समय ढह गई जब लोग सो रहे थे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), स्थानीय पुलिस और निवासियों की मदद से 12 घंटे से अधिक समय तक बचाव अभियान चला और 22 लोगों को मलबे से निकाला गया- जिनमें से 11 जीवित बच गए। प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि इसमें अनधिकृत निर्माण भी एक संभावित कारक है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। क्षेत्र के सर्वेक्षण से पता चला है कि कई इमारतें पांच से छह मंजिला हैं, जो कथित तौर पर सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन हैं।

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव

'रोक हटे, तय समय पर हो मतदान'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जेएनयू चुनाव समिति को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस संयुक्त सचिव पद के एबीवीपी समर्थित प्रत्याशी वैभव मीणा द्वारा प्रेषित किया गया है। नोटिस में 18 अप्रैल 2025 को जारी उस अधिसूचना को अवैध, अनावश्यक और चुनावों की निष्पक्षता के विरुद्ध करार दिया गया है, जिसके तहत नामांकन वापसी की प्रक्रिया को अप्रत्याशित रूप से दोबारा खोला गया।

इसके अलावा एबीवीपी ने चुनावों को पूर्व घोषित तिथि 25 अप्रैल 2025 को ही संपन्न कराने की दृढ़ मांग की है। एबीवीपी जेएनयू के इकाई अध्यक्ष राजेश्वर कांत दुबे ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूर्व घोषित कार्यक्रम एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ पूर्ण किया जाए। यदि जेएनयू चुनाव समिति मांगों को समय रहते नहीं मानती है, तो एबीवीपी न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेगा और जेएनयू चुनाव समिति पर कानूनी कार्रवाई करेगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चुनाव समिति को भेजा कानूनी नोटिस।

सरकारी कार्यालयों के समय में परिवर्तन

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (संवाददाता)।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए उपराज्यपाल ने 18 नवंबर 2024 को दिल्ली के सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया था। जिसके बाद एमसीडी के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का समय सुबह साढ़े 8 से शाम पांच बजे तक का और दिल्ली सरकार के अधीनस्थ आने वाले कार्यालयों का समय सुबह दस बजे से शाम साढ़े 6 बजे तक का कर दिया गया था। चूंकि अब प्रदूषण का स्तर कम हो चुका है, जिसे देखते हुए उपराज्यपाल के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से कार्यालय समय में परिवर्तन किया गया है। सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, अब एमसीडी के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का समय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे व दिल्ली सरकार के अधीनस्थ कार्यालय का समय बदलकर सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक का कर दिया गया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय, नोएडा– बी–192/ए, ब्लॉक बी, सेक्टर 52, नोएडा गौतम बौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल,1501, शिवाजीनगर, पुणे–5

मांग सूचना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र– मुजफ्फरनगर शाखा,
46/5, नॉर्थ सिविल लाइंस, कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर–251001

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3 (1) के अन्तर्गत मांग सूचना (सरफेसी एक्ट)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संबंधित शाखा के माध्यम से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन.पी.ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट पावती सहित आपको भेजी गई थी, जो कि वापस हुई। इसलिए इस प्रकाशन के द्वारा नोटिस देते हुए आप सभी संबंधितों को अवगत किया जाता है, कि निम्न वर्णित उधारकर्ताओ/जमानतदारों को एतद द्वारा **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संबंधित शाखा** में इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर निम्न वर्णित बकाया राशि साथ ही अतिरिक्त ब्याज, लागत अनुषंगिक व्यय, प्रभार इत्यादि अदा करने के लिये सूचित करते हैं। बैंक के दस्तावेजों एवं करार के अनुसार ऋणी की सुरक्षित आस्तियां **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के प्रभार के अधीन है। उधारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋणी एवं जमानतदार का नाम एवं पता	बंधक संपत्ति का विवरण	क्रेडिट सुविधा का प्रकार एवं राशि	बकाया राशि मांग सूचना दिनांक
1. मैसर्स बाटला मेडिकल एजेंसी .....ऋणकर्ता प्रोप. श्री चिराग बाटला पताः 136वी मेन रोड, द्वारका पुरी, रिलायंस मार्ट, मुजफ्फरनगर–251002 2. श्री चिराग बाटला .....गारंटर पताः 656, लेन नंबर 6, ग्राम सरवत न्यू गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर–251002 3. श्री प्रमोद कुमार बाटला .....गारंटर पताः 656, लेन नंबर 6, ग्राम सरवत न्यू गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर–251002 4. श्रीमती अलका रानी पताः 656, लेन नंबर 6, ग्राम सरवत न्यू गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर–251002	1. आवासीय मकान के सभी भाग और पार्सल स्थित मौहल्ला शिव नगर, खसरा संख्या 973 का भाग, रकबा गांव सरवत (बहार हदूद) परगना और तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर, क्षेत्रफल 124.30 वर्ग मीटर, सीटीएस/सर्वे नंबर 973, श्री चिराग बाटला के नाम पर पंजीकृत, सीमायें:–उत्तरः गौरव का प्लॉट, पूर्वः दिनेश का प्लॉट और रोहताश शर्मा का मकान, पश्चिमः 20' चौड़ा रास्ता, दक्षिणः अन्य व्यक्ति का प्लॉट। 2. पश्चिम मुखी आवासीय मकान के सभी भाग और पार्सल, स्थित मौहल्ला मदन पुरी, खसरा संख्या 988 का भाग, रकबा गांव सरवत (बहार हदूद) परगना और तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर, क्षेत्रफल 44.59 वर्ग मीटर और सीटीएस/सर्वे संख्या 988, श्री प्रमोद कुमार बाटला और श्रीमती अलका रानी के नाम पर पंजीकृत, सीमायें:– उत्तरः राज शर्मा की संपत्ति, पूर्वः अन्य व्यक्तियों की संपत्ति, पश्चिमः 20' चौड़ा रास्ता, दक्षिणः राजेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार की संपत्ति साथ ही उससे जुड़ी सभी भवन संरचना और निर्माण और उससे जुड़ी सभी फर्नीचर और फिक्सचर्स। 3. दवाइयों और अन्य वस्तुओं आदि के स्टॉक का दृष्टिबंधक। **मालिक का नामः मैसर्स बाटला मेडिकल एजेंसी**	कैस क्रेडिट 1,98,00,000/– (रुपये एक करोड़ अट्ठानवे लाख) खाता संख्या 60451069653	दिनांक 15.04.2025 को वर्तमान बकाया राशि लेजर बैलेंस रु. 1,97,96,626.46/– प्लस अप्रभारित ब्याज रु. 6,78,021.61/– कुल बकाया रु. 2,04,74,684.07/– प्लस अप्रभारित ब्याज @10.55% दिनांक 15.04.2025 से
		एन पी ए दिनांकः– 10.04.2025	कुल बकाया राशि रु. 2,04,74,684.07/– (रुपये दो करोड़ चार लाख चौहत्तर हजार छह सौ चौरासी और सात पैसे मात्र) प्लस ब्याज, अन्य खर्चे जो उस पर लागू हों। **मांग सूचना की तिथि 15.04.2025**

उपरोक्त ऋणी / जमानतदारों यदि 60 दिवस के अन्दर **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** का बकाया चुकाने में असफल रहते हैं तो उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के प्रावधानों के तहत तभी या किसी एक या अधिक रक्षित आस्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही, उधारकर्ता की रक्षित आस्तियों को कब्जे में लेने तथा उनका विक्रय करने की कार्यवाही करेगी। इसके अतिरिक्त आप सरफेसी अधिनियम की धारा के तहत उक्त रक्षित आस्तियों का या तो विक्रय का लीज करने इत्यादि के द्वारा अन्तरण करने और किसी अन्य प्रकार बाधा डालने से प्रतिबंधित हैं। विस्तृत मांग नोटिस की प्रति हेतु बैंक की **संबंधित शाखा** से संपर्क करें।

दिनांक– 21.04.2025 प्राधिकृत अधिकारी

Bank of India
Relationship beyond banking

ई–नीलामी बिक्री सूचना
सम्पत्तियों की ई–नीलामी : 27.05.2025
बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली आस्ति वसूली शाखा
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, एम–125, एम–ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है जहां है" "जैसा है वही है" "बिना किसी सहारे के" और "जो है वहां है"** के आधार पर दिनांक **27.05.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे को बेचा जाएगा। **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है**

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया राशि	a. आरक्षित मूल्य b. ईएमडी c. बोली वृद्धि राशि	संपत्ति का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के बीच किया जा सकता है।	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नं.
1	मेसर्स जनता ट्रेडर्स सीमेंट स्टोर (प्रोपराईटर श्री संत कुमार) प्रोपराईटर– श्री संत कुमार निवासी वार्ड नं. 6, काठ मंडी महम – 124112, जिला रोहतक गारंटर: श्रीमती सरोज पत्नी संत कुमार निवासी वार्ड नं. 6, काठ मंडी, महम – 124112, जिला रोहतक	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें 510 वर्ग गज की भूमि और भवन शामिल है, यानी 6 कनाल 15 मरला की भूमि का 17/135वां हिस्सा, जो खेवट संख्या 1225 मि./1197 और खतौनी संख्या 1377, खसरा संख्या 890/6/2(6–15), मेहम, आबादी काठ मंडी रोड, रोहतक–124112, हरियाणा में आता है, जिसका स्वामित्व श्रीमती सरोज पत्नी संत कुमार के पास है। चौहदी– पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– काठ मंडी रोड उत्तर– अन्य संपत्ति, दक्षिण– खाली प्लॉट "मूल रूप से टाइटल डीड के अनुसार गिरवी रखी गई संपत्ति 510 वर्ग गज है, लेकिन वर्तमान भौतिक माप के अनुसार संपत्ति का क्षेत्रफल 463.75 वर्ग गज है" (यह संपत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है)	रु. 91.38 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभार इत्यादि	a. रु. 126.20 लाख b. रु. 12.62 लाख c. रु. 0.50 लाख	21-05-2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे	श्री सूबे सिंह मो. 9673790244
2	उधारकर्ता–श्री सिमरन पाल सिंह उधारकर्ता– श्री सिमरन पाल सिंह, श्रीमती अवनीत कौर, श्रीमती गुरदीप कौर, निवासी– मकान नं. 3ए, प्रथम तल, बैंक कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी के पास, गुरुग्राम, हरियाणा–122001	प्रथम तल पर लगभग 800 वर्ग फुट का कवर्ड एरिया है, बिना छत के, ग्राउंड प्लोर पर कार पार्किंग के साथ, भवन के नीचे आनुपातिक अधिकार के साथ सामान्य क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3ए पर निर्मित, 180 वर्ग गज का क्षेत्रफल, श्री सिमरन पाल सिंह के स्वामित्व में, आवासीय कॉलोनी में स्थित है, जिसे बैंक कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, गुरुग्राम, हरियाणा के रूप में जाना जाता है, जिसका पंजीकरण उप जिला गुरुग्राम और जिला गुरुग्राम में होता है। ((यह संपत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है))	रु 59.13 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभार इत्यादि	a. रु. 82.65 लाख b. रु. 8.27 लाख c. रु. 0.10 लाख	22-05-2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे	श्री सूबे सिंह मो. 9673790244

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री / बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया **https://baanknet.com** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://baanknet.com** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
3) **इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व BAANKNET के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। BAANKNET के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।**
4) नीलामी की तिथि और समय : **27.05.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 05:00 बजे तक असीमित 10 मिनट प्रत्येक ऑटो–एक्सटेंशन के साथ।**
5) ई–नीलामी आरक्षित मूल्य जैसा कि ऊपर उल्लिखित अनुसार प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता एक साथ तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँगे।
6) इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी वॉयलट के साथ अर्थात (उपरोक्तानुसार) ई–विक्रय पोर्टल **https://baanknet.com** पर जमा करना होगा।
7) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
8) बोली/खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा। बोली राशि जमा की जाएगी (टीडीएस को छोड़कर, यदि कोई हो) बोली लगाने वाले को लागू टीडीएस का भुगतान करना होगा।
9) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
10) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें
11) **यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को अग्रिम में 30 दिनों का नोटिस भी है।**

दिनांक 21.04.2025, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एम3 एवं एम4, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048

(नियम 8(1)) कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति (द्वितीय) हित अधिनियम 2002 (2002 का एक्ट 54) के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली– ग्रेटर कैलाश ब्रांच, एम 3 एवं एम 4, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उधारकर्ता **मैसर्स कार्डियो फिटनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बी–23, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110020** को **एक मांग सूचना दिनांक 06.06.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रु. 10,15,88,335.46/- (रुपये दस करोड़ पंद्रह लाख अठासी हजार तीन सौ पैंतीस रुपये और छियालिस पैसे मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सम्पत्ति का **कब्जा** सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक **19.04.2025** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते राशि रू रु. 10,15,88,335.46/- (दस करोड़, पंद्रह लाख, अठासी हजार तीन सौ पैंतीस रुपये और छियालीस पैसे मात्र)** और ब्याज इत्यादि **सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

लीजहोल्ड कमर्शियल यूनिट नं. एफ–9, प्रथम तल, सिल्वर आर्केड, जिसका सुपर बिल्ट अप एरिया 2576 वर्ग फीट है, नगरपालिका परिसर नं. 5, जे.बी.एस. हाल्डेन एवेन्यू, कोलकाता–700105 में स्थित है, जिसका स्वामित्व मेसर्स कार्डियो फिटनेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के पास है। चौहदी:– उत्तर – क्लब द्वारा, दक्षिण – दुकान नं. एफ–10 और एफ–11 द्वारा, पूर्व – खुली जगह द्वारा, पश्चिम – आंशिक रूप से लॉबी और आंशिक रूप से दुकान संख्या एफ–8 द्वारा

दिनांक: 19.04.2025 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : नई दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

खबर कोना

आप मेट्रो सेवा से कितना संतुष्ट हैं, सर्वेक्षण में भाग लेकर बताएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

दिल्ली मेट्रो 22 अप्रैल से 19 मई तक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण अभियान शुरू कर रही है। इस सर्वेक्षण में भाग लेकर आम यात्री दिल्ली मेट्रो प्रबंधकों को यह बता सकता है कि वह मेट्रो सेवा से कितना संतुष्ट हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक लंदन का ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी सेंटर, जो कोमेट बेंचमार्किंग समूह का प्रबंधन का काम करता है; यह सर्वे करेगा। यह 19 मई तक तक आनलाइन होगा। यह ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का 12वां संस्करण है। डीएमआरसी ने कहा कि इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि मेट्रो यात्री मेट्रो संचालन के विभिन्न पहलुओं के बारे में क्या सोचते हैं, जिसमें सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए फीडबैक-सुझाव शामिल हैं। सर्वेक्षण में भाग लेने के इच्छुक यात्री डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और दिए गए लिंक पर क्लिक करके सर्वेक्षण आनलाइन सबमिट कर सकते हैं।

भाजपा पांच मई तक चलाएगी वक्फ सुधार जनजागरण अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

भाजपा दिल्ली प्रदेश 'वक्फ सुधार जनजागरण अभियान' की शुरुआत करने जा रही है। इसे लेकर सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुसलिम समाज को वक्फ संशोधन बिल से मिलने वाले लाभ के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और तय किया गया कि 5 मई तक चलने वाले अभियान में समाज को इस बारे में बताया जाएगा। बैठक में जमाल सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसी भी हालत में वक्फ बोर्ड को कमजोर नहीं करना चाहती है बल्कि उसे लौह स्तंभ की तरह और मजबूत करना चाहती है जिसके लिए कुछ संशोधन किए गए हैं और उसे देश के मुसलमानों को धैर्यपूर्ण समझने की आवश्यकता है।

डीयू में 'वीसीआइएस योजना' के तहत आवेदन शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा कुलपति इंटर्नशिप योजना (वीसीआइएस) के अंतर्गत ग्रीष्मावकाश कालीन इंटर्नशिप (प्रशिक्षुता) के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीयू के छात्र कल्याण अधिष्ठाता रंजन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह योजना दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह की दूरदर्शी एवं प्रेरणादायक पहल है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें प्रशासनिक कार्यालय से संबद्ध कार्यों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है। इस योजना में दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी ही पात्र हैं। स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना में शामिल नहीं किए जाएंगें। इच्छुक विद्यार्थी डीएसडब्लू की वेबसाइट पर जाकर 30 अप्रैल तक आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

निजी स्कूलों की तर्ज पर परिषदीय विद्यालयों में लगेंगे ग्रीष्मकालीन शिविर

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 21 अप्रैल।

गर्मियों की छुट्टियों में निजी स्कूलों की तर्ज पर परिषदीय विद्यालयों में भी ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन होगा। इसमें विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ग्रीष्मकालीन शिविर में गीत, नृत्य, सिलाई-कढ़ाई, अनुपयोगी वस्तुओं के इस्तेमाल की कला सिखाई जाएगी। प्रशिक्षक पारंपरिक खेल, हस्तशिल्प, सृजनात्मक लेखन, चित्रकला, रंगोली के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। शासन के निर्देशानुसार, जिले के परिषदीय स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।

आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी महापौर, उप महापौर का चुनाव

भाजपा और कांग्रेस ने दोंनों पदों के लिए उम्मीदवार घोषित किए, 25 अप्रैल को होगी साधारण बैठक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

आम आदमी पार्टी ने सोमवार को घोषणा की कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में महापौर और उप महापौर के पदों के लिए होने वाले चुनाव नहीं लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) एमसीडी में भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। भाजपा ने एमसीडी चुनावों के दौरान खूब धांधली की थी लेकिन फिर भी वह बुरी तरह हारी। इसके बाद भी यह बंद नहीं हुआ और पार्षदों को खरीदा गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 'नुकसान पहुंचाने एवं खरीद-फरोख्त करने की राजनीति' में विश्वास नहीं करती और इसलिए उसने महापौर पद के चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। एमसीडी सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक नोटिस के मुताबिक, निगम 25 अप्रैल को अपनी साधारण बैठक करेगा, जिसमें महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव होंगे।

आतिशी ने कहा कि अब भाजपा को अपनी 'तीहरे इंजन' सरकार बनानी चाहिए और दिल्ली की जनता से किए गए अपने वादों को बिना कोई बहाने बनाए पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में जहां कहीं चुनाव हारती है, वहां साम, दाम, दंड, भेद अपना कर पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देखा है कि 'आपरेशन लोटस' के जरिए गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश भर में दूसरी पार्टियों को तोड़कर भाजपा सरकार बनाती है। दिल्ली में भी निगम में करारी हार को देखते हुए भाजपा एमसीडी का पुनः एकीकरण करने के लिए संसद में एक एक्ट लेकर आई। इस एकीकरण में मात्र एक बदलाव हुआ कि 272 से 250 वार्ड हो गए। इसके अलावा कोई और बदलाव नहीं हुआ।

सरदार राजा इकबाल सिंह महापौर और जय भगवान यादव उप महापौर पद के लिए सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करते हुए।

भाजपा से इकबाल महापौर और जय भगवान उप महापौर पद के उम्मीदवार

दिल्ली नगर निगम में अब भाजपा का महापौर और उप महापौर बनना तय है। पार्टी ने सोमवार को सरदार राजा इकबाल सिंह को महापौर और जय भगवान यादव को उप महापौर पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। दोनों प्रत्याशियों ने सोमवार दोपहर को नामांकन भी दाखिल कर दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सेहरावत और वरिष्ठ पार्षद मौजूद रहेंगे। राजा इकबाल सिंह भाजपा के पिछले कार्यकाल में भी महापौर रह चुके हैं, जबकि जय भगवान यादव पार्टी के नगर निगम प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता हैं। राजा इकबाल सिंह वर्तमान में दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता हैं और मुखर्जी नगर, वार्ड संख्या-13 से पार्षद हैं। जय भगवान यादव बेगमपुर, वार्ड संख्या-27 से पार्षद हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी औपचारिक रूप से चुनावी दौड़ में प्रवेश किया। कांग्रेस की ओर से मनदीप सिंह ने महापौर और अरीबा खान ने उप महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। मनदीप सिंह नांगलोई, वार्ड संख्या-47 से और अरीबा खान अबुल फजल एन्क्लेव, वार्ड संख्या-188 से पार्षद हैं। दोनों पदों के लिए चुनाव 25 अप्रैल को संपन्न होंगे।

परिसीमन प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर परिसीमन प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने पहले भी एमसीडी चुनाव बाधित किए थे। परिसीमन के दौरान वार्ड को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रक्रिया के दौरान भारी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार हुआ था। इसके बावजूद भाजपा चुनाव हार गई और 'आप' ने सरकार बना ली। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों ने एमसीडी की बैठकों को बाधित करने की कोशिश की है। भाजपा पार्षदों के काफी नाटक और लगातार दलबदल के बाद हमने इस बार अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है।

भीषण गर्मी में दिल्लीवासियों को लू से बचाने की तैयारी

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (संवाददाता)।

बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपने 'दिल्ली ग्रीमष्मकालीन कार्य योजना 2025' को जारी किया है। ये योजना दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा तैयार किया गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की। इस योजना के तहत सरकार गर्मी से बचाव के लिए प्याऊ, कूलिंग शेल्टर और लू बचाव वार्ड तैयार करेगी। खासकर सरकार का पूरा ध्यान उन लोगों पर हैं जो काम के लिए घर से बाहर रहते हैं और कामगार मजदूर हैं।

इस योजना की घोषणा के दौरान 'कूल रूफ टेक्नोलाजी' व डिजिटल कोल्ड वाटर डिस्पेंसर' को भी जारी किया गया। अपनी योजना के तहत सरकार पूरे शहर में तीन हजार वाटर कूलर लगाएगी। साथ ही फुटपाथ पर 'कूलिंग शेड्स' (ठंडी छांव) बनाए जाएंगे ताकि राह चलते लोगों को धूप से थोड़ी राहत मिल सके। सरकार ने झुग्गी बस्तियों से लेकर अस्पतालों तक लू की स्थिति से निपटने के लिए कई पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके तहत सरकारी भवनों व निजी इमारतों पर 'कूल रूफ' व 'ग्रीन रूफ टेक्नोलाजी' को अपनाया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे शहर में तीन हजार वाटर कूलर लगाए जाएंगे। 'कूल रूफ' को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत कश्मीरी गेट, आनंद विहार और दिल्ली सचिवालय में सोमवार से शुरू किया जा चुका है।

नैशनल हेरल्ड मामले में चिदंबरम ने कहा, भ्रष्टाचार का पैसा कहां है

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा की धूमिल करने के मकसद से 'नैशनल हेरल्ड' मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सोनिया और राहुल गांधी पर इस राजनीतिक हमले का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी और इसे नाकाम करेगी।

चिदंबरम ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रेस वार्ता में 'नैशनल हेरल्ड' मामले का ब्योरा दिया और सवाल किया कि अपराध कहां है? कहां हैं अपराध की कमाई ? भ्रष्टाचार का पैसा कहां है? कहां है धनशोधन का अपराध? उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि पीएमएलए अदालत ने अभी तक ईडी की शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने दावा किया कि बुनियादी बात यह है कि पैसे का कोई लेन-देन नहीं है।

कहा कि सोनिया और राहुल गांधी पर इस राजनीतिक हमले का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी और इसे नाकाम करेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट का गूगल, फेसबुक और एक्स को निर्देश

महिला के ऋषिकेश में नौकायन से संबंधित वीडियो को हटाया जाए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल, फेसबुक और 'एक्स' को निर्देश दिया कि वे उस वीडियो क्लिप के लिंक हटाएं जिसमें एक महिला को नदी में राफ्टिंग (नौकायन) करते हुए दिखाया गया है। महिला ने दावा किया है कि यह वीडियो उसकी सहमति के बिना अपलोड किया गया था, जिसके कारण उसे ट्रोल किया गया और परेशान किया गया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने आनलाइन मंच गूगल, फेसबुक और 'एक्स' सहित अन्य को राफ्टिंग प्रशिक्षक और ऋषिकेश में जिस ट्रैवल एजंसी के साथ वह काम करता है, द्वारा अपलोड किए गए वीडियो क्लिप के प्रकाशन को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

अदालत ने महिला की याचिका पर केंद्र, आनलाइन मंच, प्रशिक्षक और ट्रैवल एजंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अदालत ने केंद्र को प्रासंगिक नियमों और विनियमों के मद्देनजर अपेक्षित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया और सुनवाई 22 जुलाई के लिए तय की। यूआरएल का विवरण पक्षों को नोटिस में दिया गया है। उन्हें वीडियो क्लिप के प्रसारण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सहमति और जानकारी के बिना कई आनलाइन मंच पर वीडियो प्रसारित होने से उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने बताया कि वह मार्च 2025 में छुट्टियां मनाने ऋषिकेश गई थीं और उन्होंने रिवर राफ्टिंग के रोमांचक खेल के लिए ट्रैवल एजंसी के जरिए बुकिंग कराई थी।

राफ्टिंग प्रशिक्षक के सुझाव पर, उन्होंने गोप्रो कैमरे के माध्यम से अपने राफ्टिंग अनुभव को रिकार्ड करने की अतिरिक्त सेवा का लाभ उठाया।

महिला ने दावा किया है कि यह वीडियो उसकी सहमति के बिना अपलोड किया गया था, जिसके कारण उसे ट्रोल किया गया और परेशान किया गया। उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच पर रोक सात मई तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की आगे की जांच पर रोक सोमवार को सात मई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें सूचित किया गया कि नौ अप्रैल को कुछ प्रतिवादियों को अदालत द्वारा जारी नोटिस की तामील नहीं हो सकी। मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ मंत्री द्वारा दायर आवेदन पर न्यायाधीश ने नौ अप्रैल को मिश्रा के खिलाफ जांच पर 21 अप्रैल तक रोक लगा दी थी। न्यायाधीश बावेजा ने नौ अप्रैल को इलियास और अन्य को नोटिस जारी किया और उन्हें 21 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया था।

पीएफआइ नेता की हिरासत पैरोल याचिका पर एनआइए से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के नेता ओएमए सलाम की 15 दिनों की हिरासत पैरोल के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजंसी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रवींदर डुडेजा ने कहा कि एनआइए के अधिवक्ता लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रहे हैं। 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। प्रतिबंधित संगठन और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार सलाम ने बेटी के निधन के बाद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केरल स्थित अपने गृहनगर में हिरासत में यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। एजंसी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी का एक साल पहले निधन हो गया था।

मुसीबत राजघाट के पास डीडीए के अतिक्रमण हटाओं अभियान के बाद अपने सामान के पास बैठी एक महिला।

सोलह करोड़ की ठगी में नाइजीरियन नागरिक समेत चार लोग गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 21 अप्रैल।

नैनीताल बैंक में सर्वर हैक कर 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में नोएडा साइबर अपराध पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए नाइजीरियन नागरिक के पास से मादक पदार्थ (एमडीएमए की गोलियां) बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। नाइजीरियन की पहचान उमेआलाकेई इमेका उर्फ एलेक्स निवासी ग्रेनो के रूप में हुई है। जबकि अन्य तीन शावेज, अमित और दीपक हैं। साइबर अपराध के इस मामले में अब तक 16 में से तीन करोड़ रुपए की बरामदगी की जा चुकी है।

डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि नैनीताल बैंक में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को शक था इसमें नाइजीरियन गिरोह का हाथ हो सकता है। इसी क्रम में जांच की गई। जांच में एलेक्स नाम एक शख्स की जानकारी मिली। यह साइबर अपराध करने के अलावा दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की आपूर्ति भी करता है।

85 खातों में भेजी गई थी रकम

डीसीपी ने बताया कि सर्वर हैक करने के बाद साइबर ठगों ने करीब 16 करोड़ 85 खातों में स्थानांतरित किया। इसमें से अधिकांश खाते फर्जी थे और कुछ खाते ऐसे भी थे, जिन्हें खरीदा गया था या बंद खातों को दोबारा से चालू कराया गया था। इन खातों में रुपए स्थानांतरित होने के बाद अब निकाले जा रहे हैं। एलेक्स उसी में से एक था। गिरफ्तार हुआ शावेज खातों से रुपए निकालकर एलेक्स को देता था। इसके बाद यह रुपए आगे भेजता था।

पहल गाजीपुर डिपो से 76 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी में है दिल्ली सरकार

मोहल्ला बस अब बन गई 'देवी', आज से होगी शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

दिल्ली के लोगों को सहूलियत देने के लिए दिल्ली सरकार नई बस सेवा शुरू करने जा रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 22 अप्रैल को दिल्ली सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरजेंच (देवी) के बैनर तले अपनी मोहल्ला इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगी। दिल्ली सरकार 320 नई बसों को रोड पर उतारने वाली है। ये सभी बसें इलेक्ट्रिक हैं।

'देवी' (दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन इंटरचेंज) पहल के तहत मंगलवार को इनमें से 76 इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली सरकार मंगलवार से गाजीपुर डिपो से 76 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी में है। इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्देश्य मेट्रो स्टेशनों और प्रमुख दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बस मार्गों के लिए फीडर कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, प्रत्येक वाहन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करने की उम्मीद है। आनंद विहार आइएसबीटी टर्मिनल और केशव नगर मुक्ति आश्रम के बीच आठ बसें चलेंगी। इसके अलावा, आठ बसें आनंद विहार आइएसबीटी टर्मिनल और स्वरूप नगर के बीच चलेंगी, जबकि छह बसें आनंद विहार आइएसबीटी-हमदर्द नगर और संगम विहार रूट पर चलेंगी। आनंद विहार आइएसबीटी-कापसहेड़ा सीमा रूट पर चौदह बसें लगाई जाएंगी। नांगलोई और ईस्ट विनोद नगर डिपो में भी आने वाले दिनों में देवी बस संचालन शुरू होने की उम्मीद है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार मंगलवार से नई इलेक्ट्रिक बसें शुरु कर रही है, जिन्हें 'देवी' नाम दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के तहत मोहल्ला बस सेवा के नाम से जानी जाने वाली इस परियोजना को नवगठित भाजपा प्रशासन ने परिचालन और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ नया नाम दिया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के अनुभव और शहरी गतिशीलता में सुधार करना है। इसका उद्देश्य छोटे रूटों को शामिल करना है जो आंतरिक सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ते हैं, ताकि ये बसें उन क्षेत्रों में चल सकें जहां बड़ी बसें नहीं चल सकतीं।

यीडा 41 गांवों में किसानों से सीधे जमीन खरीदेगा

ग्रेटर नोएडा, 21 अप्रैल (संवाददाता)।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि बैंक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 41 गांवों में किसानों से 13 हजार 300 एकड़ जमीन सीधे खरीदी जाएगी।

यीडा सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि मार्च में आयोजित 84वीं बोर्ड बैठक में 9200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया था। इसमें पांच हजार करोड़ जमीन खरीद के लिए आरक्षित किए गए थे। क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने से लगातार जमीन की मांग बढ़ रही है। ऐसे में 41 गांवों की जमीन खरीदकर भूमि बैंक बनाने की योजना है। इसमें 36 गांव गौतमबुद्ध नगर और पांच गांव अलीगढ़ के शामिल हैं।

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the certificate for the undermentioned Securities of the **ADANI GREEN ENERGY LTD. has been lost /misplaced** and the holders of the said securities/Applicant has applied to the company to Issue Duplicate share certificate.

Name Of The Security Holder	Folio No	No Of Securities	Certificate No	Distinctive Number
ANJANA SACHDEVA AND RAJINDER PARKASH SACHDEVA	010233	3044 Equity Shares	54	1376914519 To 1376917562

Any Person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company or its **Registrar and Transfer agents MUFG Intime India Pvt Ltd. 247 Park,C-101, 1st Floor, L.B.S Marg, Vikhroli(W) Mumbai-400083.** Within 30 Days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to Issue with the Duplicate Share Certificate(s)

PLACE: DELHI. **NAME(S) OF THE CLAIMANT :**
DATE: 22.04.2025 **ANJANA GADH AND RAJINDER PARKASH SACHDEVA**

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A NAVRATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA)
CONCOR ANNEXE, NSIC New MDBP Building, 3rd Floor, Okhla Indl. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-110020

Azadi Ka Amrit Mahotsav

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य के लिए निविदा की एकल पैकेट प्रणाली में ई–निविदा आमंत्रित करता है:–

निविदा संख्या	CON/Area-II/ENGG/MMLP-Mihan/Bldg.Works/E-85892/2025-26
कार्य का नाम	एमएमएलपी / मिहान, नागपुर में कंटनेर सुरक्ष बिल्डिंग, कीरीज बिल्डिंग, सी एंड एफ कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रिकल रूम आदि जैसी बिल्डिंग का निर्माण।
अनुमानित लागत	रु. 470.33 लाख (जीएसटी सहित)
पूर्ण होने की अवधि	12 (बारह) माह
बयाना राशि जमा	रु. 3,85,165.00 (तीन लाख पिचासी हजार एक सौ पैंसठ रुपये मात्र)
निविदा दस्तावेज की लागत (गैर–वापसी योग्य)	शून्य
निविदा प्रसंस्करण शुल्क (गैर–वापसी योग्य)	रु. 4,720 /– (ई–भुगतान के माध्यम से सभी करों और शुल्कों सहित)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	22.04.2025 (15:00 बजे से) से 13.05.2025 (17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और समय	14.05.2025 17:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि और समय	15.05.2025 15:00 बजे

विस्तृत पात्रता मानदंड, समान प्रकृति के कार्य के संबंध में अनुभव आदि के लिए, कृपया वेबसाइट **www.concorindia.co.in** पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें, लेकिन पूरा निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट **www.tenderwizard.com/CCIL** से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, इस निविदा के लिए शुद्धिपत्र / परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो केवल **www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/CCIL** और **केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPP)** पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक (परियोजना), दूरभाष: 011–41222500

IndoSolar Limited
CIN: L18101DL2005PLC134879
Registered Office: Unit No. 301, 3rd floor, Building 02, Southern Par", Saket, New Delhi-110017
Tel: + Tel : +91-120-4762500,
Email: secretarial@waaree.com, Website: www.indosolar.co.in

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON 9 MAY 2025 (INADVERTENTLY CALLED AS EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING)

We would like to draw your attention of all shareholders of Indosolar Limited (the Company) towards notice of dated April 17, 2025, wherein the Company has informed about the Extra Ordinary General Meeting No. 01 Post CIRP. However, the proposed meeting is Annual General Meeting (post CIRP) ("AGM") no. 15 (post CIRP) for the Financial Years ended on March 31, 2022, March 31, 2023, and March 31, 2024, and inadvertently it was mentioned as Extra Ordinary General Meeting No. 01 Post CIRP. Therefore, wherever the reference of Extra Ordinary General Meeting no. 01 Post CIRP appears the same shall be read as an Annual General Meeting (post CIRP) ("AGM") no. 15 (post CIRP) for the Financial Years ended on March 31, 2022, March 31, 2023, and March 31, 2024. We have issued corrigendum to the effect and accordingly we hereby intimate that Annual General Meeting (post CIRP) ("AGM") no. 15 (post CIRP) for the Financial Years ended on March 31, 2022, March 31, 2023, and March 31, 2024 of the shareholders of Indosolar Limited which is scheduled to be held on Friday May 09, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with Circulars of Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India. In order to rectify the error, we have issued this Corrigendum as enclosed is being issued in respect of AGM notice and Explanatory Statement thereto to provide certain clarifications/ additional details/amendment. Except as detailed in the attached corrigendum, all other terms and contents of the Notice of AGM dated April 16, 2025, shall remain unchanged.

The Electronic copies of Corrigendum to the notice of Annual General Meeting to be held on 9th May 2025 (inadvertently called as Extra Ordinary General Meeting) has been sent to the shareholders on April 21, 2025, whose email address are registered with Company/Depository Participants in due compliance with the Companies Act 2013 read with the relevant rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and as per General Circular no. 09/2024 dated September 19, 2024 and earlier circular issued in this regards from time to time by Ministry of Corporate Affairs, (collectively MCA Circulars) Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by Securities Exchange Board of India.

The Company wishes to bring it to the notice of the shareholders that changes have been made in the notice of AGM through corrigendum to rectify the error.

The Corrigendum form an integral part of the Notice which has been already circulated to the shareholders in conjunction with the corrigendum and updated notice annexed with it. All other contents of AGM notice along with the Explanatory Statement dated Wednesday, April 16, 2025, shall remain unchanged.

This corrigendum will also be available on the website of the Company at www.indosolar.co.in and the website of the stock exchanges i.e BSE www.bseindia.com and NSE www.nseindia.com There will be no dispatch of physical copies of the Notice or Corrigendum and updated notice.

By the order of the Board
For Indosolar Limited
Sd/-
Akalpita Patel
Company Secretary and Compliance officer

Date: April 21, 2025
Place: Mumbai

A40528

रेलटेल
(भारत सरकार का उपक्रम)
(सीआईएन सं: U64202DL2000GOI107905)

GeM बोली संख्या: GEM/2025/B/6143657, दिनांक : 21.04.2025

रेलटेल / पूर्वी क्षेत्र 'रेलटेल / पूर्वी क्षेत्र के पश्चात्‍वर्ती' अनुसार [illegible]

विस्तृत GeM बोली सूचना / GeM बोली दस्तावेज https://www.railtel.in, https://eprocure.gov.in और https://gem.gov.in पर उपलब्ध है। [illegible] केवल GeM पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग
डी–7, सेक्टर–3, नोएडा (उ.प्र.)– 201301

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां नीचे अंकित तिथियों पर ऋणकर्ता / गारंटर को माँग सूचना निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को संबंधित माँग सूचना में अंकित राशि का सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / बंधककर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता / बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता / बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के सम्मुख अंकित तिथियों पर, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता / बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता / बंधककर्ता और सह–ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋणकर्ता / बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता / बंधककर्ता और सह–ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतः सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकित बकाया राशि(यों) की एक राशि और इन पर निम्नलिखित प्रत्येक खाता के सम्मुख अंकित ब्याज और अन्य शुल्कों / व्ययों हेतु उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि तथा अधिग्रहण की तिथि	माँग सूचना के अनुसार राशि
(1) **सतपाल सिंह** पुत्र कपूर सिंह निवासी बलोना रोड, गुरुद्वारा के पास, खिदराबाद, करनाल, हरियाणा, करनाल–असंध, हरियाणा–132039, इसके अलावा अन्य पता : 85 खिजराबाद, करनाल, हरियाणा–132039, (2) **लिखविंदर कौर** पत्नी सतपाल सिंह निवासी बलोना रोड, गुरुद्वारा के पास, खिदराबाद, करनाल, हरियाणा, करनाल–असंध, हरियाणा–132039 इसके अलावा अन्य पता : 85 खिजराबाद, करनाल, असंध, हरियाणा– 132039; **ऋण खाता संख्या 22742101700000028** के अंतर्गत	संपत्ति का पूरा हिस्सा और पार्सल भूमि 312.18 वर्ग गज यानी 0के–10.32एम का माप, 86 / 31675वां भूमि का हिस्सा है जिसकी माप 190के–एम है, जो खेवट नंबर 79, कित्तास–36 में समाविष्ट है, जो गांव खिजराबाद, तहसील असंध और जिला करनाल, हरियाणा में स्थित है, जो इस प्रकार से घिरा है : सीमाएं : पूर्व : गुरनाम सिंह का घर, पश्चिम : गली, उत्तर : रतन सिंह का प्लॉट, **दक्षिण : गुरनाम सिंह का घर, संपत्ति लिखविंदर कौर पत्नी सतपाल सिंह अर्थात् आप में से नंबर 2 से संबंधित है।**	**माँग सूचना की तिथि : 21 / 01 / 2025** **अधिग्रहण की तिथि : 19 / 04 / 2025**	रु 19,98,667 / – दिनॉक 22 / 12 / 2024 के अनुसार

दिनॉक : 22–04–2025 **स्थान : हरियाणा** **प्राधिकृत अधिकारी**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR AN INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT.
THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR code to view the Draft Red Herring Prospectus)

FLYSBS AVIATION LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS FLYSBS AVIATION PRIVATE LIMITED)

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: U62200TN2020PLC136959

Our Company was originally incorporated as *"FlySBS Aviation Private Limited"* a private limited company under the Companies Act, 2013 and received a certificate of incorporation from the Registrar of Companies, Central Registration Centre dated August 07, 2020. Subsequently, the name of our Company was changed from *"FlySBS Aviation Private Limited"* to *"FlySBS Aviation Limited"*, consequent to conversion of our Company from private limited company to public limited company, pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in the Extra-ordinary General Meeting held on August 31, 2024 and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre dated October 29, 2024. The corporate identification number of our company is U62200TN2020PLC136959. For change in registered office and other details please, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 168 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: Plot no. 16 (NP), 3rd Floor, Indiqube Palmyra, SIDCO Industrial Estate, Ekkatuthangal, Guindy Industrial Estate, Chennai, Chennai City Corporation, Tamil Nadu – 600032, India. **Website:** www.sbsaviation.in; **E-Mail:** corporate@sbsaviation.in; **Telephone No:** +91-44 2260 4444
Company Secretary and Compliance Officer: N Saptharishi

PROMOTERS OF OUR COMPANY: AMBASHANKAR, CAPT. DEEPAK PARASURAMAN, KANNAN RAMAKRISHNAN, BASTIMAL KISHANRAJ AND SHRESHTHA BUSINESS SOLUTIONS LLP

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 45,57,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF FLYSBS AVIATION LIMITED *(FORMERLY KNOWN AS FLYSBS AVIATION PRIVATE LIMITED)* ("FLYSBS" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ADVERTISED IN ALL EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITION OF [●] CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND TAMIL EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED TAMIL DAILY NEWSPAPER, TAMIL BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF TAMIL NADU, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED). AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO CHAPTER TITLED *"TERMS OF THE ISSUE"* ON PAGE 270 OF THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least 3 (three) additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of 1 (one) Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES OF THE FACE VALUE

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50 % of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", the "**QIB Portion**"), provided that our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors wherein (a) one third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs; (b) two third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than ₹10 lakhs; and (c) any unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to Applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors; and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors, who applies for minimum application size in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective ASBA accounts, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see *"Issue Procedure"* on page 285 of the Draft Red Herring Prospectus.

This Public Announcement is made pursuant to Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification dated March 03, 2025.

The DRHP filed with NSE EMERGE shall be made available for the public comments, if any, for the period of at least 21 days from the date of such filing and hosting the same on the website of the NSE at www.nseindia.com, website of the Issuer at www.sbsaviation.in and on the website of BRLM i.e. Vivro Financial Services Private Limited at www.vivro.net. Our company invites the public to give their comments on the DRHP filed with the NSE, with respect to the disclosers made in the DRHP. The members of the public are requested to send the copies of their comments to NSE EMERGE and/or Company Secretary and the Compliance Officer of the Issuer and/or BRLM at their respective address mentioned below and the same should reach on or before 5:00 P.M. on the 21st day from the aforesaid date of filing of DRHP with NSE EMERGE.

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the Issue including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of investors is invited to the section titled *"Risk factors"* on page 30 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any investment decision may only be taken after the red herring prospectus ("**Red Herring Prospectus**" or "**RHP**") has been filed with RoC and must be based solely on the basis of such RHP, as there may be any material changes in the RHP from the DRHP. Equity Shares, when offered through RHP are proposed to be listed on NSE EMERGE.

For details of share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of the Association and number of Equity Shares subscribed by them, see *"Capital Structure"* on page 78 of the DRHP. The Liability of the members of our company is limited.

For details of the main objects of the issuer as contained in the Memorandum of the Association, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 168 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
VIVRO	MUFG	FlySBS
Vivro Financial Services Private Limited 607/608, Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park, Off. Ganpatrao Kadam Marg, Veer Santaji Lane, Lower Parel, Mumbai – 400 013, Maharashtra, India. **Telephone:** +91-22 6666 8040 **E-mail Id:** investors@vivro.net **Investor Grievance Id:** investors@vivro.net **Website:** www.vivro.net **Contact Person:** Aradhy Rajyaguru/ Hardik Vanpariya **SEBI Registration No.:** INM000010122 **CIN:** U67120GJ1996PTC029182	**MUFG Intime India Private Limited** *(Formerly Link intime India Private Limited)* C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083, Maharashtra, India **Telephone Number:** +91 810 811 4949 **Website:** www.in.mpms.mufg.com **E-mail:** flysbsaviation.ipo@in.mpms.mufg.com **Investor Grievance Email:** flysbsaviation.ipo@in.mpms.mufg.com **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.:** INR000004058 **CIN:** U67190MH1999PTC118368	**N Saptharishi, FLYSBS AVIATION LIMITED** *(Formerly known as FlySBS Aviation Private Limited)* Plot no. 16 (NP), 3rd Floor, Indiqube Palmyra, SIDCO Industrial Estate, Ekkatuthangal, Guindy Industrial Estate, Chennai, Chennai City Corporation, Tamil Nadu – 600032, India **Telephone:** +91-44 2260 4444; **E-mail:** cs@sbsaviation.in Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related grievances, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode.

All the capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in DRHP.

For, FLYSBS AVIATION LIMITED
Sd/-
Ambashankar
Whole Time Director and Chief Executive Officer

Date: April 21, 2025
Place: Chennai

FLYSBS AVIATION LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and considerations, to make initial public issue of Equity Shares and has filed DRHP with NSE EMERGE on April 19, 2025. The DRHP is available on the website of NSE at www.nseindia.com, Issuer at www.sbsaviation.in and on the website of BRLM i.e., Vivro Financial Services Private Limited at www.vivro.net. Any potential investor should note that the investment in the Equity Shares involves high degree of risk and for details relating to such risk kindly refer *"Risk Factors"* on page 30 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with NSE EMERGE for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

KIRIN ADVISORS

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.
INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED IN COMPLIANCE WITH THE CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan the QR Code to view the DRHP)

KIAASA

KIAASA RETAIL LIMITED

Corporate Identification Number: U18101UP2022PLC165410

Our Company was originally incorporated as "Kiaasa Retail LLP" under the Limited Liability Partnership Act, 2008, with the Registrar of Companies, Central Registration Centre, issuing the certificate of incorporation on April 20, 2018. It was later converted into a Private Limited Company after a general resolution passed by the designated partners on February 14, 2022, and a fresh certificate of incorporation issued in the name and style "Kiaasa Retail Private Limited" on June 07, 2022, on behalf of Registrar of Companies, Central Registration Centre. Upon the conversion of our Company into a public limited company, pursuant to a Board resolution dated October 10, 2024, and a special resolution at an extraordinary general meeting dated October 18, 2024, and a fresh certificate of incorporation dated January 21, 2025, issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. For, further details of our Company see "***General Information***" and "***History and Certain Corporate Matters***" beginning on page 70 and 182 respectively.

Registered Office: 1/37, SSGT Road Industrial Area, Ghaziabad- 201001, Uttar Pradesh, India;
Corporate Office: Plot No 1/65, First Floor, SSGT Road, Industrial Area, Ghaziabad-201001 Uttar Pradesh, India;
Tel No.: +91-9319008599; **Email:** cs@kiaasaretail.com; **Website:** www.kiaasa.com;
Contact Person: Ms. Kanishka Singhal, Company Secretary and Compliance Officer.

OUR PROMOTERS: MR. OM PRAKASH AND MR. AMIT CHAUHAN

THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS ("**DRHP**") DATED APRIL 18, 2025 HAS BEEN FILED WITH BSE SME (SME PLATFORM OF BSE) ON APRIL 18, 2025.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 55,00,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF KIAASA RETAIL LIMITED ("KIAASA" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS ("THE ISSUE"). OUT OF THE ISSUE, [•] EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [•] % AND [•] %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 312 OF THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH. THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ("**BRLM**") AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [•] EDITIONS OF [•], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [•] EDITION OF [•], NEWSPAPER, BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF UTTAR PRADESH, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED, WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED (THE "**STOCK EXCHANGE**") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least 3 (three) additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with Book Running Lead Manager, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

The Issue is being made through the Book Building process in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended, ("**SCRR**") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations. The Issue is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (the "**QIBs**" and such portion, "**QIB Portion**"), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors, on a discretionary basis (the "**Anchor Investor Portion**"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than Anchor Investor Portion) ("**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors out of which (a) one third of such portion was reserved for applicants with application size of more than 2 lots and up to such lots equivalent to not more than ₹ 10,00,000 and (b) two-third of such portion was reserved for applicants with application size of more than ₹ 10,00,000 provided that the unsubscribed portion in either of such subcategories could have been allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of their respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For further details, please see "***Issue Procedure***" on page 323 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with and in accordance SEBI press release no. PR No.36/2024 dated December 18, 2024 (208th SEBI Board meeting on "Review of SME framework under SEBI (ICDR) Regulations, 2018, and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME companies) to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP dated April 18, 2025 which has been filed with the SME Platform of BSE Limited ("**BSE SME**").

This public announcement is made in compliance with pursuant to regulation 247 of the SEBI ICDR Regulation, 2018 along with Notification no. F. No, SEBI/LAD-NRO/GN/2025/233 dated March 3, 2025 and Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025 and applicability of corporate governance provisions under SEBI LODR Regulations, 2015 on SME Companies for fulfilling all additional criteria, the DRHP filed with the BSE SME shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the BSE at www.bseindia.com, and the website of the Company at www.kiaasa.com, and at the website of BRLM i.e. Expert Global Consultants Private Limited at www.expertglobal.in ("**BRLM**"). Our Company hereby invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with SME Platform of BSE with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to BSE and/or to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Issue on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with BSE SME.

Investments in equity and equity-related securities involves a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "***Risk Factors***" beginning on page 37 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the Red Herring Prospectus ("**RHP**") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP.

The Equity Shares, when offered, through the RHP, are proposed to be listed on the SME Platform of the BSE Limited.

For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see "***History and Certain Corporate Matters***" on page 182 of the DRHP.

The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital, capital structure of our Company, the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them of our Company, please see "***Capital Structure***" beginning on page 79 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER	Company Secretary and Compliance Officer
EXPERT GLOBAL	Purva Sharegistry	KIAASA
EXPERT GLOBAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 503 & 504, RG Trade Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034, India **Tel No:** +91 11 4509 8234 **Email:** ipo@expertglobal.in **Investor Grievance Email:** compliance@expertglobal.in **Website:** www.expertglobal.in **SEBI Registration No:** INM000012874 **Contact Person:** Mr. Gaurav Jain **CIN:** U74110DL2010PTC205995	**PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED** Unit no. 9 Shiv Shakti Ind. Estt J R. Boricha Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400011 **Tel. No.:** +91 22 49614132 **Email:** newissue@purvashare.com **Website:** www.purvashare.com **Investor Grievance Email:** newissue@purvashare.com **SEBI Registration No.:** INR000001112 **Contact Person:** Ms. Deepali Dhuri **CIN:** U67120MH1993PTC074079	**Name:** Ms. Kanishka Singhal Company Secretary and Compliance Officer **Kiaasa Retail Limited** **Address:** Plot No 1/65, First Floor, SSGT Road, Industrial Area, Ghaziabad-201001 Uttar Pradesh, India **Telephone:** +91-9319008599 **Email:** cs@kiaasaretail.com;

Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, Book Running Lead Manager or Registrar to the Issue, in case of any pre issue or post issue related problems, such as non- receipt of letter of allotment, non- credit of allotted Equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP dated April 18, 2025.

Kiaasa Retail Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Kanishka Singhal
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Ghaziabad, Uttar Pradesh
Date: April 21, 2025

Kiaasa Retail Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public Issue of its Equity Shares and has filed the DRHP dated April 18, 2025, with Stock Exchange. The DRHP shall be available on the website of the Stock Exchange i.e., BSE at www.bseindia.com, website of the Company at www.kiaasa.com and the websites of the Book Running Lead Manager to the Issue i.e., Expert Global Consultants Private Limited at www.expertglobal.in. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section entitled "***Risk Factors***" on page 37 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with the Stock Exchanges for making any investment decision, and should instead rely on the RHP, for making investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U. S. Securities Act") or any state securities law in United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the U. S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements.

There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

प्राचीन पुस्तकें-शास्त्र जब भी उठाओ, तब उन्हें इस विश्वास से मत उठाओ कि उन पुस्तकों में दिए हुए प्रत्येक शब्द के गुलाम बन जाओ।

- स्वामी रामतीर्थ

संतुलन का संकेत

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब पारस्परिक शुल्क को लेकर दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। चीन के साथ अमेरिका की तनातनी दिनोंदिन तल्ख होती गई है। भारत में भी अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंधों के कयास लगाए जाने लगे थे। मगर जेडी वेंस के साथ बातचीत से द्विपक्षीय व्यापार, शुल्क, क्षेत्रीय सुरक्षा, रणनीतिक और प्रतिरक्षा सहयोग पर कई तरह की आशंकाएं दूर होने की उम्मीद जगी है। इससे यह भी भरोसा बढ़ा है कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ रहने वाले हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के पारस्परिक शुल्क लगाने के फैसले पर भारत ने कभी कोई तीखी टिप्पणी नहीं की। उसने अमेरिकी मंशा के अनुरूप कई चीजों पर शुल्क घटा भी दिए थे। फरवरी में प्रधानमंत्री, ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका गए थे, तभी उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पेशकश की थी, जिसे अमेरिका ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को पांच सौ अरब डालर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। फिलहाल दोनों के बीच व्यापार एक सौ नब्बे अरब डालर है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका अब द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसमें शुल्क और बाजार पहुंच सहित कई मुद्दों के हल की उम्मीद है।

हालांकि अभी अमेरिकी प्रशासन ने अपनी शुल्क दरों को लागू करने की तिथि नब्बे दिनों के लिए टाल दी है, पर इससे दुनिया की चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। इसके बरक्स चीन ने अपने नए व्यापारिक साझीदार तलाशने शुरू कर दिए हैं। उसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में न केवल उन देशों के सामने शुल्क दरें बढ़ने से व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिंता बढ़ गई है, बल्कि चीन के बदलते पैंतरे से अमेरिका के माथे पर भी बल पड़ने शुरू हो गए हैं। भारत के साथ रिश्ते खराब होने से उसे भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। मगर भारत ने शुरू से अमेरिका के साथ अपने संबंधों में किसी तरह की ठंडक नहीं आने दी है। वेंस की भारत यात्रा से दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के विशेषाधिकार प्राप्त सहयोगी एलन मस्क से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें तकनीकी सहयोग और व्यापारिक संबंधों में मजबूती लाने के संकल्प दोहराए गए थे। इस तरह वेंस की भारत यात्रा का आधार पहले से तैयार था और उसी के अनुरूप उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाया है।

भारत न केवल अमेरिका के लिए बड़ा बाजार, बल्कि बड़ा व्यापारिक साझीदार भी है। अमेरिका के पारस्परिक शुल्क थोपने से भारत के कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य, वाहनों के पुर्जे, उच्च-स्तरीय मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और आभूषण के क्षेत्र में बड़ा झटका लगने की आशंका बढ़ गई थी, तो अमेरिका के लिए दवा, आभूषण आदि क्षेत्रों में बड़े नुकसान का कयास है। एलन मस्क ने खुद भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया है। इसलिए वेंस की यात्रा दोनों देशों की जरूरतों के मद्देनजर हुई है। अब यह अमेरिका पर है कि वह किस तरह भारत सहित दूसरे देशों के साथ अपनी शुल्क नीति में संतुलन साधने का प्रयास करता है। भारत की चिंताएं व्यापार के अलावा दूसरी भी हैं, जिनमें वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार वीजा में सहूलियतें बढ़ना भी शामिल है। वेंस की यात्रा से संबंधों में संतुलन बनना शुरू हो गया है।

सेहत का पाठ

दुनिया भर में लगभग सभी देशों में स्कूली बच्चों की सेहत को लेकर बहुस्तरीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जरूरी होने पर नियम-कायदे भी लागू किए जाते हैं। इसके बावजूद आज भी बहुत सारे देशों में स्कूल परिसरों और उसके आसपास उपलब्ध खानपान की चीजें विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर कैसा असर डालेंगी, उसे ध्यान में रख कर ठोस नियम लागू नहीं किए जाते। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की ताजा 'वैश्विक शिक्षा रपट' में यह तथ्य उजागर हुआ है कि केवल साठ फीसद देशों के स्कूलों में भोजन और पेय पदार्थों को विनियमित करने वाले कानून और मानक हैं। यानी आज भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, जहां बच्चों को खाने-पीने के सुरक्षित सामान नहीं मिलते और करीब चालीस फीसद देशों की सरकारें इसे गंभीरता से नहीं लेतीं। असुरक्षित खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करने के उपाय नहीं किए गए हैं।

यह छिपा नहीं है कि स्कूल परिसर या उनके आसपास ऐसे डिब्बाबंद खाद्य या पेय पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं, जिनके लगातार सेवन की वजह से बच्चों में मोटापा और अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी होती हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस मानक या कानूनी व्यवस्था न होने की वजह से स्कूल प्रबंधन भी खानपान की ऐसी चीजों की बिक्री की अनदेखी करते हैं। हालांकि इसे लेकर आए दिन सरकार के संबंधित महकमों की ओर से स्कूलों को निर्देश जारी किए जाते हैं कि वे अपने परिसर में या उसके आसपास उन खाद्य या पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाएं जो बच्चों की सेहत के लिए जोखिम भरे हैं। विडंबना है कि इस मसले की गंभीरता को जानते-बूझते हुए भी न तो सरकार की ओर अपेक्षित सख्ती बरती गई और न ही स्कूलों ने अपनी ओर से कोई गंभीरता दिखाई। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वैश्विक स्तर पर पैदा हो रहे संघर्ष के हालात और अस्थिरता की वजह से जिस तरह खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसके बीच पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना स्कूली बच्चों की सेहत के साथ शिक्षा के क्रम को जारी रखने और उसे बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है।

प्राचीन पांडुलिपियां सहेजने की चुनौती

पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित ग्रंथों के शोध और संग्रह निरंतर होते रहे हैं। वर्ष 1803 में इन ग्रंथों का सूची-पत्र तैयार करने की पहली शुरुआत एशियाटिक सोसायटी ने की थी।

प्रमोद भार्गव

भारत में प्राचीन पांडुलिपियां कितनी हैं, इनका सुसंगत अनुमान लगाना कठिन है। अनेक पांडुलिपियां अब भी संरक्षित नहीं हैं। इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग डेढ़ करोड़ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि ब्रिटेन के संग्रहालय में मुख्य रूप से चार लाख पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। यद्यपि वहां से अब तक पचास हजार पांडुलिपियां मंगाई जा चुकी हैं। उनमें खगोल, गणित, ज्योतिष, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, रसायन, धातु विज्ञान, खेती-किसानी, अस्त्र-शस्त्र और आवागमन के साधनों से लेकर ईंधन की खोज और मानव मनोविज्ञान तक के धरातल की पड़ताल की गई है। पांडुलिपियों में सामाजिक जीवन के विविध पहलू संरक्षित हैं।

प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां कितनी महत्त्वपूर्ण हैं, इस सिलसिले में एक प्रसंग याद किया जाता है। एक संस्कृत के विद्वान को लंदन की इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध 'नाट्य-प्रदीप' की पांडुलिपि की आवश्यकता थी। इस पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची में इस पांडुलिपि का नाम अंकित है। उनके एक मित्र लंदन जाते-आते रहते थे। उन्होंने पांडुलिपि लाने का दायित्व उनको सौंप दिया। लंदन से लौटने पर उन्होंने 'नाट्य-प्रदीप' की पांडुलिपि एक गोल डिब्बी में दी। वे अचंभित हुए तो मित्र ने बताया कि इस डिब्बी में एक माइक्रो चिप है। इसे माइक्रो फिल्म रीडर के माध्यम से कंप्यूटर पर खोल कर प्रिंट निकाला जा सकता है।

चार-पांच सौ पृष्ठ की नागरी लिपि में हस्तलिखित पांडुलिपि उनके हाथों में थी। उन्हें संदेह हुआ कि 'नाट्य-प्रदीप' तो इतने पृष्ठों की नहीं है, फिर यह क्या? मगर घर आकर जब उन्होंने पांडुलिपि पढ़नी शुरू की, तो उनका संदेह सच निकला। वह 'नाट्य-प्रदीप' की पांडुलिपि नहीं थी। हालांकि पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक और अन्य जानकारियां सूची के अनुरूप ही थीं। दरअसल, वह महाकवि दंडी के 'दशकुमारचरित' के तीसरे खंड की अधूरी प्रति थी। वे संस्कृत विद्वान उसके अध्ययन-मनन में लग गए। पूरी पांडुलिपि पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकला कि यह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कथा है। कालांतर में उन्होंने इस विक्रमादित्य कथा का गद्यानुवाद करते हुए उपन्यास का रूप दिया। उपन्यास में खगोलीय घटनाओं और विक्रम संवत के प्रारंभ होने के विज्ञान सम्मत आख्यान तो हैं ही, विक्रमादित्य के इतिहास नायक होने के तथ्य भी हैं।

पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित ग्रंथों के शोध और संग्रह निरंतर होते रहे हैं। वर्ष 1803 में इन ग्रंथों का सूची-पत्र तैयार करने की पहली शुरुआत एशियाटिक सोसायटी ने की थी। इस सोसायटी के चौथे अध्यक्ष एचटी कोलब्रुक ने सूची-पत्र तैयार करने के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त अनुदान का प्रबंध भी कराया। इसी क्रम में गर्वनर एलफिन्सटन ने जब संस्कृत ग्रंथों का अनुसंधान कराया, तो ज्ञात हुआ कि 1840 में जितने ग्रंथ भारत में पाए गए, उनकी संख्या ग्रीक और लैटिन भाषा के समस्त पश्चिमी और कतिपय एशियाई ग्रंथों से कहीं ज्यादा थी। इसके पहले वर्ष 1830 में फ्रेडरिक ने 350 संस्कृत ग्रंथों की सूची बनाई थी। वर्ष 1859 में बेल के शोध अनुसार इन ग्रंथों की संख्या तेरह सौ हो गई। कालांतर में 1891 आते-आते शियोगेर अलफ्रेस्ट ने जो सूची-पत्र बनाया, उसमें इन संस्कृत पांडुलिपियों की संख्या 32 हजार से ऊपर निकल गई। इसके बाद हरप्रसाद शास्त्री ने चालीस हजार पांडुलिपियों और 1916 में राहुल सांकृत्यायन ने 50 हजार ग्रंथों को खोज कर सूची-पत्र बना लिया।

> वर्ष 1981 में भारत की बख्शाली पांडुलिपि को प्राचीनतम गणित की पांडुलिपि माना गया। यह पांडुलिपि खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर के एक किसान को मिली थी। भोजपत्रों पर यह संस्कृत में लिखी गई है। इसके केवल सत्तर पृष्ठ मिले हैं, शेष नष्ट हो गए हैं। इसे नौवीं शताब्दी का लिखा माना जाता है। पर जब इसकी लिखावट की आक्सफर्ड विश्वविद्यालय और बोडालियन पुस्तकालय के शोधकर्ताओं ने रेडियो कार्बन डेटिंग से जांच की, तो इसे तीसरी-चौथी शताब्दी का होना पाया गया। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि ग्वालियर स्थित मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण शून्य का शिलालेख नौवीं शताब्दी का है, उससे भी पहले की यह पांडुलिपि है।

इन सूची-पत्रों की तैयारी के बाद पांडुलिपि शास्त्र के जर्मन ज्ञाता शिलगल ने इन ग्रंथों का विषयवार वर्गीकरण किया। इस वर्गीकृत अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ये ग्रंथ केवल एक विषय, एक धर्म या अध्यात्म मात्र पर केंद्रित नहीं हैं, बल्कि इस वर्गीकरण से ग्रंथों के प्रकार और उनमें अंतर्निहित दर्शन सामने आया। इसे तेरह वर्गों में विभाजित किया गया। वेदांगों से आगे पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और काव्यशास्त्र लिखे गए। उपनिषदों के माध्यम से अध्यात्म, खगोल शास्त्र और नैतिकता के दर्शन की स्थापना हुई। इसी क्रम में जैन और बौद्ध दर्शन से लेकर, चार्वाक दर्शन तक सामने आए। इनमें प्रकृति से लेकर मानव वृत्तियों के उल्लेखों के मनोवैज्ञानिक दृष्टांत हैं, पर आडंबरों पर प्रहार है।

वर्ष 1981 में भारत की प्राचीनतम बख्शाली पांडुलिपि को प्राचीनतम गणित की पांडुलिपि माना गया है। यह पांडुलिपि खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर के एक किसान को मिली थी। भोजपत्रों पर यह संस्कृत में लिखी गई है। इसके केवल सत्तर पृष्ठ मिले हैं, शेष नष्ट हो गए हैं। इसे नौवीं शताब्दी का लिखा माना जाता है। पर जब इसकी लिखावट की आक्सफर्ड विश्वविद्यालय और बोडालियन पुस्तकालय के शोधकर्ताओं ने रेडियो कार्बन डेटिंग से जांच की, तो इसे तीसरी-चौथी शताब्दी का होना पाया गया। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि ग्वालियर स्थित मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण शून्य का शिलालेख नौवीं शताब्दी का है, उससे भी पहले की यह पांडुलिपि है। इसमें एक ऐसे बिंदु का उल्लेख है, जो 'शून्य' का प्रतिनिधित्व करने वाला अब तक का सबसे प्राचीन प्रतीक है।

आक्सफर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मार्कस डू सौताय ने प्रतिपादित किया है कि आज हम जिस शून्य का प्रयोग करते हैं, वह प्राचीन भारत में प्रयोग में लाए गए 'बिंदु' से ही विकसित हुआ है। इस पांडुलिपि का आरंभिक लेखन शारदा लिपि में है। यह लिपि आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक दक्षिण एशिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों और कश्मीर के भूखंडों में प्रचलित थी। शारदा लिपि संस्कृत के निकट मानी जाती है। ऋग्वेद में इन लिपियों के प्रारंभिक विकास पणिय और मग समुदाय के लोगों के द्वारा किए जाने के उल्लेख हैं। इस पांडुलिपि में गणितीय नियमों, उनमें आने वाली समस्याओं के हल उदाहरणों सहित उपलब्ध हैं। अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित भी इसमें मिलते हैं। वर्गमूल, घनमूल स्वर्ण की गणना के साथ आय, व्यय, ब्याज और सरल समीकरणों का उल्लेख भी इस पांडुलिपि में है। बख्शाली पांडुलिपि में लिखे जाने से बहुत पहले से ही भारतीय मनीषियों ने इन गणितीय वैदिक ज्ञान के सूत्रों को श्रुति परंपरा से मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति में ग्रहण करा दिया था। यही कालांतर में लिखित और मुद्रित रूपों में हमारे समक्ष हैं।

दुनिया ने मान लिया है कि ऋग्वेद के सूक्त और मंत्र सबसे प्राचीन मौखिक और भोजपत्रों पर लिखित आख्यान हैं। 'भृगुसंहिता' भी एक प्राचीन पांडुलिपि है, जिसकी मूल प्रति होशियारपुर में आज भी सुरक्षित है। इसमें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर व्यक्ति का भूत और भविष्य बांचने का दावा किया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने 'संस्कृति के चार अध्याय' में ऋग्वेद की ऋचाओं को विभिन्न विद्वानों के मतानुसार दो हजार से पचहत्तर हजार वर्ष तक प्राचीन माना है। इनमें सबसे उत्साहजनक दृष्टिकोण अविनाश दत्त का है। वे ऋग्वेद को पचास से पचहत्तर हजार वर्ष पुराना मानते हैं। बहरहाल, प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण जरूरी है ही, इनका अध्ययन भी जरूरी है।

प्रदर्शन से परे प्रेरणा

जय प्रकाश पांडेय

कभी-कभी जीवन एक ऐसे बिंदु पर आ खड़ा होता है जहां शब्द मौन हो जाते हैं, रास्ते धुंधले और मन किसी अनकहे उत्तर की तलाश में भटकता है। ऐसे ही क्षणों में भीतर कहीं कोई हल्की-सी रोशनी जलती है, कोई विचार, कोई बेचैनी, कोई चुप्पी, जो धीरे-धीरे हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है। उसी मौन रोशनी का नाम है प्रेरणा। यह केवल कोई मनोवैज्ञानिक उत्तेजना नहीं है। यह दरअसल वैसी जीवन-चेतना है, जो व्यक्ति को शून्यता से सृजन की ओर, संशय से संकल्प की ओर और निष्क्रियता से नवाचार की ओर ले जाती है। यह कोई ऊंचा आदर्श नहीं, बल्कि भीतर से उठती एक चिंगारी है, जो तमाम अंधेरों के बावजूद जलती रहती है।

प्रश्न यह है कि यह प्रेरणा आती कहां से है? क्या वह बाहर से किसी प्रेरक वक्तव्य, किसी आदर्श चरित्र या किसी सामाजिक प्रशंसा के रूप में आती है? या वह भीतर जन्म लेती है- एक मौन ज्योति के रूप में, जो संकल्प और संयम के अंधकार में भी प्रकाशित रहती है? आज के समय में जब हर ओर प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और मान्यता की होड़ मची है, तो प्रेरणा को भी बाहरी मानकों से जोड़ दिया गया है। आज प्रेरणा भी एक 'दृश्य उत्पाद' बन गई है। लोग केवल उतना ही करते हैं, जितना उन्हें दिखाई दे। उतना ही बोलते हैं, जितना उन्हें सराहा जाए। नतीजतन, प्रेरणा का स्रोत धीरे-धीरे बाह्य बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर समर्थकों, पसंदगी का चटका, पुरस्कार और प्रचार इसकी नई इकाइयां हैं। पर यह प्रेरणा नहीं, अपेक्षा है और अपेक्षा से उत्पन्न कर्म आमतौर पर अस्थायी होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।' यह श्लोक उस गहन सिद्धांत को प्रकट करता है, जहां प्रेरणा किसी फल की प्राप्ति से नहीं, बल्कि खुद कर्म की पवित्रता से जन्म लेती है। यह प्रेरणा भीतर से उठती है, जहां कोई दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं, फिर भी व्यक्ति अपने कार्य में रत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यही उसका धर्म है। यही भीतर से उपजी प्रेरणा है, जो फल की अपेक्षा किए बिना भी कर्मरत रहती है।

भीतरी प्रेरणा आत्मबोध से जन्म लेती है, एक ऐसी स्थिति, जहां व्यक्ति न केवल यह जानता है कि वह क्या कर रहा है, बल्कि यह भी कि क्यों कर रहा है। यह प्रेरणा आत्मा की वह अग्नि है, जो बाहरी हवा से नहीं, भीतर की चिंगारी से जलती है। यह लौ वह शक्ति है, जो न देखे जाने पर भी जलती रहती है। इसी भीतर से उठती प्रेरणा ने बुद्ध को ज्ञान की ओर, विवेकानंद को समाजोत्थान की ओर और कल्पना चावला को अंतरिक्ष की ओर बढ़ने का संबल दिया। यही वह मौन शक्ति है, जो गांधी को सत्याग्रह की राह पर ले जाती है, अब्दुल कलाम को प्रयोगशालाओं में रातें गुजारने की शक्ति देती है और एक मां को थकावट की हर सीमा लांघने की हिम्मत देती है। भीतर से उपजी प्रेरणा निरंतर बहती है। वह किसी मान्यता की मोहताज नहीं होती। वह तब भी जीवित रहती है जब कोई देखने वाला नहीं होता, और तब भी गतिशील रहती है जब संसार मौन हो। भीतर से उपजी प्रेरणा हमें दूसरों की नकल नहीं करने देती, बल्कि हमारे अपने मौलिक स्वरूप को उजागर करती है। यह प्रेरणा हमें प्रतिस्पर्धा से परे, सृजन की ओर ले जाती है। इसलिए प्रेरणा का स्रोत तय करता है कि हमारा जीवन दिशा में बहेगा या दिशा-भ्रम में उलझेगा। हमने इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं, जहां व्यक्ति ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत कार्य कर दिखाए, क्योंकि उनकी प्रेरणा बाह्य नहीं थी।

हालांकि बाहरी प्रेरणा की भूमिका को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। वह दिशा देती है, कभी-कभी गति भी। मगर यह प्रेरणा अक्सर क्षणिक होती है। जैसे ही वाहवाही का शोर थमता है, वह ऊर्जा भी धीमी पड़ने लगती है। बाहरी प्रेरणा तब तक प्रभावी है, जब तक उसका स्रोत हमारे सामने जीवित है। जैसे ही वह स्रोत छूटता है, चाहे वह पुरस्कार हो, प्रशंसा हो या लोकप्रियता- हमारा उत्साह भी मुरझाने लगता है। तब कर्म कोई रचनात्मक यात्रा नहीं रह जाता, बल्कि एक गणना बन जाता है- एक सौदेबाजी, जहां कर्म फल के लिए होती है, न कि कर्म के लिए। और जब संपूर्ण प्रेरणा बाहर से आने लगे, तो व्यक्ति एक तरह से 'दृश्य उपलब्धियों' का बंदी बन जाता है। वह जो करता है, वह इसलिए नहीं करता कि वह ठीक है, बल्कि इसलिए कि वह प्रशंसनीय दिखे। धीरे-धीरे वह स्वयं से कटने लगता है। उसकी दिशा समाज तय करता है, संकल्प नहीं।

बाहरी प्रेरणा रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलने की ताकत भीतर से ही आती है। फिर जब प्रेरणा भीतर से उठती है, तब व्यक्ति थमता नहीं, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। वह काम करता है, क्योंकि वही उसका धर्म है। वही उसका उत्तर है, अपने आपसे। आखिर प्रश्न यह नहीं कि प्रेरणा कहां से आती है- बाहर से या भीतर से, बल्कि यह है कि हम किस प्रेरणा को अपनी जीवन-दिशा बनने देते हैं। जो प्रेरणा केवल दिखावे से संचालित हो, तो वह कब तक टिकेगी? और जो प्रेरणा आत्मा की भाषा में बोले, वह कैसे चुप रह सकती है?

दुनिया मेरे आगे

> जब हर ओर प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और मान्यता की होड़ मची है, तो प्रेरणा को भी बाहरी मानकों से जोड़ दिया गया है। आज प्रेरणा भी एक 'दृश्य उत्पाद' बन गई है। लोग केवल उतना ही करते हैं, जितना उन्हें दिखाई दे। उतना ही बोलते हैं, जितना उन्हें सराहा जाए। नतीजतन, प्रेरणा का स्रोत धीरे-धीरे बाह्य बनता जा रहा है।

प्रतिबंधित दवाएं

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 35 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। हालांकि, इन प्रतिबंधों के बावजूद ऐसी दवाएं खुले बाजार में लंबे समय तक उपलब्ध रहतीं और खुलेआम बिकती हैं। इन दवाओं में हानिकारक रसायन, गलत खुराक या अनावश्यक संयोजन हो सकता है, जो दुष्प्रभाव, एलर्जी या यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकते हैं। उपभोक्ता ऐसी दवाओं पर पैसा खर्च करते हैं जो अप्रभावी या हानिकारक हैं, जिससे उनका आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा, इन दवाओं के दुष्प्रभावों के इलाज पर अतिरिक्त चिकित्सा खर्च बढ़ता है। जब यह चिकित्सा अप्रभावी साबित होती है, तो मरीजों को अन्य उपचारों के लिए और भी खर्च करना पड़ता है। कुछ प्रतिबंधित दवाएं बिना चिकित्सीय औचित्य के बाजार में बिकती रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अनुचित एंटीबायोटिक उपयोग से भारत में 'मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट टीबी' और अन्य संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यह गुणवत्ता नियंत्रण और बाजार निगरानी की विफलता का स्पष्ट उदाहरण है। नियामकों को नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

- मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

संकट में बच्चे

'लापता बच्चे' (संपादकीय 17 अप्रैल) पढ़ा। इसमें बच्चों के आज के हालात पर चिंतन है। इसमे दो राय नहीं कि बच्चे मुश्किल में हैं। हमारे देश में बाल तस्करी की सबसे बड़ी वजह गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी है। आमतौर पर गरीब परिवार आजीविका के अभाव में बच्चों को काम पर लगा देते हैं, जिससे वे तस्करों का आसान शिकार बन जाते हैं। ये तस्कर बच्चों को बेच देते हैं। प्रायः देखा गया है कि नवजात शिशु अस्पतालों से गायब किए जाते हैं। बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह ज्यादातर शहरों में सक्रिय हैं। कई बच्चे इनके चंगुल में फंस जाते हैं। इससे बालश्रम बढ़ा है तो यौन शोषण भी। बच्चे अंग तस्करी का भी शिकार बनते हैं। ऐसे में पुलिस की लापरवाही से समस्या गंभीर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और जागरूक अभिभावकों की कोशिशों से सुधार की उम्मीद है। कई मामले अदालतों में लंबित हैं, जिनकी जल्द सुनवाई जरूरी है।

- अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

आत्मनिर्भरता की जरूरत

जब निर्यात की रफ्तार धीमी हो और आयात तेज, तब व्यापार घाटा चेतावनी बन जाता है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े इस खतरे की घंटी बजा रहे हैं। वित्तवर्ष 2023-24 में भारत का व्यापार घाटा 21.54 अरब डालर तक उछला, जो अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। मार्च 2024 में निर्यात में 0.7 फीसद की मामूली बढ़त (41.97 अरब डालर) के बावजूद, आयात की बेकाबू रफ्तार (676.25 अरब डालर) ने इस प्रगति को निगल लिया। पूरे वर्ष का निर्यात 437.42 अरब डालर रहा, जबकि पेट्रोलियम, सोना, इलेक्ट्रानिक्स और कोयले जैसे आयात ने खजाने पर भारी बोझ डाला। हालांकि सेवा क्षेत्र ने उम्मीद की किरण दिखाई। 341.06 अरब डालर के निर्यात और 178.31 अरब डालर के आयात के साथ सेवा व्यापार में अधिशेष दर्ज हुआ। यह आंशिक सफलता व्यापार घाटे की खाई को भरने के लिए कम है। यह स्थिति भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से दौड़ने का आह्वान करती है।

- आरके जैन 'अरिजीत', बड़वानी, मप्र

लोकतंत्र की चिंता

इन दिनों मुर्शिदाबाद, मालदा, सीलमपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से जैसी खबरें आती रहती हैं। उससे चिंता होती है। लगता है कि देश भर में अभी विभाजन के वक्त जैसे अविश्वास के हालात हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमारी लोकतांत्रिक यात्रा के तकरीबन आठ दशक पूरे होने को है। आखिर लोकतांत्रिक देश के लोगों और राजनीतिक वर्ग का व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या यह मंथन का विषय नहीं होना चाहिए। कहने को तो कहा जाता है कि मतदाता अब जागरूक हो गया है। मगर यह कैसी जागरूकता है कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर अपने से इतर हम भारतीयता नहीं देख पाते हैं। यह कैसा राष्ट्रवाद है, जहां हमें वह बातें अच्छी नहीं लगती हैं, जिससे व्यक्ति के समर्थ बनने-बनाने की बात की जाती है। कक्षाओं में लोकतंत्र का पाठ पढ़ते रहे हैं। अब हम अपने व्यवहार के विपरीत काम कर रहे हैं।

- मुकेश कुमार मनन, पटना

संकट

रामबन में भारी बारिश से भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने पर पैदल जाता नवविवाहित जोड़ा।

बोल

पश्चिम बंगाल को लेकर बांग्लादेश की टिप्पणियां अनुचित हैं। बांग्लादेश इस तरह के बयान दे रहा है, जबकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं।

- रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

बोल

ईरान को एशिया के आर्थिक केंद्र वाले देशों के साथ संबंधों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति को व्यावहारिक रूप देने पर काम करना चाहिए।

- अयातुल्ला खामनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता

सम-सामयिक

ट्रंप की नजर कनाडा के प्राकृतिक संसाधनों पर

जनसत्ता संवाद

मचियास सील द्वीप उत्तरी अमेरिका के नक्शे में एक छोटे से बिंदु की तरह दिखता है। लेकिन धुंध से घिरे इस चट्टानी द्वीप की अपनी अहमियत है। ये उस इलाके में है, जिसे 'ग्रे जोन' कहा जाता है। ये जगह अमेरिका और कनाडा के बीच एक दुर्लभ अंतरराष्ट्रीय विवाद की वजह बनी हुई है।

अमेरिका और कनाडा पड़ोसी हैं और लंबे समय से सहयोगी भी, लेकिन दोनों इस द्वीप और इसके चारों ओर घिरे पानी पर दावा करते हैं। ये इलाका ऐसी जगह है जहां अमेरिकी प्रांत मेयन और कनाडा का न्यून ब्रंसविक प्रांत मिलता है। इसके साथ ही दोनों देश इस जल क्षेत्र में मिलने वाले बेशकीमती झींगा मछलियों को पकड़ने और उन्हें बेचने पर भी अपना दावा करते हैं।

वहीं, कनाडा और अमेरिका के बीच प्राकृतिक संसाधनों पर दावेदारी की लड़ाई चल रही है। कनाडा के पास रेयर अर्थ मेटल, तेल, कोयला और लकड़ी का भंडार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर इन पर लंबे समय से है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि उन्हें कनाडा की लकड़ी, ऊर्जा भंडार और अन्य निर्मित सामान नहीं चाहिए। लेकिन ट्रूडो ने फरवरी में कनाडाई कारोबारियों और श्रमिक नेताओं से बंद कमरे की बैठक में कहा था कि ट्रंप का इरादा दूसरा है। सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन जानता है कि कनाडा के पास कितने अहम संसाधन है। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कनाडा के पास क्या है और इससे लाभ उठाने के लिए वे खुद को सक्षम बनाना चाहते हैं।

कनाडाई पत्रकार जार्डन हीथ-रालिंग्स का मानना है कि अमेरिका को कनाडाई संसाधन चाहिए और ट्रंप के कनाडा को 51वें राज्य बनाने के बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। रालिंग्स कहते हैं, ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाना पसंद करते हैं, जो अमेरिका में बहुत अधिक जमीन ले आया हों। शायद वे आर्कटिक का इलाका चाहते हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और ज्यादा कीमती होगा। ट्रंप के जो बयान आए हैं, उससे अमेरिका और कनाडा की सीमा को लेकर भी संदेह पैदा हो गया है।

रालिंग्स ने मार्च में कहा था, अगर आप नक्शे को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने कनाडा और अमेरिका के बीच एक कृत्रिम रेखा खींच दी है। किसी ने बहुत पहले ऐसा कर दिया था लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। कहने की जरूरत नहीं है कि ट्रंप के बयानों ने कनाडाई नेताओं को परेशान कर दिया है। मार्च में ट्रूडो ने आरोप लगाया कि ट्रंप कनाडाई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर देना चाहते हैं, ताकि उन्हें कनाडा को अमेरिका में मिलाने में आसानी हो। पिछले महीने जब ट्रंप ने कनाडा पर नए शुल्क का एलान किया तो ट्रूडो ने कहा, ट्रंप के दिमाग में कनाडा को मिलाने का ये सबसे आसान तरीका है और ये वास्तविकता है।

यह है बड़ी वजह

कनाडा और अमेरिका के बीच प्राकृतिक संसाधनों पर दावेदारी की लड़ाई चल रही है। कनाडा के पास रेयर अर्थ मेटल, तेल, कोयला और लकड़ी का भंडार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन सब पर पिछले लंबे समय से नजर है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पता लगाना मुश्किल है कि ट्रंप आखिर सोच क्या रहे हैं। जान बाल्टन भी ऐसा ही सोचते हैं। बाल्टन ने ट्रंप के कार्यकाल में एक साल से अधिक समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया था। वे कहते हैं कि ट्रंप के पास कोई नजरिया नहीं है। उनके पास सुझाव हैं लेकिन वो सुसंगत तरीके पर काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बाल्टन का कहना है कि प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने का अच्छा तरीका ये है कि इसके लिए निजी क्षेत्र को सक्रिय किया जाए न कि अपने सहयोगी देश को मिलाने का विचार पेश किया जाए।

शोध

वायु और ध्वनि प्रदूषण से मस्तिष्काघात का खतरा

जनसत्ता संवाद

स्वीडन के करोलिंस्का संस्थान के इंस्टीट्यूट आफ एनवायर्नमेंटल मेडिसिन (आइएमएम) के शोधकर्ताओं ने पाया है कि वायु प्रदूषण और यातायात का शोर तो खतरनाक हैं ही, लेकिन इन दोनों के मेल से मस्तिष्काघात का खतरा छह फीसदी बढ़ सकता है। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह खतरा तब भी बना रहता है जब प्रदूषण और शोर का स्तर मानकों के भीतर रहता है।

अगर आपको लगता है कि हवा में घुला जहर आपकी सेहत बिगाड़ रहा है, तो जरा ठहरिए। एक नए शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण और सड़कों पर वाहनों का शोर यानी ध्वनि प्रदूषण, दोनों मिलकर दिमाग पर दोहरा आघात करते हैं। स्वीडन के करोलिंस्का संस्थान के इंस्टीट्यूट आफ एनवायर्नमेंटल मेडिसिन (आइएमएम) के शोधकर्ताओं ने पाया है कि वायु प्रदूषण और यातायात का शोर तो खतरनाक है ही, लेकिन इन दोनों के मेल से मस्तिष्काघात का खतरा और बढ़ सकता है। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित हुए हैं।

शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह खतरा तब भी बना रहता है, जब प्रदूषण और शोर का स्तर मानकों के भीतर रहता है। शोधकर्ताओं ने यह गणना यूरोपियन यूनियन के वायु गुणवत्ता मानकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी मानकों के आधार पर की है। अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड के 136,897 वयस्कों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं, उनसे पता चला है कि प्रदूषण के सूक्ष्म कणों यानी पीएम 2.5 के स्तर में पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि से मस्तिष्काघात का खतरा नौ फीसद बढ़ जाता है। वहीं, यातायात के शोर में 11 डेसिबल की बढ़ोतरी से यह खतरा छह फीसद बढ़ जाता है। वहीं, यदि ये दोनों एक साथ हों तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है।

शोध में यह भी सामने आया है कि शांत क्षेत्रों में जहां ध्वनि का स्तर 40 डेसिबल था, वहां सूक्ष्म कणों में बढ़ोतरी से मस्तिष्काघात का खतरा छह फीसदी बढ़ गया। दूसरी तरफ शोर वाले इलाकों (80 डेसिबल) में यह खतरा बढ़कर 11 फीसदी तक पहुंच गया। देखा जाए तो भले ही यह शोध यूरोपियन लोगों पर किया गया है पर इसके नतीजे भारतीय शहरों के लिए भी खतरे की घंटी की तरह हैं, क्योंकि इन शहरों में प्रदूषण के साथ-साथ यातायात का शोर भी बहुत ज्यादा होता है।

भारत में वायु प्रदूषण की समस्या किस कदर गंभीर है, इसका खुलासा कई राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय रपट में भी किया गया है। सेंटर फार साइंस एंड एनवायर्नमेंट (सीएसई) द्वारा जारी एक नए विश्लेषण से पता चला है कि इस बार सर्दियों के दौरान दिल्ली में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, जब हवा को साफ कहा जा सके। इस दौरान दिल्ली में स्थिति किस कदर खराब थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आठ दिन वायु गुणवत्ता 'बेहद गंभीर', 12 दिन 'गंभीर' और 68 दिन 'बेहद खराब' थी। रपट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि बढ़ते प्रदूषण का असर सभी महानगरों पर पड़ रहा है, यहां तक कि कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहर जहां भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों कहीं ज्यादा अनुकूल हैं, उन महानगरों में भी स्थिति चिंताजनक है। अंतराष्ट्रीय संगठन आईक्यू एयर ने भी अपनी रपट में पुष्टि की है कि भारत, दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में पांचवें स्थान पर है, जहां वर्ष 2024 में सूक्ष्म कणों यानी पीएम 2.5 का वार्षिक औसत स्तर 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रेकार्ड किया गया था। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की ओर से जारी मानकों के लिहाज से देखें तो देश में वायु गुणवत्ता दस गुना खराब है। वहीं वर्ष 2023 में इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर था। भारत में स्थिति किस कदर खराब है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया में सबसे खराब हवा वाले 100 स्थानों में से 74 भारत में हैं।

विश्व परिक्रमा

अमेरिका : जिनके वीजा रद्द हुए, उनमें 50% भारतीय विद्यार्थी

जनसत्ता संवाद

अमेरिकी सरकार ने हाल ही में कई विदेशी छात्रों का वीजा रद्द कर दिया है। इन विद्यार्थियों को भेजी गई ई-मेल में उनसे अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया है। एक रपट के मुताबिक, इनमें से 50 फीसद भारतीय छात्र हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन लायर्स एसोसिएशन ने ऐसे ही 327 छात्रों की जानकारी एकत्र की है। भारत के बाद दूसरा स्थान चीन का है। इस सूची में शामिल 14 फीसद छात्र चीन के हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग पिछले चार महीनों से विदेशी छात्रों के आकड़ों की जांच कर रहा है। इसके जरिए इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले विदेश छात्रों का वीजा रद्द किया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक, 26 मार्च तक 300 से ज्यादा कथित हमास समर्थक छात्रों का वीजा रद्द किया जा चुका है। इनामें कई भारतीय छात्र भी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार एक एप की मदद से ऐसे छात्रों की पहचान कर रही है। इस एप की मदद से सबसे पहले पांच मार्च को तुर्किये की एक छात्रा रुमेसा ओजतुर्क की पहचान की गई थी। वह टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, बोस्टन में पढ़ाई कर रही थी। कहा जा रहा है कि उसने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उसका वीजा रद्द कर दिया। अमेरिकी प्रशासन की ओर से वीजा रद्द करने का ई-मेल कई विश्विद्यालयों के छात्रों को भेजा गया है। इसमें हावर्ड, कोलंबिया, येल, कैलिफोर्निया और मिशिगन यूनिवर्सिटी जैसे चर्चित संस्थान हैं।

हालांकि कितने विश्विद्यालयो के कितने छात्रों को यह ई-मेल भेजा गया है, इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। छात्रों से कहा गया कि उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। अब अगर वे अमेरिका में रहते हैं तो उन पर जुमार्ना लगाया जा सकता है और उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है या फिर उन्हें प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

जानें-समझें

बिगड़ते रिश्ते

भारत-बांग्लादेश के संबंधों में कैसे होगा सुधार

जनसत्ता संवाद

पिछले साल अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में हुए एक विद्रोह के बाद बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना का लगातार 15 साल से चला आ रहा शासन खत्म होने के साथ ही बांग्लादेश में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली और वे तब से भारत में ही हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत दिखते थे, जिनमें पिछले कुछ महीनों में लगातार गिरावट आती दिखाई दी है। पड़ोसी देश के साथ बिगड़ते रिश्ते क्या आने वाले समय में भारत के लिए एक नई चुनौती बन जाएंगे? इस पर विशेषज्ञों ने कहा कि जब आपके पास एक ऐसा साझेदार हो, जिसे आपने इतने लंबे समय तक पोषित किया हो तो यह निश्चित रूप से भारत के लिए एक चुनौती है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत-बांग्लादेश संबंध बहुत आगे की ओर बढ़ रहे थे, चाहे वह संपर्क हो, व्यापार हो, रणनीतिक संबंध हों या सीमा मुद्दे हों। ये सभी मुद्दे भले ही हल न हुए हों, लेकिन एक ऐसी जगह पर थे, जहां वे संबंधों की दिशा को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर रहे थे, लेकिन आज अचानक सब कुछ एक समस्या जैसा लग रहा है।

वक्त बांग्लादेश के लिए भी अनुकूल नहीं

नई दिल्ली स्थित आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत के मुताबिक, अभी का वक्त बांग्लादेश के लिए भी अनुकूल नहीं है। वे कहते हैं कि अगर आज के बांग्लादेश को देखा जाए और कुछ महीने पहले के बांग्लादेश से उसकी तुलना की जाए जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थीं, तो दिखेगा कि हसीना ने बांग्लादेश को एक निश्चित स्थिरता और आर्थिक जीवंतता दी थी। उन्होंने कहा, कुछ ही महीनों में यह दिख रहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां चली गई। बांग्लादेश का सामाजिक और राजनीतिक संतुलन अस्थिर है। बांग्लादेश में चरमपंथियों का उदय एक वास्तविकता है। इसलिए आप एक ऐसे बांग्लादेश को देख रहे हैं जो एक सफल कहानी से वापस उस सभी नकारात्मकता की ओर जा रहा है, जो दीर्घकालिक समस्याएं पैदा करेगी। भारत एक बड़ा देश है, यह कुछ तरह की लागतों को सह सकता है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी इस्लामी देश के रूप में बांग्लादेश का भविष्य कैसा रहेगा यह वर्तमान परिदृश्य में एक अहम सवाल है।

(फाइल फोटो)

जब आपके पास एक ऐसा साझेदार हो, जिसे आपने इतने लंबे समय तक पोषित किया हो तो यह निश्चित रूप से भारत के लिए एक चुनौती है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत-बांग्लादेश संबंध बहुत आगे की ओर बढ़ रहे थे, चाहे वह व्यापार हो, रणनीतिक संबंध हों या सीमा मुद्दे हों। लेकिन आज अचानक सब एक समस्या लग रहा है। *- प्रोफेसर हर्ष वी पंत, नई दिल्ली स्थित आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष*

दोनों देशों के संबंध बिगड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध हैं। यह बांग्लादेश की सरकार नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है, जिसने बिना किसी वैधता के असंवैधानिक रूप से खुद को सत्ता पर काबिज किया है। भारत निश्चित रूप से जरूरत के मुताबिक स्थिति से निपट रहा है। *- वीना सीकरी, बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजनयिक*

दोनों देशों के रिश्ते कमजोर हुए

प्रोफेसर हर्ष पंत का मानना है कि दोनों देशों के रिश्ते कमजोर हुए हैं। बांग्लादेश में नए प्रशासन ने जिस तरह से भारत के साथ अपने संबंधों को संभाला है, उससे निश्चित रूप से संबंधों में बहुत नकारात्मकता आई है। उन्होंने कहा, हम आने वाले वक्त में कोई नाटकीय बदलाव देखेंगे। प्रोफेसर पंत के मुताबिक, चूंकि भारत के शेख हसीना से संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए उनके हटने के बाद संबंधों में एक नया संतुलन तो आना ही था।

भारत स्थिति से निपट रहा

बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजनयिक रही वीना सीकरी भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि दोनों देशों के संबंध बिगड़े हैं। वीना कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अच्छे संबंध हैं। यह बांग्लादेश की सरकार नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है, जिसने बिना किसी वैधता के असंवैधानिक रूप से खुद को सत्ता पर काबिज किया है। भारत निश्चित रूप से जरूरत के मुताबिक स्थिति से निपट रहा है। वे कहती हैं, हाल ही में बैंकाक में मोहम्मद यूनुस के साथ हुई बैठकों के दौरान मुझे लगता है कि सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थीं। भारत के विदेश सचिव पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश गए थे। अगर उन सीमाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो यह एक अलग मामला है। फिर भारत को देखना होगा कि और क्या करना है।

हालिया फैसलों से बढ़ीं तल्खियां

हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से बंदरगाह के माध्यम से यार्न (ऊन या कपास के धागों) के आयात को निलंबित कर दिया है। वहीं, जब से बांग्लादेश में नई सरकार ने शपथ ली है,तब से यहां बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं।

बांग्लादेश ने चीन की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ

हाल ही में बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन गए थे और वहां एक ऐसा बयान दिया, जिससे विवाद पैदा हो गया। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर के सातों राज्यों को लैंडलाक्ड (जमीन से चारों ओर से घिरा) क्षेत्र बताया और चीन से बांग्लादेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की अपील की। बैंकाक में प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच बातचीत के बाद भारत सरकार ने कहा था कि मोदी ने यूनुस से कहा कि माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी से सभी को बचना चाहिए।

व्यक्तित्व

प्रियांश आर्य : धैर्य, लगन और कड़ी मेहनत से मिली सफलता

जनसत्ता संवाद

आइपीएल में महज 39 गेंदों पर शतक लगाने वाले पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्य इन दिनों सुर्खियों में हैं। आठ अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आइपीएल के इतिहास में यह सबसे तेज चौथा शतक है। प्रियांश ने कुल 42 गेंदों पर 103 रन बनाए. इसमें 7 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 245.33 का रहा। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है, जो युवाओं को प्रेरित करती है। इस सबके पीछे जंगल में जाकर प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत है।

परिजनों के मुताबिक, प्रियांश ने क्रिकेट के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वह दिल्ली से दूर भोपाल में रातापानी टाइगर रिजर्व के जंगलों में घंटों प्रशिक्षण करते थे। दरअसल, क्रिकेट कोच संजय भारद्वाज ने जंगल में एक क्रिकेट एकेडमी बना रखी है, जहां वह खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते है। प्रियांश ने भी इसी एकेडमी से कट और पुल शाट पर जमकर काम किया। द्रोणाचार्य अवार्डी संजय भारद्वाज वही क्रिकेट कोच हैं, जिनके निर्देशन में भारत को कई क्रिकेटर मिले हैं। इनमें गौतम गंभीर, जोगिंदर सिंह, उन्मुक्त चंद, अमित मिश्रा, नीतीश राणा शामिल हैं। संजय भारद्वाज ने कहा कि यहां लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों तरह की पिच बनाई गई हैं, ताकि हर मौके के लिए खिलाड़ी तैयार रह सके। प्रियांश लगातार 12 घंटे तक रोज पिच पर कड़ी मेहनत करते थे। उसे दिन में सिर्फ एक घंटे के लिए फोन दिया जाता था। वे आइपीएल से पहले करीब एक महीना यहां रहे।

छह गेंदों में छह छक्के लगाकर चर्चा में आए : 31 अगस्त 2024 को दक्षिण दिल्ली सुपरस्टार्ज की ओर से खेलते हुए प्रियांश आर्य ने नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ एक ही ओवर में छह छक्के लगाकर इतिहास रचा था। उन्होंने 12वें ओवर में स्पिनर मनन भारद्वाज की सभी छह गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा। इस पारी के बाद से वे क्रिकेट जगत में एक उभरते हुए सितारा बन गए।

10 साल की उम्र में शुरू की कोचिंग : दस साल की उम्र से ही प्रियांश ने क्रिकेट को अपना करिअर बना लिया। प्रियांश मूलतः हरियाणा के फतेहाबाद में भूना गांव के रहने वाले हैं। उनके माता-पिता दोनों ही दिल्ली में सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। माता-पिता को बेटे की सफलता पर गर्व है। उनका कहना है कि वह दिन दूर नहीं, जब उनका बेटा देश के लिए खेलेगा और खूब नाम कमाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस समारोह में कहा

एक हजार साल की नीतियां बना रही सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश की नौकरशाही और नीति निर्माण प्रक्रिया पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। मौजूदा केंद्र सरकार जिन नीतियों पर काम कर रही है, वे अगले 1,000 वर्ष के भविष्य को आकार देंगी। उन्होंने औद्योगीकरण और उद्यमिता की गति को नियंत्रित करने वाले नियामक के रूप में नौकरशाही की पुरानी भूमिका का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र इस मानसिकता से आगे बढ़ चुका है। अब ऐसा माहौल बना रहा है, जो आम नागरिकों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है व उन्हें बाधाओं से निपटने में मदद करता है।

प्रधानमंत्री ने यहां विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोक सेवाओं को अपने में बदलाव कर नियम पुस्तिकाओं का मात्र रखवाला न बनकर, विकास का सूत्रधार बनना चाहिए। उन्होंने कहा, आज हम जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं और

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोक सेवा को प्रासंगिक बने रहने के लिए समकालीन चुनौतियों के अनुकूल बनना होगा। अब तक की उपलब्धियों को कई गुना बढ़ाया जाना चाहिए व प्रगति के लिए उच्च मानक स्थापित किए जाने चाहिए।

जो निर्णय ले रहे हैं, वे आगामी 1,000 वर्ष के भविष्य को आकार देंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सामूहिक प्रयास एवं दृढ़ संकल्प की जरूरत है और इसमें सभी को अपना अहम योगदान देना होगा। उन्होंने वैश्विक स्तर पर हो रहे त्वरित बदलावों का उल्लेख करते हुए हर दो से तीन साल में प्रौद्योगिकी के तेजी से बदल जाने को रेखांकित किया और इस बात का जिक्र किया कि बच्चे इन परिवर्तनों के बीच कैसे बड़े हो रहे हैं।

मोदी ने कहा, आने वाले वर्षों के लिए ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, खेलों के क्षेत्र में प्रगति और अंतरिक्ष अन्वेषण में उपलब्धियों समेत विभिन्न क्षेत्रों में देश के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को रेखांकित किया।

उन्होंने हर क्षेत्र में भारत का परचम लहराने के महत्त्व पर बल दिया। साथ कहा कि इस वर्ष सिविल सेवा दिवस का विषय 'भारत का समग्र विकास' है, जो देश के लोगों के प्रति एक प्रतिबद्धता एवं वादा है।

'नागरिक देवो भव' का सिद्धांत अपनाएं लोकसेवक

प्रधानमंत्री लोक सेवकों से कहा कि सुशासन के लिए उन्हें 'नागरिक देवो भव' के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ताकि, समावेशी विकास के लिए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंच सके। साथ ही कहा कि लोक सेवकों को स्वयं को केवल प्रशासक के रूप में ही नहीं देखना है, बल्कि विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में खुद को तैयार करना है। प्रधानमंत्री ने यहां 17वें सिविल सेवा दिवस समारोह में कहा, भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, इसलिए बुनियादी सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पिछले 10-11 साल की देश की जो सफलताएं रही हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव को बहुत मजबूत किया है। आज देश इस मजबूत नींव पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण कर रहा है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव संबंधित संसदीय समिति की बैठक आज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

एक राष्ट्र - एक चुनाव पर बनी संसदीय समिति की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक मंगलवार को होगी। इस समिति के सभापति सांसद पीपी चौधरी हैं। समिति के पहले सत्र में समिति की न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, उच्च न्यायलय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन झा, सर्वोच्च न्यायलय के पूर्व न्यायाधीश व न्यायमूर्ति बीएस चौहान से बैठक करेगी।

संसदीय समिति की यह बैठक तीन चरण में होगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।

इसके बाद तीसरी बैठक राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ शाम को बैठक होगी। समिति के सदस्य सही समय पर उपलब्ध रहे। इसके लिए लोकसभा की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है। यह नोटिस सभी सदस्यों को भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि समिति में संविधान (139 संशोधन) विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए बैठक होगी। इससे पूर्व जेपीसी की आखिरी बेठक 25 मार्च को हुई थी और यह करीब पांच घंटे तक चली थी, इस बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा था कि एक राष्ट्र और एक चुनाव देश के सर्वोत्तम हित में है। समिति चाहती है कि इस नए कानून पर सभी पक्षों से राय सामने आए। इसके लिए एक वेबसाइट लाने की भी तैयारियां की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह वेबसाइट क्यूआर कोड आधारित होगी।

इस विधेयक से संबंधित प्रावधान और कामकाज के बारे में आम जनता को पता रहे। इसके लिए भी समिति ने प्रचार के लिए सभी भाषाओं का प्रयोग करने का पहले निर्णय लिया था। समिति पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि विभिन्न माध्यमों से आने वाले सुझावों को एकत्र किया जाएगा और संसद में उनकी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया थाा, इसके बाद एक संसदीय समिति का गइन किया गया था। इस समिति में कुल 39 सदस्य हैं।

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुरैशी का दुबे पर पलटवार, कहा

भारत के विचार पर यकीन, नफरत की सियासत पर नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के 'मुसलिम आयुक्त' वाले बयान पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने सोमवार को कहा कि वह भारत के ऐसे विचार में विश्वास करते हैं, जहां व्यक्ति की पहचान उसके योगदान से होती है।

उन्होंने भाजपा सांसद दुबे के बयानों पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि 'कुछ लोगों के लिए, धार्मिक पहचान उनकी नफरत वाली राजनीति को आगे बढ़ाने का मुख्य आधार है।' भारत हमेशा अपनी संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों के लिए खड़ा रहा है, खड़ा है और खड़ा रहेगा तथा लड़ता रहेगा। कुरैशी ने कहा कि मैंने निर्वाचन आयुक्त के संवैधानिक पद पर अपनी पूरी क्षमता से काम किया है और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में मेरा लंबा और संतोषजनक करिअर रहा। मैं भारत के ऐसे विचार में विश्वास करता हूं, जहां व्यक्ति को उसकी प्रतिभा और योगदान से परिभाषित किया जाता है, न कि उसकी धार्मिक पहचान से।

कुरैशी ने 17 अप्रैल को एक्स पर कहा था कि वक्फ अधिनियम निस्संदेह मुसलिम भूमि हड़पने की सरकार की एक भयावह योजना है। मुझे यकीन है कि उच्चतम न्यायालय इस पर सवाल उठाएगा। शरारतपूर्ण प्रचार तंत्र द्वारा फैलाई गई गलत सूचना ने अपना काम बखूबी किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दुबे ने कहा कि आप निर्वाचन आयुक्त नहीं थे।

उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, धार्मिक पहचान उनकी नफरत वाली राजनीति को आगे बढ़ाने का मुख्य आधार है। भारत हमेशा अपनी संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों के लिए खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, लड़ता रहेगा। प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा करने के बाद, भाजपा सांसद दुबे ने रविवार को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुरैशी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह निर्वाचन आयुक्त नहीं बल्कि 'मुसलिम आयुक्त' थे। कुरैशी ने कुछ दिन पहले ही वक्फ (संशोधन) अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे 'मुसलमानों की भूमि हड़पने की बुरी योजना' करार दिया था।

सुरक्षा माउंट आबू में सुरक्षा बलों के लिए 'आत्म सशक्तीकरण से राष्ट्र सशक्तीकरण' अभियान शुरू करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।

'स्पेडेक्स' मिशन : इसरो ने उपग्रहों की 'डाकिंग' में दूसरी बार सफलता हासिल की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

इसरो ने 'स्पेस डाकिंग एक्सपेरीमेंट' (स्पेडेक्स) मिशन के तहत दूसरी बार दो उपग्रहों की 'डाकिंग' सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को यह जानकारी दी। अंतरिक्ष में 'डाकिंग' तकनीक तब आवश्यक होती है, जब सामान्य मिशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई रॉकेट या अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करने की जरूरत होती है।

यह तकनीक दो या उससे अधिक अंतरिक्ष यान को एक साथ जोड़कर या कक्षा में साथ लाकर एक बड़ी संरचना बनाने तथा सामान की आपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और चंद्रयान-4 अभियान का संचालन करने में मदद मिलेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सिंह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'इसरो स्पेडेक्स अपडेट : यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उपग्रहों की दूसरी 'डाकिंग' सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।'

इसरो ने पिछले साल 30 दिसंबर को 'स्पेडेक्स' मिशन शुरू किया था और अंतरिक्ष में 'डाकिंग' संबंधी प्रयोग के लिए दो उपग्रह- एसडीएक्स 01 और एसडीएक्स 02 को कक्षा में स्थापित किया था। सिंह ने कहा, 'जैसा कि पहले सूचित किया गया है, पीएसएलवी-सी60/स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। इसके बाद उपग्रहों को पहली बार 16 जनवरी 2025 को सुबह छह बजकर 20 मिनट पर सफलतापूर्वक 'डाक' और 13 मार्च 2025 को सुबह नौ बजकर 20 मिनट पर सफलतापूर्वक 'अनडाक' (उपग्रहों को अलग करने की प्रक्रिया) किया गया।

अवमानना याचिका दायर करने के लिए न्यायालय की मंजूरी जरूरी नहीं : कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि उसे शीर्ष अदालत और प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की आलोचना करने को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए पीठ की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ के समक्ष किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल में आए एक समाचार का हवाला दिया और कहा कि वह अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें। दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को मामले में अटार्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी। दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर शीर्ष अदालत को कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश खन्ना पर भी निशाना साधा और उन्हें देश में 'गृह युद्धों' के लिए जिम्मेदार ठहराया।

दुबे की टिप्पणी केंद्र द्वारा अदालत को दिए गए इस आश्वासन के बाद आई है कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को सुनवाई की अगली तारीख तक लागू नहीं करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा

आरोपपत्र 60 और 90 दिनों के भीतर हो दाखिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार को 60 और 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित करने के सुझाव दिए हैं। शाह ने कहा कि समय सीमा निर्धारित होने के साथ - साथ पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ में लागू किए गए तीन नए कानूनों की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री समेत अन्य विभागों के आलाधिकारी शामिल थे।

अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों में साक्ष्य की रिकार्डिंग से लेकर पूरे ट्रायल तक

की प्रक्रिया वीडियो कान्फ्रेंसिंग से संभव है, जिससे बेवजह होले वाले खर्च में कमी लाई जा सकेगी और बचत होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर पुलिस थाने और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को गंभीर अपराध के मामलों में नेटग्रिड के उपयोग की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह में एक बार, राज्य के गृह मंत्री हर 15 दिन और मुख्यमंत्री महीने में एक बार राज्य में नए आपराधिक कानूनों के अमल की प्रगति की समीक्षा करें।

शाह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के छत्तीसगढ़ में पूर्ण क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों का लक्ष्य भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाना है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को इसकी और ज्यादा जरूरत है। छत्तीसगढ़ तीन नए आपराधिक कानूनों के संपूर्ण क्रियान्वयन को एक चुनौती के रूप में लेकर इन्हे जल्द लागू कर एक आदर्श राज्य बने।

पेज 1 का बाकी

द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जोर

द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि फरवरी में वाशिंगटन डीसी में मोदी और ट्रंप की वार्ता के दौरान सहमति बनी थी। व्यापार समझौते में शुल्क और बाजार पहुंच सहित कई मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना है।

भारत सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति वेंस ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया। इसमें कहा गया, 'उन्होंने दोनों देशों के लोगों के कल्याण पर केंद्रित पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। इसी प्रकार, उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, सामरिक प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में जारी प्रयासों पर भी ध्यान दिया।' यह पहली बार है कि दोनों पक्षों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए वार्ता में 'महत्त्वपूर्ण प्रगति' हुई है, जिसके इस साल के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

भारतीय वार्ताकारों का एक प्रतिनिधिमंडल बीटीए पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए बुधवार को अमेरिका की यात्रा पर जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने फरवरी में वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी सार्थक चर्चा को याद किया, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए रोडमैप तैयार किया गया था। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया तथा आगे बढ़ने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया। इस वर्ष के अंत में ट्रंप के क्वाड समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव (द्वितीय) शक्तिकांत दास वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। वार्ता का जोर द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के साथ-साथ रक्षा और ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने पर था।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनका परिवार सप्ताहांत में इटली की अपनी यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। वेंस 12 वर्षों में भारत आने वाले पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले 2013 में जो बाइडेन ने नई दिल्ली का दौरा किया था। तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे।

हमारी आलोचना हो रही है कि हम संसदीय व कार्यपालिका के काम में दखल दे रहे हैं

लिए एक इंटरलोक्यूटरी आवेदन दायर किया है। 'इंटरलोक्यूटरी' आवेदन एक औपचारिक कानूनी अनुरोध होता है जो अंतरिम आदेश या निर्देश प्राप्त करने के लिए न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दायर किया जाता है। जैन ने कहा कि अर्धसैनिक बल की तैनाती और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 355 का हवाला दिया, जो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने के संघ के कर्तव्य से संबंधित है।

उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत इस बारे में रिपोर्ट मांग सकती है कि राज्य में क्या हो रहा है। शीर्ष अदालत ने 2021 की याचिका पर पहले नोटिस जारी किया था। जब मामले पर सुनवाई होगी तो मैं बताऊंगा कि हिंसा कैसे हुई। एक नई याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि 2022 से अप्रैल 2025 तक हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघनों और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं, खासतौर पर मुर्शिदाबाद में हालिया हिंसा की घटनाओं के मामले में जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की जाए।

आवेदन में केंद्र को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल को अनुच्छेद 355 के तहत आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार किया जाए।उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले सप्ताह न्यायपालिका के खिलाफ निंदात्मक टिप्पणियां की थीं। धनखड़ ने राष्ट्रपति के फैसला करने की समयसीमा तय करने और 'सुपर संसद' के रूप में काम को लेकर न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर 'परमाणु मिसाइल' नहीं दाग सकता।

इसके कुछ समय बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने जुलाई 2021 में जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस याचिका में केंद्र को राज्य में सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल और निर्वाचन आयोग को नोटिस भी जारी किया था। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में वक्फ कानून से जुड़ी हिंसा की हालियां घटनाएं 14 अप्रैल को हुईं जबकि पुलिस ने दावा किया था कि पिछले दंगों के केंद्र मुर्शिदाबाद में कानून-व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में 11 और 12 अप्रैल को हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम तीन लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे।

भारत की चुनाव प्रणाली में कुछ गड़बड़ है

मतलब है कि मतदाताओं की कतारें देर रात 2 बजे तक लगी रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा, तो उन्होंने न केवल इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हमें वीडियोग्राफी के लिए कहने की अनुमति न मिले। यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग की (सरकार से) मिलीभगत है और यह भी स्पष्ट है कि प्रणाली में कुछ गड़बड़ है। मैं कई बार यह बात कह चुका हूं।

राहुल की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि आप प्रवर्तन निदेशालय (की 'नैशनल हेरल्ड' मामले में कार्रवाई) की वजह से निर्वाचन आयोग पर भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा।

उन्होंने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईडी आपको नहीं छोड़ेगी क्योंकि एजंसियां तथ्यों के आधार पर काम करती हैं। आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आप और आपकी मां को अपराध के जरिए अर्जित आय के साथ पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा।

एक करोड़ के इनामी समेत आठ नक्सली ढेर

राइफल, एक 'सेल्फ लोडिंग राइफल' (एसएलआर), आठ देसी बंदूक एवं एक पिस्तौल बरामद की गई। मृतकों में उग्रवादी संगठन की केंद्रीय समिति का सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, विशेष क्षेत्रीय समिति का सदस्य अरविंद यादव उर्फ अविनाश, जोनल समिति का सदस्य साहेबराम मांझी उर्फ राहुल मांझी, महेश मांझी उर्फ मोटा, तालु, रंजू मांझी, गंगाराम और महेश शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि विवेक पर एक करोड़ रुपए, अरविंद यादव पर 25 लाख रुपए और साहेबराम मांझी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हिंसा के विभिन्न मामलों में उनके खिलाफ मामले दर्ज थे। केंद्रीय समिति माओवादी संगठन की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। इस मुठभेड़ में किसी सुरक्षाकर्मी के घायल होने की खबर नहीं है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता ने कहा कि इस मुठभेड़ के साथ ही उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र में माओवादी दस्तों का सफाया हो गया है। पूरे राज्य से माओवादियों का लगभग सफाया हो चुका है। वे केवल चाईबासा क्षेत्र में बचे हैं। हम सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और झारखंड सशस्त्र पुलिस सहित अपने सभी बलों को सारंडा क्षेत्र में स्थानांतरित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य अगले 15 से 20 दिन में या निश्चित रूप से बरसात के मौसम से पहले क्षेत्र के सभी माओवादी दस्तों को खत्म करना है। हम चाईबासा के माओवादियों से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की अपील करते हैं। आत्मसमर्पण को लेकर उनके लिए एक अच्छी नीति है। कोबरा सीआरपीएफ की विशेष इकाई है जो जंगलों में युद्ध संबंधी रणनीति में दक्षता के लिए जानी जाती है। यह अभियान मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की केंद्र सरकार की घोषणा के तहत चलाया गया।

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नयी दिल्ली में नार्थ ब्लाक स्थित उनके कार्यालय में संभवतः मुलाकात करेंगे तथा इस दौरान राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों और संबंधित विषयों की व्यापक समीक्षा किए जाने की संभावना है। इस साल, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में 140 से अधिक माओवादी मारे गए हैं।

'दस से 12 वर्षों तक सालाना 80 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी'

के 'स्कूल आफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स' में भारतीय आर्थिक नीतियों पर आयोजित शिखर सम्मेलन में कहा कि हमारा दृष्टिकोण 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करना है। भारत के आकार के अलावा सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगले 10-20 वर्षों तक बाहरी वातावरण उतना अनुकूल नहीं रहने वाला है, जितना 1990 के बाद पिछले 30 वर्षों में रहा होगा।

मगर, इस संदर्भ में यह तो तय है कि आप एक सीमा से आगे अपना बाह्य वातावरण नहीं चुन सकते, हमें कम से कम अगले 10 से 12 वर्षों तक प्रति वर्ष 80 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी और जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाना होगा। साथ ही इस बात पर भी गौर करना होगा कि पड़ोसी देश चीन ने विनिर्माण में, खासकर कोविड महामारी के बाद जबरदस्त प्रभुत्व हासिल कर लिया है। नागेश्वरन ने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआइ), प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका सामना आज के कुछ विकसित देशों को अपनी आर्थिक वृद्धि यात्रा में नहीं करना पड़ रहा है। मगर, भारत को अपने आकार के हिसाब से इस जटिल चुनौती से निपटना होगा। शुरुआती स्तर की नौकरियों को खत्म करने में कृत्रिम मेधा की बड़ी भूमिका हो सकती है, या कम आइटी-सक्षम सेवाओं वाली नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।

उन्होंने कहा कि आबादी को कृत्रिम मेधा के प्रभुत्व वाली दुनिया के लिए तैयार करना एक बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करना दूसरी बात है कि हम श्रम-केंद्रित नीतियों और प्रौद्योगिकी के बीच सही संतुलन पा सकें। क्योंकि, आखिरकार प्रौद्योगिकी केवल विशेषज्ञों द्वारा चुने जाने वाला विकल्प नहीं है। इसे सार्वजनिक नीति निर्माताओं द्वारा बनाया जाना चाहिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जो देश विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी ताकत बन गए, वे व्यवहार्य लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के बिना ऐसा नहीं कर पाए। ऐसे में हमें या तो निवेश दरों को मौजूदा स्तर से बढ़ाना होगा या फिर यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा निवेशों से अधिकतम संभव लाभ प्राप्त कर हो सके।

प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः बी/17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल के पीछे, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई, 400070

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) सरफेसी अधिनियम के नियम 8(1) और नियमों को देखें

जबकि, निम्न हस्ताक्षरकर्ता, **प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** का अधिकृत अधिकारी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम),मुंबई–400070 में है और शाखा कार्यालय 7–ई, 5वीं मंजिल, डीआरआई बिल्डिंग, स्वामी रामतीर्थ नगर, रानी झांसी रोड, झंडेवालान एक्सटेंशन, मध्य दिल्ली–110055 द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **12 फरवरी, 2025** को डिमांड नोटिस जारी किया गया, जिसमें उधारकर्ता श्रीमती बंसल **(मैसर्स इंडिया मेटल कॉर्प)** और सह–उधारकर्ता मनु बंसल को नोटिस में उल्लिखित राशि **07.02.2025** तक बकाया राशि **रु. 85,76,206/– (पचास लाख छिहत्तर हजार दो सौ छह रुपये मात्र)** को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा **17 अप्रैल, 2025** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार करने पर **07.02.2025** तक बकाया राशि **रु.85,76,206/– (पचास लाख छिहत्तर हजार दो सौ छह रुपये मात्र)** और उस पर ब्याज, सभी लागत और शुल्क की राशि प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः

खसरा नंबर 1828/400, 22 मिन. में से, श्री राम नगर की आबादी में चंद्रावली गांव उर्फ शाहदरा , इलाका शाहदरा, नई दिल्ली 110032 में स्थित संपत्ति नं. 1/286 का वह समस्त टुकड़ा और अंश जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग गज यानी 50.16 वर्ग मीटर है।

हस्ता./–
स्थानः नई दिल्ली — अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
दिनांकः 17.04.2025 — प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय– इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
शाखा कार्यालय – नं. एन/17, प्रथम तल, विजया भवन, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001

परिशिष्ट IV [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8 (1) देखें]
कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा एस13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18–12–2024 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में उल्लिखित उधारकर्ताओं गीतांजलि कक्कड़, गीतांजलि कक्कड़ (स्वर्गीय प्रहलाद कुमार के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत में) और एन वी टेक सोलर सॉल्यूशंस से 30,87,763/– रुपये (तीस लाख सत्तासी हजार सात सौ तिरसठ रुपये मात्र) का डिमांड नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आह्वान किया गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, 19 अप्रैल 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा रु. 30,87,763/– (रुपये तीस लाख सत्तासी हजार सात सौ तिरसठ मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरणः

वह सारा टुकड़ा और पार्सल बिना छतध्टेरेस अधिकारों के प्रथम तल, निर्मित प्लॉट के सामने की ओर भाग की ओर जिसका नंबर डब्लुजेड–6 और – डब्लुजेड 6इ क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, यानी 62.71 वर्ग मीटर, लगभग, खसरा नंबर 78/9/1 में से, गांव हस्तसाल के क्षेत्र में स्थित है, और कॉलोनी जिसे ओम विहार, फेज–।।।, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110059 के नाम से जाना जाता है, जिसमें लिफ्ट का सामान्य उपयोग और स्टिल्ट फ्लोर पर एक छोटी हैचबैक कार पार्किंग की जगह है, और, इस प्रकार घिरा हुआ हैः पूर्वः सड़क पश्चिमः इमारत का हिस्सा उत्तरः अन्य की संपत्ति दक्षिणः इमारत का हिस्सा।

दिनांकः 19.04..2025 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली — आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बिक्री सूचना
दृष्टि इंडिया लिमिटेड (परिसमापन में)

सीआईएन : U74899DL1994PLC060496
पंजीकृत पताः सी–161, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत ई–नीलामी बिक्री सूचना

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता), और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि मेसर्स दृष्टि इंडिया लिमिटेड (परिसमापन में) ("कॉर्पोरेट देनदार") को "भारतीय दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 32 (सी) के अनुसार, ब्लॉक–ए में या कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति को "भारतीय दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 32 (ई) के अनुसार ब्लॉक–बी में "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है" और "बिना" संसाधन आधार"पर ई–नीलामी मंच के माध्यम से "गोइंग कंसर्न " के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को ष्सामूहिक रूप से परिसंपत्तियों के एक सेटष् विक्रय का प्रस्ताव किया जा रहा है। निस्तारण के लिए उक्त प्रस्ताव परिसमापक, कॉर्पोरेट देनदार या हितधारकों द्वारा किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व, वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित इकाई/परिसंपत्तियों की बोली ऑनलाइन ई–नीलामी सेवा प्रदाता **BAANKNET** (पूर्व में eBKray) वेबसाइट **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home** के माध्यम से लगाई जाएगी।

अपेक्षित प्रपत्र, शपथ पत्र, घोषणा आदि जमा करना	22.04.2025 से 21.05.2025 तक
साइट विजिट/निरीक्षण तिथि	22.04.2025 से 21.05.2025 तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	21.05.2025 को सायं 05.00 बजे तक।
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	ब्लॉक एः दिनांकः 23.05.2025, समयः सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक (5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
	ब्लॉक बी : दिनांकः 23.05.2025, समयः सुबह 11:00 बजे से दोपहर 03:00 तक (5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

ब्लॉक ए

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(सी) के अनुसार ई–नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों का निम्नलिखित ब्लॉकः

क्र सं.	लॉट का विवरण	आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में)	ईएमडी (भारतीय रुपये में)
1.	**परिसंपत्तियों का संग्रहणः** **ए :** हरियाणा के फरीदाबाद जिले के लक्कड़पुर में स्थित खेवट नंबर 289, खोती नंबर 329 वाली लगभग 10 एकड़ भूमि, जो आवंटन संख्या एमसीएफ, एसटीपी, 94, 543 दिनांक 28.10.1994 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के नाम पर पंजीकृत है। **बी :** एक कार जगुआर एक्सएफ/3.0 जिसका पंजीकरण नंबर CH01AQ8866 है।	61,78,67,100/– **वृद्धिशील बोलीः** रु.50,50,000 (पचास लाख रुपए) या इसके गुणज।	617,86,710/–

या
ब्लॉक बी

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(ई) के अनुसार ई–नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों का निम्नलिखित ब्लॉक :

क्र सं.	ब्लॉक का विवरण	आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में)	ईएमडी (भारतीय रुपये में)
1.	कॉर्पोरेट देनदार एक चालू चिंता के रूप में, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के लक्कड़पुर में स्थित खेवट नंबर 289, खोती नंबर 329 वाली लगभग 10 एकड़ भूमि है, जो आवंटन संख्या एमसीएफ, एसटीपी, 94, 543 दिनांक 28.10.1994 के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार के नाम पर पंजीकृत है और एक कार जगुआर एक्सएफ/3.0 जिसका पंजीकरण नंबर CH01AQ8866 है। कॉर्पोरेट देनदार की पुस्तकों में प्रदर्शित अन्य सभी परिसंपत्तियाँ।	**49,42,93,680/– वृद्धिशील बोली :** रु.50,00,000 (पचास लाख रुपए)या इसके गुणज।	**4,94,29,368/-**

महत्वपूर्ण सूचना

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या–7055/2023 में दिनांक 06.11.2023 के अपने आदेश के माध्यम से माना कि "नीलामी और आगे की कार्यवाही वर्तमान अपील के परिणाम के अधीन हैं"। इसलिए, यह ई–नीलामी प्रक्रिया और परिणाम सिविल अपील संख्या–7055/2023 के निपटान के अधीन होंगे।
- कॉरपोरेट देनदार की भूमि जिसका संक्षिप्त वर्णन एस. नं. 1 (ब्लॉक ए) परिसंपत्तियाँ 1 में किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क की गई है। बोलीदाताओं को इसके संदर्भ में स्वयं उचित परिश्रम करना चाहिए। इसके अलावा, लगभग 3.2 एकड़ भूमि वर्तमान में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम,1900 के तहत वन अधिसूचना के अंतर्गत है।
- इसके अलावा,वर्तमान भूमि उपयोग के अनुसार उक्त भूमि पर केवल हाई–टेक स्टूडियो/फिल्म स्टूडियो का निर्माण किया जा सकता है।
- ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की परिसंपत्ति संख्या (बी) में संक्षेप में वर्णित वाहन चंडीगढ़ आरटीओ के तहत पंजीकृत है, जिसकी आरसी जारी करने की तारीख 24.12.2012 है और इसे सेक्टर 50, गुरुग्राम में रखा गया है।

इच्छुक आवेदक ई–नीलामी बोली आवेदन पत्र, घोषणा और वचन, अन्य प्रपत्र, परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में नियम और शर्तों के विवरण वाले पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज का संदर्भ ले सकते हैं। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए आवश्यक विस्तृत दस्तावेज और सभी लागू नियम और शर्तें संभावित बोलीदाताओं द्वारा **liq.drishti@resurgentrp.com** पर ईमेल लिखकर या श्री अजीम तारिक खान से 91–7566661818 पर संपर्क करके प्राप्त की जा सकती हैं। परिसमापक किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार या रद्द करने या ई–नीलामी की किसी भी शर्त को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बढ़ाने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, साइट विजिट के दौरान (अपने स्वयं के खर्च पर) परिसंपत्तियों के शीर्षक और रखरखाव शुल्क, यदि कोई हो, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और अपने स्वयं के खर्च पर परिसंपत्तियों का निरीक्षण करना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए। बोलीदाता भाग ए के तहत परिसंपत्तियों के किसी एक या अधिक ब्लॉकों के लिए और/या भाग बी के तहत कॉर्पोरेट देनदार के लिए एक साथ बोलियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

अत्यंत महत्वपूर्ण

सभी इच्छुक पक्षों को यह सूचित किया जाता है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी परिसंपत्तियों की ई–नीलामी एक साथ की जाएगी (जैसा कि ऊपर बताया गया है, समयसीमा के अधीन) और परिसमापक (एससीसी की सलाह पर कार्य करते हुए), संहिता और परिसमापन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, सफल बोलीदाता की घोषणा करने का एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार होगा। विवरण के लिए कृपया ई–नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज देखें।

हस्ता./
प्रियंका चौहान
परिसमापक, दृष्टि इंडिया लिमिटेड के मामले में
रजि. क्र.: IBBI/IPA-001/IP-P-02348/2020-2021/13447
एएफए नं.–एए1/13447/02/300625/106848
एएफए वैधः 30.06.2025 तक
ईमेलः– liq.drishti@resurgentrp.com
पत्राचार के लिए परियोजना–विशिष्ट पताः
सी/ओ रिसर्जेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी
905, 9वीं मंजिल, टॉवर–सी, यूनिटेक बिजनेस जोन,
सेक्टर 50, गुरुग्राम, हरियाणा–122018
ईमेलः liq.drishti@resurgentrp.com
दिनांकः 22/04/2025 — मोबाइलः91 9674050101, +91 7566661818
स्थानः दिल्ली — (श्री सुनील गुप्ता और श्री अजीम तारिक खान)

Unity Small Finance Bank Limited

कॉर्पोरेट कार्यालयः सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कालाइन, सांताक्रूज (ई) मुंबई – 400 098

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) नियम 8(1) देखें

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांकों को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटरों से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों में नोटिस में उल्लिखित राशि वापस करने का आह्वान किया गया था। निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **17–04–2025** को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इसके द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जो नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए है। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटरों के नाम और ऋण खाता संख्या	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि
1. शंकर झा (उधारकर्ता) 2. ज्योति झा (सह–उधारकर्ता) ऋण खाता संख्याः – **CFSLDELLOAN000005001932** और **USFBDELLOAN000005012542**, प्रतीकात्मक कब्जे की तारीखः 17/04/2025	डिमांड नोटिस की तिथि : 06–01–2025 रुपये 16,76,160.31/– (रुपये सोलह लाख छिहत्तर हजार एक सौ साठ और पैसे इकतीस मात्र) 03/01/2025 तक लागू ब्याज और अन्य शुल्क सहित।

गिरवी रखी गई/सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल हाउस नंबर 362, वाका मौजा बल्लभगढ़, भगत सिंह कॉलोनी, तहसील बल्लभगढ़, हरियाणा (क्षेत्रफल 50 वर्ग गज) (जिसे आगे "उक्त संपत्ति" कहा जाएगा) सीमाओं से घिरा हुआ है (बंधक दस्तावेज के अनुसार): पूर्वः बैजनाथ का घर पश्चिमः डालचंद का घर उत्तरः रास्ता 15 फीट दक्षिणः अन्य का प्लॉट।

दिनांकः 22/04/2025. स्थानः दिल्ली एनसीआर — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी– यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 302, तृतीय तल, सवॉय चैंबर्स, दत्तात्रेय रोड और वी.पी. रोड (एक्सटे.), सांताक्रुज पश्चिम, मुंबई– 400054,
सीआईएन : U74999MH2017PLC297819, वेबसाइट : www.easyhfc.com | ईमेल : contact@easyhomefinance.in,
टोल फ्री : 1800 22 3279 | दूरभाष : +91 22 3550 3442 | दूरभाष : +91 22 3521 0487

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं/गारंटरों द्वारा ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तिथियों पर बकाया शेष राशि के साथ एनपीए बन गए हैं, हमने पहले ही वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित विस्तृत डिमांड नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी पावती आपको देय है, जो बिना वितरित किए वापस आ गई है / पावती प्राप्त नहीं हुई है। हमने 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने में आपकी विफलता के मामले में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने का इरादा व्यक्त किया है। यदि आप ऊपर बताए गए अनुसार दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो बैंक/सुरक्षित ऋणदाता सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है और सरफेसी अधिनियम के तहत आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक या अन्य तरीके से कब्जे की सूचना या नीलामी नोटिस प्रकाशित करते समय बैंक/सुरक्षित ऋणदाता आपकी तस्वीर भी प्रकाशित कर सकता है। विवरण नीचे दिए गए हैं :–

क्र. सं.	शाखा/ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटरों के नाम और एनपीए की तिथि	मांग सूचना तिथि तथा बकाया राशि	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण :
1.	दिल्ली (रोहिणी)/ HE00005412	1. महताब अहमद (आवेदक) 2. सायरा बानो (सह–आवेदक) एनपीए : 07 अप्रैल, 2025	मांग सूचना तिथि 09 अप्रैल 2025; बकाया राशि रु. 7,48,037/–	निम्न संपत्ति पता धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश : 65/1, एनए, एनए, एनए, राजनगर कॉलोनी, 820, लोनी, होली चौक, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201102, **सीमाओं का विवरण : बिक्री विलेख के अनुसार :** पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : सड़क 14 फीट चौड़ी।

उपर्युक्त उधारकर्ताओं / गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे (1) अधिक और पूर्ण विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता से मूल सूचना प्राप्त करें और (2) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए ऊपर उल्लिखित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया शेष राशि का ब्याज और लागतों आदि के साथ भुगतान करें।

दिनाँक : 22–04–2025, स्थान : गाजियाबाद — हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड

SATYA MicroHousing Finance Private Ltd

पंजीकृत कार्यालय : 519, 5वाँ तल, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज– 1, नई दिल्ली– 110020
निगमित कार्यालय : 7वाँ तल, प्राइअस हाईट्स, सेक्टर 125, नोएडा– 201303

माँग सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमएचएफपीएल) से लाभ उठाने वाले निम्नलिखित उधारकर्ता/गण एसएमएचएफपीएल को अपने ऋण की समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवासन बैंक द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ता(ओं) ने एसएमएचएफपीएल को अचल संपत्ति / संपत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई है, जिसके विवरण यहां निम्नानुसार प्रस्तुत तालिका में दिये गये हैं। ऋण के विवरण और उधारकर्ता/ओं द्वारा एसएमएचएफपीएल हेतु आज तक बकाया और देय राशियां भी यहां निम्नानुसार प्रस्तुत तालिका में दी गई हैं। उधारकर्ता(ओं) के साथ–साथ जनसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता(गण) इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के अंदर निम्न तालिका में अपने नामों के सम्मुख दर्शाई गई बकाया राशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्ति/संपत्तियों का अधिग्रहण करने और उसे / उन्हें बेचने की शक्ति भी सम्मिलित है। सर्वसाधारण को सलाह दी जाती है कि वे यहाँ नीचे विवरणित संपत्ति / संपत्तियों का लेन–देन न करें।

क्र सं	उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम / ऋण खाता सं. / शाखा	माँग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) (अचल संपत्ति/यों) का विवरण
1	**HLNHFLND20002540 / शाखा : नोएडा 2** 1. पुष्पा 2.मनोज सोलंकी **पता 1 : गांव दनकौर, तुलसी नगर, दनकौर पी.ओ. बुलन्दशहर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश भारत 203201 पता 2 : चक नं. 584, गाटा सं. 622/2, 623, 624, 627, कस्बा दनकौर, परगना दनकौर, तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश भारत 203201**	17-04-2025 & ₹ 1315736/-	निम्न संपत्तिगत पता धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश :– जो चक संख्या 584, गाटा संख्या 622/2, 623,624, 627, कस्बा दनकोर, परगना दनकोर, तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश भारत 203201 में स्थित है, सीमाएं:– उत्तरः सड़क 12 फीट चौड़ी, दक्षिणः अन्य संपत्ति, पूर्वः रमेश का प्लॉट, पश्चिमः अन्य संपत्ति

स्थान : नोएडा — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
दिनाँक : 22–04–2025 — सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life
निगमित कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 एवं सी55, 4, थिरू वि का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600032, तमिलनाडु

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (प्रतिभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना(यें) निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता सकारण मानते हैं कि उधारकर्ता(गण) मांग सूचनायें प्राप्त करने के दायित्व की अनदेखी कर रहे हैं, अतएव सूचना उन्हें प्राप्त हो तथा वे उस में वर्णित आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति करें इस उद्देश्यार्थ सूचना को नियमावली के अनुसार स्थान–स्थान पर चिपकाया जा रहा है तथा उसका प्रकाशन किया जा रहा है। मांग सूचना(ओं) की विषयवस्तु का यहां निम्न तालिका में सार प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	उधारकर्ता/ओं तथा सह–उधारकर्ता/ओं के नाम तथा पते	ऋण राशि	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि	संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण
1.	**ऋण खाता संख्या : HL25MAT000093964 और HL31MAT000159219** 1. श्री/श्रीमती रूपेंद्र छत्रपाल 2. श्री/श्रीमती ज्योति चंदन 3. श्री/श्रीमती ज्योति रूपेंद्र **सभी यहां के निवासी :–** नगला हरगोविंद पदरारी मथुरा, तालाबों के पास, मथुरा, उत्तर प्रदेश – 281204, **इसके अलावा अन्य पता :–** बलदेव–राया रोड मौजा नगला भीमा तहसील मांट मथुरा उत्तर प्रदेश– 281204	लैन : HL25MAT000093964 हेतु राशि रू. 20,50,000/- और लैन : HL31MAT000159219 हेतु राशि रू. 9,50,000/-	16–04–2025 रु. 31,51,127/– (रुपये इकतीस लाख इक्यावन हजार एक सौ सत्ताईस मात्र) 11–04–2025 के अनुसार	खसरा नं. 231, मौजा– नगला भीमा, बलदेव राया रोड, तहसील– मांट, जिला–मथुरा, उत्तर प्रदेश–281204 पर स्थित वाणिज्यिक दुकान और आवासीय मकान के समस्त वह भाग तथा अंश। साइट विजिट के अनुसार **सीमाएंः– पूर्व–** राया–बलदेव रोड, **पश्चिम–** अन्य का खेत, **उत्तर–** धरनपाल सिंह का प्लॉट, **दक्षिण–** भिक्की का प्लॉट

उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक के खर्चों के साथ करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा ली गई ऋण सुविधा उधारकर्ता(ओं) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति(ओं) के कारण अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता(ओं) निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित करना या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का आह्वान करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता./–
स्थान : मथुरा, उत्तर प्रदेश — प्राधिकृत अधिकारी
दिनाँक : 16-04-2025 — कृते चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मांग सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएफएलएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनायें निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में "दायित्वधारकों अर्थात् ऑब्लिगर्स" के रूप में संदर्भित) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मांग सूचना / ओं में अंकित बकाया धनराशियों का, संबंधित सूचना / ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथा जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त दायित्वधारक(गण) / विधिक उत्तराधिकारी(गण) / विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे ऐसा करने के इच्छुक हैं, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रति / यां प्राप्त कर लें।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, अपने संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें नीचे उल्लिखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, निम्न स्तंभ में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ, आईएफएलएचएफएल को भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा आईएफएलएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधककृत किया गया है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.) निम्न तिथि* के अनुसार	मांग सूचना की तिथि एवं एनपीए तिथि	प्रतिभूत परिसंपत्तियों/ अचल संपत्तियों/ बंधककृत संपत्तियों का विवरण
LNDEL 00119- 200000 665	श्री अरविंद कुमार सिंह, श्रीमती श्यामली सिंह, श्री विकास गुप्ता	रु. 25,86,626/– 14.04.2025 के अनुसार	मांग सूचना की तिथि 14.04.2025 एनपीए तिथि 15.03.2025	भूखण्ड सं.– 60, संपूर्ण तृतीय तल छताधिकारों के साथ, पॉकेट– 6, सेक्टर– 21, रोहिणी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली– 110063 भारत

टिप्पणी : इन समस्त प्रकरणों में संबंधित संपत्ति निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व– स्वामित्व विलेख के अनुसार, उत्तर– स्वामित्व विलेख के अनुसार, दक्षिण– स्वामित्व विलेख के अनुसार।

*संबंधित मांग सूचनाओं में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार आईएफएलएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो आईएफएलएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी।

उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे आईएफएलएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति–अनुमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) / अचल सम्पत्ति(यों) का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जाएगा।

कृते आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली / राराक्षे — **संपर्क पता :** डी–16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर
दिनाँक : 21–04–2025 — प्रशाँत विहार, सेक्टर– 14, रोहिणी, नई दिल्ली– 110085

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई–400025. ईमेलः– hfquery@motilaloswal.com. सीआईएन नंबरः– U65923MH2013PLC248741

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति/यों के लिए) (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (औपचारिक रूप से एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांक को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था।

निम्नलिखित उधारकर्ता राशि वापस करने में असफल रहे हैं, इसलिए, निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	ऋण अनुबंध संख्या/उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम	मांग की तिथि, नोटिस और बकाया राशि	कब्जे की तिथि लिया गया	अचल संपत्ति का विवरण संपत्ति का यह हिस्सा जिसमें स्थित है
1	LXALW00618-190071357 और LXMOHOF920-210560702 उधारकर्ताः – रमेश चंद शर्मा सह–उधारकर्ताः – सुमन। देवी	06–01–2025 के लिए रु. 8,18,835/–	17–04–2025	पट्टा संख्या –054 ग्राम पंचायत–हमीरपुर पंचायत समिति–बानसूर जिला–अलवर 054 0 0 ग्राम पंचायत भवन के पास 301402 बानसूर अलवर राजस्थान।
2	LXMOJAIP5423-240724333 उधारकर्ताः – शैतान सिंह नाथावत सह–उधारकर्ताः – प्रेम कंवर	06–01–2025 के लिए रु. 12,66,169/–	17–04–2025	प्लॉट नंबर 31, सिसा नंबर 49/345 स्थित 5183, 5186,5189, 51191,5192,5198 माप 185.78 वर्ग गज, तेजाजी विहार कस्बा काला तहसील सांगानेर 0 0 जयपुर 303007 जयपुर राजस्थान।
3	LXMOKAITHAL5522-230657624 उधारकर्ताः– दीपक कृष्ण सह–उधारकर्ताः – इंदी कृष्ण	10–02–2025 के लिए रु. 7,95,287/–	19–04–2025	संपत्ति का खेवा और खाता नंबर 163/303 खतौ 1 गैरमुमकिन आबादी क्षेत्रफल 134.44 वर्ग गज म्यूटेशन नंबर 2663 भाना ब्राह्मणान तहसील नरवाना 0 0 निकटवर्ती बाबा भालू राम मंदिर 126116 जिंद हरियाणा।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जो कि ऊपर उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स्थान : राजस्थान और हरियाणा — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 22.04.2025 — मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

punjab national bank ...Together for the better

सर्कल शास्त्र केंद्र, शाहिल निवास कल्याण भवन सोलन के पास, जिला सोलन (हि.प्र.) 173212

कब्जा सूचना

चूंकि, **पंजाब नैशनल बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहां नीचे वर्णित नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ पूर्ण भुगतान और अन्य व्यय की अदायगी के लिए कर्जदारों/गारंटरों/रेहनकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए उनके नाम के अंतर्गत धारा 13(2) के अधीन डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदारों द्वारा वर्णित राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदारों व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित संपत्तियों का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है।

कर्जदारों को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर कथित सम्पत्तियों के साथ लेन–देन करने के प्रति एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन यहां वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **पंजाब नैशनल बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।

कर्जदारों/गारंटरों के नाम	संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि	बकाया राशि
श्री राजिंदर कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर (उधारकर्ता) एचआईजी प्लॉट संख्या 30, हिमुडा कॉलोनी, फेज–2, सपरून, सोलन, तहसील और जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) 173211। **श्री अनिल बब्बर पुत्र श्री जुगल किशोर** ड्रीम होम्स 379, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन 1, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उप्र) 201005। **श्रीमती अन्नू अग्रवाल** पत्नी श्री राजिंदर कुमार द्वितीय तल फ्रंट साइड फ्लैट, प्लॉट संख्या एनके 1/911 पर निर्मित, नीति खंड 1, इंद्रपुरम, तहसील और जिला गाजियाबाद (उप्र) 201014 में स्थित। **श्रीमती चारु गोगना** पत्नी श्री अनिल बब्बर ए–10 विवेक विहार, दिल्ली 110095	संपत्ति द्वितीय तल, फ्रंट साइड फ्लैट, प्लॉट संख्या एनके 1/911, नीति खंड– 1, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद– उत्तर प्रदेश में स्थित है।	25.01.2025	19.04.2025	27/11/2024 तक 1,47,03,525.16 रुपये (एक करोड़ सैंतालीस लाख तीन हजार पांच सौ पच्चीस रुपए और पैसे सोलह मात्र)

दिनांक : 22.04.2025, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी

HDB FINANCIAL SERVICES — सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत मोचन सूचना

From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009
शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड.ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खातों में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार कंपनी के बकाए की वसूली हेतु "जैसा है जहाँ है" तथा "जो है यही है" के आधार पर विक्रय करने का अधिकार रखते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

1. कर्जदार/रों तथा जमानती/यों का नाम एवं पता 2. से कुल बकाया + ब्याज	संपत्ति का विवरण	सूचना का विवरण
मेसर्स ओम एंटरप्राइजेज दर्शना देवी टेलर, कृष्ण गोपाल टेलर, कृष्ण गोपाल टेलर, कृष्ण गोपाल टेलर, दर्शना देवी टेलर सभी पता–16 तारानगर ई वार्ड नंबर 9 तहसील जयपुर जयपुर–302001 **इसके अलावाः** 16 तारा नगर–ई खिरानी फाटक जोतवाड़ा जयपुर–302012, 16 तारा नगर ई वार्ड नंबर 09 तहसील जयपुर जयपुर–302012 **ऋण खाता संख्या** 2193375,3963366 एवं 1243296 रु. 3589836.81 **(शब्दों में रुपये पैंतीस लाख नवासी हजार आठ सौ छत्तीस तथा इक्यासी पैसे मात्र)** 18.6.2021 तक तथा वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि सहित;	प्लॉट नंबर ई–16, तारा नगर ई, जोतवाड़ा जयपुर राजस्थान 302001 वाली संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 138.75 वर्ग गज,	**माँग सूचना तिथि** 18-06-2021 **सांकेतिक कब्जा सूचना तिथि** 15-09-2021 **भौतिक कब्जे की तिथि** 14.02.2025
1. अभिषेक पी अचलपुरकर लोटस जी 14, मंगलम आनंद, सांगानेर के सामने, रेलवे स्टेशन, हज्यमाला, सांगानेर, जयपुर, जयपुर 302029 राजस्थान **2. आशा प्रकाश रांधे** लोटस जी14, मंगलम आनंद, सांगानेर के सामने, रेलवे स्टेशन, हज्यमाला, सांगानेर, जयपुर, जयपुर 302029 राजस्थान **3. आशा प्रकाश रांधे बी–77 गायत्री नगर–बी महारानी फार्म दुगार्पुरा जयपुर राजस्थान–302018 ऋण खाता संख्या** 14310274 और 9540711 **रु. 4178582.10/– (रुपए इकतालीस लाख अठहत्तर हजार पांच सौ बयासी तथा दस पैसे मात्र)** 28–07–2023 तक वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि सहित।	मंगलम आनंदा में भूतल पर यूनिट नंबर–जी–14 वाली संपत्ति का समस्त भाग, खसरा नंबर–187, 187/789, 188, 188/790 पर स्थित है। 189 से 191,191/ 791,192 से 206, 200 से 219, 221 से 224, 379 से 383, ग्राम हाज्यावाला, तहसील – सांगानेर, जयपुर, राजस्थान–302029, क्षेत्रफल 1327.01 वर्ग फीट। पूर्व–रोड 30 फीट, पश्चिम–रोड 30 फीट, उत्तर–फ्लैट नं. जी–13 दक्षिण–फ्लैट नं. जी–15.	**माँग सूचना तिथि** 28-07-2023 **सांकेतिक कब्जा सूचना तिथि** 18-10-2023 **भौतिक कब्जे की तिथि** 04-04-2025

शीर्षक विषय वस्तु के संदर्भ में, हम आपको सूचित करते हैं कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार होने के नाते, तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदत्त विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उक्त मांग सूचना निर्गत की है, जिसमें आपसे उक्त मांग सूचना में विशेष रूप से उल्लिखित बकाया राशि को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित चुकाने का आह्वान किया गया है। हम बताते हैं कि 28–07–2023 (सेवा तिथि) को मांग सूचना प्राप्त होने और/या मांग सूचना की तामील के बावजूद आप बकाया राशि का भुगतान करने और/या उक्त सूचना में निहित मांगों का अनुपालन करने में विफल रहे हैं एवं उसकी उपेक्षा की है। हम बताते हैं कि इसके बाद दिनांक 04–04–2025 को प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम जयपुर द्वारा पारित दिनांक 08–01–2024 के आदेश की अनुपालना में उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। हम बताते हैं कि प्रतिभूत ऋणदाता ने उक्त प्रतिभूत संपत्ति का मूल्यांकन प्राप्त कर लिया है और इसके द्वारा उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि के माध्यम से उक्त प्रतिभूत संपत्ति के निपटान के लिए आगे कदम उठाने का उद्देश्य रखते हैं।

यह सूचना आपको सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार मोचन के अधिकार हेतु प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुपालन में दिया जा रहा है, जो इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा और आपको इसके द्वारा सूचित एवं अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त अचल संपत्ति ई–नीलामी या निजी संधि के माध्यम से बेची जाएगी। इन परिस्थितियों में, हम आपसे संयुक्त रूप से और अलग–अलग, बकाया राशि के साथ–साथ संपत्ति का कब्जा लेते समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उठाए गए सभी लागतों, प्रभारों एवं व्ययों या उस पर हुए किसी भी आकस्मिक व्यय का भुगतान बिक्री सूचना के प्रकाशन की तिथि को या उससे पहले करने का आह्वान करते हैं अन्यथा वित्तीय संस्थान को नियुक्त तिथि को बंधक संपत्ति बेचने के लिए बाध्य किया जाएगा, जिसे कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें कि यदि आप इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों की पूर्वोक्त वैधानिक अवधि के भीतर कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं या उपेक्षा करते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी के पास उपरोक्त ऋण सुविधा के संबंध में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बकाया देय राशि को वसूलने के लिए उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति को बेचने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

यह सूचना हमारे वित्तीय संस्थान के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना आपको जारी किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः जयपुर, तिथिः 22.04.2025 — एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

युरोटास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – परिसमापनाधीन

U74900TG2008PTC060157

ई–नीलामी बिक्री सूचना

परिसमापक ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो है जहां है'', ''जो कुछ भी है आधार'' और ''कोई रिकॉर्स नहीं'' आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से गोइंग कन्सर्न आधार पर यूरोटस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड–परिसमापन (''ईआईएल''/''कॉर्पोरेट देनदार'') या सामूहिक आधार पर कॉर्पोरेट देनदार की चल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित कर रहा है।

ईआईएल के पास एडिशनल सिन्नर इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, ग्राम मुसलगांव, तालुका सिन्नर, जिला नासिक, महाराष्ट्र में एक निर्माणाधीन सीमेंट विनिर्माण संयंत्र है और कॉर्पोरेट देनदार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. एडिशनल सिन्नर इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, मुसलगांव, सिन्नर, नासिक, महाराष्ट्र में 36.37 हेक्टेयर उप–पट्टा भूखंड।
2. 1.6 एमएमटीपीए क्षमता (4.95 एमएमटीपीए तक विस्तार योग्य) की निर्माणाधीन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, जिसका 80–85 प्रतिशत पूरा होने का अनुमान है।
3. नई दिल्ली में किराए के कार्यालय में कार्यालय उपकरण और फर्नीचर एवं फिक्स्चर।

ई–नीलामी के बारे में महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:

रु.

ब्लॉक	परिसंपत्ति विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर जमा राशि
ब्लॉक ए	युरोटास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड–परिसमापनाधीन की गोइंग कन्सर्न आधार पर बिक्री	91,25,00,000	9,12,50,000
ब्लॉक बी	प्लांट साइट और नई दिल्ली में कार्यालय में स्थित कॉर्पोरेट देनदार की सभी चल परिसंपत्तियां	56,95,00,000	5,69,50,000

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	ऑक्शन पोर्टल खुलने की तिथि	22 अप्रैल, 2025
2.	यथोचित उध्यम और साइट विजिट की अंतिम तिथि	21 मई, 2025
3.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	23 मई, 2025
4.	ई–नीलामी तिथि एवं समय	26 मई, 2025 2.00 बजे से 3.00 बजे तक
5.	ई–ऑक्शन पोर्टल की वेबसाइट	https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home

संभावित बोलीदाताओं को एक वचनपत्र (प्रक्रिया ज्ञापन में संलग्न प्रारूप) प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (''कोड'') की धारा 29ए के तहत लागू सीमा तक किसी भी अपात्रता से नहीं जुड़ें हैं और यदि किसी भी स्तर पर अपात्र पाए जाते हैं तो जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए +91 88285 76197 पर कॉल करें या cirp.eurotas@gmail.com पर ईमेल करें।

कृते युरोटास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – परिसमापनाधीन
हुजेफा फाखरी सितबखान, परिसमापक
IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115
तिथि: 22 अप्रैल, 2025 — एसाइनमेंट के लिए अधिकृत 30 जून 2026 तक वैध
स्थान: मुंबई — huzefa.sitabkhan@gmail.com, cirp.eurotas@gmail.com

खबर कोना

रुपया 25 पैसे बढ़त के साथ 85.13 प्रति डालर पर

मुंबई, 21 अप्रैल (भाषा)।

डालर इंडेक्स में तेज गिरावट और घरेलू शेयर बाजार में उछाल के बीच सोमवार को रुपए में लगातार पांचवें सत्र में तेजी जारी रही और यह 25 पैसे की बढ़त के साथ 85.13 प्रति डालर (अस्थायी) पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि डालर इंडेक्स 99 अंक के स्तर से नीचे टूटता हुआ अपने तीन साल के सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा, विदेशी कोषों का निवेश प्रवाह बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी रुपए को फायदा पहुंचाया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 85.15 पर खुला और डालर के मुकाबले दिन के उच्चतम स्तर 85.03 और निम्नतम स्तर 85.19 के बीच घूमने के बाद कारोबार के अंत में 85.13 प्रति डालर (अस्थायी) पर बंद हुआ।

बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मार्च में सुस्त पड़कर 3.8 फीसद पर

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा)।

आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मार्च में सुस्त पड़कर 3.8 फीसद रही है। एक साल पहले इसी महीने में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 6.3 फीसद बढ़ा था। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मासिक आधार पर इन उद्योगों की वृद्धि दर फरवरी में 3.4 फीसद के मुकाबले थोड़ी अधिक है। मार्च में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट आई।

कृषि वैज्ञानिक ने डीएआरई सचिव, आइसीएआर महानिदेशक का पद संभाला

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा)।

कृषि वैज्ञानिक मांगी लाल जाट ने सोमवार को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। जाट ने हिमांशु पाठक का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। जाट के पास कृषि विज्ञान, जलवायु-अनुकूल खेती और संरक्षित कृषि में 25 साल से अधिक का अनुभव है।

'भारत, अमेरिका के बीच अक्तूबर तक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद'

सैन फ्रांसिस्को, 21 अप्रैल (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि अमेरिका की नई सरकार के साथ भारत सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि दोनों देशों के बीच इस साल सितंबर-अक्तूबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। उन्होंने यहां भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत में कहा कि हम उन देशों में शामिल हैं, जो अमेरिका की नई सरकार के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। इस साल की शुरूआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई थी। अमेरिका के जवाबी शुल्क लगाने की आशंका के बीच यह बातचीत हो रही है।

'एंड्राइड टीवी' मामला : गूगल ने सीसीआइ के साथ 20 करोड़ रुपए में निपटारा किया

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा)।

गूगल ने एंड्राइड टीवी खंड में कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित एक मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के साथ समझौता किया है। प्रौद्योगिकी कंपनी ने इस संबंध में नियामक को 20.24 करोड़ रुपये की निपटान राशि का भुगतान किया है। यह संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत निपटाया गया पहला मामला है। इसके तहत 2023 में निपटान और प्रतिबद्धता से जुड़े प्रावधान लाए गए थे। शिकायत मिलने के बाद, सीसीआइ ने 2021 में विस्तृत जांच का आदेश दिया था। बाद में गूगल ने मामले को निपटाने का प्रस्ताव रखा और सीसीआइ ने इस पर विचार करते हुए कहा कि 'न्यू इंडिया एग्रीमेंट' के तहत गूगल भारत में एंड्राइड स्मार्ट टीवी के लिए प्ले स्टोर और प्ले सेवाओं के लिए एक एकल लाइसेंस देगा।

शेयर बाजार में पांच दिन तक लगातार तेजी

निवेशकों की संपत्ति 32 लाख करोड़ रुपए बढ़ी

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा)।

शेयर बाजार में पिछले पांच दिन कारोबारी सत्रों से जारी तेजी से सोमवार तक निवेशकों की संपत्ति 32 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है।

इस दौरान विदेशी कोषों की लिवाली और व्यापक तेजी से कारोबारी भावनाएं मजबूत हुईं। सोमवार को 30 शेयरों वाली प्रमुख शेयर सूचकांक 855.30 अंक या 1.09 फीसद उछलकर 79,408.50 पर बंद हुआ। पिछले पांच दिन में सूचकांक 5,561.35 अंक या 7.53 फीसद बढ़ा है।

इन पांच कारोबारी दिनों में बीएसई सूचकांक पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 32,03,295.8 करोड़ रुपए बढ़कर 4,25,85,629.02 करोड़ रुपए (5,000 अरब अमेरिकी डालर) हो गया। लेमन मार्केट्स डेस्क के विश्लेषक सतीश चंद्र अलूरी ने कहा कि बाजार में तेज शुरूआत हुई और पूरे दिन बढ़त जारी रही। सप्ताहांत में बैंकों की मजबूत आय ने कारोबारी धारणा को मजबूत किया। इसे सकारात्मक घरेलू संकेतों का लाभ भी मिला। उन्होंने कहा कि कंपनियों के तिमाही नतीजों को लेकर उत्साह है, क्योंकि दिग्गज बैंकों ने सकारात्मक टिप्पणियों के साथ काफी बेहतर नतीजे पेश किए हैं।

सरकार 15 मई से हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करेगी : मंत्रालय

मुंबई, 21 अप्रैल (भाषा)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार 15 मई से बेरोजगारी के आंकड़े तिमाही आधार पर जारी करने के बजाय मासिक आधार पर जारी करना शुरू करेगी।

उन्होंने कहा कि 15 मई को जारी होने वाले आंकड़ों में जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़े शामिल होंगे और उसके बाद हर महीने के आंकड़े जारी किए जाएंगे। पहले तीन महीनों के लिए हम 15 मई को आंकड़े जारी करेंगे। यह पहली बार है जब हम ऐसा कर रहे हैं। अभी तक शहरी बेरोजगारी के आंकड़े तिमाही आधार पर जारी किए जाते रहे हैं और ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी के संयुक्त आंकड़े सालाना आधार पर दिए जाते हैं। आंकड़ा संग्रह सांख्यिकीय रूप से मजबूत और सही स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार दिशानिर्देश का अनुपालन करेगी और निजी पूंजीगत व्यय के आंकड़े अप्रैल के अंत तक जारी करेगी। साथ ही अगले वर्ष से उद्यमों के सर्वेक्षण के निष्कर्ष भी जारी किए जाएंगे। सरकार असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को तिमाही आधार पर लाने के लिए भी काम कर रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फरवरी में 16 लाख नए सदस्य जोड़े

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा)।

सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने फरवरी में कुल 16.10 लाख नए सदस्य जोड़े। आंकड़ों के अनुसार, यह आंकड़ा पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 3.99 फीसद अधिक है।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फरवरी, 2025 में लगभग 7.39 लाख नए सदस्य बनाए। मंत्रालय ने कहा कि नए सदस्यों की संख्या में वृद्धि रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभ के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के सफल जागरूकता कार्यक्रमों के कारण है। उल्लेखनीय है कि नए सदस्यों में 18-25 आयु वर्ग का प्रभुत्व है। फरवरी, 2025 में जोड़े गए नए सदस्यों में उनकी हिस्सेदारी 4.27 लाख या 57.71 फीसद है। संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले ज्यादातर व्यक्ति युवा हैं। इसके अलावा, फरवरी, 2025 में 18-25 आयु वर्ग के कुल सदस्यों की संख्या में लगभग 6.78 लाख की वृद्धि हुई।

बैंकों को आरबीआइ की अनुमति

दस साल से अधिक के बच्चे खोल सकेंगे खाता

मुंबई, 21 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने सोमवार को बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी।

केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआइ ने वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को जारी एक परिपत्र में कहा कि किसी भी आयु के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें अपनी मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

परिपत्र में कहा गया, 'कम-से-कम दस वर्ष की आयु सीमा और उससे ऊपर के नाबालिगों को उनकी इच्छा पर स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को ध्यान में रखते हुए राशि और शर्त तय कर सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी किए हैं।

असम में बकरी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

डिब्रूगढ़, 21 अप्रैल (भाषा)।

असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोकुल चाय बागान में सोमवार को भीड़ ने बकरी चोरी को लेकर एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी।

इस घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि दोनों लोग सुबह एक दोपहिया वाहन से चाय बागान के हातिगढ़ बोकपारा डिवीजन में आए थे और बाद में स्थानीय लोगों ने उन्हें कथित तौर पर बकरियां चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया।

स्थानीय लोगों ने गुस्से में दोपहिया वाहन को भी आग के हवाले कर दिया।

इसके बाद भीड़ ने दोनों व्यक्तियों पर हमला किया जिससे एक की मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद जिला आयुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित शीर्ष अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

वाहनों की रफ्तार को फास्टैग से जोड़ने और गति पर अंकुश की मांग संबंधी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर स्पीड कैमरा लगने के बावजूद वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग सका है। कैमरे से पहले गति को कम कर वाहन चालक चालान से बच रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा है कि टोल प्लाजा पर वाहन के गुजरने के समय के आधार पर ई-चालान की याचिका पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि सबसे पहली शुरूआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ की जाए। प्राधिकरण को अगली नियत तिथि पर अपना शपथपत्र दाखिल करना होगा। याचिका युवा उद्यमी हेमंत जैन ने दायर की थी। जिसकी सुनवाई गु रुवार को भी हुई थी। न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा के बीच की दूरी को फास्टैग की समय की रीडिंग्स के आधार पर देखा जाए। इसका उपयोग ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी ने याचिका का विरोध किया।

इस पर अदालत ने कहा कि गति सीमा उल्लंघन के मामलों में कोई खामी या चूक नहीं रहनी चाहिए। एनएचएआई के माध्यम से इस प्रयोग पर शपथपत्र दाखिल करना चाहिए। भारत में सड़क दुर्घटनाओं से प्रति वर्ष डेढ़ लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जिनमें से 70 फीसद मौतों के लिए बेजा रफ्तार जिम्मेदार होती है।

चालक कैमरों से पहले वाहन को धीमा कर लेते हैं। फिर तेजी से भाग जाते हैं। इससे स्पीड कैमरे भी धोखा खा जाते हैं। याचिका में मांग की गई है कि फास्टैग के जरिए टोल से टोल तक वाहन की औसत गति मापी जाए और अधिकतम सीमा से अधिक रफ्तार हो तो अपने-आप चालान जारी हो। इसमें एआइ का सहारा लिया जाए। फास्टैग की व्यवस्था केंद्र सरकार के उपक्रम नेशनल हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी की ओर से की जाती है। हेमंत जैन की दूसरी याचिका पर सुनवाई की। इसमें मांग की गई कि जिला सड़क सुरक्षा समितियों की निगरानी के लिए मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाए।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा है कि टोल प्लाजा पर वाहन के गुजरने के समय के आधार पर ई-चालान की याचिका पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि सबसे पहली शुरूआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ की जाए। प्राधिकरण को अगली नियत तिथि पर अपना शपथपत्र दाखिल करना होगा।

विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष का इस्तीफा

नई दिल्ली/जिनेवा, 21 अप्रैल (भाषा)।

विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) के संस्थापक क्लास श्वाब ने तत्काल प्रभाव से न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पद छोड़ने का फैसला किया है। डब्लूईएफ ने सोमवार को यह जानकारी दी।

श्वाब जिनेवा स्थित संगठन डब्लूईएफ के पर्याय बन गए थे। वह मंच के 55 साल पहले गठन होने के समय से इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। श्वाब ने बोर्ड को सूचित किया कि अपने 88वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, मैंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। रविवार को बैठक में उनके इस्तीफे पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पीटर लेटमैथे को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया।

खरगे की रैली में कम भीड़ आने पर कांग्रेस के बक्सर प्रमुख निलंबित

पटना, 21 अप्रैल (भाषा)।

बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली में कम भीड़ आने के एक दिन बाद पार्टी ने सोमवार को अपनी बक्सर जिला इकाई के प्रमुख को कार्यक्रम के आयोजन में अनियमितताओं और समन्वय की कमी के कारण निलंबित कर दिया।

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (बीपीसीसी) के मीडिया सेल के अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने बताया कि बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है और सभी संगठनात्मक पदों से हटा दिया गया है। राठौड़ ने एक बयान में कहा, पार्टी ने पांडे को संगठन में सभी पदों से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है, जिसमें बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी शामिल है।

यह कदम रविवार को बक्सर के दलसागर स्टेडियम में आयोजित पार्टी की 'जय बापू, जय भीम, जय संविधान' रैली के संबंध में उनकी ओर से समन्वय की कमी और अनियमितताओं के कारण उठाया गया है, जिसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी ने संबोधित किया था। बताया जाता है कि बक्सर से कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी ने रैली में लोगों से आगे आने और कुर्सियों पर बैठने का अनुरोध किया किंतु वे कार्यक्रम के अंत तक खाली पड़ी रहीं। इस रैली में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित कई नेताओं ने भाग लिया।

बाजार नई दिल्ली में सोने के आभूषणों की खरीददारी करती एक महिला।

दक्षिण एशिया हिंदूकुश में हिमपात 23 साल के निचले स्तर पर

बर्फ गिरना कम हुआ, जल सुरक्षा पर संकट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

हिंदू कुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्र में इस वर्ष नवंबर और मार्च के बीच हिमाच्छादन या बर्फ का स्तर सामान्य से 23.6 फीसद कम रहा, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम है।

अंतर-सरकारी संस्था 'इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (आइसीआइएमओडी) ने सोमवार को जारी 2025 की एचकेएच 'स्नो अपडेट रपट' में यह जानकारी दी यह लगातार तीसरा साल है जब इस क्षेत्र में मौसमी हिमाच्छादन सामान्य से कम रहा। रपट में कहा गया है कि सर्दियों में जमीन पर पड़ी रहने वाली बर्फ या तो तेजी से पिघल रही है या अपेक्षित मात्रा में नहीं गिर रही है। बर्फ पिघलने से बनने वाला पानी ही नदियों का रूप लेता है। आइसीआइएमओडी महानिदेशक पेमा ग्यामत्शो ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन एचकेएच क्षेत्र में बर्फ की कमी का कारण है।

इस क्षेत्रीय हिम संकट तथा इसके कारण दीर्घकालिक खाद्य, जल और ऊर्जा के लिए उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए, हमें तत्काल विज्ञान आधारित, दूरदर्शी नीतियों की ओर एक आदर्श बदलाव को अपनाने तथा सीमापार जल प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण के लिए नए सिरे से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बर्फ पिघलने से घाटियों में वार्षिक जल प्रवाह में औसतन 23 फीसद का योगदान होता है।

हालांकि, इस वर्ष बर्फ की चादर सामान्य स्तर से 23.6 फीसद कम थी, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई। रपट के अनुसार, पिछले करीब दो दशक में गंगा घाटी में बिछी बर्फ की चादर सामान्य से 24.1 फीसद कम हो गई। ब्रह्मपुत्र घाटी में यह 27.9 फीसद कम हो गई।

मेकोंग और सालवीन नदी घाटियों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां बर्फ की चादर क्रमशः 51.9 फीसद और 48.3 फीसद कम हसे गई है। आइसीआइएमओडी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि बर्फ का स्तर इसी तरह कम होना जारी रहा तो क्षेत्र को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भूजल पर निर्भरता बढ़ जाएगी और सूखे का खतरा बढ़ जाएगा। विशेषज्ञों ने जल संकट से निपटने के लिए सरकारों से त्वरित कदम उठाने की अपील की है।

अंतर सरकारी संस्था 'इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (आइसीआइएमओडी) ने सोमवार को जारी 2025 की एचकेएच 'स्नो अपडेट रपट' में कहा कि सर्दियों में जमीन पर पड़ी रहने वाली बर्फ या तो तेजी से पिघल रही है या अपेक्षित मात्रा में नहीं गिर रही है। बर्फ पिघलने से बनने वाला पानी ही नदियों का रूप लेता है। आइसीआइएमओडी महानिदेशक पेमा ग्यामत्शो ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन एचकेएच क्षेत्र में बर्फ की कमी का कारण है।

जद (एकी) की एक स्थानीय नेता को अज्ञात लोगों ने गोली मारी

पटना, 21 अप्रैल (भाषा)।

बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कालोनी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने सत्तारूढ़ जनता दल (एकी) की एक स्थानीय नेता को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उसने बताया कि यह वारदात रविवार रात में हुई जिसके सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पटना की अनुमंडल पुलिस अधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) संगीता ने संवाददाताओं को बताया, जनता दल (एकी) की वार्ड संख्या 24 की प्रमुख सोनिया देवी को कुछ अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने उनकी दुकान के पास गोली मार दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा है। सोनिया देवी के बयान के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. DEMAND NOTICE

IndiaShelter Home Loans **Regd: Off:- 6th Floor, Plot-15, Sector-44, Institutional Area, Gurgaon, Haryana-122002**

शाखा कार्यालय–(बीपी–49, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद–121001) (एमयूनेव–112, द्वितीय तल, मैनबी मार्केट, तिलक नगर, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली–110018) (दुकान नं. 6, ऊपरी भूतल, सी.आर. मॉल, पार्क रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा 282002) (यूनिट / दुकान नं. 72, 73, प्रथम तल, टावर–सी, भीमराना सेंट्रल, प्लॉट नं. सीसी–12, औद्योगिक क्षेत्र फेज–1, भीमराना, जिला अलवर, राजस्थान– 301705) (कार्यालय नं.– 4, 5, 6, 7, प्रथम तल, श्री राम बिल्डिंग, मोजा मार्केट, सेक्टर–27, [illegible] हॉस्पिटल के पास, अट्टा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा– 201301, उत्तर प्रदेश) (नं. 18, प्रथम तल, जिला केंद्र, संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201002 उत्तर प्रदेश) (दुकान नं. एस9, प्रथम तल, ताजगत नगर, जीटी रोड, पीएनबी बैंक के बगल में, पानीपत– 132103) (143, द्वितीय तल मेन रोड के सामने, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, सिविल लाइंस, बरेली– 243001) (69, डी / डी2, सिविल लाइन, द्वितीय तल, बारा शोरूम के ऊपर, रुद्रपुर– 263153) (प्रथम तल, एससीएफ 12 मेन मार्केट, सेक्टर 14, सोनीपत– 131001) (प्रथम तल, गुरुद्वारा के सामने, पंजाब नेशनल बैंक के पास, मेन बाजार, बाजपुर रोड, काशीपुर, उत्तराखंड– 244713), द्वितीय तल, 18–ईसी रोड, यूनिवर्सल [illegible] के पास, सर्वे चौक, देहरादून– 248001) (दुकान नं. 2बी / 205 / 1 / 2 एवं खसरा नंबर 144 मिन, अपर ग्राउंड फ्लोर, लार्ड कृष्णा टावर, [illegible] रोड, [illegible] एक्सटेंशन कॉलोनी (मिशन कम्पाउंड), जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश– 247001) (बीएसएस–266, प्रथम तल, सेक्टर– 20, हुडा सेक्टर, हरियाणा– 136027)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता जिन्होंने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त किया और आईएसएफसीएल को अपने ऋण की इक्वेटेड मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में असफल रहे और यह कि नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके ऋण खाते को अनार्जनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ऋणकर्ता(ओं) ने आईएसएफसीएल के पास अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति प्राक्कलित की है जिसके विवरण यहां इसमें नीचे उल्लिखित है। ऋण तथा ऋणकर्ता / ओं द्वारा आईएसएफसीएल को यथातिथि देय बकाया व भुगतानयोग्य राशियों का विवरण भी यहां नीचे उल्लिखित है। ऋणकर्ता(ओं) तथा साथ ही जनसामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईएसएफसीएल के अधिकृत प्राधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और निम्नलिखित विवरणों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना निर्गत की है। यदि निम्नलिखित ऋणकर्ता(गण) अपने नामों के सम्मुख अंकित बकाया देयताओं का प्रतिभुगतान सूचना की तिथि के 60 (साठ) दिनों के भीतर करने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता संपत्ति का अधिग्रहण करने तथा उसकी बिक्री करने की शक्तियों सहित सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जनसामान्य को यहां इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार न करने का परामर्श दिया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर/ विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि के नाम, ऋण खाता सं.	मांग सूचना / एनपीए तिथि	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) (अचल संपत्तियों) का विवरण
1.	**श्री/श्रीमती पूजा हांडा पत्नी प्रवीण कुमार, श्री/श्रीमती प्रवीण कुमार पुत्र श्याम सुंदर,** एन 2/6 ए, गली नंबर 5 मोहन गार्डन उत्तम नगर डी के मोहन गार्डन दिल्ली 110059 HL11LILONS000005024351/ AP-10028284	11.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 रु. 1518563/– (पंद्रह लाख अठारह हजार पांच सौ तिरसठ मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	तीसरी मंजिल का पूरा हिस्सा निजी नं. 306, बिना छत/टेरेस अधिकारों के, संपत्ति नं. 3 से बाहर, क्षेत्रफल 73 वर्ग गज, खसरा नं. 656 से बाहर, गांव नवादा, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 के लाल डोरा की पुरानी आबादी में स्थित है। सीमा:– पूर्व–प्रवेश, पश्चिम– गली, उत्तर–, फ्लैट 307, दक्षिण–फ्लैट 305
2.	**श्री/श्रीमती जसविंदर सिंह पुत्र सतिंदर पाल सिंह, श्री/श्रीमती सतिंदर पाल सिंह पुत्र अजीत सिंह, श्री/श्रीमती सिमरन कौर पुत्री सतिंदर पाल सिंह, LA11CLLONS 000005035754/AP-10070342**	11.04.2025 10.04.2025	11.4.2025 रु. 2238173/– (बाईस लाख अड़तीस हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.4.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पूरी दूसरी मंजिल का पूरा हिस्सा इसकी छत/टेरेस अधिकारों के साथ, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, संपत्ति नं. एम–36 पर निर्मित, प्लॉट नं. 36 का हिस्सा, खसरा नं. 56 से बाहर, न्यू महावीर नगर, गली नं. 5, ब्लॉक एम, गांव नांगली जालब का क्षेत्र, दिल्ली राज्य, नई दिल्ली–10018 सीमा:– पूर्व–अन्य, पश्चिम–प्रवेश, उत्तर–अन्य, दक्षिण–मुरब्बा संख्या 37,
3.	**श्री/श्रीमती विरमा देवी पत्नी रुस्तम सिंह, श्री/श्रीमती हरि शंकर पुत्र रुस्तम सिंह, रायपुरा रोड धरपुरा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश– 283203 HL28CHLONS000005038389/AP-10082625**	11.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 रु. 1074691/– (रुपये दस लाख चौहत्तर हजार छह सौ इक्यानबे मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	गाटा संख्या 29 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 30.3875 मौजा सेलई मौसूमा मोहल्ला सिटी धरपुरा, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश सीमा:– पूर्व– रास्ता 12 फीट, पश्चिम–ओम प्रकाश का मकान, उत्तर–मुकेश कुमार का मकान, दक्षिण–संतोष कुमार का मकान,
4.	**श्री/श्रीमती सुनीता देवी पुत्री मदु राम श्री/श्रीमती जोगिंदर सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण, श्री/श्रीमती लक्ष्मीनारायण पुत्र बुधराम, अकबरपुर नांगल 69 नांगल चौधरी हरियाणा** 123023LA11CLLONS0000050 39147/AP-10078521	11.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 रु. 1318386/– (रुपये तेरह लाख अठारह हजार तीन सौ छियासीमात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	खस. संख्या 63 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, ख. नंबर 73, किला नंबर 11/10/1(4–8), 12/4 /2 (0–12), 5(8–0), 6/1(4–)12/ 23/ 2(3–13), 14/12/2(1–17),16//6/3(2–0) 27//13/2(2 0) , 18 (8–0), 162(1–0), 163(1–0), 165/3(3–12) 182(0–11),213/2(0–11), किला 14 तदादी रकबा 41 कनाल 4 मरला माप 366 वर्ग गज गांव अकबरपुर सिरोही तहसील नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ हरियाणा 123023 सीमा:– पूर्व–15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम– श्री बलबीर का घर, उत्तर–श्री सुदेश का घर, दक्षिण–श्री श्रीचंद का घर
5.	**श्री/श्रीमती कविता पुत्र धर्मेन्द्र, श्री/श्रीमती बॉबी पुत्र धर्मेन्द्र, श्री/श्रीमती धर्मेन्द्र पुत्र निहाल सिंह, श्री/श्रीमती निहाल सिंह पुत्र सुखराम,** मकान नं. 45 वार्ड नंबर 1 कंवरका 133 पलवल हरियाणा हरियाणा 121105 121105 हरियाणा LA11VLLONS000005068352/AP-10161779	11.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 रु. 1077169/– (रुपये दस लाख सतहत्तर हजार एक सौ उनहत्तर मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तारीख तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति का पूरा हिस्सा यूनिक आईडी 63851 WOM O512TOR0082A है, जिसका क्षेत्रफल 236 वर्ग गज या 199.31 वर्ग मीटर है, लाल डोरा की आबादी में स्थित है ग्राम कंवरका, तहसील हसनपुर, जिला पलवल सीमा:– पूर्व–नरेश की संपत्ति, पश्चिम–सड़क 17 फीट, उत्तर–यशपाल पुत्र भगवान सिंह, दक्षिण–तेजराम पुत्र देवी सहाय
6.	**श्री/श्रीमती विजय सिंह पुत्र प्रताप सिंह, श्री/श्रीमती रमा बाली पुत्र अशोक बाली, श्री/श्रीमती हिना बाली पुत्र विजय सिंह,** ए–31 गाजीपुर गाँव गाजीपुर पूर्वी दिल्ली दिल्ली 110096HLGZCHLONS000005072353/AP-10169597	11.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 रु. 2250184/– (रुपये बाईस लाख पचास हजार एक सौ चौरासी मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तारीख तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति संख्या 1:– मकान संख्या–पप/269 का पूरा हिस्सा क्षेत्रफल 24.45 वर्ग मीटर ग्राउंड फ्लोर न्याय खंड 2 इंद्रपुरम गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201014 सीमा:– पूर्व–एच.नं. 270, पश्चिम–रास्ता 12 फीट, उत्तर–अन्य संपत्ति, दक्षिण– दक्षिण–एच.नं.–272, संपत्ति संख्या 2:– मकान संख्या 2/270 का पूरा टुकड़ा और पार्सल ईडब्ल्यूएस क्षेत्र 24.65 वर्ग मीटर ग्राउंड फ्लोर न्याय खंड 2 इंद्रपुरम गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201014 सीमा:– पूर्व–एच.नं. 277, पश्चिम रास्ता 12 फीट, उत्तर:– खुली जगह, दक्षिण:–एच.नं.–271
7.	**श्री/श्रीमती कविता पुत्र सुनील कुमार, श्री/श्रीमती सुनील कुमार पुत्र जगवता,** दवना डिडौली गाजियाबाद मोदीनगर उत्तर प्रदेश 201206 LAGZVLLONS000005077478/AP-10186456	11.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 रु. 1822604/– (अठारह लाख बाईस हजार छह सौ चार रुपये मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	खसरा संख्या 634 का पूरा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्र 50.32 वर्ग गज यानी 42.07 वर्ग मीटर मोहल्ला इंद्र पुरी नवाब विहार में स्थित मोदी नगरगांव सिरप्री खुर्द परगना जलालाबादतहसील मोदी नगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201206 सीमा:– पूर्व–रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिम– अन्य व्यक्ति का प्लॉट, उत्तर–अन्य व्यक्ति का प्लॉट, दक्षिण–प्लाट कृष्ण पाल
8.	श्री/श्रीमती लक्ष्मी वर्मा पत्नी सुमित वर्मा, श्री/श्रीमती सुमित वर्मा पुत्र स्वर्गीय राजेश वर्मा, श्री/श्रीमती निक्की वर्मा पुत्र स्वर्गीय राजेश वर्मा, श्री/श्रीमती कांति देवी पुत्र स्वर्गीय राजेश वर्मा, पता : मकान नं. ई1ए गली नं 6 भरमपुरी गढ़ी मेंडू उत्तरी दिल्ली 110053, इसके अलावा, संपत्ति संख्या ई–1/ए खसरा नंबर 1आदि/43गांव गोंडा चौहान बांगर आबादी गली नंबर 6 ब्रह्मपुरी शाहदरा दिल्ली 110053 HL11CHLONS000005045345 और LA11CLLONS000005048706/AP-10096692, एवं AP-10101279	11.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 रु. 1371648.024/– (तेरह लाख इकहत्तर हजार छह सौ अड़तालीस और दो पैसे) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति संख्या ई–1/ए खसरा संख्या 1ईटीसी/43 का पूरा हिस्सा क्षेत्रफल 50 वर्ग गज गांव गोंडा चौहान बांगर आबादी गली संख्या 6 ब्रह्मपुरी शाहदरा दिल्ली 110053 सीमा– पूर्व गली 15 फीट चौड़ी पश्चिम: करण सिंह की संपत्ति उत्तर: गली 15 फीट चौड़ी दक्षिण: भगवत शर्मा की संपत्ति
9.	**श्री/श्रीमती राजेश पत्नी सुंदर सिंह, श्री/श्रीमती सुंदर सिंह पुत्र हेम चंद,** भुआपुर भुआपुर 102 तिगांव फरीदाबाद हरियाणा–121101 LA11CLLONS000005046675 और LA11VLLONS000005081460/AP-10095728 एवं AP-10194168	11.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 रु. 1517212.15/– (पंद्रह लाख सत्रह हजार दो सौ बारह रुपये और पंद्रह पैसे) 10.04.2025 तक देय 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत सहित	खेवट संख्या–24 खतौनी का पूरा हिस्सा नं–45 मी नं–10 किला नं–3(8–0),8(8–0),18/1(6–0),19/1(5– 7),24/2(4–16) मी नं–18 किला नं– 19(8–0),20/1(5–0),22(7–9) मी नं–27 किला नं–3/1(5–7) खतौनी नं 46 एमएनओ 10 किला नं. 18/2(–0) एमयू नं 18, 23(7–14) क्षेत्रफल 350 वर्ग गज वाका मोजा भुआपुर तहसील तिगांव फरीदाबाद हरियाणा – 121101 सीमा:– पूर्व–रोड 30 फीट मेन रोड, पश्चिम– महावीर की संपत्ति, उत्तर–सुंदर की संपत्ति, दक्षिण–रोड 10 फीट
10.	**श्री/श्रीमती प्रियंका पत्नी बल्लू, श्री/श्रीमती बल्लू पुत्र ढोला,** जागसी जागसी 23 सोनीपत हरियाणा– 131301 LA11VLLONS000005092314/AP-10219101	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 1142561/– (ग्यारह लाख बयालीस हजार पांच सौ इकसठ रुपये मात्र) 10.04.2025 तक देय 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत सहित	खेवट नं. 1644 मिन खाता का पूरा टुकड़ा और पार्सल नं 1787 मिन खसरा नं. 497 रकबा 0 कनाल 8 मरले यानी 242 वर्ग गज मोजा जागसी तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा 131301, सीमा:– पूर्व–गली:– पश्चिम–धर्म का घर उत्तर–तेलू या सुरेश का घर दक्षिण–साला का घर
11.	**श्री/श्रीमती शाहीन बी पत्नी अशरफ हुसैन श्री/श्रीमती अशरफ हुसैन पुत्र शफकत हुसैन, श्री/श्रीमती राशिद हुसैन पुत्र शफकत हुसैन,** 521 सूफी टोला कोने वाला लखा बरेली उत्तर प्रदेश 243001 LA11CLLONS000005004557/AP-0934373	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 786207/– (रुपये सात लाख छियासी हजार दो सौ सात मात्र) 10.04.2025 तक देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	मकान नं. 521 का पूरा हिस्सा, एरिया 55.18 वर्ग मीटर, मो.सूफी टोला बरेली उत्तर प्रदेश 243001 सीमा:– पूर्व–मजार शरीफ रफीक शाह मियां, पश्चिम–इकबाल खान का घर, उत्तर–अमजद खान का घर, दक्षिण– सड़क 12' चौड़ी
12.	**श्री/श्रीमती राजीव रंजन पुत्र लक्ष्मी रावत, श्री/श्रीमती अंकिता सिंह पत्नी राजीव रंजन, श्री/श्रीमती रविन कुमार पुत्र लक्ष्मी रावत,** हाउस नंबर–7 गली नंबर–5 सिंह कॉलोनी के पास पावर जिम रुद्रपुर यू.एस नगर उत्तराखंड 263153 HL26CHLONS000005006091/AP-10006835	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 919021/– (रुपये नौ लाख उन्नीस हजार इक्कीस मात्र) 10.04.2025 तक देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	खेत/खसरा नं. 2/1 मिन, क्षेत्रफल–41.82 वर्ग मीटर, जगतपुरा, रुद्रपुर यू. एस. नगर उत्तराखंड 263153 सीमा:– पूर्व– निजी प्लॉट संख्या 27 ए, पश्चिम– 6.09 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर– सचिन कुमार की जमीन, दक्षिण– शर्मा जी का मकान
13.	**श्री/श्रीमती सावित्री पत्नी जगदीश चंदर, श्री/श्रीमती जोगिंदर सिंह पुत्र जगदीश चंदर, श्री/श्रीमती तिलक राज पुत्र जगदीश चंदर,** संपत्ति वजीरपुरा, वजीरपुरा रोड, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा 131301 में स्थित है, LA11CLLONS000005057770/AP-1013026	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 621276/– (रुपये छह लाख इक्कीस हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	खेवट संख्या 255/2मिन का पूरा हिस्सा खाता संख्या 276/2, किला संख्या 195//3, 1/101 ताड़ी का हिस्सा 5 कनाल 1 मरला रकबा बकदार 0–3 मरले और किला संख्या 182//23/2 2/99 ताड़ी रकबा बकदार का हिस्सा 0–3 मरले कुल रकबा 0–5 मरले यानी 150 वर्ग गज वाकिया मौजा गोहाना, वजीरपुरा, नगर निगम गोहाना जिला सोनीपत, हरियाणा के बाहर सीमा:– पूर्व–स्ट्रीट पश्चिम–प्लॉट ऑफ आदर्श, उत्तर–स्ट्रीट, दक्षिण–प्लॉट अन्य का।
14.	**श्री/श्रीमती भूमिका शर्मा पुत्री दिनेश कुमार शर्मा, श्री/श्रीमती आदित्य कुमार दीक्षित पुत्र प्रवेश कुमार दीक्षित, श्री/श्रीमती प्रवेश कुमार दीक्षित पुत्र जमुना दत्ता दीक्षित,** गली नंबर 2 शांति विहार कॉलोनी मोबाइल के पास टावर रुद्रपुर यूएस नगर यूके 263153 LAKSVLLONS000005062909/AP-10141726	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 1746245/– (सत्रह लाख छियालीस हजार दो सौ पैंतालीस मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	मोहल्ला मंडी किशनदास सराय उर्फ सिकरा का पूरा हिस्सा सराय के पास शिव मंदिर शहर: संभल आवासीय घर का पूरा हिस्सा 86.60 वर्ग मीटर, खुला क्षेत्र 340.80 वर्ग मीटर, मंडी किशनदास सराय, संभल तहसील और जिला–संभल, उत्तर प्रदेश में स्थित है प्लॉट नंबर 1 की सीमा: पूर्व सड़क गली, पश्चिम : मनोज का घर, उत्तर: नरेश का घर और राजेश, कामेश की जमीन, दक्षिण: प्लॉट नंबर 2 की सड़क सीमाएं: पूर्व सड़क, पश्चिम: मनोज का घर, उत्तर: सड़क, दक्षिण: कामेश का घर
15.	**श्री/श्रीमती सीमा देवी पत्नी विनोद कुमार, श्री/श्रीमती विनोद कुमार पुत्र ज्योति प्रसाद,** वार्ड नंबर 1 शिमला बहादुर शिव मंदिर फुलसुंगा रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड 263153 HL26CHLONS000005074630/AP-10179796	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 1460163/– (रुपये चौदह लाख साठ हजार एक सौ तिरेसठ मात्र) 10.04.2025 तक देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	मकान का पूरा टुकड़ा खाता संख्या 00066 खेत संख्या 104 मिन, गांव फुलसुंगा तह. रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड, सीमा पूर्व–नाला, पश्चिम–विक्रेता की संपत्ति, उत्तर–वीना और गीता का घर, दक्षिण–4.87 मीटर चौड़ी सड़क,
16.	श्री/श्रीमती सुमन पत्नी विजय सिंह, श्री/श्रीमती विजय सिंह पुत्र दलीप सिंह, मकान नंबर 971/6, राम गोपाल कॉलोनी, ताऊ नगर, रोहतक हरियाणा 124001 LA11VLLONS000005076273/AP-10179987	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 3030388/– (रुपये तीस लाख तीस हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	खेवट संख्या 3269 खतौनी संख्या 3625 किला संख्या 165 का पूरा टुकड़ा //21/3 मौजा बोहर तहसील और जिला रोहतक हरियाणा सीमा– पूर्व–20 फीट मेजर कल्याण सिंह की जमीन, पश्चिम–20 फीट रास्ता 20 फीट, उत्तर–45 फीट दूसरों का घर, दक्षिण–45 फीट एरियर का घर दक्षिण की ओर
17.	श्री/श्रीमती हेमलता पत्नी विजेंदर सिंह, श्री/श्रीमती मोहित पुत्र विजेन्द्र सिंह, श्री/श्रीमती रोहित छिकारा पुत्र विजेंदर सिंह, श्री/श्रीमती विजेंदर सिंह, मकान नंबर 944 /31 मलिक कॉलोनी सोनीपत सोनीपत हरियाणा 131001 LA11VLLONS000005081234/AP-10190187	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 2198877/– (रुपये इक्कीस लाख अट्ठानबे हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	मकान का पूरा टुकड़ा एम.सी. संपत्ति आईडी नंबर 1jaymfp2, 117 वर्ग गज यानी 4 मरला जो 1/40 हिस्सा है संपत्ति 8 कनाल जिसमें खेवट नंबर 818, खाता नंबर 944, आयत और किला नंबर 19//16(8–0) शामिल है, गढ़ी ब्राह्मणान, तहसील और जिला सोनीपत की राजस्व संपदा में मलिक कॉलोनी, सोनीपत की आबादी में स्थित है जो एम.सी. की सीमा के भीतर है सोनीपत, सीमा:– पूर्व–अन्य का प्लॉट, पश्चिम–सड़क उत्तर–सुनील का प्लॉट, दक्षिण–अन्य का प्लॉट
18.	**श्री/श्रीमती प्रवीणा जोशी पत्नी विदेश जोशी, श्री/श्रीमती विदेश जोशी पुत्र रति राम,** अस्ताव पीओ कोटी चकराता कोटी बनदाड़ देहरादून देहरादून उत्तराखंड 248196 LA24VLLONS000005080473/AP-10194788	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 1412695/– (रुपये चौदह लाख बारह हजार छह सौ पिचानबे मात्र) 10.04.2025 तक देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	आबादी भूमि का पूरा टुकड़ा खाता संख्या 02072 खसरा संख्या 93 के क्षेत्रफल 112.53 वर्ग मीटर मौजा जीवनगढ़ परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून उत्तराखंड सीमा:– पूर्व–पानी गुल और मंदिर, पश्चिम–संजय का मकान, उत्तर–सड़क 15' चौड़ी, दक्षिण–जाफर की भूमि
19.	श्री/श्रीमती कमलेश पुत्र कृष्ण चंदर, श्री/श्रीमती प्रवीण पुत्र कृष्ण चंदर, श्री/श्रीमती कृष्णा पुत्र नयाल सिंह, राखी खास 76, राखी खास शाहपुर हिसार हरियाणा–125039 HLHSRNLONS000005083110/AP-10193300	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 845391/– (रुपये आठ लाख पैंतालीस हजार तीन सौ इक्यानबे मात्र) 10.04.2025 तक देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	खेवट संख्या–87//86 का पूरा टुकड़ा, खतौनी संख्या–136, खसरा संख्या–507 (1–0) रकबा 250 वर्ग गज नया खेवट संख्या 102/87, खतौनी नं.140, वाका मोजा राखीखास, उप–तहसील–खेरी जालब और जिला हिसार, हरियाणा सीमा– पूर्व–76 फीट । रमेश का घर, पश्चिम–76 फीट । नवीन का घर, उत्तर–12 फीट रास्ता । 32.3 फीट, दक्षिण–27 फीट रास्ता । 32.3 फीट।
20.	**श्री/श्रीमती रूमा राठौड़ पत्नी विपिन कुमार, श्री/श्रीमती विपिन कुमार पुत्र जसबीर सिंह,** मकान नं. 682 आर्य सेकेंड गेट के पास सरसावा सरसावा देहात सहारनपुर 247232 उत्तर प्रदेश LASHCLLONS000005087610/AP-10205197	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 909212/– (रुपये नौ लाख नौ हजार दो सौ बारह मात्र) 10.04.2025 तक देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	फ्रीहोल्ड कमर्शियल शॉप का पूरा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्र 10.87 वर्ग मीटर गांव–सलेमपुर, परगना सुल्तानपुर तहसील और जिला– सहारनपुर उत्तर प्रदेश सीमा:– पूर्व–कश्मीरी लाल का खेत, पश्चिम–सलेमपुर रोड उत्तर– खाली प्लॉट बनारसी धोबी, दक्षिण– राजकुमार और अन्य व्यक्ति का प्लॉट
21.	**श्री/श्रीमती सविता रानी पत्नी प्रवीण कुमार, श्री/श्रीमती प्रवीण कुमार पुत्र रामधन,** निकट शिव मंदिर किवाना 78 पानीपत हरियाणा 132101 HL11CHLONS000005092100/AP-10216514	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 881305/– (रुपये आठ लाख इक्यासी हजार तीन सौ पांच मात्र) 10.04.2025 तक देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पूरा टुकड़ा और पार्सल घर जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (69 फीट x 26 फीट) है यानी 06 मरला 06 सरसई 07 कनाल 16 मरला में से 5/117 हिस्सा है जो खेवट संख्या 1038 खतौनी संख्या 1119 रेक्ट नंबर 45 किला नंबर में शामिल है। 25/2(7 –16), वर्ष 2019–2020 के लिए वीडियो जमाबंदी विली किवाना तहसील समालखा जिला, पानीपत में स्थित है, सीमा :– पूर्व– सड़क, पश्चिम– ईश्वर की संपत्ति, उत्तर– कृष्ण का घर, दक्षिण– भोलाराम की संपत्ति।
22.	**श्री/श्रीमती बेला पत्नी रामचंदे, श्री/श्रीमती विमल पुत्र रामचंदर,** 138 भट्ठी टोला बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश उत्तरांचल **HLKSCHLONS000005093305/AP-10220647**	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 1413359/– (रुपये चौदह लाख तेरह हजार तीन सौ उनसठ रुपए मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	खसरा संख्या 641 वाले घर का पूरा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्रफल 91871 वर्ग मीटर न्यूनतम गांव बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश सीमा:– पूर्व–अन्य का प्लॉट, पश्चिम–देवीदास का घर, उत्तर–12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण–गंगा देवी का घर
23.	**श्री/श्रीमती अमरवती पत्नी महावीर, श्री/श्रीमती अमित पुत्र महावीर, श्री/श्रीमती मनदीप पुत्र महावीर,** र263/20 सुंदर नगर दमकोरा रोड टोहाना ग्रामीण 96 फतेहाबाद हरियाणा– 125120 **LAKTVLLONS000005104273/AP-10239842**	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रुपए 1005466/– (दस लाख पांच हजार चार सौ छियासठ रुपए मात्र) 10.04.2025 को देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति संख्या 324/15 का पूरा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, गांव सुंदर नगर टोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा सीमा:– पूर्व–सुनीता रानी का घर, पश्चिम–घर, उत्तर–प्लॉट, दक्षिण–गली
24.	श्री/श्रीमती मंजू रायका पत्नी राजबीर, श्री/श्रीमती राजबीर पुत्र बागा राम, श्री/श्रीमती राहुल पुत्र बागा राम, वार्ड नं 2 देवी नगर गोहाना सोनीपत हरियाणा 131301 **LASNVLLONS000005107886/AP-10246228**	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रुपए 1115626/– (रुपये ग्यारह लाख पन्द्रह हजार छह सौ छब्बीस मात्र) दिनांक 10.04.2025 तक देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	जायदाद संख्या 02/322 का पूरा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्रफल 240 वर्ग गज वार्ड नं. 2 देवी नगर, गोहाना, गोहाना नगर निगम की सीमा के भीतर और जिला सोनीपत सीमा:– पूर्व–गली, पश्चिम– राम कुमार, उत्तर–गली, दक्षिण–गली
25.	**श्री/श्रीमती सत्यवती पत्नी धर्म पाल, श्री/श्रीमती धर्मपाल पुत्र बंधु राम,** मकान नंबर 99 कृष्णा अपेरा शिव मंदिर के पास रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड 263153 **LA26CLLONS000005008541** एवं **HL26CHLONS000005002151/AP-10016987** एवं **AP-092875**	07.04.2025 07.04.2025	07.04.2025 रु. 1655532/– (रुपये सोलह लाख पचपन हजार पांच सौ बत्तीस मात्र) दिनांक 10.04.2025 तक देय, साथ में 11.04.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	हाफ प्लाट नं. 83, खेत नं. 212 का पूरा हिस्सा, क्षेत्रफल 109.66 वर्ग मीटर खाता नं. 81 ग्राम – फुलसुंगा रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड 263153 सीमा:– पूर्व– चक रोड 3 मीटर, पश्चिम–रोड 9.14 मीटर चौड़ा, उत्तर–भगवती का प्लॉट, दक्षिण–इंदरसेन का घर।

स्थान : दिल्ली/राराक्षे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिनाँक : 22–04–2025 **(प्राधिकृत अधिकारी) कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

कोगटा फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड

Kogta FINANCIAL

CIN No. U67120RJ1996PLC011406, पंजीकृत कार्यालय : कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड गोपालबाड़ी, अजमेर पुलिया के पास, मेट्रो पिलर नंबर 143, जयपुर- 302001, राजस्थान, भारत

परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) व (9) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और (9) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड, इसके बाद कोगटा के रूप में संदर्भित, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कोगटा अर्थात प्रतिभूत ऋणदाता के बकाये राशि, आगे ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय की वसूली के लिए नीलामी के माध्यम से "जैसा है जहां है", "जो है यही है" और "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर बेचा जाएगा। आपको सूचित किया जाता है कि हम सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

खाता सं. तथा कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता/ जमानती का नाम	13(2) के तहत मांग सूचना के अनुसार तिथि एवं राशि तथा भौतिक कब्जे की तिथि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि तथा बोली वृद्धि राशि (रु. में)	नीलामी की तिथि तथा समय, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि, बोली तथा दस्तावेज जमा करने का स्थान, निरीक्षण की तिथि
0000115432/R1 सुभाष चंद्र पुत्र विजय कुमार (आवेदक) अंजू देवी पत्नी सुभाष चंद्र (सह-आवेदक) प्रेम कुमार पुत्र पृथ्वी राज (जमानतदार)	13(2) सूचना निर्गमन की तिथि 27.01.2023 रु. 20,70,474/- (रुपये बीस लाख सत्तर हजार चार सौ चौहत्तर मात्र) तिथि 27.01.2023 तक भौतिक कब्जा 10 जनवरी, 2025 को किया गया	सभी अभिन्न अंग व पार्सल आवासीय व्यवसायिक इकाई है, साथ ही वर्तमान और भविष्य में वहां निर्माण कार्य भी है, दोनों का स्वामित्व सुभाष चंद्र के पास है। और इसकी सीमा इस प्रकार है। पट्टा नं. 74, बखरावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ में स्थित है। क्षेत्रफल 2800 वर्ग फीट (311.11 वर्ग गज) पूर्व- संजय कुमार, पश्चिम- गली, उत्तर- नरेश कुमार, दक्षिण- ओम प्रकाश।	**आरक्षित मूल्य :** रु. 16,24,000/- (रुपये सोलह लाख चौबीस हजार मात्र) **ईएमडी मूल्य :** रु. 1,62,400/- (रुपये एक लाख बासठ हजार चार सौ मात्र) **बोली वृद्धि राशि :** रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)	निविदा दिनांक - 28.05.2025 **बोली जमा करने की अंतिम तिथि** 27.05.2025 को 05.00 बजे अप. तक **कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड:** पहली मंजिल महावीर मार्केट बंसल हॉस्पिटल के सामने गंगानगर रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान ई-मेल आईडी: rahul.rathore@kogta.in एवं shyam.dadhich@kogta.in निरीक्षण की तिथि 26.05.2025 (11:00 बजे से 05:00 बजे तक)
0000138794/R1 श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह (आवेदक/बंधककर्ता) श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह (सह-आवेदक) श्री विजय हंस पुत्र श्री हंसराज (जमानतदार)	13(2) सूचना निर्गमन की तिथि 11.12.2023 रु. 20,04,926/- (रुपये बीस लाख चार हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) तिथि 11.12.2023 तक भौतिक कब्जा 10 फरवरी, 2025 को किया गया	सभी अभिन्न अंग व पार्सल पट्टा नं. 1 स्थित ग्राम पंचायत हंसलिया पंचायत समिति पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ बुक नं. 70, मिसल नं. 36/2017-18, क्षेत्रफल- 3003 वर्ग फीट, श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह के स्वामित्व में है। गिरवी रखी गई संपत्ति इस प्रकार है। पूर्व- पृथ्वी सिंह, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर - सुभाष, दक्षिण - बाला सिंह।	**आरक्षित मूल्य :** रु. 12,03,560/- (रुपये बारह लाख तीन हजार पांच सौ साठ मात्र) **ईएमडी मूल्य :** रु. 1,20,365/- (रुपये एक लाख बीस हजार तीन सौ पैंसठ मात्र) **बोली वृद्धि राशि :** रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)	निविदा दिनांक - 28.05.2025 **बोली जमा करने की अंतिम तिथि** 27.05.2025 को 05.00 बजे अप. तक **कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड:** पहली मंजिल महावीर मार्केट बंसल हॉस्पिटल के सामने गंगानगर रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान ई-मेल आईडी: rahul.rathore@kogta.in एवं shyam.dadhich@kogta.in निरीक्षण की तिथि 26.05.2025 (11:00 बजे से 05:00 बजे तक)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 (6) और (9) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

नीलामी बिक्री की अन्य शर्तें: 1. संपत्तियों को "जैसा है जहां है", "जो है यही है" और "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण दिया गया है। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. सुरक्षित परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। नीलामी बिक्री निर्धारित समय पर तथा पहली मंजिल महावीर मार्केट बंसल हॉस्पिटल के सामने गंगानगर रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान में आयोजित की जाएगी। 4. बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के लिए बिक्री की इस उद्घोषणा (पीओएस) में उल्लिखित विस्तृत नियमों और शर्तों को पढ़ लें और या श्री राहुल सिंह राठौड़ मोबाइल नंबर 7742613949 और श्री श्याम दाधीच मोबाइल नंबर 8233031000 से संपर्क करें, या सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे हमारी वेबसाइट https://kogta-in/media&center/property Auction/ पर जाएं। 5. इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी 'कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से "हनुमानगढ़" में देय जमा करनी होगी। ड्राफ्ट सहकारी बैंक का नहीं होना चाहिए। 6. इसके बाद, ईएमडी जमा करने पर, बोलीदाताओं को जमा करना होगा 1. ईएमडी जमा करने का प्रमाण 2. आईडी प्रमाण, यानी पैनकार्ड, आधार कार्ड, आदि। 3. आवासीय पते का प्रमाण, 4. (ए) बोलीदाता का नाम (बी) मोबाइल नंबर/संपर्क नंबर (सी) पता (डी) ई-मेल पता (5) कुछ अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होने वाले बोलीदाताओं को बोली लगाने के लिए उचित अधिदेश भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अनुमति नहीं दी जाएगी, और इन दस्तावेजों की स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी प्राधिकृत अधिकारी को, लिफाफे में लिफाफे में ऊपर उल्लिखित शाखा के पते पर भेजें, जिस पर 'खाता - श्री सुभाष चंद व श्री जगसीर सिंह में बोली' लिखा हो, भी जमा करना होगा।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपर्युक्त राशि, साथ ही वर्तमान ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति को नीलाम/बेच दिया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

दिनांक: 16 अप्रैल, 2025 स्थान: हनुमानगढ़ (राजस्थान) **प्राधिकृत अधिकारी, कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड**

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालय–एटा

ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) जमानतकर्ता(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो केनरा बैंक के पास गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत माँग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्चे एवं अन्य व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जाएगी। सम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

ऋणी एवं गारण्टर का नाम व पता	कुल उत्तरदायित्व	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि 10%
सम्पर्क करें: केनरा बैंक, शाखा: कासगंज, (फोन नं0 8272082343) ई–मेल: cb0241@canarabank.com			
ऋणी: 1. मै0 न्यू हर्षिता रेडीमेड गार्मेंट्स प्रोपराइटर– जगमोहन कुमार, पता: मेन मार्केट मोहनपुरा कासगंज उ0प्र0– 207123, **2.** श्री जगमोहन कुमार, पता: मेन मार्केट मोहनपुरा कासगंज उ0प्र0– 207123	रू0 13,62,966/– + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक मकान भवन सम्पत्ति स्थित मौजा मोहनपुरा, परगना बिलराम, तहसील एवं जिला कासगंज, उ0प्र0–207123, एरिया: 85.93 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री जगमोहन कुमार के नाम। **चौहद्दी:** पूर्व–श्री जयपाल का मकान, पश्चिम–कश्मीरी का मकान, उत्तर–गली 10 फीट चौड़ी, दक्षिण–बच्चू सिंह का मकान।	रू0 12,92,850/- रू0 1,29,285/-
सम्पर्क करें: केनरा बैंक, शाखा: पटियाली, (फोन नं0 8272082363) ई–मेल: cb4298@canarabank.com			
ऋणी: 1. मै0 राजा एण्ड कम्पनी प्रोपराइटर– अल्ताफ हुसैन पुत्र अबद हुसैन, **2.** अल्ताफ हुसैन पुत्र अबद हुसैन दोनों का पता: मोहल्ला चौक पटियाली कासगंज, **गारंटर/बंधककर्ता:** अबद हुसैन पुत्र श्री शबिर हुसैन, पता: खाता नं0 127 प्लॉट नं0 2226 मोहल्ला मौजा पटियाली कासगंज।	रू0 14,00,629/– + ब्याज दि. 01.02.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक खाली भूमि सम्पत्ति स्थित खाता नं0 127 प्लॉट नं0 2226 मोह. मौजा पटियाली कासगंज, एरिया: 425.60 वर्ग मीटर, सम्पत्ति अबद हुसैन पुत्र शबिर हुसैन के नाम। **चौहद्दी:** पूर्व– रोड, पश्चिम–जय सिंह का प्लॉट, उत्तर–विद्या सरन का प्लॉट, दक्षिण–अंसार की सम्पत्ति।	रू0 38,30,400/- रू0 3,83,040/-
सम्पर्क करें: केनरा बैंक शाखा: गणेशपुर, (फोन नं0 8272082335) ई–मेल: cb4299@canarabank.com			
ऋणी: 1. मै0 याशू बैटरी इनवर्टर हाउस, प्रोपराइटर श्रीमती नीमा पत्नी श्री लवकुश, मो0 9720096564, **2.** श्रीमती नेमा पत्नी श्री लवकुश, मो0 9720096564, **3.** श्री लवकुश पुत्र भैया लाल, मो0 9411057667, सभी का पता: मोहल्ला गोविन्दपुरी, गंजडुंडवारा, कासगंज, उ.प्र.–207242, **गारण्टर/बंधककर्ता:** श्री राम चन्द्र खिटोलिया पुत्र श्री गिरधारी लाल खिटोलिया, मो0 9458628810, पता: एटा रोड, गंजडुंडवारा, पटियाली, कासगंज, उ0प्र0–207242	रू0 5,46,406/– + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक सम्पत्ति भूमि नं0 1708 का प्लॉट निर्मित आवासीय मकान वाइड नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा स्थित मोहल्ला गोविन्दपुरी परगना पटियाली, कासगंज, एरिया: 41.85 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्रीमती नेमा पत्नी श्री लवकुश के नाम। **चौहद्दी:** पूर्व: अशोक कुमार सक्सेना का मकान, पश्चिम: अर्जुन सिंह का मकान, उत्तर: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण: रास्ता 15 फीट चौड़ा।	रू0 12,08,300/- रू0 1,20,830/-
सम्पर्क करें: केनरा बैंक शाखा: एटा कुम्स, (फोन नं0 8272082332) ई–मेल: cb2977@canarabank.com			
ऋणी: 1. मै0 केरला एसएस स्टील वर्क, प्रोपराइटर रईस अहमद पुत्र श्री नवी हसन, मो0 9995971826, **2.** रईस अहमद पुत्र नवी हसन, मो0 9995971826, दोनों का पता: अलीगंज रोड, शीतलपुर, एटा, उ.प्र.–207001, **गारंटर/बंधककर्ता:** नन्हे बेगम पत्नी नवी हसन, पता–मकान नं0 228/13 शिवसिंह पुर किदबई नगर एटा–207001	रू0 4,88,065/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक रिहायशी भवन स्थित मकान नं0 228/13, किदबई नगर, एटा, उ0प्र0, एरिया: 35.15 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्रीमती नन्हे बेगम पत्नी श्री नवी हसन के नाम। **चौहद्दी:** पूर्व: रास्ता, पश्चिम: आसिफ की सम्पत्ति, उत्तर: नाजरीन की सम्पत्ति, दक्षिण: गली।	रू0 11,76,390/- रू0 1,17,639/-
सम्पर्क करें: केनरा बैंक शाखा: एटा–II, (फोन नं0 8272082329) ई–मेल: cb18674@canarabank.com			
ऋणी: श्री राजकुमार पाठक पुत्र स्व0 श्री रघुवीर प्रसाद पाठक, मो0: 9359650839, पता: मकान नं0 82/2 सेक्टर 7, मोहल्ला पुलिया गर्वी, एटा, उ.प्र. –207001, **गारण्टर/बंधककर्ता:** श्री अमित जैन पुत्र श्री रवि कुमार जैन, मो0: 8449393978, पता: 96, नयी बस्ती, शिकोहाबाद रोड, एटा, उ.प्र.–207001,	रू0 4,67,738/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक आवासीय मकान स्थित मकान नं0 82/2 सेक्टर–7, मोहल्ला पुलिया गर्वी, एटा–207001, एरिया: 37.43 वर्ग मी., संपत्ति श्री राजकुमार पाठक पुत्र स्व0 श्री रघुवीर प्रसाद पाठक के नाम, **चौहद्दी:** पूर्व–लक्ष्मन दास का मकान, पश्चिम–गली 6' चौड़ी, उत्तर–आनंद स्वरूप का मकान, दक्षिण–इंद्रा कुमार पाठक का मकान।	रू0 7,14,582/- रू0 71,458/-
ऋणी: श्रीमती किरन लता पत्नी श्री राजकुमार मो0 9536946587, पता: काशीराम आवास, पराग डेरी, शीतलपुर, एटा, उ0प्र0–207001, **गारंटर/बंधककर्ता:** श्री विनय कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, मो0 7599220400, पता: 162 श्रृंगार नगर, निकट बैंक कॉलोनी, एटा, उ0प्र0–207001	रू0 16,26,990/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक गाटा नं0 489, चिलासनी रोड, ग्राम चिलासनी, परगना एटा सकीट, तहसील एवं जिला एटा, उ0प्र0–207001, एरिया: 188.79 वर्ग मी0, सम्पत्ति श्रीमती किरन लता पत्नी श्री राज कुमार के नाम, **चौहद्दी**–पूर्व–मुकीर का प्लॉट, पश्चिम–30 फीट चौड़ा रोड, उत्तर–15 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण–अरविंद सक्सेना का प्लॉट।	रू0 12,06,360/- रू0 1,20,636/-
ऋणी: 1. श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, **2.** श्री अशोक कुमार पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह, दोनों का पता: 128 संजय नगर एटा उ0प्र0–207001 मो0: 9720547456, **गारंटर/बंधककर्ता:** श्री शीलेन्द्र प्रताप पुत्र श्री सीसापाल पता: मकान नं0 58, संजय नगर, एटा उ0प्र0–207001, मो0: 9837846810	रू0 19,87,905/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक रिहायशी प्लॉट स्थित मौजा बार्थर, परगना एटा सकीट, एटा–207001, एरिया: 74.40 वर्ग मी, सम्पत्ति श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री अशोक कुमार के नाम, **चौहद्दी**–पूर्व–ववीता का प्लॉट, पश्चिम–जगह मुकीर, उत्तर–जगदीश का प्लॉट, दक्षिण–20' चौड़ा रास्ता।	रू0 10,69,200/- रू0 1,06,920/-
ऋणी: श्री शीलेन्द्र प्रताप पुत्र श्री सीसापाल, मो0 9837846810, पता–मकान नं0 58 संजय नगर एटा, उ0प्र0–207001, **गारंटर/बंधककर्ता,** श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री शिशु पाल सिंह, मो0 9058079223, पता–मकान नं0 57 संजय नगर एटा, उ0प्र0–207001	रू0 15,60,924/- + ब्याज दि.01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक आवासीय मकान गाटा नं0 867 का भाग, मौजा बार्थर, परगना एटा सकीट एटा (संजय नगर), तहसील एवं जिला–एटा, एरिया–96.49 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री शीलेन्द्र प्रताप पुत्र श्री सीसापाल के नाम, **चौहद्दी**–पूर्व–ब्रजेश कुमार का प्लॉट, पश्चिम–रोड 20 फीट, उत्तर–रास्ता 23 फीट, दक्षिण–मुकीर की भूमि	रू0 36,58,500/- रू0 3,65,850/-
ऋणी: 1. श्रीमती नीलम तिवारी पत्नी श्री सचिन तिवारी, मो0 7017400186, पता–ग्राम कैलाश गंज एटा उ0प्र0–207001, **2.** श्री सचिन कुमार तिवारी पुत्र श्री योगेन्द्र तिवारी, मो0 8006666484, पता–मकान नं0 103 कैलाश गंज एटा उ0प्र0–207001, **गारंटर/बंधककर्ता,** श्रीमती प्रीती रानी पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह, मो0 8445232009, पता–ग्राम गद्दनपुर भदवास एटा उ0प्र0–207120	रू0 18,61,886/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित गाटा नं0 405, मौजा–असरौली, परगना, एटा सकीट, एटा उ0प्र0–207001, एरिया–59.29 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती नीलम तिवारी पत्नी श्री सचिन तिवारी के नाम, **चौहद्दी**–पूर्व–प्रीती रानी का मकान, पश्चिम–प्लॉट नं0 8, उत्तर–जयवीर सिंह का मकान, दक्षिण–20' चौडा रास्ता	रू0 16,38,900/- रू0 1,63,890/-

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समय: 28.04.2025, शाम 5:00 बजे तक
ई–ऑक्शन का दिनांक व समय: 29.04.2025 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
(प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ नीलामी की समाप्ति तक)

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों तथा ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, कृपया वेबसाइट http://baanknet.com/ या केनरा बैंक की बेवसाइट देखें अथवा केनरा बैंक या सेवा प्रदाता E-bkray (मै0 पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड) से (सम्पर्क नं. 7046612345, 6354910172, 8291220220, 9892219848, 8160205051) सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 22.04.2025 **प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक**

विश्व के नेताओं ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया

वेटिकन सिटी, 21 अप्रैल (एपी)।

पोप फ्रांसिस के निधन पर सोमवार को वैश्विक नेताओं ने शोक व्यक्त किया और इसे विश्व के लिए एक बड़ी क्षति बताया। इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी ने कहा कि फ्रांसिस के निधन की खबर से 'हमें अत्यंत दुख हुआ है और हम एक महान व्यक्ति को अलविदा कह रहे हैं।' पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया जो प्रथम लातिन अमेरिकी पोप थे, जिन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व, विनम्र स्वभाव तथा गरीबों के प्रति चिंता के साथ पूरी दुनिया में लोगों पर अमिट छाप छोड़ी।

फ्रांसिस फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे। युवावस्था में उनके एक फेफड़े का हिस्सा निकाल दिया गया था। उन्हें 14 फरवरी, 2025 को सांस लेने में तकलीफ के कारण जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह वहां 38 दिन रहे थे। मेलोनी ने कहा कि मुझे उनकी मित्रता, उनकी सलाह और उनकी शिक्षाएं प्राप्त करने का सौभाग्य मिला।

इतालवी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी (पोप) शिक्षा और विरासत कभी नष्ट नहीं होगी। हम पवित्र पिता को दुख भरे हृदय से विदाई देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अब वह प्रभु की छाया में हैं। आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन हैरिस ने आशा व्यक्त की कि पोप फ्रांसिस की शिक्षाएं विश्व को प्रेरित करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि न्याय, शांति और मानव गरिमा के प्रति दिवंगत पोप की प्रतिबद्धता ने विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी पोप के निधन 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'ब्यूनस आयर्स से लेकर रोम तक पोप फ्रांसिस चाहते थे कि चर्च सबसे गरीब लोगों के लिए खुशी और उम्मीद लेकर आए। इंसान आपस में और प्रकृति के साथ जुड़ें।' नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कोफ ने पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पोप 'हर तरह से जनता के व्यक्ति थे।' इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कहा कि उन्होंने यहूदियों के साथ मजबूत संबंध बनाए और अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया। फ्रांसिस ने बार-बार इजराइल के युद्ध आचरण की आलोचना की थी और कहा था कि नरसंहार के आरोपों की जांच होनी चाहिए।

साहसिक कदम उठाकर पेश की मिसाल

वेटिकन सिटी, 21 अप्रैल (भाषा)।

कैथोलिक समुदाय के पहले लातिनी अमेरिकी पादरी पोप फ्रांसिस का सोमवार को निधन हो गया।

पोप के रूप में अपने पहले अभिवादन- एक उल्लेखनीय सामान्य 'बुओनासेरा' (शुभ संध्या) से लेकर शरणार्थियों और वंचितों को गले लगाने तक, फ्रांसिस ने पोप पद के लिए एक अलग ही मिसाल पेश की थी। उन्होंने घोटाले और उदासीनता के आरोपों से घिरे कैथलिक चर्च के लिए अहंकार की तुलना में विनम्रता पर जोर दिया। साल 2013 में 13 मार्च की उस बरसात वाली रात के बाद, अर्जेंटीना में जन्मे जार्ज मारियो बर्गोग्लियो ने 2,000 साल पुरानी संस्था में नई जान डाली थी, जिसका प्रभाव पोप बेनेडिक्ट 16वें के संकटपूर्ण कार्यकाल के दौरान कम होता चला गया था और जिनके अचानक इस्तीफे के कारण फ्रांसिस को चुना गया था। लेकिन फ्रांसिस ने जल्द ही खुद के लिए मुसीबतें खड़ी कर लीं और 'एलजीबीटीक्यू प्लस' कैथलिक तक उनकी पहुंच एवं परंपरावादियों पर उनकी कार्रवाई की वजह से रुढ़िवादी लोग उनसे निराश हो गए। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा 2018 में आई जब उन्होंने चिली में पादरी यौन शोषण के एक कुख्यात मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उनके पूर्ववर्तियों के कार्यकाल में जो घोटाला हुआ था, वह उनके कार्यकाल में फिर से सामने आया। फ्रांसिस ने पूर्णबंदी में बंद वेटिकन सिटी से कोरोना वायरस महामारी के दौरान दुनियाभर में फैले धर्म का नेतृत्व करने की अभूतपूर्व क्षमता दिखाई। उन्होंने दुनिया से अपील की थी कि कोविड-19 को आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर पुनर्विचार करने के अवसर के रूप में उपयोग किया जाए। फ्रांसिस ने मार्च 2020 में खाली पड़े सेंट पीटर्स स्क्वायर में कहा था, 'हमें एहसास हो गया है कि हम एक ही नाव पर सवार हैं, हम सभी कमजोर हैं।' लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महामारी ने इस जरूरत को रेखांकित किया है कि 'हम सभी को एक साथ पार पाना होगा, हम सभी को एक-दूसरे को सांत्वना देने की जरूरत है।' फ्रांसिस को वेटिकन की नौकरशाही और वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए चुना गया था।

भारत यात्रा, जो नहीं हो सकी

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा)।

पोप फ्रांसिस के अगले साल भारत आने की संभावना थी, लेकिन सोमवार को उनके निधन के बाद उनकी यात्रा का कार्यक्रम अपूर्ण रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस से दो बार 2021 और 2024 में मुलाकात की थी तथा उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। पोप ने इसे स्वीकार कर लिया था। गत दिसंबर में वेटिकन सिटी का दौरा करने वाले केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन ने कहा कि यह बहुप्रतीक्षित यात्रा 2025 में कैथोलिक चर्च द्वारा आयोजित ईसा मसीह के जयंती वर्ष समारोह के बाद होने की उम्मीद थी।

भारत में तीन दिन का राजकीय शोक

केंद्र सरकार ने सोमवार को पोप फ्रांसिस के निधन पर उनके सम्मान में तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि 22 अप्रैल (मंगलवार) और 23 अप्रैल (बुधवार) को दो दिन का राजकीय शोक रहेगा। इसके अलावा, पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दिन एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान पूरे देश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।

मृत्युदंड व परमाणु हथियारों पर चर्च की नीति बदली

पोप फ्रांसिस ने मृत्युदंड और परमाणु हथियारों जैसे विषयों पर कैथोलिक चर्च की नीति को बदल दिया जबकि गर्भपात जैसे अन्य मामलों में इसे पूर्ववत रखा। उन्होंने मुसलमानों और उन मतावलंबियों के बीच पैठ बनाई जो लंबे समय से हाशिए पर महसूस कर रहे थे। गर्भपात का विरोध करने वाली चर्च की शिक्षा को बरकरार रखा तथा अपने पूर्ववर्तियों के निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि मानव जीवन पवित्र है तथा इसकी रक्षा की जानी चाहिए। फ्रांसिस के पोप रहने के दौरान सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने चिली के यौन शोषण पीड़ितों की अनदेखी कर एक बिशप का पक्ष लिया। अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने पीड़ितों को वेटिकन आमंत्रित किया और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी।

भारतीय नेताओं ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'परम पावन पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की इस घड़ी में, वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर सोमवार को दुख जताया। खरगे ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पोप फ्रांसिस के निधन से पूरी दुनिया दुखी है।

कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हत्याकांड में पत्नी और बेटी गिरफ्तार

बंगलुरु, 21 अप्रैल (भाषा)।

कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओम प्रकाश की मौत के मामले में उनके बेटे ने अपने पिता की हत्या में अपनी मां और बहन की संलिप्तता का 'गहरा संदेश' जताया जिसके बाद दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और बेटी कृति को गिरफ्तार कर लिया है।

इस बीच पुलिस को पता चला है कि पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी ने कथित तौर पर उन्हें चाकू मारने से पहले उनके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका था। सोमवार शाम को ओम प्रकाश का पूरे राजकीय सम्मान के साथ बंगलुरु में अंतिम संस्कार किया गया। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पल्लवी पिछले एक सप्ताह से उसके पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। पूर्व डीजीपी के बेटे ने कहा, 'इन धमकियों के कारण मेरे पिता अपनी बहन के घर रहने चले गए थे।' कार्तिकेश ने आरोप लगाया, 'दो दिन पहले मेरी छोटी बहन वहां गई और उन पर (पूर्व डीजीपी) घर लौटने का दबाव बनाया।' शिकायत में कार्तिकेश ने कहा, 'कृति पिताजी को वापस ले आई थी, जबकि वह वापस आने को तैयार नहीं थे।'

बंगलुरु में वायुसेना के अधिकारी के साथ मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

कर्नाटक के बंगलुरु में सोमवार सुबह कन्नड़ भाषा बोलने वाले कुछ लोगों ने भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी पर कथित तौर पर हमला किया और उनके साथ गाली-गलौज भी की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मोटरसाइकिल से उनका पीछा भी किया। पुलिस के अनुसार, यह घटना उस दौरान हुई जब अधिकारी अपनी पत्नी के साथ हवाई अड्डे जा रहे थे। उनकी पत्नी भी वायुसेना में अधिकारी हैं। पुलिस ने बताया कि अधिकारी की पत्नी व 'स्क्वाड्रन लीडर' मधुमिता दत्ता की शिकायत के आधार पर बयप्पनहल्ली पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग का भारत से आग्रह

दोनों देशों को भू-रणनीतिक मुद्दों पर मिलकर काम करने की जरूरत

यरुशलम, 21 अप्रैल (भाषा)।

इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने सोमवार को विशेष रूप से भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा (आइएमईसी) परियोजना पर जोर देते हुए भारत से भू-रणनीतिक मुद्दों पर मिलकर काम करके द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का आग्रह किया।

हर्जोग ने इस परियोजना को 'दुनिया का भविष्य' बताया। हर्जोग ने इजराइल में भारत के नवनियुक्त राजदूत जेपी सिंह से कहा कि हम भारत राष्ट्र और उसके नेतृत्व का बहुत सम्मान करते हैं। इजराइल के लोग आपके देश से प्यार करते हैं। मैं आपके देश का दौरा करने और इजराइल में आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मेजबानी करने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं।' भारतीय राजदूत सिंह ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पर एक समारोह में अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। इजराइल के राष्ट्रपति ने भारत के नए दूत का स्वागत करते हुए कहा, 'मैं आपके कार्यकाल में आपको अत्यधिक सफलता मिलने की कामना करता हूं।' उन्होंने भारत और इजराइल से 'भू-रणनीतिक मुद्दों, रणनीतिक मुद्दों, बंधकों की घर वापस लाने, ईरान को (परमाणु हथियार प्राप्त करने से) रोकने, शांति और समावेश, 'कनेक्टिविटी' की दिशा में आगे बढ़ने और निश्चित रूप से दोनों देशों के लोगों के बीच अविश्वसनीय संबंधों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।' दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर बात करते हुए हर्जोग ने आइएमईसी को 'दुनिया का भविष्य' बताया, जिसमें दुनिया की पूरी भू-रणनीतिक स्थिति को बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी भूमिका आइएमईसी होगी।

आइएमईसी दुनिया का भविष्य है, न कि केवल क्षेत्र का। इजराइल और भारत के बीच संपर्क यूरोप, अमेरिका, सुदूर पूर्व और आस्ट्रेलिया में भू-रणनीतिक स्थिति को बदल देगा। यह आप पर निर्भर है और मैं आपकी मदद करने के लिए यहां हूं।'

हर्जोग ने इस परियोजना को 'दुनिया का भविष्य' बताया। मैं आपके देश का दौरा करने और इजराइल में आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मेजबानी करने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं।'

शुल्क को लेकर चीन ने दुनिया को चेताया

हमारी कीमत पर अमेरिका से व्यापार पर होगी कार्रवाई

बेजिंग, 21 अप्रैल (भाषा)।

चीन ने सोमवार को धमकी दी कि वह चीनी हितों की कीमत पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने की कोशिश करने वाले देशों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। सरकारी समाचार एजंसी शिन्हुआ की रपट के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह टिप्पणी उन रपट पर प्रतिक्रिया देते हुए की, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका, शुल्क छूट के बदले में चीन के साथ व्यापार संबंधों को सीमित करने के लिए अन्य देशों पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है।

प्रवक्ता ने बयान में कहा कि चीन, अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच चीनी हितों की कीमत पर किए जाने वाले किसी भी समझौते का दृढ़ता से विरोध करता है। बयान में कहा गया कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो चीन इसे स्वीकार नहीं करेगा और दृढ़तापूर्वक इसके अनुरूप जवाबी कदम उठाएगा।

इसमें कहा गया है कि चीन को समाधान करने का अधिकार है और अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने की क्षमता भी है।

प्रवक्ता ने कहा कि तथाकथित 'जवाब' की आड़ में, अमेरिका हाल ही में अपने सभी व्यापारिक साझेदारों पर मनमाने ढंग से शुल्क लगा रहा है, तथा उन पर तथाकथित 'जवाबी शुल्क' वार्ता में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहा है।

अमेरिकी अधिकारियों-नेताओं पर प्रतिबंध

चीन ने सोमवार को एलान किया कि वह उन अमेरिकी सांसदों, अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के प्रमुखों पर प्रतिबंध लगाएगा जिन्होंने हांगकांग से जुड़े मामलों में 'खराब भूमिका' निभाई है। यह फैसला अमेरिका द्वारा मार्च में छह चीनी और हांगकांग अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के जवाब में लिया गया है। अमेरिका ने इन अधिकारियों पर 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दमन' और हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर करने के आरोप लगाए थे।

परंपरा वार्षिक वाइट हाउस 'ईस्टर एग रोल' दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास के दक्षिण लान पर एकत्रित लोग।

आपदा | भूस्खलन से प्रभावित

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

भूस्खलन से प्रभावित जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजमार्ग से मलबा हटा कर यातायात के लिए उसकी बहाली में लगभग छह दिन लग सकते हैं।

रविवार को भारी बारिश होने और बादल फटने से रामबन जिले में अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और कीचड़ भरे मलबे के कारण यह सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण 250 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बंद हो गया था। यह राजमार्ग कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला, हर मौसम में खुला रहने वाला एकमात्र रास्ता है।इस आपदा में दो नाबालिग भाई-बहन समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। आपदा में कई सड़कों और आवासीय इमारतों सहित अवसंरचना को नुकसान पहुंचा और कई वाहन मलबे में दब गए। राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि सीरी और मारूग के बीच चार किलोमीटर के हिस्से में कुछ जगहों पर तो 20 फुट से अधिक ऊंचा मलबा जमा हो गया है जिससे स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। हमारी भारी मशीनें भी मलबे में दब गई हैं। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्राधिकरण ने निजी ठेकेदारों से मशीनें मंगवाकर प्रभावित स्थानों पर बहाली कार्य में लगाया है। मौसम में सुधार हुआ है और यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो राजमार्ग को पांच से छह दिन में फिर से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

मुगल रोड वैकल्पिक संपर्क मार्ग बना

भूस्खलन प्रभावित जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा, जबकि जम्मू के राजौरी और पुंछ जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड के खुलने से फंसे हुए लोगों को बड़ी राहत मिली। शुरू में हाल में खोले गए मुगल रोड पर यातायात को एक तरफ - कश्मीर से जम्मू तक सीमित रखने का फैसला किया गया था।

कनाडा में मंदिर को विरूपित किया गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

कनाडा के सरे स्थित एक मंदिर को असामाजिक तत्वों की ओर से विरूपित कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मंदिर के प्रवेश द्वार व स्तंभों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए।

श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई इस घटना के दौरान आरोपी सुरक्षा के मद्देनजर वहां लगाए गए कैमरे को भी चोरी करके ले गए।

मंदिर प्रबंधन की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि यह घटना 19 अप्रैल को सरे स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई। देर रात करीब 3:00 बजे दो लोगों ने मंदिर परिसर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। बयान में कहा गया कि आरोपियों ने मंदिर को सोची-समझी साजिश के तहत विरूपित किया। मंदिर के प्रवेश द्वार और स्तंभों पर खालिस्तानी नारे लिखकर हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई। मंदिर प्रबंधन ने अपने बयान में कहा कि मंदिर को विरूपित करने की घटना के दौरान आरोपी सुरक्षा के मद्देनजर वहां लगाए गए कैमरे को भी चोरी करके ले गए।

मंदिर प्रबंधन के पदाधिकारियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कनाडा के स्थानीय प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि इस तरह की घटना एक पवित्र स्थल पर सीधा हमला है। मंदिर प्रबंधन की ओर से इस संबंध में सरे पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। प्रबंधन ने अपने बयान में स्थानीय नेताओं से आग्रह किया है कि वे इस घृणा अपराध की निंदा करने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में सहयोग करें। साथ ही कहा कि कनाडा के सम्मानजनक और विविधतापूर्ण समाज में उपासना स्थलों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

खबर कोना

बोस्टन में लेम्मा सिसे 2025 मैराथन के दौरान नेतृत्व करते हुए।

'अमेरिका के बड़े हवाई अड्डों के पास विमानों के लिए ड्रोन का खतरा बढ़ रहा'

वाशिंगटन, 21 अप्रैल (एपी)।

अमेरिका के प्रमुख हवाई अड्डों के पास उड़ान भरते या उतरते वाणिज्यिक विमानों के लिए ड्रोन एक गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। पिछले साल ड्रोन से जुड़े लगभग दो-तिहाई 'करीबी टक्कर' के मामलों की पुष्टि हुई, जो वर्ष 2020 के बाद सबसे अधिक हैं। विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है। रपट के अनुसार, सैन फ्रांसिस्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवंबर में एक यात्री विमान से मात्र 300 फुट की दूरी पर एक ड्रोन दिखाई दिया। अक्तूबर में मियामी और अगस्त में नेवार्क हवाई अड्डे के पास भी इसी तरह की घटनाएं हुईं, जिन्हें 'निकट हवाई टक्कर' श्रेणी में रखा गया। पिछले एक दशक में 'करीबी टक्कर' के 240 दर्ज मामलों में से 122 मामले ड्रोन से संबंधित थे। विशेषज्ञों ने बताया है कि विशेषकर हवाई अड्डों के पास इस तरह की घटनाएं विनाशकारी हो सकती हैं। 'फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन' (एफएए) ने ऐसे खतरों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

होम स्टे बन रहे हैं लोगों की आजीविका के प्रमुख साधन

जनसत्ता, संवाददाता
देहरादून, 21 अप्रैल।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्य सेवक संवाद के तहत 'गांव से ग्लोबल तक होम स्टे' संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यभर से आए होमस्टे संचालकों से बातचीत कर राज्य में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा होम स्टे को तेजी से बढ़ावा दिया गया है। होम स्टे संचालक प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ठहरने अच्छी सुविधा के साथ राज्य की संस्कृति, परंपरा, खानपान, पहनावे से भी अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की असली आत्मा गांवों में बसती है। जहां प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का अद्भुत संगम एक ही स्थान पर देखा जा सकता है।

राज्यपाल बोस के सीने में जकड़न, अस्पताल में भर्ती

कोलकाता, 21 अप्रैल (भाषा)।

सीने में जकड़न के कारण सोमवार सुबह पूर्वी कमान अस्पताल में भर्ती कराए गए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की हालत स्थिर है। राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोस को सुबह करीब 10 बजे अस्पताल ले जाया गया और चिकित्सक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। राजभवन के अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल की हालत स्थिर है। डाक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखा है। उन्होंने कहा कि बोस को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अधिकारी ने बताया कि बोस की जांच की गई और उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार बताया जाता है। राज्यपाल ने शनिवार रात मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे से लौटने के बाद सीने में जकड़न की शिकायत की थी।

चारधाम यात्रा : आनलाइन पंजीकरण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसद की गई

देहरादून, 21 अप्रैल (भाषा)।

चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं के पंजीकरण का आंकड़ा 17 लाख पहुंचने के बीच उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को आनलाइन पंजीकरण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसद करने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रत्येक धाम के यात्रा मार्ग में और पंजीकरण काउंटर खोले जाने का भी एलान किया है। आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली के होटल व्यवसायियों के साथ आयोजित एक अहम बैठक के दौरान गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। बैठक में पांडेय ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही यात्रा के सफल संचालन के लिए होटल व्यवसायियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया और उनके सुझाव लिए।

कुशीनगर में कार पेड़ से टकराई

हादसे में छह लोगों की मौत, दो घायल

कुशीनगर, 21 अप्रैल (जनसत्ता)।

जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक कार के पेड़ से टकरा जाने के कारण छह लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना रविवार देर रात नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के शुक्ल भुजौली चौराहे पर उस समय हुई जब कार सवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए देवगांव जा रहे थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया तथा दो अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान नारायणपुर चरगहा के निवासी हरेंद्र मद्धेशिया, योगेंद्र मद्धेशिया, रंजीत एवं मुकेश और कुसमा गांव निवासी भीम लक्ष्मण यादव तथा कार चालक ओम प्रकाश के रूप की गई है। हादसे का शिकार हुए सभी लोगों की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों को शीघ्र एवं पर्याप्त उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बिहार : शादी समारोह में हिंसक झड़प, गोलीबारी में दो की मौत

आरा, 21 अप्रैल (भाषा)।

बिहार के भोजपुर जिले में एक शादी समारोह में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के हिंसक हो जाने के बाद दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे गड़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में हुई।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि एक शादी समारोह में वाहनों की पार्किंग को लेकर दो समूहों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दीं। पुलिस ने बताया, एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान लवकुश और राहुल के रूप में हुई है।

केरल : घर में आग लगाकर की आत्महत्या

कोल्लम, 21 अप्रैल (भाषा)।

दक्षिण केरल में कोल्लम जिले के अंचल में एक व्यक्ति ने अपने घर में आग लगा दी और फिर फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान, अलंचेरी निवासी 56 वर्षीय विनोद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि विनोद का रविवार रात को अपनी पत्नी और अन्य परिजनों से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने गैस सिलेंडर चालू कर घर में आग लगा दी। विनोद के परिवार के सदस्य किसी तरह बच निकलने में सफल रहे।

बस और ट्रक में टक्कर, दो की मौत

वडोदरा, 21 अप्रैल (भाषा)।

गुजरात के वडोदरा में सोमवार तड़के एक निजी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो जाने से दो लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

हरनी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना वडोदरा के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तड़के करीब साढ़े तीन बजे हुई। उन्होंने बताया कि बस रात करीब 11 बजे सूरत से रवाना हुई थी।

निशिकांत, अग्निमित्रा पर अवमानना कार्रवाई के लिए अटार्नी जनरल की मंजूरी मांगी गई

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (ब्यूरो)।

अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी विधायक अग्निमित्रा पाल के खिलाफ न्यायपालिका पर हमले के लिए अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को लेकर एक वकील ने सोमवार को मंजूरी मांगी।

एक पत्र में अधिवक्ता बृजेश सिंह ने कहा कि दोनों ने 'जानबूझकर मीडिया एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के खिलाफ सरासर निंदनीय, झूठे और अपमानजनक बयान दिए' और इसकी गरिमा को तथा न्यायपालिका में आम आदमी की 'गहरी आस्था' को चोट पहुंचाई। पत्र में कहा गया है कि दोनों व्यक्ति जनप्रतिनिधि हैं।

निशिकांत दुबे झारखंड से सांसद हैं और अग्निमित्रा पाल भी पश्चिम बंगाल विधानसभा की निर्वाचित सदस्य हैं। दोनों ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। यह अत्यंत निंदनीय है कि न्यायपालिका को इस तरह से निशाना बनाया गया।

केनरा बैंक Canara Bank — क्षेत्रीय कार्यालयः गाजियाबाद

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।

हम केनरा बैंक, अपनी शाखा/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित लोगों को मांग सूचना जारी किया है। [illegible]

शाखाः शास्त्री नगर, गाजियाबाद (डीपी कोडः 18890)

[illegible] कुल देय रु. 1,04,19,629.03 [illegible] Cersai Asset ID: 400063966866, [illegible] 11.04.2025 [illegible] 16.04.2025. [illegible]

शाखाः शाहपुर निज मोरटा, गाजियाबाद (डीपी कोडः 3742)

[illegible] कुल देय रु. 9,25,964.87 [illegible] 11.04.2025 [illegible] 14.04.2025 [illegible] Cersai Asset ID: 400012895349, [illegible] 17.04.2025. [illegible]

स्थानः गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

SBI भारतीय स्टेट बैंक — ई-नीलामी बिक्री सूचना

होम लोन सेंटर-सह-एसएआरसी II, कोरेनथम बिल्डिंग, भूतल, सेक्टर-62, नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0-201301

चल सम्पत्ति के लिए 25.04.2025 को ई-नीलामी बिक्री हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत चल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी की विक्रय सूचना।

[illegible] "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जायेगा, जो कि निम्नानुसार प्रतिभूत ऋणदाता के देय-भुगतेय बैंक की वसूली हेतु किया जायेगा:-

इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी के बंद होने से पूर्व BAANKNET के पास पूर्व-बोली धरात जमा कर सकते हैं। [illegible]

ई-नीलामी की तिथि/समयः 25.04.2025 को 10:00 से 04:00 बजे तक 6 घंटे हेतु, 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) के नाम	बकाया देयराशि, जिसकी वसूली हेतु सम्पत्ति/यां बेची जा रही है/हैं	वाहन का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि (ईएमडी) / आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	श्री स्व0 हेमंत कुमार	रु.6,94,373.27 17.04.2025 के अनुसार साथ ही भावी ब्याज एवं उस पर अन्य खर्चे आदि।	मेक एवं मॉडलः NEXON NZ; पंजीकरण संख्याः HR87K9471; इंजन नं.: REVTRN11PXXMM1042; चेसिस नं.: MAT627039NLP30255; पंजीकरण तिथिः 12.01.2023	₹ 8,45,000/- ₹ 84,500/- ₹ 1,000/- * जीएसटी नियमानुसार	श्री विनय पाठक (मुख्य प्रबंधक) मोबाइलः 9560886616 होम लोन सेंटर, सेक्टर-62, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0

धरात जमा करने की अन्तिम तिथि 24.04.2025 को सायं 04:00 बजे तक अथवा इससे पूर्व है। [illegible] https://baanknet.com/eauction-psb/eproc-listing [illegible] BAANKNET [illegible] support.BAANKNET@psballiance.com [illegible]

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

(1) ई-नीलामी का आयोजन "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर की जा रही है और "ऑन लाइन" आयोजित की जाएगी। [illegible] BAANKNET के माध्यम से [illegible] आयोजित की जाएगी।

(2) बैंक के पास नीलामी की निरस्त/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(3) वाहन 23.04.2025 को सुबह 11:00 बजे से शाम 16:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, सम्पर्क करें: [illegible] 9258929462 [illegible]

(4) सफल बोली लगाने वाले को सफल बोली राशि अर्थात् बिक्री मूल्य पर लागू जीएसटी का भुगतान करना होगा।

(5) [illegible]

(6) सफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति पर तुरन्त बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष, बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक होने पर पहले से जमा की गई पूरी धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति को ई-नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का संपत्ति/राशि के सम्बन्ध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

(7) विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेब पोर्टलः https://baanknet.com/eauction-psb/eproc-listing तथा ई-नीलामी वेबसाइटः https://BAANKNET.com पर उपलब्ध लिंक देखें।

तिथिः 21.04.2025 स्थानः नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, होम लोन सेंटर, सेक्टर-62, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0

THIS IS PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURE AND REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

anlon

ANLON HEALTHCARE LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Anlon Ventures Private Limited', a private limited company under the erstwhile Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated November 19, 2013 issued by the RoC. The name of our Company was changed from 'Anlon Ventures Private Limited' to 'Anlon Healthcare Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated May 27, 2015 was issued by the RoC. Our Company was subsequently converted to a public limited company and the name of our Company was changed from 'Anlon Healthcare Private Limited' to 'Anlon Healthcare Limited' and a fresh certificate of incorporation dated September 02, 2024, was issued by the RoC

Corporate Identity Number: U24230GJ2013PLC077543
Registered Office: 101/102, Silvercoin Complex, Opp. Crystal Mall, Kalawad Road Rajkot – 360 005, Gujarat, India
Contact Person: Amita Chhaganbhai Pragada, Company Secretary and Compliance Officer;
Tel: +91 281 2562538/39 ; **E-mail:** cs@anloncro.com ; **Website:** www.anlon.in

OUR PROMOTERS: PUNITKUMAR R. RASADIA, MEET ATULKUMAR VACHHANI AND MAMATA PUNITKUMAR RASADIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 1,40,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF ANLON HEALTHCARE LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[•] LAKHS ("THE ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [•] % OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED GUJARATI DAILY NEWSPAPER, GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 (TWO) WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE, AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least 3 (three) additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Issue Period for a minimum of 3 (three) Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. The Issue is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein at least 75% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"** and such portion, the **"QIB Portion"**), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and the basis of such allocation will be on a discretionary -basis as decided by our Company in consultation with the BRLM, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the **"Anchor Investor Portion"**), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors (**"Anchor Investor Allocation Price"**). In the event of undersubscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) (**"Net QIB Portion"**). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. If at least 75% of the Issue cannot be Allotted to QIBs, then the entire application money will be refunded forthwith. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not more than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders (**"NIBs"**) of which (a) one-third portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹2.00 Lakhs and up to ₹10.00 Lakhs; and (b) two-thirds portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹10.00 Lakhs, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further not more than 10% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders (**"RIB"**) in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilise the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID (defined hereinafter) in case of UPI Bidders (defined hereinafter), as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA Process. For further details, see "***Issue Procedure***" on page 334.

This public announcement is being made in compliance with the provision of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the offer and DRHP which has been filed with the SEBI on December 27, 2024.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with the SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and the website of the Company at www.anlon.in and at the website of BRLM i.e. Interactive Financial Services Limited at www.ifinservices.in. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments on the DRHP filed with the SEBI with respect to disclosures made in DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to SEBI, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, and/or our Company and/or Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM in relation to the offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issuer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "***Risk Factors***" on page 32.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the Red Herring Prospectus ('RHP') has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the main board of the Stock Exchanges.

For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see "***History and Certain Corporate Matters***" on page 227.

The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital, capital structure of our Company, the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them of our Company, please see "Capital Structure" beginning on page 90.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
Interactive Financial Services Limited Office No. 508, Fifth Floor Priviera, Nehru Nagar Ahmedabad-380015, Gujarat, India **Tel:** +91 079-4908 8019 / +91 98980 55647 **Email:** mbd@ifinservices.in **Investor Grievance Email:** info@ifinservices.in **Website:** www.ifinservices.in **Contact Person:** Jaini Jain **SEBI Registration No:** INM000012856	KFINTECH **KFin Technologies Limited** Selenium, Tower-B, Plot No- 31 and 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana, India **Telephone:** +91 40 6716 2222 / 1800 309 4001 **Email:** ahl.ipo@kfintech.com **Investor grievance email:** einward.ris@kfintech.com **Contact person:** M Murali Krishna **Website:** www.kfintech.com **SEBI Registration no.:** INR000000221

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

ANLON HEALTHCARE LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Amita Chhaganbhai Pragada
Company Secretary and Compliance Officer

Date: April 22, 2025
Place: Rajkot

ANLON HEALTHCARE LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com respectively and is available on the website of the Company at www.anlon.in and at the website of BRLM i.e. Interactive Financial Services Limited at www.ifinservices.in. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating such risk, see the section titled 'Risk Factors' that will be included in the RHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U. S. Securities Act") or any state securities law in United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the U. S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance of Regulations and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF

HIGH STREET FILATEX LIMITED

("HSFL"/"TARGET COMPANY"/"TC")
(Corporate Identification No. L10790RJ1994PLC008386)
Registered Office: B-17, IInd Floor, 22 Godam Industrial Area, Jaipur - 302006, Rajasthan;
Phone No.: 0141-4025431; Email id: highstreet.filatex@gmail.com; Website: www.highstreetfilatex.in

This Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Sandeep Agrawal (Acquirer-1) and Mrs. Anupriya Sandeep Agrawal (Acquirer-2) (Acquirer-1 and Acquirer-2 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") in respect of Open Offer (**"Offer"**) for the acquisition up to 10,96,792 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the emerging equity and voting share capital of the Target Company. The Offer Opening Public Announcement pursuant to Detailed Public Statement (**"DPS"**) and the Public Announcement (**"PA"**) made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkal - Marathi Daily (Mumbai edition) and Maha Nagar Times - Hindi Daily – (Jaipur Edition) on 09th April, 2025.

1. Acquirers have completed the dispatch of the Physical Letter of Offer on 03rd April, 2025 to such shareholders whose email addresses were not registered with Target Company pursuant to regulation 18(2) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (**"SEBI (SAST) Regulations"**)
2. Various Letter of Offers are returning undelivered. Hence it is to be reiterated that copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Manager to the Offer, www.navigantcorp.com.
3. Shareholders who have not received the Letter of Offer can tender the shares in accordance with procedure described in clause 8.15 on 25 of Letter of Offer, which is reproduced as below:

Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:

Persons who have acquired equity shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified date, or those who have not received the letter of offer, may also participate in this Offer. A shareholder may participate in the Offer by approaching their broker and tender Equity shares in the Open Offer as per the procedure mentioned in this Letter of Offer or in the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement. The Letter of Offer along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgement will be dispatched to all the eligible shareholders of the Target Company as on the Identified date. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such eligible shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or BSE website (www.bseindia.com) or Merchant Banker website (www.navigantcorp.com) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity shares of the Target Company. Alternatively in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder, stating name, address, number of shares held, client Id number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents such as physical share certificates and Form SH-4 in case of shares being held in physical form. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by the BSE before the closure of the Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS

Navigant
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.
Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078
Email id: navigant@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com
SEBI Registration No: INM000012243
Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai
Date: April 21, 2025

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) | **पंजीकृत कार्यालयः** द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071 **शाखा कार्यालयः** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

ई नीलामी सूचना

वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई–नीलामी) **"जैसा है जहां है आधार" और "जैसा है वैसा है आधार"** पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर के आधार पर आयोजित की जाएगी।

क्र.सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	13–2 सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	20.04.2025 तक वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	भारतीय रुपये में आरक्षित मूल्य	भारतीय रुपये में बयाना राशि जमा (ईएमडी)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1.	45129420001837	1) श्री विनय कुमार, पुत्र श्री रूप चंद (आवेदक), 2) श्रीमती सोनी, पत्नी श्री विनय कुमार (सह–आवेदक)	04.09.2024	21.01.2025	रु.13,36,036.67 (रुपये तेरह लाख छत्तीस हजार छत्तीस और सड़सठ पैसे मात्र)	30.04.2025 प्रातः 09:30 बजे को 05:00 शाम	रु.7,43,600/– (रुपये सात लाख तैंतालीस हजार छह सौ मात्र)	रु.74,400/– (रु. चौहत्तर हजार चार सौ मात्र)	07.05.2025 /11:00 बजे दिन	06.05.2025 सायं 05:00 बजे से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005
	सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः प्लॉट नंबर बी–1/22, फ्लैट नंबर एसएफ–3, दूसरी मंजिल, छत के दाईं ओर, एलआईजी, क्षेत्रफल 306 वर्ग फीट, डीएलएफ अंकुर विहार, गांव लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसका स्वामित्व श्रीमती सोनी, पत्नी श्री विनय कुमार के पास है। **सीमाः पूर्वः** अन्य की संपत्ति, **पश्चिमः** अन्य की संपत्ति, **उत्तरः** अन्य की संपत्ति, **दक्षिणः** 40 फीट चौड़ा रास्ता।									
2.	30809420000281	1) मोहम्मद आमिर, पुत्र मोहम्मद आबिद (आवेदक), 2) श्रीमती रानी परवीन, पत्नी मोहम्मद आमिर (सह–आवेदक)	08.05.2023	18.11.2025	रु.17,56,650.70 (रु. सत्रह लाख छप्पन हजार छः सौ पचास और सत्तर पैसे मात्र)	30.04.2025 प्रातः 09:30 बजे को 05:00 शाम	रु. 10,86,500/– (रु. दस लाख छियासी हजार पांच सौ मात्र)	रु.1,08,700/– (एक लाख आठ हजार सात सौ रुपये मात्र)	07.05.2025/ 11:00 बजे दिन	06.05.2025 सायं 05:00 बजे से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005
	सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः अचल फ्लैट संख्या सी–2, ब्लॉक सी, द्वितीय तल, प्लॉट संख्या 84, कुल क्षेत्रफल 52 वर्ग गज, शंकर विहार कॉलोनी, ग्राम चिपियाना बुजुर्ग, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा। जिसका स्वामित्व मोहम्मद आमिर, पुत्र मोहम्मद आबिद के पास है। **सीमाः पूर्वः** रास्ता 18 फीट चौड़ा, **पश्चिमः** अन्य का प्लॉट, **उत्तरः** अन्य का प्लॉट, **दक्षिणः** खाली जमीन।									

संपत्तियों को **"जैसा है जहां है के आधार पर" और जैसा है जो है के आधार पर"** आयोजित किया जा रहा है और ई–नीलामी "ऑन लाइन" आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल **https://bankauctions.in** और **www.foreclosureindia.com** पर आयोजित की जायेगी या अधिक जानकारी और ई–नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स 4 क्लोजर, श्री उत्कर्ष आदेश, संपर्क नंबरः 9515160064. ईमेल आईडीः **info@bankauctions.in / adesh@bankauctions.in.** से संपर्क कर सकते हैं।

ई–नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक** के अधिकृत अधिकारी श्री शशि कुमार (मोबाइल नं. 8700277112), श्री राकेश शर्मा (मो. 7230070463), एवं रंजन नायक (मो. 6362951653), से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई–नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को अद्यतन तिथि के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है नीलामी की तारीख से पहले ब्याज और सहायक खर्च, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 22.04.2025, स्थानः दिल्ली एनसीआर — **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

नई दिल्ली, दिल्ली के उच्च न्यायालय में
(मूल कंपनी क्षेत्राधिकार)
सी. पी. नं. 328/2011
कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में तथा
इकोटेक अपैरल्स प्रा. लि. (परि. में) के मामले में
अपने दावों को साबित करने हेतु समस्त सुरक्षित लेनदारों, श्रमिकों, असुरक्षित लेनदारों, अधिमान्य ऋणदाताओं हेतु सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा उपरोक्त नामित कंपनी (परि. में) के सभी लेनदारों को सूचित किया जाता है कि उन्हें दिल्ली में कंपनीज़ (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रपत्र क्रमांक 66 में नि. 10/– के बिना न्यायिक स्टाम्प पत्र में उनके मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ साथ उनके ऋण/दावों तथा प्राथमिकता के किसी अधिकार के साथ एवं अपने ऋण/दावों को साबित करने वाले एक शपथ पत्र को आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में प्रदायगी द्वारा नामित कंपनी के विरुद्ध अपने तत्संबन्धित ऋण/दावे के प्रमाण माननीय उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक को **13.05.2025** को या उससे पूर्व प्रस्तुत करने होंगे या पोस्ट द्वारा भेजने होंगे जो उनके पास कथित तिथि से पहले पहुंच जाएं। कोई भी लेनदार जो उपरोक्त अनुसार सीमित समय के अंदर प्रमाण का अपना शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे ऐसे वितरण की विषयवस्तु से उनका ऋण साबित होने से पहले या जैसा भी मामला हो, लाभांश के सभी वितरण के लाभ से बाहर कर दिया जाएगा।

कोई भी लेनदार जो अपना प्रमाण भेजते हैं, यदि वे आधिकारिक परिसमापक से लिखित में सूचना द्वारा ऐसा चाहते हैं तो, या तो स्थल या अपने अधिवक्ता द्वारा ऐसे ऋण या दावें की जाँच में ऐसे समय एवं स्थान पर जैसा कि ऐसी सूचना में निर्दिष्ट हैं, भाग ले सकते हैं और अपने ऋण या दावें जैसा अपेक्षित हो का ऐसा आगे साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

कंपनीज़ (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रपत्र क्रमांक 66 प्राप्ति हेतु वेबसाइट www.mca.gov.in तथा www.delhiol.com देखें।

दिनांक : 21 अप्रैल, 2025, नई दिल्ली

हस्ता/–
(एस. मीनाक्षी)
आधिकारिक परिसमापक
दिल्ली उच्च न्यायालय से संलग्न
8वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003.
फोन : 011–24693393. ईमेल : ol.delhi@mca.gov.in

PUBLIC NOTICE

Whereas, we,M/S JINDAL INFRA BUILD PRIVATE LIMITED are in the process of undertaking of development of an Affordable Plotted Colony under DeenDayal Jan AwasYojna Housing Policy 2016 and Policy Extension dated 24.01.2018 over an area measuring 12.15625 Acres, situated in Sector-17, Tehsil & District Sonepat, Haryana in accordance with the license granted for anAffordable Plotted Colony vide LicenceNo.99 of 2023, dated 08.05.2023by the Director, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh. And whereas, there is no third party right has been created in the said Affordable Plotted Colony. And whereas, the earlier approved layout planis now proposed to be revised by the office of Director, Town & Country Planning, Haryana Chandigarh.And whereas, the office of Director, Town & Country Planning, Haryana Chandigarh has required seeking of objection from allottees/general public in the Said Project against the revision of layout plan as a pre-condition for allowing such proposed and revision in the layout plans. Accordingly, vide this public notice objections are hereby invited from any of the allottees/general public in the said colony on the proposed and revision of the layout plan of the said colony. A copy of the earlier approved layout drg. Memo No. 10088, dated 01.03.2024 and the proposed and revised Layout plan, approved in-principle vide Mrmo No. ZP-1985/JD(GK)/2025/14071, dated 18.04.2025 available for perusal on our website i.e., www.jindalinfrabuild.com. The said layout plans also be perused at the office of undersigned as well as in the office of Senior Town Planner, Rohtak, District Rohtak. Any allottee having any objection on revised layout plan, may file his objection in the office of Senior Town Planner, Rohtak, District Rohtak within 30 days of the publication of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the proposed revised layout plan.

Place: Sonepat
Date: 21.04.2025

For M/S JINDAL INFRA BUILD PRIVATE LIMITED
(Authorised Signatory)

SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED

Corporate Identification Number: U52109MH2022PLC378461;
Registered Office: HD-275, We Work Oberoi Commerz II, 20th floor, CTS No. 95, 4 B 3 & 4 590, Off W. E. Highway, Oberoi Garden City, Goregaon East, Mumbai, Goregaon East, Maharashtra - 400063, India; Contact Number: +91-9867611444;
Contact Person: Ms. Sweta Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer;
Email-ID: cs@appetitefood.in; Website: www.sonalisconsumer.com

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This notice does not constitute an offer or invitation or inducement to purchase or sell or to subscribe for, any new securities of the Company. All capitalized terms used and not denied here shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 01, 2025 filed with BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchange") and with SEBI for information and dissemination purposes.

CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER & ABRIDGED LETTER OF OFFER DATED APRIL 01, 2025 FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED

The Company through this Corrigendum to the Letter of Offer & Abridged Letter of Offer wishes to bring to the notice of the Shareholders the following amendments:
You are requested to take the below changes into consideration:

- Under the heading "Issue FOR ON MARKET RENUNCIATIONS" in page 01, Under the heading "On Market Renunciation" in page 04, Under the heading "Renunciation Period" in page 06, Under the heading "Issue Schedule" in page 34, Under the heading "Issue Schedule" in page 37, Under the heading "On Market Renunciation" in page 169, Under the heading "ISSUE SCHEDULE" in page 173 of the Letter of Offer and in page 2 of the Abridged Letter of Offer under the heading "INDICATIVE TIMETABLE", under the heading "ABRIDGED LETTER OF OFFER CONTAINING SALIENT FEATURES OF THE LETTER OF OFFER" in page 08 of the Abridged Letter of Offer, the Last Date for On Market Renunciation of Rights Entitlements to be read as "Monday, 21st April, 2025" instead of "Wednesday, 21st April, 2025" i.e. Last Date for On Market Renunciation of Rights is Monday, 21st April, 2025."

A copy of the corrigendum will also be made available on the Company's website at www.sonalisconsumer.com.

Thanking You
For, SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED
Sd/-
SONALI NILESH KOCHAREKAR
Managing Director DIN: 09536461

Date: 21/04/2025
Place: Mumbai

बैंक शाखा का स्थानांतरण

सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि
बैंक शाखा का पुराना पता
एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड
बिल्डिंग फ्लोर नंबर 1217/51, मोहल्ला ... उत्तर प्रदेश – 205001
13 जून 2025 से निम्नलिखित पते पर स्थानांतरित कि जायेगी।

नया पता :
एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड
ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग म्यूनिसिपल नंबर 1252/22, प्लाट नंबर 366 के बाहर, देवपुरा, उत्तर प्रदेश, स्टेशन रोड, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश–205001

सोमवार से शनिवार : सुबह 09:30 बजे से शाम 03:30 बजे तक (दूसरा और चौथा शनिवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर)

HDFC BANK

COURT NOTICE

In The Court Of Tarjani Judicial Magistrate First Class, Amritsar
Nadras Tu
Vs.
P K Mohammad
CNR NO: PBAS03-000261-2022
Next Date: 30-04-2025
Publication Issued To: P K mohammad father: kutty hassan peringadkkatt house, kumminiparamba p.o karippur, kondotty taluk malappuram distt kerala 673638
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 30-04-2025 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Amritsar
JMIC Amritsar

प्रपत्र संख्या INC-25A

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में रूपांतरण के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

और

ओमनेस्टा ऑनलाइन लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय 13/30, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110008 भारत में है, के मामले में ......आवेदक

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी उपरोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत पूर्वोक्त नियमों के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का इरादा रखती है तथा **शुक्रवार, 18 अप्रैल, 2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार **एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी** में परिवर्तित होने की इच्छुक है, ताकि कंपनी को इस तरह के परिवर्तन को प्रभावी करने में सक्षम बनाया जा सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ संबंधित अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के पते **बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003**, पर सौंप सकता है या वितरित कर सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता है। इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति के साथ नीचे उल्लिखित पते पर भेजना होगा।

ओमनेस्टा ऑनलाइन लिमिटेड
13/30, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110008

ओमनेस्टा ऑनलाइन लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षर/-
रवि शर्मा (निदेशक)
डीआईएनः 00979427

दिनांक : 22.04.2025
स्थान : दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों को राशि वापस करने के लिए माँग सूचना जारी की गई थी, एतद्वारा कर्जदार तथा जनसामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन ब्याज सहित ''आईआईएफएल एचएफएल'' के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि यहां उल्लिखित है। ''कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि कर्जदार बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय ''आईआईएफएल एचएफएल'' की बकाया राशि को सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित चुका देता है, तो प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और प्रतिभूत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों) का नाम	प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया राशि (रु.)	माँग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री कादिर अली, श्री नासिर अली, श्रीमती नगीना बेगम, श्री साबिर अली (**प्रॉस्पेक्ट सं. IL10010173**)	फ्लैट नंबर-एस-3, द्वितीय तल, पिछला भाग, पीछे बाएं हाथ की ओर एलआईजी, प्लॉट नंबर-सी-1/35, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन- II, हदबस्त गांव ब्रह्मपुरा उर्फ भोपुरा, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102, भारत का समस्त भाग। क्षेत्र माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्र माप संपत्ति का क्षेत्र: 400.00	**रु.1357895/-** (रुपये तेरह लाख सत्तावन हजार आठ सौ पंचानबे मात्र)	15/11/2024	16/04/2025
श्री मनोज कुमार उपाध्याय, श्रीमती भावना देवी, न्यू जे के धर्म कांटा (**प्रॉस्पेक्ट सं. IL10255960**)	फ्लैट नंबर-295, प्रथम तल, ब्लॉक ई, सेक्टर - एक्सयू 01, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201310 का पूरा भाग। क्षेत्र माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: निर्मित क्षेत्र, कारपेट एरिया संपत्ति का क्षेत्र: 323.00, 270.00	**रु.1169512/-** (रुपये ग्यारह लाख उनहत्तर हजार पांच सौ बारह मात्र)	20/01/2025	17/04/2025
श्री सुनील सिंह मेसर्स रितु ट्रांसपोर्ट श्रीमती नीलू सिंह (**प्रॉस्पेक्ट सं.982077, IL10337793**)	निर्मित संपत्ति नंबर ए- 45 बी, गली नंबर 6, ब्लॉक ए, ख नंबर 31/18, अमर विहार, करावल नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली, भारत, 110094 का पूरा भाग। क्षेत्र माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमिक्षेत्र संपत्ति का क्षेत्र: 450.00	**982077 में रु. 98832.00/-** (रुपये अट्ठानवे हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) और **IL10337793 में रु. 2158209/-** (रुपये इक्कीस लाख अट्ठावन हजार दो सौ नौ मात्र)	10/12/2024	16/04/2025

अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालय में अधिकृत प्राधिकारी से संपर्क करें: प्लॉट संख्या 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली / ए-1सी और ए-1डी, द्वितीय तल, नोएडा सेक्टर 16, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर - 201301 या **कॉर्पोरेट कार्यालय**: प्लॉट संख्या 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थान:दिल्ली/नोएडा तिथि: 22-04-2025

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

बिक्री/ नीलामी सूचना

मैपल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक : श्री परवीन कुमार अदलखा
परिसमापक कार्यालय : सी-3 / 54 एफएफ जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
ईमेल : Mapleliquidation24@gmail.com, praveenadlakha@gmail.com
मोबाईल : +919899048896

ई-नीलामी
दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री
पात्रता दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 06 मई 2025
संयंत्र और मशीनरी / दस्तावेजों आदि का निरीक्षण : 07 मई 2025 से 14 मई 2025
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 21 मई 2025 (शाम 4.00 बजे तक)
नीलामी की तिथि और समय : 23 मई 2025 को शाम 3.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक
ई-नीलामी वेबसाइट : www.baanknet@psballiance.com

प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर, **मेपल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)** के स्वामित्व वाली बुक डेट की बिक्री, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ कोर्ट II द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा गठित लिक्विडेशन एस्टेट का हिस्सा है, दिनांक 07 नवंबर, 2023 का आदेश। बिक्री ई-नीलामी www.baanknet@psballiance.com के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी।

परिसंपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रू)	ईएमडी राशि (रू)	वृद्धिशील मूल्य (रू)
ब्लॉक-ए (संयंत्र और मशीनरी) प्लांट और मशीनरी वर्धा (नागपुर) में स्थित है, मुख्यतः ट्रक / हाइड्रा / मोटरसाइकिल	₹ 2019713 /- (रुपये बीस लाख उन्नीस हजार सात सौ तेरह मात्र)	₹ 201972 /- (रुपये दो लाख एक हजार नौ सौ बहत्तर मात्र)	₹ 10000 /- (रुपये दस हजार मात्र)
ब्लॉक-सी रायगढ़ (मध्य प्रदेश) में पड़े फर्नीचर और फिक्सचर और मोटरसाइकिलें, मुख्य रूप से मोटरसाइकिलें और कुछ फर्नीचर फिक्सचर	₹ 26095 /- (रुपये छब्बीस हजार पंचानबे मात्र)	₹ 2610 /- (रुपये दो हजार छह सौ दस मात्र)	₹ 1000 /- (केवल एक हजार रुपये)
ब्लॉक-डी ओडीसी मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के बुक ऋण (देनदार) / अल्पकालिक ऋण और इक्विटी शेयर 100% सहायक (रु. 30100000 / - बुक वैल्यू शून्य) (ये 31.03.2022 तक बैलेंस शीट के आधार पर अलेखापरीक्षित बुक ऋण हैं)	₹ 5471129 /- (रुपये चौवन लाख इकत्तर हजार एक सौ उनतीस मात्र)	₹ 547113 /- (रुपये पांच लाख सैंतालीस हजार एक सौ तेरह मात्र)	₹ 5000 /- (पांच हजार रुपये मात्र)
ब्लॉक-ई अन्य कंपनियों के नियंत्रण में पड़ी परिसंपत्तियां	₹ 862224 /- (आठ लाख बासठ हजार दो सौ चौबीस रुपये मात्र)	₹ 86223 /- (रुपये छियासी हजार दो सौ तेईस मात्र)	₹ 10000 /- (केवल दस हजार रुपये)

महत्वपूर्ण नोट:
1. ई-नीलामी "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" और "जो भी है" के आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता www.baanknet@psballiance.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. परिसंपत्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और वचन पत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तों वाले पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज www.baanknet@psballiance.com पर उपलब्ध हैं।
3. बिक्री दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगी।
4. किसी भी प्रश्न के लिए कृपया mapleliquidation24@gmail.com पर मेल भेजें या 9899048896 पर परिसमापक को कॉल करें।
5. संभावित बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 29 ए के तहत पात्रता की घोषणा सहित अपेक्षित दस्तावेज जमा करेंगे।
6. संभावित बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 29 ए के तहत पात्रता की घोषणा सहित अपेक्षित दस्तावेज जमा करेंगे। बैंकनेट नीलामी मंच के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी)।
7. यह भी निर्दिष्ट किया जाएगा कि यदि बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

हस्ता/–
परवीन कुमार अदलखा
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N01034/2020-2021/13336
ईमेल: mapleliquidation24@gmail.com | Mob.:9899048896

दिनांक : 20.04.2025
स्थान : नई दिल्ली

कब्जा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान औरध्या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के रूप में भविष्य में होने वाले ब्याज का भी भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रूपये में)	दिनांक/समय एवं कब्जे का प्रकार
1	47939610002068 और 47939630000492	1) श्री ऋतिक साध (आवेदक), 2) श्रीमती सुहानी साध (सह-आवेदक)	13.02.2025 रू.28,70,526/- (रूपये अट्ठाईस लाख सत्तर हजार पाँच सौ छब्बीस मात्र) 11.02.2025 तक	दिनांकः 21.04.2025 समयः 10:47 पूर्वाह्न प्रतीकात्मक कब्जा

संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, निर्मित संपत्ति संख्या 76/4-ए का भूतल, प्लॉट संख्या 224, क्षेत्रफल 68 वर्ग गज, यानी 56.85 वर्ग मीटर, (612 वर्ग फीट) जिसमें एक ड्राइंग-कम-डाइनिंग, दो बेडरूम, एक रसोई, स्नानघर/शौचालय भूतल पर, छत तक, बिजली से सुसज्जित, अलग मीटर के साथ नल का पानी, साथ ही आम सितारों का उपयोग करने का अधिकार, आम मुख्य द्वार/प्रवेश, अविभाजित अविभाज्य, आनुपातिक स्वामित्व अधिकार के साथ उक्त भूखंड पर सभी फिक्स्चर और फिटिंग के साथ, साथ ही उक्त भवन में प्रदान की गई सभी सामान्य सुविधाएं, सुख-सुविधाएं, खसरा संख्या 1079/309, खाता संख्या 70, खेवट संख्या 6, आबादी गली में स्थित नंबर 11, ईस्ट आजाद नगर, कृष्णा नगर, गांव घोंडली, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 के क्षेत्र में। **जो श्री ऋतिक साध, पुत्र श्री जितेश साध के स्वामित्व में है। सीमाः पूर्वः** अन्य की संपत्ति, **पश्चिमः** सड़क 8 फीट, **उत्तरः** अन्य की संपत्ति नंबर 76/4, **दक्षिणः** अन्य की संपत्ति नंबर 75/1।

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियो पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओ और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली एनसीआर
दिनांकः 22.04.2025

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी,
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071
शाखा कार्यालयः 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)
निगमित कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई- 400051

माँग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड** (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना(एं) निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता सकारण मानते हैं कि उधारकर्ता(गण) जो हैं वे माँग सूचना(नों) की प्राप्ति कर भुगतान करने के दायित्वों से बच रहे हैं, अतः उन तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना को नियमावली के अनुसार उनके ध्यानार्थ स्थान-स्थान पर चिपकाया जा रहा है और इसका प्रकाशन किया जा रहा है। माँग सूचना(ओं) की विषयवस्तु के निष्कर्ष यहाँ इसमें नीचे दिये गये हैं :

उधारकर्ता (ओं) के नाम	माँग सूचना तिथि तथा राशि
1. संतोष कुमार सिंह 2. मैसर्स कालका स्टोर 3. श्रीमती राधामणि देवी 4. श्रीमती मुन्नी देवी **लैन** - 212220911351103	11 अप्रैल 2025 रु. 35,37,277/- (पैंतीस लाख सैंतीस हजार दो सौ सतहत्तर रुपये मात्र) 07 अप्रैल 2025 के अनुसार
बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण	
संपत्ति की स्वामिनी – श्रीमती राधामणि देवी संपत्ति विवरण – 50 वर्ग गज क्षेत्रफल वाला आवासीय भूखंड 1.1. 41.805 वर्ग मीटर। खसरा नं. 529 दीपक विहार (सुशी) विहार) कॉलोनी, गांव खोड़ा परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद-201 001 में स्थित है, **सीमाएं: –पूर्व** में इस्लाम के प्लॉट से, **पश्चिम में** रामपलट यादव के प्लॉट से, **उत्तर में** रास्ता 20 फीट से, **दक्षिण में** अन्य मालिक के प्लॉट से।	
उधारकर्ता (ओं) के नाम	**माँग सूचना तिथि तथा राशि**
1. संदीप जगबीर सिंह 2. कमलेश जगबीर 3. जगवीर मुंशी **लैन** - 211020911397103 / 211020910771402	11 अप्रैल 2025 रु. 27,03,548/- (सत्ताईस लाख तीन हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र) 07 अप्रैल 2025 के अनुसार
बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण	
संपत्ति के स्वामी – श्री संदीप, संपत्ति विवरण – 200 वर्ग गज का मकान किला नंबर 13/17/3, 14/1, 14/2, एमसी एरिया, वाका रकबा, गढ़ी बरहाना, मेयर विहार, सोनीपत और नीचे दिए गए आयाम के साथ घिरा हुआ **पूर्व–** सुमन का प्लॉट **पश्चिम–** गली 15 फीट **उत्तर–** अन्य का प्लॉट, **दक्षिण–** गली 18 फीट, वाका मोजा गढ़ी बरहाना में एमसी सीमा के भीतर आबादी मेयर विहार के भीतर स्थित है।	
उधारकर्ता (ओं) के नाम	**माँग सूचना तिथि तथा राशि**
1. मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स 2. श्रीमती रेखा गर्ग 3. रविंदर कुमार 4. अखिल गर्ग **लैन** - 215020910895406	11 अप्रैल, 2025 रु. 29,23,316/- (रुपये उनतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सोलह मात्र) 07 अप्रैल 2025 के अनुसार
बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण	
संपत्ति की स्वामिनी – श्रीमती रेखा, संपत्ति विवरण – प्लॉट जिसका माप 85 वर्ग गज है यानी 71 वर्ग मीटर, जिसका माप 17 ग 45 फीट है, शिव वाटिका कॉलोनी, टाउन दादरी, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर के खसरा नंबर 2191 से संबंधित निचली सीमा में स्थित है। **सीमाएं :– पूर्व–** रास्ता 17 फीट, **पश्चिम–** अन्य की संपत्ति, **उत्तर–** अन्य संपत्ति, **दक्षिण–** आरिफ की संपत्ति।	
उधारकर्ता (ओं) के नाम	**माँग सूचना तिथि तथा राशि**
1. श्री श्यामवीर सिंह 2. श्रीमती सविता सिंह **लैन** - 212220910993346	11 अप्रैल 2025 रु. 24,82,785/- (रुपये चौबीस लाख बयासी हजार सात सौ पिचासी मात्र) 07 अप्रैल 2025 के अनुसार
बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण	
संपत्ति के स्वामी – श्यामवीर फूल सिंह, संपत्ति विवरण – पूर्व की ओर 18 फीट, पश्चिम की ओर 18 फीट, उत्तर की ओर 80 फीट और दक्षिण की ओर 80 फीट की भूमि का प्लॉट, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 160 वर्ग गज यानी 133.78 वर्ग मीटर यानी 0.013378 हेक्टेयर, खसरा नंबर 556 में से, ग्रामलकस्बा बिलासपुर, (बहार टाउन एरिया), परगना दनकौर, तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, **सीमाएं:– पूर्व बाय–** रोड, **पश्चिम बाय–** प्लाट ऑफ राजेश, **उत्तर बाय–** प्लाट ऑफ लखमी, **दक्षिण बाय–** आबादी यादराम	

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक प्रतिभूत ऋणदाता हैं और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूत संपत्ति होने के कारण अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रतिभूत संपत्ति(ओं) पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगी, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले प्रतिभूत संपत्ति(ओं) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। प्रतिभूत संपत्ति(ओं) की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्तियों का निस्तारण या उनसे निस्तारण या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : गाजियाबाद, सोनीपत (हरियाणा), गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)
दिनाँक : 22-04-2025

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

Mahindra FINANCE

पंजीकृत कार्यालयः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई- 400 001.
कॉर्पोरेट कार्यालयः बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, सुंदर बाग लेन, कमानी जंक्शन, कुर्ला पश्चिम मुंबई- 400 070.

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

जबकि आप नीचे उल्लिखित कर्जदार, सह-कर्जदार, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर महिंद्रा एंड **महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि महिंद्रा एंड **महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** अधिनियम के तहत एक प्रतिभूत लेनदार होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मांग सूचना जारी की है जिसमें कॉलम संख्या में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ताओं को सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि उस पर भावी ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया है।

कर्जदार/सह-कर्जदार /गारंटर/ बंधककर्ता के नाम	ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	प्रवर्तित की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	एनपीए की तिथि तथा मांग सूचना की तिथि	तिथि तक बकाया राशि रु.
1. मुकुल बिल्डर्स पेंट्स एंड हार्डवेयर के मालिक - श्री अशोक शर्मा (प्रोपराइटर) 2. श्रीमती शीला शर्मा (सह-कर्जदार और बंधककर्ता)	स्वीकृति पत्र संदर्भ संख्या 0009402828 दिनांक 12.01.2023 ऋण संख्या/अनुबंध संख्या **ISBLREP23343686** ऋण राशि रु. 1,37,90,423/- (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख नब्बे हजार चार सौ तेईस मात्र)	**बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण 1** : प्लॉट का पूरा भाग खेवट नं.-236 मिन., खतौनी नं.-354, म्यू. नं.-56, किला नं.-17 (7-10), 22(6-6), 23(8-0), 24(8-0), म्यू. नं.-58, किला नं.-4/2/1 (1-9), वाका मौजा अगवानपुर, तहसील व जिला- फरीदाबाद, हरियाणा। **सीमाएं: उत्तरः सड़क; दक्षिणः** दूसरों की संपत्ति; पूर्व : मकान नं.-2000.; पश्चिमः मकान नं.-1998.	**एनपीए की तिथिः** 10.04.2025 **मांग सूचना की तिथिः** 17.04.2025	रु. 1,35,60,739.97/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार सात सौ उनतालीस एवं सत्तानबे पैसे मात्र) **तिथि 15.04.2025 तक**

इसलिए, जैसा कि कॉलम संख्या 1 में उल्लेख किया गया है, कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करें क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई तारीख को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो महिंद्रा एंड **महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** को कॉलम संख्या 3 में वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है जो कानून के तहत उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककताओं के खिलाफ महिंद्रा एंड **महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निपटान या उससे निपटने या प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांकः 22.04.2025 स्थानः फरीदाबाद, हरियाणा

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

(मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)
कार्यालय : फोन : 07682-244442, फैक्स : 07682-244442
E-mail : mchhatrasaluniversity@gmail.com
क्रमांक : 1680/2025 छतरपुर, दिनांक : 21.04.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) में Silent generator (साइलेंट जनरेटर) हेतु GeM Portal के माध्यम से Bid अमांत्रित की जा रही है।

S. No.	Tender ID	Name of Item	Last Date
01	GEM/2025/B/6152700	Silent generator	21 दिवस

नोट : Bid से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं Bid Document के लिए GeM Portal पर विजिट करें।

म.प्र. माध्यम/119736/2025

कुलसचिव

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा ए क्रॉस, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक -560095
क्षेत्रीय कार्यालय : जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उ.प्र.)
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाएँ हैं: दौसा, बूंदी, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के परंतुक नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

उज्जीवन के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी ''जैसा है जहां है'' और ''जैसा है यही है'' के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र सं	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह-कर्जदार /गारंटर के नाम	13-2 मांग सूचना तिथि तथा मांग राशि	कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रुपए में	बयाना राशि (ईएमडी) आईएनआर में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण	संपर्क नंबर
1.	22152101 80000019	1. ममलेश कंवर पत्नी दशरथ सिंह राजपूत 2. दशरथ सिंह राजपूत पुत्र सेडू सिंह राजपूत	26.02.2024 15,51,877/- रु.	23.01.2025	18,36,494.24/- रु. (12.02.2025 तक)	15 मई, 2025 अपराह्न 1:00 बजे	18,20,000/- रुपए	1,82,000/- रुपए	28 मई, 2025 पूर्वा. 11:00 से पूर्वा. 11:30 तक	27 मई, 2025 अपराह्न 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में **दौसा शाखा, अपर ग्राउंड फ्लोर, खसरा नंबर 1611, शिव कॉलोनी, आगरा रोड, अशोक नगर, दौसा-** 303303 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9602161818, 9950157892, 9983365566
संपत्तिः प्लॉट नंबर एल-632 का पश्चिमी भाग, खसरा नंबर 2088, शिक्षक कॉलोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा, राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 56.64 वर्ग गज के सभी अनिवार्य अंग, जो इस प्रकार घिरा है:- उत्तरः- सड़क, दक्षिणः- सड़क, पूर्वः- प्लॉट नंबर एल-632 का पूर्वी भाग, पश्चिमः- अन्य का प्लॉट।												
2.	22257610 0000005	1. अक्षय कुमार बैरागी पुत्र ओम प्रकाश बैरागी 2. कोनिका पत्नी अक्षय कुमार बैरागी	11 नवंबर 2019 3,05,866/- रु.	25.04.2022	9,35,083.35/- रु. 02.04.2025 तक	07 मई, 2025 अपराह्न 1:00 बजे	2,25,000/- रुपए	22,500/- रुपए	16 मई, 2025 अप. 1:00 से अप. 1:30 तक	15 मई, 2025 अपराह्न 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में **बूंदी शाखा, प्लॉट नं. 1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, न्यू कॉलोनी, बूंदी-** 323001 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9602161818, 9950157892, 9983365566
संपत्तिः भूमि और भवन, पट्टा संख्या 7428 वाली संपत्ति, क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट, गांव नीम का खेड़ा, तहसील और जिला- बूंदी, राजस्थान में स्थित संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। उत्तरः ओम बैरागी का घर, दक्षिणः प्रभु लाल का घर, पूर्वः सड़क, पश्चिमः राम प्रसाद का घर।												
3.	23382101 30000005	1. श्री नदीम पुत्र चांद मोहम्मद 2. श्रीमती हिना कुरेशी पत्नी नदीम	20 जुलाई 2021 8,27,509/- रु.	30.10.2023	9,31,013.20/- रु. 02.04.2025 तक	15 मई, 2025 अपराह्न 1:00 बजे	9,57,000/- रुपए	95,700/- रुपए	28 मई, 2025 अप. 12:00 से अप. 12:30 तक	27 मई, 2025 अपराह्न 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में **सांगानेर शाखा, दुकान नं. 3ए ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, कृष्णा विहार, टोंक रोड, सांगानेर, पुष्प एन्क्लेव के पास, सांगानेर, जयपुर-** 302033 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9602161818, 9950157892, 9983365566
संपत्तिः रॉयल नगर, लालवास, रामगढ़ रोड, तहसील और जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित प्लॉट नंबर 134 क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट आवासीय संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। उत्तरः प्लॉट नंबर 119, दक्षिणः रास्ता 20' चौड़ा, पूर्वः प्लॉट नंबर 135, पश्चिमः प्लॉट नंबर 133।												
4.	22262101 80000007	1. ओम प्रकाश राजोरिया पुत्र कालूराम राजोरिया, 2. मैसर्स दीपक एवं कंपनी, 3. संतारा देवी राजोरिया पत्नी ओम प्रकाश राजोरिया	18 जून 2022 14,16,486.95/- रु.	14.09.2023	20,73,576.52/- रु. 02.04.2025 तक	15 मई, 2025 अपराह्न 1:00 बजे	23,00,000/- रुपए	2,30,000/- रुपए	28 मई, 2025 अप. 2:00 से अप. 2:30 तक	27 मई, 2025 अपराह्न 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में **जयपुर शाखा, प्लॉट नंबर ए-58ए, ए59, ग्राउंड फ्लोर, स्कीम नंबर 10ए, रिद्धि-सिद्धि चौराहे के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-** 302017 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9602161818, 9950157892, 9983365566
संपत्तिः श्री श्याम नगर-2, खोरा बिसल, पावर हाउस, रोजदा रोड, तहसील आमेर और जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित प्लॉट नंबर 1, क्षेत्रफल 125 वर्ग गज वाली आवासीय संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। उत्तरः- 30' रोड, दक्षिणः- दुकानें, पूर्वः- प्लॉट नंबर 02, पश्चिमः- प्लॉट नंबर 1-ए।												

नियम एवं शर्तें :
ई-नीलामी **''जहां है जैसे है'', "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है यहीं है"** आधार पर आयोजित की जायेगी।
1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणभार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देवताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही यह माना जाएगा। संपत्ति की बैंक की जात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं की अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी की तारीख से पहले अधोहस्ताक्षरित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
4. ई-नीलामी उज्जीचन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति **प्रबाकरन (मो. नंबर 7418281709)**। इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com या https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाने की सलाह दी जाती है। और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर- 7291918824, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडीः **support@bankeauctions.com**, नीलामी पोटल- **https://www.bankeauctions.com** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति उच्चतम बोलीदाता/प्रस्तावित को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत लेनदार, यानी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण विवेक है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो इंटर-से बोली लगाने की अनुमति दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले बिक्री मूल्य का शेष 75% या किसी भी मामले में लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अधिकतम 3 महीने की विस्तारित अवधि के भीतर सहमति के अनुसार जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और डिफॉल्ट खरीदार का संपत्ति राशि के संबंध में कोई दावा अधिकार नहीं होगा।
7. यह प्रकाशन प्रभावी मुख्य खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे, ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों की घटनाओं से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैंक-अप आदि की व्यवस्था करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।

यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

तिथिः 21.04.2025 स्थानः नोएडा
प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीचन स्मॉल फाइनेंस बैंक

माणा हिमस्खलन की जांच को पहुंचा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दल, कहा

कारणों का अध्ययन कर आपदा के प्रभाव को किया जाएगा कम

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 21 अप्रैल।

उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास माणा गांव में फरवरी में हुए हिमस्खलन की जांच के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के एक दल ने सोमवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया।

इस हिमस्खलन के कारण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के आठ श्रमिकों की मौत हो गई थी। चमोली जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, हेलिकाप्टर से बद्रीनाथ पहुंचे एनडीएमए के चार सदस्यीय दल ने 28 फरवरी को हुए हादसे की जगह का स्थलीय निरीक्षण किया।

प्रशासन के अनुसार, एनडीएमए दल हादसे के संबंध में एक रपट तैयार करेगा, जिसमें भविष्य में आपदा की रोकथाम और आपदा राहत कार्यों को बेहतर किए जाने के सुझाव शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद दल ने आइटीबीपी, बीआरओ और जिला प्रशासन के अधिकारियों से घटना और उसके बाद चलाए गए राहत एवं बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी ली। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दल का नेतृत्व करने वाले ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) रवींद्र गुरुंग ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य घटना के कारणों का अध्ययन कर हिमस्खलन के प्रभाव को कम करना और आपदा राहत कार्यों में सुधारों को लेकर रपट तैयार करना है, जिससे भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने में मदद मिलेगी।

फॉर्म नं. आईएनसी–26

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप - नियम (5) के उपबंध (क) के तहत और मेसर्स सनशाइन पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–27, सौरभ विहार, जैतपुर रोड, बदरपुर, नई दिल्ली, भारत, 110044 पर स्थित है, के मामले में।

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि रा.रा क्षेत्र दिल्ली से उत्तरप्रदेश राज्य में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 07.04.2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति टउअ-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पतेः बी–2 विंग, 2 रा तल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

कृते एवं के लिये,
सनशाइन पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड
राम गोपाल शर्मा
निदेशक
डीआईएनः 03079907

दिनांकः 07/04/2025
स्थानः नई दिल्ली

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा 8-बी, प्रथम तल, राजेन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060,
फोन : 011–40591567 (एक्स. 240)
ई-मेल : delhiarm@ktkbank.com
वेबसाइट : www.karnatakabank.com
CIN : L85110KA1924PLC001128

अचल सम्पत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर **कर्नाटक बैंक लिमिटेड,** प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने 22.02.2025 को भौतिक कब्जा कर लिया है, प्रतिभूत लेनदार **कर्नाटक बैंक लिमिटेड,** नई दिल्ली–पश्चिम विहार, प्लॉट नं. ए-4/33, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, ज्वालाहेड़ी रोड, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 प्रतिभूत लेनदार के (1) मेसर्स जेएमडी एलिवेशन, इसके मालिक द्वारा प्रतिनिधित्वः ए) श्री अनिल कुमार मोंगा पुत्र श्री कृष्ण लाल मोंगा, (2) श्री अनिल कुमार मोंगा पुत्र श्री कृष्ण लाल मोंगा, दोनों नंबर (1) और (2) निवासीः 8/127, द्वितीय तल, रमेश नगर, सिंगल स्टोरी, नई दिल्ली–110015, (3) श्रीमती ममता मोंगा पत्नी श्री अनिल कुमार मोंगा निवासीः मकान नंबर 23, ब्लॉक –5 सिंगल स्टोरी, रमेश नगर नई दिल्ली–110015, कर्जदार/गारंटर/सह–दायित्वधारी होने का नाते, **रु. 12,47,023.53 [रुपये बारह लाख सैंतालीस हजार तेईस तथा तिरपन पैसे मात्र],** पीएसओडी खाता संख्या 5547000600013801 के तहत 01.04.2025 से भावी ब्याज एवं प्रभार की वसूली हेतु 22.05.2025 को **"जहाँ है जैसे है", "जो भी है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर बिक्री की जायेगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती ममता मोंगा से संबंधित, प्लॉट संख्या आरजेड–15, गली नंबर–2, बिंदापुर मिथिला रोड, सुभाष पार्क एक्सटेंशन द्वितीय, उत्तम नगर नई दिल्ली, द्वितीय तल पर पीछे की ओर के फ्लैट के पहले से ही इक्विटेबल बंधक का समस्त भाग, **सीमाएंः पूर्व सेः** प्रवेश/सड़क **पश्चिमः** प्लॉट संख्या आरजेड–16 **उत्तरः** सड़क 10 फीट चौड़ी **दक्षिणः** सड़क 20 फीट चौड़ी

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकतीः रु. 12,60,000.00 (रुपये बारह लाख साठ हजार मात्र) **जमा/निविदा की जाने वाली धरोहर राशिः** रु. 1,26,000.00 (रुपये एक लाख छब्बीस हजार मात्र)

(प्रतिभूत आस्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के सम्बन्ध में कर्जदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।)

(यह सूचना कर्जदाताओं/जमानतियों के लिए प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियम–2002 के नियम (9) के उपनियम (1) के तहत सूचना भी होगी।)

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कर्नाटका बैंक लिमिटेड की वेबसाइट www.karnatakabank.com में "Mega E-Auction on 22.05.2025" शीर्षक के तहत लिंक देखें।

ई–नीलामी 05 मिनट के असीमित विस्तार सहित 22.05.2025 को 11.30 बजे पूर्वा. से 12.30 बजे अप. तक पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से संचालित की जायेगी।

इच्छुक संविदाकार को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना तथा निःशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है तथा मैसर्स 4क्लोजर, 605ए, 6ठा तल, मैत्रीवनम, अमीरपेत, हैदराबाद–500038, सम्पर्क : नं. 040–23836405, मोबाइल – 8142000809, ई–मेल : info@bankauctions.in से ई–नीलामी के विषय में ऑनलाइन प्रशिक्षण (21.05.2025 से सम्भावित) प्राप्त कर सकते हैं।

तिथि : 21.04.2025
स्थान : दिल्ली
हस्ता./– कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड
मुख्य प्रबन्धक एवं अधिकृत प्राधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

अंसारी रोड़ शाखा
2/10, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002 फोनः 011–23262953, 23270531, 9818555419 ईमेल–vjansa@bankofbaroda.co.in

लॉकर धारकों को नोटिस–बैंक ऑफ बड़ौदा लॉकर के किराए का भुगतान करने में चूककर्ता

यह हमारे मूल्यवान संरक्षकों की जानकारी के लिए है, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, अंसारी रोड़ शाखा में लॉकर किराए पर लिए हैं और अनुबंध का उल्लंघन किया है। आरबीआई/बैंकों के दिशा–निर्देशों के अनुसार लॉकर धारकों को उनके दर्ज पते पर भेजे गए नोटिस बिना डिलीवर किए या जवाब दिए वापस आ गए हैं। लॉकर धारकों से उनके दर्ज पते पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के प्रयास भी व्यर्थ गए और उनका वर्तमान ठिकाना पता नहीं चल सका। इस प्रकार, कोई विकल्प न होने के कारण, यह नोटिस नीचे दिए गए सभी व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 90 दिनों की अवधि के भीतर बैंक ऑफ बड़ौदा, अंसारी रोड़ शाखा से संपर्क करके अपना बकाया चुकाएं, ऐसा न करने पर बैंक अपनी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर लॉकर को तोड़ देगा और बैंक इस कार्य के लिए बकाया किराया, लागत और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए वस्तुओं पर अपने ग्रहणाधिकार के अधिकार का प्रयोग करेगा।

क्र. सं.	पुराना लॉकर सं.	नया लॉकर सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	देय तिथि	बकाया राशि	समाप्ति नोटिस की तिथि	बेकडोपन नोटिस की तिथि	बकाया राशि
1	179	7669AX0147	उमा अग्रवाल एवं जय किशन अग्रवाल	एफ–7/30 कृष्णा नगर नई दिल्ली–110051	09.10.2021	18113/-	26.09.2024	26.12.2024	18113/-

कृपया ध्यान दें कि यदि लॉकर को तोड़ा जाता है और लॉकर समझौते के प्रावधानों के अनुसार उसकी सामग्री का निपटान किया जाता है, तो बैंक अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और ग्राहक द्वारा उठाए गए किसी भी लागत, हानि या दायित्व (लॉकर की सामग्री की किसी भी क्षति और/या हानि सहित) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

शाखा प्रबंधक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय, नोएडा– बी–192/ए, ब्लॉक बी, सेक्टर 52, नोएडा गौतम बौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301
प्रधान कार्यालयः लोकमंगल,1501,शिवाजीनगर, पुणे–5

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3 (1) के अन्तर्गत मांग सूचना (सरफेसी एक्ट)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संबंधित शाखा के माध्यम से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन.पी.ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट पावती सहित आपको भेजी गई थी, जो कि वापस हुई। इसलिए इस प्रकाशन के द्वारा नोटिस देते हुए आप सभी संबंधितों को अवगत किया जाता है, कि निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/जमानतदारों को एतद् द्वारा **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संबंधित शाखा** ने इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर निम्न वर्णित बकाया राशि साथ ही अतिरिक्त ब्याज, लागत अनुषंगिक व्यय, प्रभार इत्यादि अदा करने के लिये सूचित करते हैं। बैंक के दस्तावेजों एवं करार के अनुसार ऋणी की सुरक्षित आस्तियां **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के प्रभार के अधीन है। उधारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋणी एवं जमानतदार का नाम एवं पता	बंधक संपत्ति का विवरण	क्रेडिट सुविधा का प्रकार एवं राशि	बकाया राशि / मांग सूचना दिनांक
सिकंदरा आगरा शाखा			
1. मैसर्स सम्राट फुटवियर, पताः 46/2 ए–बी खेताना लोहामंडी वार्ड, भरतपुर रोड, सिटी आगरा–282002 2. श्रीमती सुचित्रा पत्नी श्री बृज प्रकाश, निवासी 46/2 ए–बी खेताना लोहामंडी वार्ड, भरतपुर रोड, शहर आगरा– 282002	1. भूमि और भवन संपत्ति का साम्यिक बंधक, एक किता प्लॉट मिंजुमला खसरा संख्या 374, नगर निगम 46/02 खेताना मौहल्ला, लोहामंडी वार्ड, शहर आगरा, क्षेत्रफल 32.89 वर्ग मीटर, सीमायें:–पूर्वः संपत्ति श्रीमती सुचित्रा, पश्चिमः भूमि खेमराज, उत्तरः श्री बाल किशन का मकान, दक्षिणः लोहामंडी बोदला रोड। Cersai ASSET ID : 200091909342	1) कैश क्रेडिट फेसिलिटी खाता संख्या– 60421843672 रु. 23.00 लाख	दिनांक 07.04.2025 को वर्तमान बकाया लेजर बैलेंस– रु. 22,83,135.80 अप्रभारित ब्याज– रु. 81,880.00 पैनल ब्याज– रु. 4699.00 कुल बकाया– रु. 23,69,714.80
	2. भूमि और भवन संपत्ति का साम्यिक बंधक, एक किता प्लॉट मिनजुमला खसरा सांख्य 374, असर नगर निगम 46/02 खेताना मोहल्ला, लोहामंडी वार्ड, शहर आगरा, क्षेत्रफल 99.63 वर्ग मीटर, सीमायें:–पूर्वः बुद्ध विहार, पश्चिमः भूमि बृज प्रकाश; उत्तरः बाल किशन का मकान, दक्षिणः लोहामंडी बोदला रोड। Cersai ASSET ID : 200091910329	2) टर्म लोन 60423099897 रु. 1.50 लाख	लेजर बैलेंस– रु. 98,814.24 अप्रभारित ब्याज– रु. 5,044.00 पैनल ब्याज– रु. 14.00/– डिस्चार्ज शुल्क – रु. 177.00 कुल बकाया– रु. 1,04,049.24
		एन पी ए दिनांक :– 22.01.2025	कुल योग – 24,73,764.04 +देय दर से अप्रभारित ब्याज एवं पैनल ब्याज + दिनांक 07/04/2025 से अन्य खर्च **मांग सूचना की तिथि 07.04.2025**
सिकंदरा आगरा शाखा			
1. श्री कृष्ण खंडेलवाल पुत्र श्री विजय खंडेलवाल, प्रोप. मैसर्स कृष्णा ज्वैलर्स पताः 5/192/ई6, न्यू केदार नगर शाहगंज आगरा, 282010 इसके अलावाः 5/850 रामनगर की पुलिया बिचपुरी शाहगंज आगरा, 282010 2. मैसर्स कृष्णा ज्वैलर्स, पताः 5/192/ई6, न्यू केदार नगर शाहगंज आगरा, 282010 3. श्री विजय खंडेलवाल पुत्र श्री भगवान दास पताः 5/192/ई6, न्यू केदार नगर शाहगंज, आगरा, 282010	दुकान का साम्यिक बंधक नगर निगम संख्या 5/850 का भाग, राम नगर मोजा भोगीपुरा तहसील और जिला आगरा, कुल क्षेत्रफल 21.78 वर्ग मीटर, सीमायें:–पूर्व – राजेंद्र प्रसाद की दुकान और देवेश वर्मा का मकान, पश्चिम– नितेश अग्रवाल की संपत्ति, उत्तर– चंद्रावती और अन्य की संपत्ति का भाग, दक्षिण– सरकारी रामनगर तिराहा और अवधपुरी चौराहा से निकास और सड़क Cersai ASSET ID :200062314525	क्रेडिट फेसिलिटी खाता संख्या 60414231986 कैश क्रेडिट फेसिलिटी रु. 24.50 लाख	दिनांक 08.04.2025 को वर्तमान बकाया लेजर बैलेंस – रु. 24,49,143.05 अप्रभारित ब्याज – रु. 29,026.00 पैनल ब्याज – रु. 4,532.00 कुल बकाया – रु. 24,82,701.05
		एन पी ए दिनांक :– 31.03.2025	कुल योग – 24,82,701.05 +देय दर से अप्रभारित ब्याज एवं पैनल ब्याज + दिनांक 08/04/2025 से अन्य खर्च **मांग सूचना की तिथि 08.04.2025**

उपरोक्त ऋणी / जमानतदारों यदि 60 दिवस के अन्दर **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** का बकाया चुकाने में असफल रहते हैं तो उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के प्रावधानों के तहत सभी या किसी एक या अधिक रक्षित आस्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही, उधारकर्ता की रक्षित आस्तियों को कब्जे में लेने तथा उनका विक्रय करने की कार्यवाही करेगी। इसके अतिरिक्त आप सरफेसी अधिनियम की धारा के तहत उक्त रक्षित आस्तियों का या तो विक्रय का लीज करने इत्यादि के द्वारा अन्तरण करने और किसी अन्य प्रकार बाधा डालने से प्रतिबंधित हैं। विस्तृत मांग नोटिस की प्रति हेतु बैंक की **संबंधित शाखा** से संपर्क करें।

दिनांक– 21.04.2025
प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इण्डिया – नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा
तृतीय तल, स्टार हाउस, पीवीआर प्लाजा के पीछे, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001
संपर्क : 01123755605 ई–मेल : AssetRecovery.NewDelhi@bankofindia.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना सम्पत्तियों की ई–नीलामी : 25.09.2023

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिनका कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित ई–नीलामी के माध्यम से **"जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" एवं "जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर 09.05.2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक बेचा जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) के नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया	a. आरक्षित मूल्य b. ईएमडी c. बोली वृद्धि	सम्पर्क नम्बर सहित प्राधिकृत अधिकारी
1.	कर्जदार मेसर्स प्रिंस डायमंड्स 1. श्री प्रतीक अग्रवाल (प्रोपराइटर) 2. श्री निशित जैन (गारंटर) शाखा–नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा	व्यावसायिक संपत्ति (पूर्वी दिशा) भूतल, बिना छत के, संपत्ति के अधिकार नगरपालिका संख्या 3254 वार्ड संख्या **XVI**, खसरा संख्या 2681/2616, गली संख्या 28 की ओर, ब्लॉक–पी, गली संख्या 28 और 29, बस्ती रेघर, बीडनपुरा, करोल बाग नई दिल्ली में 9.77 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, श्री निशित जैन पुत्र जितेन्द्र कुमार जैन के नाम पर (यह संपत्ति भौतिक कब्जे में है)	रु. 77.01 लाख तथा यूसीआई और अन्य शुल्क	**a)** रु. 17,32,000/– **b)** रु. 1,73,200/– **c)** रु. 10,000/–	श्री विपिन शर्मा मोबाइल +918112268734
2.	कर्जदारः मेसर्स आर. ए. ट्रेडर्स प्रोपराइटर – श्रीमती रेखा जैन गारंटर–1–श्रीमती वनिता डिडवानी गारंटर–2–श्री अत्तर सिंह शाखा–नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा	खाता संख्या 179, खसरा संख्या 462 में स्थित आवासीय खाली भूखंड, 1377 वर्ग गज, ग्राम नौबरी तहसील और जिला आगरा, श्री अत्तर सिंह (गारंटर) के नाम पर (यह संपत्ति भौतिक कब्जे में है)	रु. 90.97 लाख तथा यूसीआई और अन्य शुल्क	**a)** रु. 46,98,000/– **b)** रु. 4,69,800/– **c)** रु. 10,000/–	श्री विपिन शर्मा मोबाइल +918112268734
3.	कर्जदारः मेसर्स यंगमैन डायमंड्स 1 श्री निशित जैन (प्रोपराइटर) 2. श्रीमती सोनी जैन (गारंटर) शाखा–नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा	दुकान संख्या 3 में व्यावसायिक संपत्ति, 115 वर्ग फीट क्षेत्रफल, दूसरी मंजिल, नगरपालिका संख्या 2578–2579, वार्ड संख्या **XVI**, प्लॉट/खसरा नंबर 273, एम–ब्लॉक, गली नंबर 5, बीडनपुरा, करोल बाग नई दिल्ली 110005, श्री निशित जैन के स्वामित्व में (यह संपत्ति भौतिक कब्जे में है)	रु. 96.91 लाख तथा यूसीआई और अन्य शुल्क	**a)** रु. 11,39,000/– **b)** रु. 1,13,900/– **c)** रु. 10,000/–	श्री विपिन शर्मा मोबाइल +918112268734
4.	कर्जदारः मेसर्स केडिया ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड 1. श्री अचल केडिया (गारंटर) 2. श्रीमती मधु केडिया (गारंटर) 3. गोल्डलाइन ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर) शाखा–नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा	ब्लॉक–पी, गली नंबर 27 में नगरपालिका नंबर 3272, वार्ड नंबर **XVI** वाली वाणिज्यिक संपत्ति की तीसरी मंजिल (पूर्वी भाग) पर वाणिज्यिक दुकान, खसरा नंबर 2657/2616 पर निर्मित, बस्ती रेघर, बीडनपुरा, करोल बाग नई दिल्ली 110005 में स्थित, मेसर्स गोल्डलाइन ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में, 225 वर्ग फीट माप। (यह संपत्ति भौतिक कब्जे में है)	रु. 185.23 लाख तथा यूसीआई और अन्य शुल्क	**a)** रु. 26,73,000/– **b)** रु. 2,67,300/– **c)** रु. 10,000/–	श्री विपिन शर्मा मोबाइल +918112268734
5.	कर्जदारः मेसर्स मोहन जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड (एनसीएलटी – परिसमापन प्रक्रिया के तहत एक गोइंग कंसर्न के रूप में बेचा गया) गारंटरः 1. श्री मुकेश सोनी पुत्र श्री विक्रम सिंह सोनी 2. श्री मुरारी लाल सोनी पुत्र श्री विक्रम सिंह सोनी 3. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह सोनी 4. श्रीमती ज्योति सोनी पत्नी श्री मुकेश सोनी, 5. श्रीमती हर्ष सोनी पत्नी श्री मुरारी लाल सोनी 6. मेसर्स गंगा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड	संपत्ति आईडीः **BKID6102MOHANGEMS02** संपत्ति नगरपालिका नंबर 3319, 3335 और 3336 ब्लॉक–पी, गली नंबर 26, वार्ड नंबर **XVI** में ग्राउंड फ्लोर पर बाईं ओर की दुकान, बस्ती रेघर, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, 450 वर्ग फुट, खसरा नंबर 2630/2616 श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व में प्रतिभूत लेनदार लेनदार – बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कल्पतरु फिनकैप लिमिटेड (एसबीओपी द्वारा इन्वेंट एआरसी को और इन्वेंट एआरसी द्वारा कल्पतरु फिनकैप लिमिटेड को सौंपा गया ऋण) (यह संपत्ति भौतिक कब्जे में है)	रु. 367,18,73,351.40 वसूली घटाकर तथा संबंधित मांग नोटिस की तारीख से ब्याज, व्यय और अन्य शुल्क आदि	**a)** रु. 1,76,00,000/– **b)** रु. 17,60,000/– **c)** रु. 50,000/–	श्री वैभव गुप्ता मोबाइल +919891505506
6.	कर्जदारः मेसर्स दिल्ली डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड गारंटर– 1. श्रीमती सीता देवी (गारंटर) 2. श्री मुकेश सोनी (गारंटर) 3. मुरारी लाल सोनी (गारंटर) 4. ज्योति सोनी (गारंटर) शाखा–नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा	पूरा बेसमेंट बिना छत/छत के अधिकार के, 50' x 40' यानी लगभग 2000 वर्ग फीट, नगरपालिका संख्या 2746, वार्ड संख्या **XVI** की फ्रीहोल्ड संपत्ति, ब्लॉक–पी, गली संख्या 22–23 में प्लॉट/खसरा संख्या 34 पर निर्मित, लगभग 222 वर्ग गज, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, दिल्ली, नई दिल्ली–110005 में स्थित (यह संपत्ति भौतिक कब्जे में है)	29.01.2015 से रु. 4279.59 लाख तथा वसूली घटाकर यूसीआई और अन्य शुल्क	**a)** रु. 2,70,00,000/– **b)** रु. 27,00,000/– **c)** रु. 50,000/–	श्री वैभव गुप्ता मोबाइल +919891505506

नियम एवं शर्तें:
1) नीलामी बिक्री/बोली केवल **https://baanknet.com** वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को **https://baanknet.com** पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहिए और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने चाहिए और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर/चालान फॉर्म (**https://baanknet.com**) के माध्यम से बैंकनेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा।
3) नीलामी की तिथि और समयः 09.05.2025 को 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. तक 05 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ।
4) संपत्ति का निरीक्षण 07.05.2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. के बीच संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के साथ किया जा सकता है।
5) ई–नीलामी ऊपर बताए गए अनुसार आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को सभी संपत्तियों के लिए एक साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा।
6) इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी में सुचारू भागीदारी के लिए **https://baanknet.com** पर 09.05.2025 से पहले आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों के साथ **BAANKNET EMD** वॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी यानी आरक्षित मूल्य का 10% जमा करना चाहिए।
7) उच्चतम/सफल बोलीदाता को खरीद राशि की 25% राशि (पहले से भुगतान की गई ईएमडी यानी बोली राशि का 10%) सहित तुरंत लेकिन बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के अगले कार्य दिवस (बैंकिंग घंटों के दौरान) तक जमा करनी होगी, जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
8) क्रय राशि का शेष 75% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन (बैंकिंग समय के दौरान) या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत किसी विस्तारित अवधि में तथा पूरी तरह से उसके विवेक पर देय होगा। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा न करने की स्थिति में, जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी/बैंक नीलामी को रद्द करके नई नीलामी आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
9) संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा तथा बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
10) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक देखें –**https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3**
11) यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ई–नीलामी के लिए सूचीबद्ध संपत्ति **"जैसी है, जहाँ है", "जो है, यही है" और "जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर बेची जा रही है, इसलिए संपत्ति से संबंधित सभी बकाया राशि (यदि कोई हो) नीलामी क्रेता द्वारा वहन की जाएगी।
12) यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को 15 दिन की पूर्व सूचना भी है।
13) इस नोटिस के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा संस्करण के बीच विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांकः 22.04.2025
स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन बैंक Indian Bank (इलाहाबाद ALLAHABAD)

एच–1ए/18, सेक्टर 63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201301, ई–मेल :– n615@indianbank.co.in । दूरभाष सं.: 0120–2427115

परिशिष्ट- IV [नियम-8(1)]
अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित 09–01–2025 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता / बंधककर्ता श्री अराध्य सक्सेना पुत्र मनोज सक्सेना निवासी– ए–5, शास्त्री नगर, कोदेसिया साई मंदिर के निकट, बरेली, उत्तर प्रदेश– 2431222 तथा अन्य पता यहां पर भी : फ्लैट नं. 604, 6ठवां तल, टॉवर 2, नावेना ग्रीन्स, सेक्टर–टेक्जोन–4, ग्रेटर नोएडा (प.), जी बी नगर, यूपी–201009, हमारी इंडियन बैंक नोएडा सेक्टर– 63 शाखा के साथ, को सूचना में अंकित राशि रु. 26,19,063.43/– (रुपये छब्बीस लाख उन्नीस हजार तिरेसठ और तैंतालिस पैसे मात्र) तथा राशि पर अर्जित ब्याज का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 19–अप्रैल–2025 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन रु. 26,19,063.43/– (रुपये छब्बीस लाख उन्नीस हजार तिरेसठ और तैंतालिस पैसे मात्र) की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु इंडियन बैंक के प्रभाराधीन होगा।

"हम आपका ध्यान, प्रतिभूतियों का ऋण मोचन करने के आपके अधिकारों के संदर्भ में सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली की ओर आकृष्ट करते हैं"।

अचल संपत्ति का विवरण

प्रतिभूति हित आईडी : 400073073547 / परिसंपत्ति आईडी : 200278279006
संपत्ति का विवरण : फ्लैट नं. 604 के समस्त भाग तथा अंश, जो 6ठवें तल पर, टॉवर 2, नोवेना ग्रीन्स, सेक्टर– टेक्जोन–4, ग्रेटर नोएडा (प.), जीबी नगर, यूपी– 201009 में स्थित है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमायें :– उत्तर पूर्व– प्रवेश, गलियारा; उत्तर पश्चिम– सीढ़ी; दक्षिण पूर्व– खुला; दक्षिण पश्चिम– खुला।

दिनाँक : 19/04/2025, स्थान : नोएडा हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) इंडियन बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank (इलाहाबाद ALLAHABAD)

एच–1ए/18, सेक्टर 63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201301 ई–मेल :– n615@indianbank.co.in । दूरभाष सं.: 0120–2427115

परिशिष्ट- IV [नियम-8(1)]
अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 4) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित 02–01–2025 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता मैसर्स कैपिटल ट्रेडिंग कंपनी (एकमात्र प्रॉप.– श्रीमती चित्रा मित्तल पत्नी श्री अविनाश कुमार मित्तल) और मैसर्स मित्तल ट्रेडिंग कंपनी (प्रॉप. श्री अविनाश कुमार मित्तल पुत्र श्री विनोद कुमार मित्तल), दोनों निवासी : ए–35, द्वितीय तल, जे पी गार्डन, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता), जिनका हमारे सेक्टर 63 नोएडा शाखा में खाता है और श्री अविनाश कुमार मित्तल एवं श्रीमती चित्रा मित्तल दोनों (गारंटर एवं बंधककर्ता) दोनों खातों के अंतर्गत, निवासी : ए–35, द्वितीय तल, जे पी गार्डन, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश शाखा के साथ, को सूचना में अंकित राशि **रु. 1,58,62,387.64/– (रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख बासठ हजार तीन सौ सत्तासी और चौंसठ पैसे मात्र)** तथा दिनांक 02.01.2025 से भुगतान की तिथि तक अर्जित ब्याज का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 19–अप्रैल–2025 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, निम्नांकितानुसार **रु. 1,58,62,387.64/– (रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख बासठ हजार तीन सौ सत्तासी और चौंसठ पैसे मात्र)** की एक राशि हेतु इंडियन बैंक के प्रभाराधीन होगा :

क्र. सं.	ऋण सुविधा	बही शेष (रु.)	एमओआई (रु.)	कुल देयराशि (रु.)
1	प्रतिभूत ओवरड्राफ्ट (6444960881)	1799400	5796613.28	7596013.28
2	प्रतिभूत ओवरड्राफ्ट (6446770560)	2261891	6004483.36	8266374.36

अचल संपत्ति का विवरण

104.26 वर्ग मीटर (सुपर एरिया) क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो प्लॉट नं. ए/35, द्वितीय तल पर छत के अधिकारों के साथ, जे पी गार्डन एस्टेट, जे पी एन्क्लेव, मोहन नगर, गाजियाबाद (उप्र) में स्थित हैं, प्लॉट की सीमा निम्नानुसार है; **सीमा; उत्तर में :** प्लॉट संख्या ए–36, **दक्षिण में :** 9 मीटर चौड़ी सड़क, **पूर्व में :** प्लॉट संख्या ए–66, **पश्चिम में :** 12 मीटर चौड़ी सड़क।

दिनाँक : 19/04/2025, स्थान : नोएडा हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) इंडियन बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank (इलाहाबाद ALLAHABAD)

एच–1ए/18, सेक्टर 63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201301 ई–मेल :– n615@indianbank.co.in । दूरभाष सं.: 0120–2427115

परिशिष्ट- IV [नियम-8(1)]
अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित 05–04–2024 निर्गत की थी, जिसमें **उधारकर्ता मैसर्स ए.एम.एंटरप्राइजेज, स्वामी– आस मोहम्मद पुत्र सैय्यद खान, पता : ब्रह्म सिंह मार्केट, खैरपुर रोड, खेड़ा चौगानपुर, बी.एस.एफ कैंप के समीप, के पी–वी, ग्रेटर नोएडा, जी. बी. नगर– 201306, (यू. पी.), अन्य पता यहां पर भी : हबीबपुर, स्वामी मार्केट, डी.एस.सी. रोड, कच्ची सड़क, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर– 201306 और बंधककर्ता लेट वकीला पत्नी आस मोहम्मद इसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से 1.) यूनिश खान पुत्र आस मोह. निवासी मकान नंबर 4, खसरा नंबर 44, खेड़ा चौगानपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी, 2.) अनीश खान पुत्र आस मोह. निवासी मकान नंबर 4, खसरा नंबर 44, खेड़ा चौगानपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी 3.) शबनम सैफी पुत्री आस मोह. निवासी– मकान नंबर 4, खसरा नंबर 44, खेड़ा चौगानपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी, 4.) मुस्कान पुत्री आस मोह. निवासी मकान नंबर 4, खसरा नंबर 44, खेड़ा चौगानपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी 5.) आस मोह. पुत्र सैय्यद खान, मकान संख्या 4, खसरा संख्या 44, खेड़ा चौगानपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, इंडियन बैंक नोएडा सेक्टर– 63 शाखा** के साथ, को सूचना में अंकित राशि **रु. 1,08,54,066.84/– (रुपये एक करोड़ आठ लाख चौव्वन हजार छियासठ और चौरासी पैसे मात्र)** तथा **05.04.2024** से भुगतान की तिथि तक अर्जित ब्याज का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 19–अप्रैल–2025 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 1,08,54,066.84/– (रुपये एक करोड़ आठ लाख चौव्वन हजार छियासठ और चौरासी पैसे मात्र)** की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु इंडियन बैंक के प्रभाराधीन होगा।

"हम आपका ध्यान, प्रतिभूतियों का ऋण मोचन करने के आपके अधिकारों के संदर्भ में सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली की ओर आकृष्ट करते हैं"।

अचल संपत्ति का विवरण

जिन परिसंपत्तियों में प्रतिभूत हित सृजित किया गया है, उनका विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है : **प्रतिभूति हित आईडी : 400012290131 / परिसंपत्ति आईडी : 200012265115**
संपत्ति का विवरण : लेट वकीला पत्नी आस मोह. के नाम पर ग्राम खेड़ा चौगानपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में आवासीय संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश, जिसकी अधिमाप 293.53 वर्ग मीटर (351.11 वर्ग गज) है, जो खसरा संख्या 44 मिन. पर है। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं :– उत्तर : गुलाब की संपत्ति, दक्षिण : श्रीमती रानी की संपत्ति, पूर्व : श्रीमती चंपा की संपत्ति, पश्चिम : श्री मेहर की संपत्ति और रास्ता 8 फीट चौड़ा।

दिनाँक : 19/04/2025, स्थान : नोएडा हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) इंडियन बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

बावली रोड बड़ौत शाखा, 18/277, खुशाली भवन बड़ौत, बावली रोड, सामने : ओल्ड ब्लॉक, बागपत, उत्तर प्रदेश 250611

[नियम – 8 (1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बावली रोड बड़ौत शाखा, 18/277, खुशाली भवन बड़ौत, बावली रोड, पुराने ब्लॉक के सामने, बागपत, उत्तर प्रदेश 250611** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 की अधि. सं. 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित 03–02–2025 निर्गत की थी, जिसमें **उधारकर्ता(ओं) : 1. मैसर्स रिधिका गारमेंट्स, प्रॉप– श्री सचिन कुमार जैन, पता : चौपला के पास, खत्री गढ़ी, भगवान महावीर मार्ग, बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश– 250611, 2. श्री सचिन कुमार जैन (प्रोपराइटर) मुख्य डाकघर के सामने, कटरी गढ़ी, बड़ौत, बागपत उत्तर प्रदेश– 250611 और गारंटर(रों) :1. श्री मनीष कुमार जैन पुत्र जिनेश कुमार जैन, पता : मकान नंबर 4/380 पट्टी चौधरान अनुभाग 12 खत्री कुँआ के पास बड़ौत बागपत, उत्तर प्रदेश– 250611, 2. श्री दीपक कुमार जैन पुत्र जिनेश कुमार जैन, पता : मकान नंबर 4/380 पट्टी चौधरान अनुभाग 12 खत्री कुँआ के पास बड़ौत बागपत, उत्तर प्रदेश– 250611,** को मांग सूचना में उल्लिखित राशि, **03–02–20255 के अनुसार, रु. 25,31,431.69 + ब्याज व अन्य शुल्कों (रुपये पच्चीस लाख इकतीस हजार चार सौ इकतीस तथा उनहत्तर पैसे मात्र + ब्याज एवं अन्य शुल्कों) का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभुगतान करने कहा गया था।**

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें / उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **19 अप्रैल 2025 को,** अधिग्रहण कर लिया है।

एतद्द्वारा उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 25,31,431.69 की एक राशि तथा ब्याज और राशि पर नियत अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बावली रोड बड़ौत शाखा, 18/277, खुशाली भवन बड़ौत, बावली रोड, पुराने ब्लॉक के सामने, बागपत, उत्तर प्रदेश 250611** के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिये उधारकर्ता के पास उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण :

यहां इसमें नीचे वर्णित अचल संपत्ति का समतुल्य बंधक :
मनीष कुमार जैन व दीपक कुमार जैन की 15.32 वर्ग मीटर की व्यावसायिक दुकान पुरानी नगरपालिका संख्या 11/397एम व नई नगरपालिका संख्या 9/477एम का ईएम, जो कस्बा बड़ौत भगवान महावीर मार्ग पट्टी मीरापुर भगवान महावीर मार्ग (संजय मूर्ति से राजबहा के बीच) मुख्य डाकघर खत्री गढ़ी के पास, नगर पालिका परिषद बड़ौत जिला बागपत यूपी–250611 की सीमा के अंतर्गत है, जिसकी सीमा निम्नानुसार है– पूर्व– श्रीमती निर्मला जैन की दुकान, पश्चिम– अलका जैन की दुकान, उत्तर– अतुल जैन की संपत्ति, दक्षिण– रोड भगवान महावीर मंदिर मार्ग।

दिनाँक : 19/04/2025
स्थान : बड़ौत, बागपत
प्राधिकृत अधिकारी,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

खबर कोना

आइपीएल अंक तालिका

टीम	मैच	जीत	हार	अंक
गुजरात टाइटंस	8	6	2	12
दिल्ली कैपिटल्स	7	5	2	10
रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु	8	5	3	10
पंजाब किंग्स	8	5	3	10
लखनऊ सुपर जायंट्स	8	5	3	10
मुंबई इंडियंस	8	4	4	8
कोलकाता नाइट राइडर्स	8	3	5	6
राजस्थान रायल्स	8	2	6	4
सनराइजर्स हैदराबाद	7	2	5	4
चेन्नई सुपर किंग्स	8	2	6	4

मैड्रिड : सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम में रविवार को गोल करने के बाद जश्न मनाते रियल मैड्रिड के फेडेरिको वाल्वरडे।

भारतीय महिला हाकी टीम पांच मैचों की शृंखला के लिए आस्ट्रेलिया रवाना

बंगलुरु, 21 अप्रैल (भाषा)।

सलीमा टेटे की अगुवाई में भारतीय महिला हाकी टीम 26 अप्रैल से पर्थ में शुरू होने वाली पांच मैचों की शृंखला में भाग लेने के लिए रविवार देर रात आस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। भारतीय टीम का यह दौरा जून में होने वाले एफआइएच प्रो लीग के यूरोपीय चरण की तैयारी को देखते हुए महत्त्वपूर्ण है। शृंखला 26 और 27 अप्रैल को आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो मैचों के साथ शुरू होगी। इसके बाद 26 सदस्यीय भारतीय टीम एक, तीन और चार मई को पर्थ हाकी स्टेडियम में दुनिया की पांचवें नंबर की आस्ट्रेलिया की सीनियर टीम के खिलाफ तीन मैच खेलेगी।

रेलवे के प्रणव प्रमोद को पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक

कोच्चि, 21 अप्रैल (भाषा)।

रेलवे के धावक प्रणव प्रमोद सोमवार को यहां प्रबल दावेदारों को पछाड़कर राष्ट्रीय महासंघ सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता पुरुषों की 100 मीटर दौड़ जीतने में सफल रहे। फरवरी में उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक जीतने वाले 23 वर्षीय प्रणव ने चार दिवसीय प्रतियोगिता के शुरुआती दिन 10.27 सेकेंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। प्रमोद ने राष्ट्रीय खेलों में रजत जीतने वाले अपने 10.32 सेकेंड के समय में सुधार किया लेकिन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) द्वारा निर्धारित एशियाई चैंपियनशिप के 10.25 सेकेंड के क्वालीफाइंग समय से चूक गए।

अनुज व विवेक ने अंडर-20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते

कोटा, 21 अप्रैल (भाषा)।

घरेलू प्रबल दावेदार अनुज ने सोमवार को अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुष फ्रीस्टाइल 61 किग्रा फाइनल में हरियाणा के सुमित को शिकस्त दी जबकि 74 किग्रा वर्ग के खिताबी मुकाबले में यूपी के विवेक ने हरियाणा के सौरभ को हरा दिया। अजय (महाराष्ट्र) और कपिल (चंडीगढ़) 61 किग्रा में कांस्य पदक विजेता बने। विशाल ने सेना के साहिल पर जीत के साथ 97 किग्रा में स्वर्ण पदक जीते। उत्तर प्रदेश के विशाल और राजस्थान के साहिल ने कांस्य पदक जीता।

बीसीसीआइ ने जारी की केंद्रीय अनुबंध सूची

रोहित व विराट शीर्ष श्रेणी में, अय्यर और किशन की वापसी

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) ने अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए आइपीएल मैच जिताने वाली शानदार पारियां खेलने के 24 घंटे से भी कम समय बाद सोमवार को मेगास्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाड़ियों की अपनी वार्षिक अनुबंध सूची में शीर्ष श्रेणी में बरकरार रखा। अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर और इशान किशन की केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की 34 सदस्यीय सूची में निचले वर्ग में वापसी हुई है जिसमें सबसे अधिक राशि वाले ए प्लस वर्ग में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा भी शामिल हैं। अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज किशन को पिछले साल घरेलू क्रिकेट की अनदेखी करने के कारण सूची से हटा दिया गया था।

बीसीसीआइ चार श्रेणियों में अनुबंध प्रदान करता है जो ए प्लस, ए, बी और सी है और इनकी वार्षिक रिटेनर राशि क्रमशः सात करोड़, पांच करोड़, तीन करोड़ और एक करोड़ रुपए है। अय्यर को बी श्रेणी में जबकि किशन ने सी श्रेणी में वापसी की। ए प्लस श्रेणी में ऐसे खिलाड़ियों को जगह मिलती है जिनका सभी प्रारूपों में खेलना लगभग तय है। श्रेणी बी उन खिलाड़ियों के लिए है जो कम से कम दो प्रारूप नियमित रूप से खेलते हैं और सी श्रेणी नए खिलाड़ियों और एक प्रारूप के विशेषज्ञों के लिए है। बीसीसीआइ के एक शीर्ष अधिकारी ने एजंसी को बताया, 'नए केंद्रीय अनुबंध की अवधि एक अक्तूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक है। लेकिन मूल्यांकन वर्ष एक अक्तूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 है।

क्रिकेट : ए प्लस वर्ग में

केंद्रीय अनुबंध सूची

ए प्लस श्रेणी : रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा।

ए श्रेणी : मोहम्मद सिराज, लोकेश राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत।

बी श्रेणी : सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर।

सी श्रेणी : रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नितीश कुमार रेड्डी, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा।

प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान और सिराज की शानदार गेंदबाजी

गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रनों से हराया

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

गुजरात टाइटंस ने आइपीएल 2025 के 39वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को उसी के घर में 39 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता की टीम आठ विकेट पर 159 रन ही बना सकी। केकेआर के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक लगाया, लेकिन उन्हें किसी और का साथ नहीं मिला। गुजरात के लिए राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा ने दो-दो विकेट चटकाए। जबकि मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा और साई किशोर को 1-1 सफलता मिली।

कोलकाता नाइट राइडर्स 199 रनों की लक्ष्य का पीछा करने उतरी, लेकिन शुरुआत खराब रही। पारी के पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। गुरबाज एक रन बनाकर चलते बने। इसके बाद 43 के स्कोर पर कोलकाता ने दूसरा विकेट गंवा दिया। सुनील नरेन को राशिद खान ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। नरेन 13 गेंद पर 17 रन बनाए। फिर 19 गेंद पर 14 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर साई किशोर का शिकार बने।

इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्ताना अजिंक्य रहाणे अर्धशतक लगाकर वाशिंगटन का शिकार बने। अजिंक्य रहाणे 36 गेंद पर 5 चौके और एक छक्के की मदद से 50 रन बनाए। फिर 15 गेंद पर 21 रन बनाकर आंद्रे रसेल पवेलियन लौटे। उन्हें राशिद खान ने आउट किया। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आठ विकेट पर 159 रन ही बना सके। आखिरी में अंगकृष रघुवंशी 13 गेंद पर 27 रन बनाकर नाबाद लौटे। गुजरात टाइटंस के लिए कप्तान शुभमन गिल 55 गेंद पर 90 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 3 छक्के लगाए। साई सुदर्शन 36 गेंद पर 52 रन बनाए। जबकि जोस बटलर 23 गेंद पर 41 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं शाहरुख खान 5 गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और रसेल को एक-एक सफलता मिली।

इस तरह गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में आलराउंड प्रदर्शन किया और जीत हासिल कर शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। गुजरात 12 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर बरकरार है।

इंडियन प्रीमियर लीग : 39वां मुकाबला

सुनील नरेन के विकेट लेने के बाद जश्न मनाते गुजरात के खिलाड़ी।

गुजरात ने शुभमन गिल और साई सुदर्शन के अर्धशतकों से 20 ओवर में तीन विकेट पर 198 रन बनाए थे, जवाब में केकेआर की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 159 रन ही बना सकी।

गुजरात की आठ मैचों में छठी जीत है और वह 12 अंक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है।

कोलकाता की आठ मैचों में पांचवीं हार है, वह तीन जीत के साथ छह अंक लेकर अंक तालिका में सातवें स्थान पर।

जर्मनी : स्टटगार्ट में सोमवार को डब्लूटीए टूर के महिला एकल फाइनल टेनिस मैच में जीत के बाद खुशी का इजहार करतीं लातविया की जेलेना ओस्टापेंको।

जश्न

हमें आत्ममंथन करना होगा, अगले आइपीएल के लिए 11 खिलाड़ी तैयार करेंगे : धोनी

मुंबई, 21 अप्रैल (भाषा)।

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि उन्हें इस पर गौर करने की जरूरत है कि क्या वह सही तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं तथा उन्होंने अगले साल होने वाले आइपीएल के लिए 11 खिलाड़ी तैयार करने की योजना को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों से थोड़ा आत्ममंथन करने का आग्रह किया।

धोनी ने संकेत दिया कि खिलाड़ी अपनी रणनीति पर अमल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वह अगले साल के लिए कोर ग्रुप की पहचान करने के करीब हैं। धोनी ने रविवार शाम यहां आइपीएल मैच में मुंबई इंडियंस के हाथों नौ विकेट से हार के बाद कहा, 'हमारे जितने भी मैच बचे हैं उनमें हमें जीत हासिल करनी होगी। हम एक समय में केवल एक मैच पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर आगे हम कुछ मैच हारते हैं, तो हमारे लिए अगले साल के लिए सही संयोजन तैयार करना महत्त्वपूर्ण होगा।'

उन्होंने कहा, 'हम बहुत अधिक खिलाड़ियों को बदलने के पक्ष में नहीं हैं। हमारे लिए अभी प्लेआफ के लिए क्वालीफाई करना महत्त्वपूर्ण है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा ध्यान अगले साल के लिए 11 खिलाड़ी तैयार करना और फिर दमदार वापसी करने पर होगा।'

क्रिकेट

धोनी ने कहा कि हमारे जितने भी मैच बचे हैं उनमें हमें जीत हासिल करनी होगी।

मोसेस भारत की राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में दिलचस्पी से हैरान

मैड्रिड, 21 अप्रैल (भाषा)।

अमेरिकी एथलेटिक्स के दिग्गज एडविन मोसेस ने भारत की 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में दिलचस्पी पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि यह तय करने की जरूरत है कि केवल आयोजन के लिए ऐसा किया जा रहा है या फिर इसका उद्देश्य खेलों का विकास करना है।

राष्ट्रमंडल खेल

भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दिलचस्पी की अभिव्यक्ति (ईओआइ) जमा कर दी है। यही नहीं भारत अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र सौंपने के बाद 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए बोली लगाने की दौड़ में भी शामिल है। भारत पुरुष फुटबाल में 2031 एएफसी एशियाई कप की मेजबानी के लिए बोली लगाने वाले सात देशों में भी शामिल है। एक ऐसा खेल जो देश में प्रदर्शन और प्रशासन दोनों के मामले में खराब स्थिति में है।

लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी के सदस्य मोसेस से जब पूछा गया कि क्या राष्ट्रमंडल खेलों जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी से बेहतर खिलाड़ी ढूंढने में मदद मिल सकती है, उन्होंने एजंसी से कहा, 'यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए क्या दृष्टिकोण है। क्या यह सिर्फ भारत में एक आयोजन करना है, या वास्तव में खेलों का विकास करना है? यह बड़ा सवाल होगा।'

उन्होंने कहा, 'आप राष्ट्रमंडल खेल या किसी अन्य बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं।

लखनऊ के खिलाफ दिल्ली को दिखाना होगा दम

केएल राहुल की मौजूदगी वाले मध्य क्रम ने किया है अच्छा प्रदर्शन

लखनऊ, 21 अप्रैल (भाषा)।

दिल्ली कैपिटल्स जब आज (मंगलवार को) यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में लखनऊ सुपर जाइंट्स का सामना करेगा तो उसकी उम्मीद रहेगी कि उसके सलामी बल्लेबाज फार्म में लौटकर टीम को अच्छी शुरुआत देंगे।

दिल्ली के सलामी बल्लेबाज वर्तमान सत्र में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उसने सलामी जोड़ी के रूप में अभी तक चार बल्लेबाजों के साथ तीन संयोजन आजमाए हैं लेकिन इसके इसके बावजूद उसकी टीम पिछले पांच मैचों में पहले विकेट के लिए 23, 34, 00, 09 और 00 रन की साझेदारी ही निभा पाई है। दिल्ली ने अब तक फाफ डु प्लेसी, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल और करुण नायर को सलामी बल्लेबाज के रूप में आजमाया है लेकिन उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। इसका संबंध डु प्लेसी की चोट से भी है और इस मैच से पहले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी की फिटनेस पर कड़ी नजर रहेगी। दिल्ली के सलामी बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर अभी तक बहुत गौर नहीं किया गया है क्योंकि उसकी टीम ने सात मैचों में से पांच में जीत हासिल की है और केएल राहुल की मौजूदगी वाले मध्य क्रम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन लखनऊ की टीम में दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई, आवेश खान और शार्दुल ठाकुर जैसे कुशल गेंदबाज हैं जिनके सामने दिल्ली के बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा। आवेश खान की डेथ ओवरों की शानदार गेंदबाजी के कारण लखनऊ ने पिछले मैच में राजस्थान रायल्स को दो रन से हराया था जिससे निश्चित तौर पर उसकी टीम का मनोबल बढा होगा।

इंडियन प्रीमियर लीग

दिल्ली के सलामी बल्लेबाज वर्तमान सत्र में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उसने सलामी जोड़ी के रूप में अभी तक चार बल्लेबाजों के साथ तीन संयोजन आजमाए हैं लेकिन इसके इसके बावजूद उसकी टीम पिछले पांच मैचों में पहले विकेट के लिए 23, 34, 00, 09 और 00 रन की साझेदारी ही निभा पाई है।

इस आयोजन में कई एथलीट लेंगे हिस्सा | **तैयारी** | **'टूर्नामेंट आयोजित करना सपना सच होने जैसा'**

नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता पंचकुला में नहीं, बंगलुरु में होगी

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा)।

नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता का पहला चरण पर्याप्त रोशनी की कमी के कारण 24 मई को पंचकुला के बजाय बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में कराया जाएगा जिसमें कई स्टार एथलीट हिस्सा लेंगे क्योंकि एंडरसन पीटर्स और थामस रोहलर ने भागीदारी की पुष्टि कर दी है। ग्रेनेडा के पीटर्स दो बार के विश्व चैंपियन हैं और रोहलर 2016 ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं।

चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने अभी तक भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स द्वारा इस प्रतियोगिता को श्रेणी ए का दर्जा दिया गया है जिसने भी अपने कैलेंडर में इस टूर्नामेंट के स्थल का नाम बदल दिया है। चोपड़ा ने कहा, 'मैं चाहता था कि यह प्रतियोगिता पंचकुला में आयोजित हो, लेकिन वहां स्टेडियम में रोशनी की व्यवस्था से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। विश्व एथलेटिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रसारण के लिए 600 'लक्स' (प्रकाश की तीव्रता का माप) की रोशनी चाहती थी लेकिन पंचकुला में इतनी रोशनी उपलब्ध नहीं थी और इसे तैयार करने में समय लगेगा।

27 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, 'इसलिए इस साल हमने प्रतियोगिता को बेंगलुरु के कांतीरवा स्टेडियम में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की है। टूर्नामेंट के सफल आयोजन के हर पहलू का ध्यान रखने के लिए हमारे पास जेएसडब्लू की टीम है। मुझे लगता है कि बेंगलुरु में शाम का मौसम इस टूर्नामेंट, खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए 'परफेक्ट' होगा। उन्होंने कहा, 'हमारी कोशिश प्रशंसकों को सर्वश्रेष्ठ अनुभव और विदेशी प्रतिभागियों को सर्वश्रेष्ठ आतिथ्य प्रदान करना है।' इस टूर्नामेंट का आयोजन चोपड़ा और जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स द्वारा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) और विश्व एथलेटिक्स के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसमें शीर्ष वैश्विक और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी भाग लेंगे।

चोपड़ा ने कहा, 'मैं इस टूर्नामेंट के आयोजन में काफी जुड़ा हुआ हू। लंबे समय से मेरा सपना भारत में इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित करना रहा है। अब इसका आयोजित होना मेरे लिए सपना सच होने जैसा है।' हरियाणा के खंडरा गांव का यह एथलीट तोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने और पेरिस में उन्होंने रजत पदक जीता। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत उत्साहित हूं। मैंने देश के लिए ओलंपिक और अन्य पदक जीते हैं। अब इस टूर्नामेंट के जरिए मैं भारतीय एथलेटिक्स, भारतीय खिलाड़ियों और प्रशंसकों को कुछ वापस दे रहा हूं।'

चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने अभी तक भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। *नीरज* ने कहा, 'मैं चाहता था कि यह प्रतियोगिता पंचकुला में आयोजित हो, लेकिन वहां स्टेडियम में रोशनी की व्यवस्था से संबंधित कुछ मुद्दे हैं।'

नीरज चोपड़ा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 42, अंक 155
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।